

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

छत्तीसगढ़ में गौवंशीय पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु संचालित योजनाएं

[पशुधन विकास]

1. (*क्र. 1055) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राज्य में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में कुल कितने गौवंशीय पशु हैं? राज्य में कौन-कौन से पशुओं की, कितनी-कितनी संख्या है और उसमें कितने नर एवं मादा हैं तथा इनमें कितने प्रजनन योग्य हैं? दुग्ध उत्पादन में क्या छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? (ख) उक्त पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? राज्य में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं? गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर कितने केन्द्रों की आवश्यकता है? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितने कृत्रिम गर्भाधान किये गये और उसमें कितनी लागत आयी? (ग) प्रदेश में चिराग परियोजना कब से लागू की गयी? कार्यावधि कितनी थी? कब बंद हुयी? क्या निर्धारित समयावधि के पूर्व बंद हुयी? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे? इसका वित्तीय पोषण कैसे किया गया? कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुयी तथा राज्य सरकार का कितना अंश रहा? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया तथा उसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी राशि किन कारणों से लेप्स/समर्पित की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 99.84 लाख गौवंशीय पशु हैं। राज्य में पशुओं की संख्या से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। जी नहीं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर नहीं है। भारतीय मानक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् अनुसार दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम निर्धारित है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 की भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 194 ग्राम प्रतिदिन है। (ख) राज्य में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है। राज्य में 1585 संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में 800 प्रशिक्षित प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वर्तमान में गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर 412 केन्द्रों की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 16.93 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये। उक्त कार्य हेतु राशि रू. 1071.55 लाख की लागत आई। (ग) प्रदेश में चिराग परियोजना दिनांक 12.02.2021 से लागू की गई तथा परियोजना की स्वीकृत निर्धारित अवधि 12-02-2021 से 31-07-2026 तक कुल 05 वर्ष 05 माह 19 दिन थी। भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-03-2025 में दिए गए निर्देश अनुसार चिराग परियोजना अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन दिनांक 26.03.2025 से बंद की गई है। हां, चिराग

परियोजना में अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि के पूर्व बंद हुई है। चिराग परियोजना का वित्तीय पोषण विश्व बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और राज्य सरकार द्वारा किया गया। चिराग परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 24.09.2021 को राशि रू. 10.00 करोड़ तथा दिनांक 16.12.2021 को राशि रू. 87.50 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रू. 97.50 करोड़ प्राप्त हुई, जिसमें राज्य शासन का शत प्रतिशत अंश रहा। परियोजना अंतर्गत प्राप्त राशि के विरुद्ध परियोजना के गतिविधियों में व्यय राशि में से विश्व बैंक एवं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का निर्धारित 66 प्रतिशत अंश राज्य शासन के कोष में प्रतिपूर्ति कर दी गई है। प्राप्त राशि का उपयोग तथा व्यय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार है।** वित्तीय 2023-24 में कोविड-19 आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया मद की परियोजना अंतर्गत प्रावधानित कुल राशि रू. 183.96 करोड़ के उपयोग की अनुमति कोविड लहर के समय प्राप्त नहीं हो पाने के कारण कोविड लहर समाप्ति पश्चात् संपूर्ण प्रावधानित राशि समर्पित की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक" \]](#)

मंडी निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (*क्र. 1858) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या कोटा विकासखंड में विगत दो वर्षों में मंडी निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? अगर हाँ, तो कौन-कौन से ग्रामों में कब सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** क्या उक्त सामुदायिक भवनों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? अगर हाँ, तो कब की गई है? **(ग)** क्या उक्त सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु टेंडर जारी किया गया है? अगर हाँ, तो कब जारी किया गया है? कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है? **(घ)** अगर टेंडर जारी नहीं हुआ है तो किन कारणों से नहीं हुआ है? किस स्तर पर कब से लंबित है और कब तक टेंडर जारी किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** हाँ, कोटा विकासखंड में विगत दो वर्षों में मंडी निधि से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम रमदेई, केन्दा में दिनांक 10.01.2025 एवं ग्राम कुसमुली, अमने, लिटिया, धुमा, बिल्लीबंद, परसापानी में दिनांक 29.05.2025 को सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** हाँ, उक्त सामुदायिक भवन की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्यपालन अभियंता मंडी बोर्ड जिला बिलासपुर के पत्र दिनांक 17.01.2025 एवं 30.05.2025 में तकनीकी स्वीकृति तथा कृषि उपज मंडी समिति कोटा के पत्र दिनांक 24.01.2025 एवं 03.06.2025 में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। **(ग)** हाँ, उक्त सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु टेंडर दिनांक 25.02.2026 को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से हरिभूमि सामाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। **(घ)** टेंडर जारी किया जा चुका है। अतएव शेष जानकारी निरंक है।

अलसी उत्पादन हेतु बीज का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

3. (*क्र. 2127) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिलान्तर्गत सीजन 2024-25 में अलसी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ के किन-किन किसानों को कितने हेक्टेयर में अलसी की खेती करने के लिए कृषि विभाग द्वारा बीज प्रदान किया गया था? विकासखंडवार जानकारी देवें? बीज निगम द्वारा प्रदत्त बीज से किसानों द्वारा कितना अलसी उत्पादन किया गया ? बीज प्रमाणीकरण संस्थान से बीज प्रमाणित हुआ या फेल हुआ ? यदि फेल हुआ तो किस कारण

से हुआ ? किसानों को कितना नुकसान हुआ ? नुकसान की प्रतिपूर्ति की गयी कि नहीं? यदि नहीं तो कब तक कर दी जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अलसी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजनांतर्गत 17 किसानों को 6.00 हेक्टेयर रकबा हेतु 1.20 कि. एवं टारगेटिंग राइस फेलो एरिया योजनांतर्गत 175 किसानों को 150.00 हेक्टेयर रकबा हेतु 30 कि. इस प्रकार कुल 192 किसानों को 156.00 हेक्टेयर हेतु कुल 31.20 कि. बीज प्रदाय किया गया। विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. अंतर्गत बीज प्रक्रिया केन्द्र बोईरदादर जिला रायगढ़ द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकृत 02 कृषकों को कुल 0.60 कि. अलसी बीज प्रदाय किया गया था, जिससे 12 कि. कच्चा बीज प्राप्त हुआ। अन्य किस्मों तथा खरपतवार के बीज मिश्रित होने के कारण बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 9 कि. बीज अमानक (फेल) श्रेणी का पाया गया।इसी प्रकार बीज प्रक्रिया केन्द्र चपले जिला-रायगढ़ द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकृत 19 कृषकों को 8.40 कि. अलसी बीज प्रदाय किया गया था, जिससे 186.50 कि. कच्चा बीज उत्पादित किया गया। 158.49 कि. बीज मात्रा अन्य किस्मों एवं खरपतवार के बीज मानक स्तर से अधिक होने तथा बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता मानक स्तर से कम होने के कारण बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अमानक (फेल) श्रेणी का पाया गया।छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी "बीज नीति", जिसका अनुपालन करते हुए बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाते हैं, में बीज के नमूने फेल होने की स्थिति में नुकसान की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है, अतः शेष जानकारी निरंक है।बीज उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

मंदिरों का जीर्णोद्धार व धर्मशाला निर्माण कार्य की स्वीकृति

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

4. (*क्र. 2212) श्री इंद्र साव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त प्रस्तावों पर धार्मिक स्थान में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धर्मशाला निर्माण के लिए कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत राशि द्वारा कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं ? इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं ? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में जीर्णोद्धार कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य तथा धर्मशाला निर्माण, बिजली व शुद्ध पेयजल कार्यों के लिए, प्राप्त प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान दी जाएगी ? समय सीमा बताएं ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** प्रश्नांश में दर्शित जिले में धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कुल 74 प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है।**(ख)** विभाग द्वारा बिजली एवं पेयजल संबंधी कार्य नहीं किया जाता है। विधानसभा भाटापारा अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थानों, मंदिरों में जीर्णोद्धार स्वीकृति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

आर.डी.ए. एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 2216) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या आरडीए एवं हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद् में निर्णय लिया

गया है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में कॉलोनी में सफाई, गारबेज कलेक्शन, विद्युतीकरण, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाईट, मेंटेनेंस एवं सुविधा देने के संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ? जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हां, रायपुर विकास प्राधिकरण की 03 एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 32 कॉलोनियों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.02.2026 में निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद् के निर्णय उपरांत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कॉलोनियों के हस्तांतरण हेतु निर्देश प्रसारित करना प्रक्रियाधीन है, तदुपरांत हस्तांतरण की कार्यवाही होगी। कॉलोनी में सफाई, गारबेज कलेक्शन, विद्युतीकरण, पेयजल संकट, स्ट्रीट लाईट, मेंटेनेंस एवं सुविधाओं हेतु कार्ययोजना संबंधित नगरीय निकायों द्वारा तैयार की जावेगी। हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-संधारण एवं सामान्य रख-रखाव शुल्क प्राप्त कर, इन कॉलोनियों में नियमित रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

जिला रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा के औद्योगिक फ्लाई एश का प्रबंधन

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 1231) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिला में उद्योगों से निकलने वाली राख/फ्लाई एश को कहां-कहां डंपिंग/उपयोग किया जा रहा है? किन-किन उद्योगों द्वारा एसडाई/तालाब/डेम का निर्माण किया गया है तथा किनके द्वारा नहीं किया गया है? **(ख)** क्या जांजगीर-चांपा जिले के प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा एवं रायगढ़ जिले के एन आर इस्पात, एन आर टी.एम.टी., एनआर व्ही.एस. व एन.आर. फेरो द्वारा फ्लाई एश डिस्पोजल हेतु निश्चित स्थान का उपयोग न कर सरकारी भूमि/वन भूमि आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर किया जा रहा है? इस पर हुई शिकायत/जांच/नोटिस/कार्यवाही का विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ में उद्योगों से निकलने वाले राख/फ्लाई एश के किये जा रहे भू-भराव स्थल की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं, उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत अधिकारों की मान्यता

[मछली पालन]

7. (*क्र. 2242) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों पर प्रदान की गई अधिकारों की मान्यता की संख्या तथा जलक्षेत्र का कुल रकबा जिलावार बताएं? **(ख)** धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत 100 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर से अधिक किंतु 1000 हेक्टेयर से कम, 1000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2000 हेक्टेयर से कम तथा 2000 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले कौन-कौन से जलाशय आते हैं? जिलावार बताएं? इन जलाशयों में से किनमें-किनमें मत्स्यपालन तथा मत्स्याखेट के अधिकारों की मान्यता दी गई है? **(ग)** धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों के संबंध में मत्स्यपालन नीति एवं निर्देशों में क्या प्रावधान हैं? इनमें से किन-किन जलाशयों में मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट का ठेका टेंडर पद्धति से मत्स्य महासंघ के द्वारा दिया जाता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों पर प्रदान की गई अधिकारों की मान्यता की संख्या 1753 तथा जलक्षेत्र का कुल रकबा 82736.191 हेक्टेयर है। जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत 100 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर से अधिक किंतु 1000 हेक्टेयर से कम, 1000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2000 हेक्टेयर से कम तथा 2000 हेक्टेयर के अधिक रकबा वाले जलाशयों की जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** इन समस्त जलाशयों में मत्स्यपालन तथा मत्स्याखेट के अधिकारों की मान्यता दी गई है। (ग) धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों के संबंध में मत्स्यपालन नीति एवं निर्देशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है अपितु नवीन मछली पालन नीति-2022 के बिन्दु क्रमांक 1.5 के क्रियान्वयन हेतु 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशयों/बैराजों को निविदा के आधार पर देने के निर्देश प्रक्रिया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** इनमें से मत्स्य महासंघ द्वारा मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट के लिए ठेका टेंडर पद्धति से दिए गए जलाशयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

छ.ग. शासन मछली पालन नीति, 2022 के तहत पट्टा का पुनःआबंटन

[मछली पालन]

8. (*क्र. 2191) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सत्य है कि छ.ग. शासन मछली पालन विभाग द्वारा 2022 में नवीन मछली पालन नीति लागू की गयी है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" के नीति अंतर्गत क्रमांक 06 में उल्लेखित 10 वर्षीय पट्टाधारियों को उनके अच्छे रिकॉर्ड पर पुनः आबंटित करने का उल्लेख है? (ग) क्या शासन के द्वारा कंडिका "क" के तहत क्रमांक 06 के परिपालन में 10 वर्षीय आबंटन/निविदा अवधि समाप्त होने के पूर्व उस समिति, समूह व व्यक्ति का संपूर्ण रिकॉर्ड अच्छा रहा तो उसको पुनः पट्टा आबंटन हेतु पट्टा अवधि समाप्त होने के 06 माह पहले विचार करेगी? (घ) क्या शासन द्वारा मछली पालन नीति को क्रियान्वित करते हुए पात्र समिति, समूह व व्यक्ति को पुनः आबंटित करने हेतु विचार करेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां, यह सत्य है कि छ.ग. शासन मछली पालन विभाग द्वारा 2022 में नवीन मछली पालन नीति लागू की गयी है। (ख) जी हां, नवीन मछली पालन नीति-2022 के कण्डिका 06 में "10 वर्षीय आबंटन/निविदा अवधि समाप्त होने पर यदि उस समिति, समूह व व्यक्ति का सम्पूर्ण रिकार्ड अच्छा रहा हो तो पुनः आबंटन दिए जाने के लिए प्रथम प्राथमिकता होगी।" का उल्लेख है। (ग) जी हां, शासन के द्वारा कंडिका "क" के तहत क्रमांक 06 के परिपालन में 10 वर्षीय आबंटन/निविदा अवधि समाप्त होने के पूर्व उस समिति, समूह व व्यक्ति का संपूर्ण रिकॉर्ड अच्छा रहा तो उसको पुनः पट्टा आबंटन हेतु पट्टा अवधि समाप्त होने के 06 माह पहले विचार करेगी। (घ) जी हां, शासन द्वारा मछली पालन नीति को क्रियान्वित करते हुए पात्र समिति, समूह व व्यक्ति को पुनः आबंटित करने हेतु प्रथम प्राथमिकता होगी।

बालोद जिले में गौ धाम योजना हेतु स्वीकृत राशि

[पशुधन विकास]

9. (*क्र. 1931) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बालोद जिले में पूर्ववर्ती योजना के तहत निर्मित गौठानों की वर्तमान उपयोगिता क्या है? क्या वहां चारे और पानी की समुचित व्यवस्था है? (ख) राज्य सरकार की नई 'गौधाम योजना' के तहत बालोद जिले के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और इसके तहत कितने नए शेल्टर होम बनाए जाएंगे? प्रत्येक गौ धाम में

कितने पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी ? (ग) इस योजना के तहत चरवाहों एवं पशु परिचारकों के लिए कितना मासिक मानदेय देने का प्रावधान है ? क्या मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) बालोद जिले में पूर्ववर्ती योजना के तहत निर्मित गौठानों की वर्तमान उपयोगिता पारंपरिक गौठान के रूप में है। गौठानों में चारा-पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। (ख) राज्य सरकार की नई 'गौधाम योजना' अंतर्गत जिला को राशि स्वीकृत नहीं की जाती है, अपितु छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत गौधाम को अनुदान प्रदाय किया जाता है। जिला बालोद में पंजीकृत गौधाम तथा प्रदाय अनुदान की जानकारी निरंक है। योजना के तहत गौठान, ग्राम भर्रीटोला, वि.ख. डौण्डी में गौधाम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 पशुधन रखने की व्यवस्था होगी। (ग) इस योजना के तहत श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची- "ग" अनुसार चरवाहा (अकुशल वर्ग) एवं गौ सेवक (उच्च कुशल वर्ग) हेतु निर्धारित मासिक मानदेय देने का प्रावधान है। वर्तमान में जिला बालोद में गौधाम पंजीकृत नहीं होने से प्रतिमाह मानदेय प्रदाय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चित्रकोट महोत्सव हेतु व्यय राशि का भुगतान

[संस्कृति]

10. (*क्र. 799) श्री विनायक गोयल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चित्रकोट महोत्सव के लिए वित्तीय वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में विभाग को कौन-कौन से मद अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) क्या विभाग द्वारा चित्रकोट महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत कलाकारों एवं टेंट का भुगतान शत प्रतिशत किया गया है? (ग) यदि किया गया है तो प्रश्नांक (ख) अंतर्गत वर्षवार भुगतान की पृथक-पृथक जानकारी दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) चित्रकोट महोत्सव हेतु आबंटित राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वित्तीय वर्ष	मद	आयोजन विवरण	आबंटन राशि
1	2023	--	चित्रकोट महोत्सव	--
2	2024	5753 समारोह हेतु अनुदान 17 सम्मेलन	चित्रकोट महोत्सव	10,00,000
3	2025	5753 समारोह हेतु अनुदान 17 सम्मेलन	चित्रकोट महोत्सव	10,00,000
कुल राशि रू. बीस लाख मात्र				20,00,000

(ख) चित्रकोट महोत्सव का आयोजन जिला स्तर में कलेक्टर द्वारा कराया जाता है, तथा कलेक्टर, जिला-बस्तर को अनुदान के रूप में राशि जारी की गई थी। कलेक्टर, जिला-बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार कलाकार तथा टेंट का भुगतान शत प्रतिशत किया जा चुका है। (ग) प्रश्नांक (ख) अंतर्गत वर्षवार भुगतान की पृथक-पृथक जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोक न्यासों की भूमि का बिना अनुमति के विक्रय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

11. (*क्र. 795) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सत्र नवम्बर-दिसंबर, 2025 के दौरान दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्रमांक 409) पर प्राप्त उत्तर में जिन 10 शिकायतों का उल्लेख किया गया है उन पर पंजीयक, लोक न्यास, रायपुर द्वारा दर्ज प्रकरण क्रमांक की जानकारी दें तथा यह भी बतावें कि उक्त प्रकरणों में कौन-कौन से

व्यक्ति/संस्था/फर्म/कंपनी आवेदक एवं अनावेदक हैं? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार चिन्हांकित प्रकरणों को पंजीयक, लोक न्यास, रायपुर द्वारा किन-किन तिथियों को दर्ज किया गया है तथा प्रकरणों में किस-किस तिथि को सुनवाई की गयी है? उक्त प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में किन-किन तिथियों को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित की गयी है? **(ख)** वर्तमान में प्रकरण किस स्थिति में हैं? किन-किन प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** कुल 10 प्रकरणों में 02 प्रकरण क्रमशः 202501111000439 एवं 202501111000432 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/निर्देश पर सुनवाई स्थगित रखी गई है। शेष 08 प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

रायपुर में लागू वर्तमान मास्टर प्लान में अनियमितता पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (*क्र. 1293) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1025), दिनांक 10 मार्च, 2025, परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 130), दिनांक 17 जुलाई, 2025, परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 82), दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के द्वारा यह बताया गया कि रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई गंभीर शिकायतों की जांच हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है? **(ख)** प्रश्नांश "क" में बीते एक वर्ष से जांच को प्रक्रियाधीन होना क्या नियमानुकूल है? जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी? **(ग)** मास्टर प्लान में गंभीर त्रुटि करने वालों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करना चाहता है अथवा नहीं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ, जांच प्रक्रियाधीन है। **(ख)** उक्त जांच प्रक्रिया हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। जांच शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास है। **(ग)** जांच पूर्ण होने के उपरांत जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के जर्जर आवासों का स्थाई आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (*क्र. 1085) श्री रिकेश सेन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवास वर्तमान में अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं? यदि हाँ, तो इन आवासों के संधारण हेतु पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** क्या जर्जर आवासों के स्थान पर 'पुनर्विकास योजना' के तहत नए मकान बनाकर उन्हीं हितग्राहियों को आवंटित करने का प्रस्ताव / विचार है? यदि हाँ, तो कब तक ? समय-सीमा बतावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी, हाँ। उक्त भवनों को नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वर्ष 2005 में जर्जर घोषित किया जा चुका है। इन आवासों के संधारण हेतु पिछले तीन वर्षों में कोई व्यय नहीं किया गया है। **(ख)** वर्तमान में जर्जर आवासों के स्थान पर 'पुनर्विकास योजना' के तहत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अंतागढ़, पखांजूर एवं बांदे तहसील में जमीन की खरीदी-बिक्री

[वाणिज्यिक कर]

14. (*क्र. 1673) श्री विक्रम उसेण्डी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले के तहसील अंतागढ़, पखांजूर एवं बांदे क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2025 तक कितनी-कितनी जमीन की खरीदी-बिक्री की गयी है? **(ख)** उपरोक्त खरीदी-बिक्री का पंजीयन किस पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालय में किया गया है? विवरण देवें? क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की शिकायतें थी? उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** कांकेर जिले के तहसील अंतागढ़, पखांजूर एवं बांदे क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2025 तक जमीन की खरीदी बिक्री से सम्बंधित रजिस्ट्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** कांकेर जिले के तहसील अंतागढ़, पखांजूर एवं बांदे क्षेत्र अंतर्गत खरीदी बिक्री का पंजीयन निम्नानुसार उप पंजीयक कार्यालय में किया गया है:-

स.क्र.	उप पंजीयक कार्यालय का नाम	दस्तावेज संख्या
1.	कांकेर	06
2.	अंतागढ़	406
3.	पखांजूर	679
	योग :-	1091

उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

राज्य के आश्रम / छात्रावास में गार्ड तथा नर्स की नियुक्ति

[आदिम जाति विकास]

15. (*क्र. 826) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य में कुल कितने आश्रम / छात्रावास हैं और कितने के लिए होम गार्ड एवं नर्स की नियुक्ति का प्रावधान है और उसके विरुद्ध कितने होम गार्ड एवं नर्स कार्यरत हैं? जहां पर कार्यरत नहीं हैं, उसके क्या कारण हैं? उनको कब तक नियुक्त कर लिया जाएगा? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राज्य में विभाग द्वारा 1224 आश्रम एवं 2133 छात्रावास इस प्रकार कुल 3357 आश्रम/छात्रावास संचालित है। जिसमें से कुल 1306 कन्या आश्रम/छात्रावासों में जिला नगर सेनानी द्वारा महिला होमगार्ड की पदस्थापना का प्रावधान है। नर्स की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। उक्त 1306 के विरुद्ध 1193 कन्या आश्रम/छात्रावासों में महिला होमगार्ड कार्यरत हैं एवं 113 कन्या आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत नहीं हैं। जिलेवार जानकारी प्रपत्र में दर्शित है। महिला होमगार्ड की नियुक्ति जिला नगर सेनानी द्वारा किया जाता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

प्रदेश में गन्ने का रकबा एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

16. (*क्र. 2230) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 05 वर्षों में प्रदेश में गन्ना की खेती का कुल रकबा कितना-कितना था? कुल कितनी-कितनी मात्रा में गन्ना का उत्पादन हुआ एवं शासन द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में गन्ने की खरीदी की गई है? जिलेवार, वर्षवार बतावें? **(ख)** विगत 05 वर्षों में गन्ने का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रोत्साहन राशि कितनी-

कितनी निर्धारित थी? समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गन्ने की खरीदी एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है? वर्षवार, जिलेवार बतावें? (ग) क्या गन्ना की पेराई हेतु कारखाना ले गये गन्ना किसानों को अपनी गाडियां अनलोड करने के लिए कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है? यदि हां तो अव्यवस्था में सुधार हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत 05 वर्षों में प्रदेश में गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा क्रय किए गए गन्ना की जिलेवार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) विगत 05 वर्षों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.), राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि, क्रय किये गये गन्ने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य की दर से भुगतान तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान और भुगतान हेतु लंबित राशि की वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ग) गन्ना पेराई हेतु कारखाना ले गये गन्ना किसानों को अपनी गाडियां अनलोड करने के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं पड़ता है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत स्प्रेयर वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

17. (*क्र. 1172) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुंद जिले में कृषि विभाग से किस-किस योजना के अंतर्गत बैटरी चलित कम हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर वितरण किया गया है तथा उनकी लागत राशि कितनी थी? कितने कृषकों को वितरण किया गया? कृषकों से कितना-कितना कृषक अंश राशि ली गयी है तथा कौन-कौन सी कंपनी के द्वारा वितरण किया गया है? विकासखंडवार जानकारी देवें? (ख) क्या उस की किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) स्प्रेयर की क्वालिटी की जांच रिपोर्ट भी प्रदाय करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में जैविक खेती मिशन अंतर्गत प्रति स्प्रेयर राशि रू. 4384 की दर से कुल राशि रू. 19.73 लाख का बैटरी चलित कम हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर का वितरण 350 किसानों को किया गया तथा कृषकों से प्रति स्प्रेयर राशि रू. 1900 कृषक अंश के रूप में प्राप्त किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत प्रति स्प्रेयर राशि रू. 5335 की दर से कुल राशि रू. 185.23 लाख का बैटरी चलित कम हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर का वितरण 3472 किसानों को किया जाकर प्रति स्प्रेयर राशि रू. 534 कृषक अंश के रूप में प्राप्त किया गया। वर्षवार, योजनावार, विकासखण्डवार, प्रदायक संस्था/कंपनीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) जी हाँ। सरपंच, ग्राम पंचायत-उखरा एवं झिटका, विकासखंड-बागबाहरा जिला-महासमुंद द्वारा जैविक खेती मिशन योजनान्तर्गत स्प्रेयर वितरण का शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में संचालनालय कृषि के पत्र क्र. 130 दिनांक 18.07.2024 द्वारा प्राप्त पत्र के अनुक्रम में उप संचालक कृषि महासमुंद को दिनांक 11.02.2026 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत स्प्रेयर वितरण का प्रकरण विधानसभा प्रश्न क 1844 एवं ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 311 से संज्ञान में आने पर दिनांक 09.01.2026 द्वारा उप संचालक कृषि, जिला-महासमुंद को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) जैविक खेती मिशन एवं जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वितरित स्प्रेयर की क्वालिटी की जाँच रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।**

विधानसभा सीतापुर अंतर्गत पर्यटन स्थलों में सुविधाओं की उपलब्धता

[पर्यटन]

18. (*क्र. 1683) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत कितने पर्यटन स्थल हैं? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार पर्यटन स्थल के नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त स्थल में पर्यटकों के लिए जगह-जगह पर प्रमुख सड़कों के किनारे प्रमुख स्थलों में कितने सामुदायिक शौचालय, बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था एवं स्थलों की सुरक्षा हेतु घेराव, साफ/सफाई की क्या व्यवस्था है ? अगर है तो उक्त विषयों की जानकारी बिंदुवार, स्थलवार प्रदान करें ? अगर नहीं तो कब तक सुविधाएं पूर्ण की जा सकेंगी? जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** उक्त पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु क्या पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है? अगर हां, तो कौन-कौन से स्थल में कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं? अगर नहीं, तो सुरक्षा व्यवस्था कब तक दी जा सकेगी ? जानकारी प्रदान करें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा 01 पर्यटन स्थल चिन्हांकित है। जिसके अंतर्गत स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट अंतर्गत स्थित स्थलों में विभिन्न सुविधाओं की बिन्दुवार, स्थलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र -ब** में अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक "क" में चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट के दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कोई सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था नहीं की गयी है, ग्राम कमलेश्वरपुर में स्थित पर्यटन विभाग के सैला रिसॉर्ट एवं करमा एथनिक रिसॉर्ट में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षागार्ड उपलब्ध है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांक "क" में उल्लेखित दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूहों के सदस्यों के द्वारा की जाती है। जिसका स्थलवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची चोटी गौरलाटा का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

19. (*क्र. 1114) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी गौरलाटा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं? **(ख)** पर्यटकों के लिए यहाँ सड़क, पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल, सूचना केंद्र एवं सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो उक्त सुविधाएँ कब तक उपलब्ध कराई जाएँगी? यदि नहीं, तो इन बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की जाएगी?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रूप विकसित किए जाने हेतु कलेक्टर, जिला बलरामपुर से रु. 3.40 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिसका परीक्षण विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से स्थल का अवलोकन कर कराया गया। विभाग के सीमित बजट के कारण जिला स्तर पर डी.एफ.एम या अन्य विभागों की योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराने हेतु जिला प्रशासन को लेख किया गया। गौरलाटा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर जनजागरुकता अभियान, कैम्प का आयोजन एवं जनसंपर्क के माध्यम से समाचार पत्रों में गौरलाटा का विस्तृत वर्णन कर प्रचार प्रसार की कार्यवाही की गई है। **(ख)** पर्यटकों के लिए यहाँ सड़क, पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल, सूचना केन्द्र एवं सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

भविष्य में जिला स्तरीय पर्यटन समिति की अनुशंसा से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रस्ताव का मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित करना एवं तदुपरांत बजट उपलब्धतानुसार उन्हें विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी। पर्यटन स्थल चिन्हांकित होने के उपरांत ही विकास कार्य कराया जा सकेगा। अतः वर्तमान में उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में चिन्हांकित पर्यटन स्थल

[पर्यटन]

20. (*क्र. 2088) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में वर्तमान में कुल कितने पर्यटन स्थल चिन्हांकित/विकसित हैं? कृपया विकासखंडवार सूची उपलब्ध कराएं? **(ख)** उक्त पर्यटन स्थलों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2022 से वर्तमान तक राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ स्वीकृत/प्रस्तावित की गई हैं? योजना-वार स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ग)** संबंधित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाएँ (सड़क, पेयजल, शौचालय, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, सूचना केंद्र, विश्राम गृह आदि) की स्थलवार जानकारी क्या है? **(घ)** क्या सरकार द्वारा जिले में इको-टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन अथवा सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में वर्तमान में कुल चार पर्यटन स्थल चिन्हांकित है। विकासखंडवार सूची **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है।**(ख)** उत्तरांश "क" के स्थलों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रश्नांकित अवधि में जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ग)** प्रश्नांक "क" के स्थलों पर जिला प्रशासन के द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** में अवलोकित किया जा सकता है।**(घ)** पर्यटन विभाग के द्वारा जिले में इको-टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन अथवा सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हांकन करने एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर उसे नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकन किया जायेगा एवं बजट उपलब्धतानुसार विकसित किया जायेगा। चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास के दर्शनीय स्थलों के पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना के उद्देश्य से सभी जिला कलेक्टरों से उपयुक्त भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव मांगा गया है। जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने परीक्षण उपरांत बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जिला प्रशासन से पैलिमेंटा बांध (पिपरिया) में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 1.056 हेक्टेयर भूमि चयनकर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसका स्थल निरीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

नवा रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण में अभियंताओं के पद तथा प्रतिनियुक्ति

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (*क्र. 2246) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण में अभियंताओं के स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों की स्थिति क्या है? किस-किस बाह्य सेवा से कौन-कौन अभियंता पदस्थ हैं? उनका मूल पदनाम तथा प्राधिकरण में प्रभार का पदनाम

बताएं? **(ख)** क्या नगर पालिक निगम, राजनांदगांव से कोई कार्यपालन अभियंता प्राधिकरण में दो पदक्रम उच्च मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत है? यदि हां तो किस नियम के तहत ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ख)** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में पदस्थ कार्यपालन अभियंता को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करते हुए मुख्य अभियंता के रिक्त पद के विरूद्ध प्रभार सौंपा गया है। उक्त पदस्थापना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता का पद रिक्त होने के दृष्टिगत प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ क्षेत्र में पत्थर केशरों से फैल रहे प्रदूषण पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

22. (*क्र. 1676) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ में संचालित पत्थर केशरों से उड़ने वाली धूल के कारण नगर बिलाईगढ़ तथा ग्राम दुम्हनी, गोविंदवन, बेलटिकरी, छपोरा सहित आसपास के गांवों के नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस संबंध में कब-कब संज्ञान लिया गया तथा प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण क्या है? **(ख)** बिलाईगढ़ क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने पत्थर केशर संचालित हैं? कितनों के पास वैध पर्यावरणीय स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र है? कितने केशर बिना स्वीकृति अथवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संचालित पाए गए? केशरवार विवरण क्या है? **(ग)** पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा उक्त केशरों का कितनी बार निरीक्षण किया गया? कितने मामलों में नोटिस जारी किए गए, आर्थिक दंड लगाया गया तथा कितने केशरों का संचालन अस्थायी या स्थायी रूप से बंद किया गया? **(घ)** प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण, ग्रामीणों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ में प्रदूषण से स्वास्थ्यगत बीमारियों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ में संचालित पत्थर केशरों से उड़ने वाले धूल से ग्राम दुम्हनी, गोविंदवन, बेलटिकरी, छपोरा सहित आसपास के गांवों में कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई है और न ही उक्त के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ में संचालित पत्थर केशरों से उड़ने वाली धूल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** बिलाईगढ़ क्षेत्र में कुल 11 पत्थर केशर उद्योग स्थापित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत पत्थर केशर इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सभी 11 केशर उद्योगों को सम्मति जारी की गयी है, जो कि वर्तमान में वैध है। **(ग)** दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि में बिलाईगढ़ क्षेत्र में स्थापित पत्थर केशर उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। निरीक्षण के दौरान उक्त क्रशर उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नोटिस, संचालन बंद करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही नहीं की गई। **(घ)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संचालित पत्थर क्रशर उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाइब्रेटिंग स्क्रीन एवं क्रशिंग मशीन को कवर्ड कराया गया है तथा जल छिड़काव की व्यवस्था कराई गई है। राँ मटेरियल, उत्पादों एवं ठोस अपशिष्टों का परिवहन तारपोलिन से ढककर किये जाने हेतु दिनांक 26/06/2026 को एसओपी जारी किया गया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-सारंगढ़ -बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला-सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के थाना/चौकी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार कर सड़क दुर्घटनाजन्य स्थानों में दुर्घटना को रोकने के लिये अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), लोक निर्माण विभाग व एन.एच.आई. से समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है तथा कलेक्टर, जिला- सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक ली जाती है, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी विषय पर चर्चा की जाती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

उद्यानिकी विभाग में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के स्वीकृत पद

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

23. (*क्र. 1847) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** उद्यानिकी विभाग में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं? **(ख)** ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ? समयावधि बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** उद्यानिकी विभाग में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 633 पद स्वीकृत है। स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध 401 कार्यरत एवं 232 रिक्त हैं। **(ख)** ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 30 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनपर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत, पशुधन विकास योजना के तहत पशुओं का वितरण

[पशुधन विकास]

24. (*क्र. 1142) श्री फूलसिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सत्र 2023-24 से 2025-26 के मध्य पशुधन विकास के तहत किस-किस प्रजाति के पशुओं का किस-किस ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को कितनी-कितनी संख्या में वितरण किया गया है? किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि में खरीदी की गई? **(ख)** पशुधन विकास के लिए वर्तमान में सत्र 2023-24 से 2025-26 के मध्य कितने मवेशियों का टीकाकरण किया गया है? टीकाकरण में किए गये कुल खर्च की जानकारी उपलब्ध करावें? टीकाकरण में किन-किन दवाईयों का उपयोग किया गया है? लागत राशि कितनी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सत्र 2023-24 से 2025-26 (15 फरवरी 2026 तक) मे मध्य पशुधन विकास के तहत विभागीय योजनांतर्गत शासकीय प्रक्षेत्रों से वितरण किये गये पशु/पक्षी इकाईयों तथा हितग्राहियों द्वारा स्वयं क्रय किये गये पशु इकाईयों की ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार हैं।** विभाग द्वारा फर्म से पशु/पक्षी क्रय की जानकारी निरंक

हैं। **(ख)** पशुधन विकास के लिये सत्र 2023-24 से 2025-26 (15 फरवरी 2026 तक) के मध्य रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 3226318 पशुओं में टीकाकरण किया गया, टीकाद्रव हेतु राशि रू. 1,44,36,770.30 (एक करोड़ चवालिस लाख छत्तीस हजार सात सौ सत्तर रू.) व्यय किये गए। टीकाकरण में उपयोग किए गये दवाइयों एवं लागत राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

प्रकाश इण्डस्ट्रीज व आर.के.एम कंपनी द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

25. (*क्र. 2229) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सच है कि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश इण्डस्ट्रीज प्लांट व आर.के.एम कंपनी द्वारा पर्यावरण नियमों को अनदेखी कर राखड़ की डंपिंग की जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? 2024 से 31-01-2026 तक की गई ? तहसीलवार, विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अवैध डंपिंग एवं पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर वर्ष 2024 से 31.01.2026 तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही लंबित है तो इसका क्या कारण है ? जानकारी दें ? **(ग)** प्रश्नांक "क" अनुसार नियमों के उल्लंघन की समय-सीमा में जांच कर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जी हाँ। दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 31/01/2026 तक की स्थिति में मेसर्स आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तहसील-जैजैपुर, विकासखंड-जैजैपुर, ग्राम-जैजैपुर में पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राखड़ की डंपिंग किये जाने का एक मामला छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में आया है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राखड़ की डंपिंग किये जाने का कोई भी मामला छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के संज्ञान में नहीं आया है। **(ख)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांक "क" अनुसार नियमों के उल्लंघन की जाँच कर ली गई है एवं उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत अनुदान का प्रदाय

[पशुधन विकास]

1. (क्र. 359) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत पशुपालक कृषकों को दिये जाने वाले 50% अनुदान को बंद करने के क्या कारण हैं? क्या अनुदान दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत पशुपालक कृषकों को दिया जाने वाला अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में बन्द नहीं किया गया है। अपितु वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख के विरुद्ध अद्यतन राशि रूपये 90.00 लाख का अनुदान 122 हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत बंटन प्रावधान नहीं किया गया है, अपितु पशुपालकों को दुधारू पशु प्रदाय हेतु डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत राशि रू. 40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुपालकों को दुधारू पशु प्रदाय करने के संबंध में प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट संचालित है, जिसके परिणाम के आधार पर डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु पालन हेतु अनुदान प्रदाय किया जायेगा।

चित्रकोट वि.स. क्षेत्रांतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में सम्मिलित ग्राम

[आदिम जाति विकास]

2. (क्र. 817) श्री विनायक गोयल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है? (ख) विगत दो वर्षों में कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो जिम्मेदार के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 150 ग्रामों को शामिल किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) स्वीकृत सभी कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियागत कारणों से निर्माण कार्यों के पूर्ण करने में समय लगता है। अतः जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

3. (क्र. 929) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) विधानसभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत विकासखण्ड-बड़ेराजपुर, केशकाल, फरसगांव में कितने आश्रम, छात्रावास संचालित हैं? क्या इनमें निःशुल्क गद्दा, चादर, तकिया वितरण किया जाता है? यदि हां, तो कितने

अंतराल में उपलब्ध कराया जाता है? **(ख)** फरसगांव विकासखंड के बालक छात्रावास चिंगनार में पिछली बार किस तारीख को गद्दा,चादर,तकिया प्रदाय किया गया था? **(ग)** क्या आश्रम, छात्रावासों में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को समय-समय पर निरीक्षण करना रहता है? यदि हां तो सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कोंडागांव के द्वारा किस तारीख को बालक छात्रावास चिंगनार का अंतिम बार निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड- बड़ेराजपुर, केशकाल, फरसगांव में 25 आश्रम एवं 40 छात्रावास संचालित है। जी हाँ, उक्त संस्थाओं में निःशुल्क गद्दा, चादर, तकिया वितरण किया जाता है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र- "ब" अनुसार है। (ग)** जी हाँ, संचालित आश्रम, छात्रावासों में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को समय-समय पर निरीक्षण करने का प्रावधान है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोण्डागांव द्वारा अंतिम बार बालक छात्रावास, चिंगनार का निरीक्षण दिनांक 21.12.2025 को किया गया है, निरीक्षण प्रतिवेदन छायाप्रति संलग्न है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "\]](#)

कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में कोयला खदानों के प्रभावितों को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति का प्रदाय

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 958) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में कोयला खदानों से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : कटघोरा विधानसभा क्षेत्रन्तर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) की कोयला खदानें संचालित है। संचालित कोयला खदानों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु माईन वॉटर सम्प का निर्माण, वर्कशॉप में दूषित जल उपचार व्यवस्था (ई.टी.पी.) तथा कॉलोनी में घरेलू दूषित जल उपचार व्यवस्था (एस.टी.पी.), गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग पिट का निर्माण किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट ड्रिलिंग, कोल हैंडलिंग प्लांट, फीडर ब्रेकर और कन्वेयर सिस्टम में वॉटर स्पिंकलर, फॉग कैनन, नियमित जल छिड़काव, वाहनों को तारपोलिन से ढककर परिवहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है, माइनिंग लीज के आसपास क्षेत्रों के सड़क मार्गों की सफाई व जल छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त खदान प्रबंधन द्वारा माइन लीज क्षेत्रन्तर्गत चिन्हांकित स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के लिए सभी उपाय जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। भू-अर्जन के विस्थापित परिवारों को लागू पुनर्वास नीति के प्रावधानों के अनुरूप पदासीन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति द्वारा चयनित पुनर्वास नीति के तहत पात्र परिवारों के बसाहट स्थल में नियमानुसार भू-खण्ड एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में एस.ई.सी.एल पुनर्वास नीति के तहत खातेदारों को या तो एस.ई.सी.एल में नियमित रोजगार प्रदान किये जाने अथवा स्वरोजगार हेतु रोजगार के एवज में अलग से मुआवजा राशि प्रदाय करने का प्रावधान है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री खरीदी

[आदिम जाति विकास]

5. (क्र. 983) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 17/02/2026 तक जिला-बिलासपुर अंतर्गत छात्रावासों/आश्रमों हेतु सामग्री की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सामग्री किस-दर से कितनी-कितनी संख्या में क्रय की गई है? विवरण दें? (ख) जेम पोर्टल के माध्यम से की गई प्रत्येक खरीदी में न्यूनतम दर वाले विक्रेता का ही चयन किया गया है? यदि किसी प्रकरण में एल-1 के अतिरिक्त किसी अन्य विक्रेता से क्रय किया गया है, तो उसका नियमसम्मत कारण बताएं? क्या किसी भी खरीदी में कृत्रिम विभाजन किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दे? (ग) क्या जेम पोर्टल से की गई खरीदी के बावजूद जिला-बिलासपुर अंतर्गत अनेक छात्रावासों/आश्रमों में आज भी आवश्यक सामग्री का अभाव बना हुआ है? यदि नहीं, तो प्रत्येक छात्रावास/आश्रम में प्रति छात्र उपलब्ध कराई गई सामग्री का विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, वर्ष 2024-25 से 17.02.2026 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत छात्रावासों/आश्रमों हेतु सामग्री की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) जिला बिलासपुर द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से एल-1 दर पर ही सामग्री क्रय की गई है। किसी भी खरीदी में कृत्रिम विभाजन नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं, छात्रावास / आश्रमवार उपलब्ध कराई गई सामग्री की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

जिला बिलासपुर में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सामग्री खरीदी

[आदिम जाति विकास]

6. (क्र. 984) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला बिलासपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 17/02/2026 तक आबंटन राशि से छात्रावासों/आश्रमों हेतु सामग्री क्रय की गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सामग्री किस दर से कितनी-कितनी संख्या में क्रय की गई है तथा क्या सभी क्रयों में निविदा प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया है? यदि नहीं, तो निविदा के बिना क्रय किए जाने का कारण बताएं? (ख) किस छात्रावास/आश्रम को कौन-सी सामग्री, कितनी संख्या में, किस तिथि को वितरित की गई है? छात्रावास/आश्रमवार, सामग्रीवार एवं वर्षवार जानकारी दे? (ग) क्या सामग्री आपूर्ति हेतु सीमित फर्मों/संस्थाओं को बार-बार कार्यादेश प्रदान किए गए हैं? यदि हाँ, तो कि—किन-किन फर्मों/संस्थाओं को, कितनी-कितनी मात्रा का, किस दर से कार्यादेश दिया गया तथा उन्हें अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है।** उक्त सामग्री का क्रय निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।** (ग) जी नहीं, जिला बिलासपुर द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु जेम पोर्टल द्वारा एल-1 दर का चयन कर किया गया है। जिसमें फर्म से संबंधित कोई सीमा बंधन निर्धारित नहीं है। क्रय किये गये सामग्री, मात्रा, दर, राशि, फर्म एवं भुगतान की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार है।**

क्रीडा परिसरों में खेल वेशभूषा वितरण

[आदिम जाति विकास]

7. (क्र. 1006) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश में संचालित क्रीडा परिसरों हेतु वर्ष 2025 - 26 के लिए खेल वेशभूषा (sports kit) प्रदाय हेतु आवश्यक बजट आवंटन समय सीमा 31 जुलाई के पूर्व जारी की गयी थी? यदि हां तो प्रत्येक जिलेवार आबंटित राशि व जारी दिनांक की जानकारी प्रस्तुत करें? **(ख)** कांकेर जिला में संचालित सभी क्रीडा परिसरों में उक्त खेल वेशभूषा का वितरण समय सीमा के भीतर किया गया ? यदि हां तो कितने विद्यार्थियों को, कितनी धन राशि के खेल सामग्री प्रदान की गई? यदि वितरण नहीं की गयी है तो क्या उत्तरदाई अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी, हां प्रदेश में संचालित क्रीडा परिसरों हेतु वर्ष 2025-26 के लिए खेल वेशभूषा (sportd kit) प्रदाय हेतु आवश्यक बजट आवंटन समय सीमा 31 जुलाई के पूर्व जारी की गयी है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** कांकेर जिला में संचालित क्रीडा परिसरों में खेल वेशभूषा का वितरण कर दिया गया है। बालक क्रीडा परिसर नरहरपुर में 92 विद्यार्थियों को प्राप्त राशि रु. 3.00 लाख एवं कन्या क्रीडा परिसर कांकेर के 100 विद्यार्थियों को प्राप्त राशि रु. 3.00 लाख की खेल वेशभूषा/ खेल सामग्री प्रदान की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

कटघोरा विधान सभा क्षेत्र मे किसानों को अनुदान के तहत पॉवर ट्रीलर का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (क्र. 1069) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा वित्तीय वर्ष मे कितने किसानों को अनुदान में पॉवर ट्रीलर प्रदान किया गया है? कृपया बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : कटघोरा विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा वित्तीय वर्ष में किसी भी कृषक को अनुदान में पॉवर टिलर प्रदान नहीं किया गया है।

गन्ना आयुक्त के द्वारा गन्ना को शक्कर कारखानों के लिए आरक्षित किया जाना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 1143) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या गन्ना आयुक्त के द्वारा जिला कबीरधाम के 478 ग्रामों के गन्ना को पेराई सत्र 2025-26 हेतु शक्कर कारखानों के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना गन्ना अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई है? यदि हां तो उसका विवरण बताएं तथा प्रति उपलब्ध कराएं? **(ख)** क्या गन्ना किसानों को शक्कर कारखानों द्वारा भुगतान में विलम्ब किये जाने तथा गुड़/खांडसारी इकाईयों से कम मूल्य देने के शिकायत प्राप्त हुई है। विभाग के संज्ञान में आया है? **(ग)** उक्त अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा परिणाम क्या रहा? क्या प्रयोजन पूर्ण हुआ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** गन्ना आयुक्त द्वारा छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गन्ना पेराई सत्र 2025-26 हेतु जिला कबीरधाम के 437 ग्रामों एवं जिला मुंगेली के 41 ग्रामों इस प्रकार कुल 478 ग्रामों को शक्कर

कारखाना के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की गई है। अधिनियम एवं अधिसूचना की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** गन्ना किसानों को शक्कर कारखानों द्वारा भुगतान में विलम्ब किये जाने तथा गुड़ खांडसारी इकाईयों से कम मूल्य दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही विभाग के संज्ञान में आया है। **(ग)** अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम के पत्र क्रमांक/9604/गन्ना/श.का./2025 दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गुड़ एवं खंडसारी उद्योग तथा गन्ने को शक्कर कारखाने के उपयोग के अतिरिक्त अपवर्जन अथवा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने एवं विधि अनुकूल जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं ग्राम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में विभाग को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नगर पंचायत बसना अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

[आदिम जाति विकास]

10. (क्र. 1180) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला महासमुंद, विकासखंड बसना के नगर पंचायत, बसना अंतर्गत किसी पार्षद के खिलाफ जनवरी, 2018 से जनवरी, 2020 के बीच जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** अगर हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला महासमुंद, विकासखंड बसना के नगर पंचायत, बसना अंतर्गत किसी पार्षद के खिलाफ जनवरी, 2018 से जनवरी, 2020 के बीच जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सेरीखेड़ी जलाशय में प्रदूषण की शिकायत की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 1251) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विभाग को विगत दो वर्षों में धरसीवा विधानसभा के ग्राम सेरीखेड़ी जलाशय में ग्राम के आस-पास संचालित रेडी मिक्स/सालिड मिक्स आर.एम.सी. प्लांटों के द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या जांच कराई गई? विवरण देवें ? **(ख)** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 की सुसंगत धाराओं में सम्मति जारी किये जाने के पश्चात कितने-कितने समया अंतराल में किन-किन अधिकारियों के द्वारा इन उद्योगों/सालिड मिक्स प्लांटों की जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट प्रदान करें? **(ग)** सेरीखेड़ी जलाशय में प्रदूषण की शिकायत पर प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या जलाशय के जल की गुणवत्ता एवं प्रदूषण की जांच कराई गई? यदि हां तो विवरण प्रदान करें और यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 17/02/2026 तक की अवधि में विधानसभा क्षेत्र धरसीवा के ग्राम सेरीखेड़ी जलाशय के पास संचालित आर.सी.सी.रेडी मिक्स प्लांटों से उत्पन्न निर्माण अवशेष/वेस्ट मटेरियल को सेरीखेड़ी जलाशय में डंप किये जाने संबंध में प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ग्राम सेरीखेड़ी जलाशय के पास संचालित आर.सी.सी.रेडी मिक्स प्लांटों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी किये गये सम्मति के पश्चात् किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में**

रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(ग)जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सेरीखेडी जलाशय के जल नमूना दिनांक 25/02/2026 को एकत्रित की गई। जल नमूना का विश्लेषण परिणाम निम्नलिखित है:- (1) पी.एच.- 7.43 (2) टरबिडिटी- 2.32 एन.टी.यू. (3) टोटल डीसाल्ड सॉलिड - 136.0 मिलीग्राम प्रति लीटर (4) सस्पेंडेड सॉलिड- 44.0 मिलीग्राम प्रति लीटर (5) डीसाल्ड ऑक्सीजन - 6.8 मिलीग्राम प्रति लीटर (6) केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सी.ओ.डी) - 24.0 मिलीग्राम प्रति लीटर (7) टोटल अल्कलिनिटी- 60.0 मिलीग्राम प्रति लीटर (8) टोटल हार्डनेस- 90.0 मिलीग्राम प्रति लीटर।

श्री सीमेंट संयंत्र का निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (क्र. 1294) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल के साथ श्री सीमेंट संयंत्र का दिनांक 22 जनवरी, 2025 को निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में संयंत्र द्वारा परिसंकट मय अपशिष्टों का नियमानुसार भण्डारण समुचित हथालन तथा सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया जाना, पीजो मेट्रिक बिंदुओं की स्थापना नहीं किया जाना, भण्डारित ए.एफ.आर. तथा हेजार्डस वेस्ट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं किया जाना तथा परिसंकट मय अपशिष्ट के भंडारण क्षेत्र में सीपेज पाया गया ? यदि हां तो क्या दिनांक 17/02/2026 की स्थिति में इन सब कमियों को दुरूस्त करा दिया गया है अथवा नहीं? विस्तार से बतावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में अन्य सीमेंट संयंत्रों में इस प्रकार का निरीक्षण कब-कब किया गया? कृपया पूर्ण विवरण दें? **(ग)** यदि निरीक्षण में कमी मिली तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :**(क)**जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल के साथ श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (ए यूनिट ऑफ़ श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम – खपराडीह, तहसील सिमगा जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा का दिनांक 22 जनवरी, 2025 को निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में संयंत्र द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों का नियमानुसार भंडारण, समुचित हथालन तथा सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया जाना, पीजो मेट्रिक बिंदुओं की स्थापना नहीं किया जाना, भण्डारित ए.एफ.आर. तथा हेजार्डस वेस्ट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं किया जाना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण क्षेत्र में सीपेज एवं जल एवं वायु सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण में निहित शर्तों का उलंघन किया जाना पाया गया। दिनांक 22.01.2025को किये गए निरीक्षण में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत रुपये 10,20,000/ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि एवं परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रुपये 4,00,000/ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई । दिनांक 17/02/2026 के उपरांत दिनांक 25/02/2026 को पुनः निरीक्षण किया गया है जिसमें परिसंकटमय अपशिष्टों का नियमानुसार भण्डारण, समुचित हथालन तथा सुरक्षात्मक उपाय हेतु नवीन ए.एफ.आर. शेड का निर्माण , ए.एफ.आर. शेड के समीप पिज़ोमेट्रिक बिन्दुओ की स्थापना, भंडारित ए.एफ.आर. तथा हजारड्स वेस्ट से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु दुर्गन्ध नियंत्रण प्रणाली की स्थापना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण क्षेत्र में सीपेज के रोकथाम हेतु लाइनिंग युक्त पक्के प्लेटफार्म का निर्माण कियाजानापायागया,अतःस्थितिसामान्यपायीगयी।**(ख)**प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 29.01.2025 के मध्यम से गठित समिति द्वारा दिनांक 30.01.2025 को अन्य सीमेंट संयंत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है , जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग)**संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 30.01.2025 को स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी।**[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]**

बस्तर संभाग में संचालित आश्रम, छात्रावास तथा पोटाकेबिन में छात्र/छात्राओं की असमय मौत

[आदिम जाति विकास]

13. (क्र. 1355) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग में संचालित आदिवासी आश्रम, छात्रावास तथा पोटाकेबिन में जनवरी, 2024 से 17 फरवरी, 2026 तक कितने छात्र/ छात्राओं की मौत हुई? आश्रम, छात्रावास, पोटाकेबिन के नाम सहित मौत का कारणों भी तिथिवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के घटनाक्रमों में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? किन-किन विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित हुई? क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के परिजनों को शासन द्वारा कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि/ मुआवजा राशि भुगतान की गई ? कितना किया जाना शेष है? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार घटनाक्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? **(ङ.)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार जिन आश्रम / छात्रावास/ पोटाकेबिन में घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में संधारण/अनुरक्षण, रखरखाव एवं अन्य विभिन्न मदों व्यवस्था हेतु कितनी राशि जारी की गई है? कितनी व्यय हुई हैं? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ग)** क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। शेष भुगतान हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार घटनाक्रम की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशानुसार छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य खराब होने पर उनका तत्काल उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय में कराया जाता है तथा स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। **(ङ)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

फ्लाई एश को सार्वजनिक स्थानों में डम्प किये जाने की शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (क्र. 1665) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत ताप विद्युत उत्पादन क्षमता वाले कौन-कौन से संयंत्र किस-किस ग्राम में स्थापित हैं? इन संयंत्रों से कितनी-कितनी मात्रा में फ्लाई एश का उत्सर्जन किया जा रहा है? ग्रामवार एवं क्षमतावार विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उत्सर्जित फ्लाई एश का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है? विवरण प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक ख अनुसार उत्सर्जित फ्लाई एश निस्तारण/उपयोग हेतु किस-किस दर से, किन-किन उद्योगों/कंपनियों को दिया जा रहा है तथा वर्तमान में किस-किस ताप विद्युत उत्पादनकर्ता उद्योगों के पास निस्तारण के लिये कितनी-कितनी मात्रा में फ्लाई एश शेष बचा है ? उद्योगवार विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार उत्सर्जित फ्लाई एश को खुले में/सार्वजनिक स्थानों में डम्प किये जाने संबंधी कौन-कौन सी शिकायतें विभाग को इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 17/02/2026 तक प्राप्त हुई है तथा इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 21 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित एवं संचालित हैं। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों का नाम, पता, क्षमता तथा दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि में जनित होने वाले फ्लाई ऐश की मात्रा की जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। **(ख)** धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एवं संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि में जनित होने वाले फ्लाई ऐश का विभिन्न प्रयोजनों में

उपयोग किये जाने की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब के कॉलम 4 से 8 के अनुसार** है।(ग) धरसीवां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एवं संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश निस्तारण/उपयोग हेतु दर का निधारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। धरसीवां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एवं संचालित ताप विद्युत संयंत्रों में अपवहन के लिये बचे शेष फ्लाई ऐश की मात्रा की **जानकारी प्रपत्र ब के कालम 9 अनुसार** है।(घ) इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 17.02.2026 तक की अवधि में धरसीवां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश को खुले में/सार्वजनिक स्थानों में डम्प किये जाने संबंधी शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

पशुधन विकास विभाग में आयुर्वेदिक दवाईयों खरीदी

[पशुधन विकास]

15. (क्र. 1671) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में पशुधन विकास विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 से कब तक आयुर्वेदिक दवाईयों की खरीदी की गई? जानकारी दें? **(ख)** प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाईयों विगत में किस वर्ष में खरीदी गई थी? क्या आयुर्वेदिक दवाई खरीदी हेतु बजट का प्रावधान है? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** निरंक। **(ख)** प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाईयों, विगत में वर्ष 2007-08 में खरीदी गई थी। आयुर्वेदिक दवाई खरीदी हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है।

धान बीज उत्पादन करने वाले किसानों को भुगतान एवं लंबित मुआवजा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

16. (क्र. 1772) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड द्वारा विगत दो वर्षों में रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी एवं महासमुंद जिलों में किसानों से धान बीज उत्पादन कराया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित किसानों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने किसानों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? कृपया जिलेवार शेष किसानों की संख्या एवं बकाया भुगतान राशि का विवरण प्रस्तुत करें ? **(ख)** क्या उक्त कंपनी द्वारा फसल क्षति की स्थिति में नियमानुसार देय 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा का भुगतान संबंधित किसानों को किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो मुआवजा भुगतान न किए जाने के कारण क्या हैं तथा अब तक शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां, कावेरी सीड्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा विगत दो वर्षों में रायपुर बलौदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद जिलों में किसानों से धान बीज उत्पादन कराया गया है। जिला-धमतरी में धान बीज उत्पादन संबंधी जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है। रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं महासमुंद जिले में कावेरी सीड्स कम्पनी लिमिटेड के धान बीज उत्पादन करने वाले किसानों की कुल संख्या 137 है, उनमें से 04 किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं 133 किसानों का भुगतान किया जाना शेष है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर रिट याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.सी. 786/2026 में पारित आदेश अनुसार जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः जांच उपरांत पूर्ण विवरण स्पष्ट हो सकेगा। **(ख)** जी नहीं। कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालनालय कृषि को अवगत कराया गया है कि कंपनी द्वारा किसी भी किसान से कोई लिखित अनुबंध नहीं किया गया था अपितु उनके द्वारा कंपनी के

ऑर्गनाइजर श्री परमानंद साहू, ग्राम-पिपरछेड़ी, जिला-धमतरी के माध्यम से किसानों के खेत में धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था, तथा कंपनी द्वारा ऑर्गनाइजर को ही भुगतान किया गया है। राज्य शासन द्वारा संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर को किसानों द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र दिनांक 03.10.2025 को संलग्न करते हुए प्रकरण के संबंध में जांच कर कृषकों के भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। तदुपरांत संचालनालय कृषि से पत्र क्र. 1072 दिनांक 08.12.2025 को संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रायपुर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन अनुसार रायपुर जिले के 47 किसानों में से केवल 4 किसानों को भुगतान किया गया है तथा महासमुंद जिले के 84 एवं बलौदाबाजार जिले के 6 किसानों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) एवं अपर संचालक कृषि द्वारा कंपनी के कथन को अमान्य करते हुए दिनांक 05.12.2025 एवं दिनांक 14.01.2026 को सात दिवस के भीतर किसानों को मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया था तथा कंपनी को यह अवगत कराया गया था कि भुगतान नहीं करने की स्थिति में राज्य में कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। परंतु कंपनी द्वारा अद्यतन किसी भी प्रकार भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। अपितु कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.सी. 786/2026 सचिव कृषि, संचालक कृषि एवं राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। याचिका में दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र. 276450 दिनांक 05.03.2026 द्वारा संचालक कृषि की अध्यक्षता में जांच दल गठित की गई है। जांच दल द्वारा एक सप्ताह में जांच संपादित की जाकर एफिडेविट के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का दण्डात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया है।

कृषि उपज मंडियों से मंडी बोर्ड को विपणन विकास निधि के रूप में प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

17. (क्र. 1848) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मंडी बोर्ड को जिला - मुंगेली की विभिन्न कृषि उपज मंडियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 17/02/2026 तक विपणन विकास निधि के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार बतावें ? मंडी बोर्ड द्वारा किन-किन निर्माण/अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्यों हेतु राशि स्वीकृति की जाती है ? उपरोक्त वर्षों में मंडी बोर्ड द्वारा किन-किन प्रकार के कार्यों हेतु कुल कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? विधानसभावार बतावें ? **(ख)** प्रश्रांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु किस-किस प्रकार के कुल कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? ग्राम, पंचायतवार बतावें ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य प्रारंभ, कितने अप्रारंभ तथा कितने निर्माणाधीन हैं ? कितने कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई ? कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 17/02/2026 तक लंबित है तथा कब तक दी जावेगी ? समयावधि बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) मंडी बोर्ड को जिला-मुंगेली की कृषि उपज मंडी मुंगेली एवं लोरमी से वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 17/02/26 तक विपणन विकास निधि के रूप में कुल राशि रू. 990.56 लाख प्राप्त हुई। **वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** मंडी बोर्ड द्वारा सड़क, पुल-पुलिया, हाटबाजार विकास कार्य, धान उपार्जन केन्द्रों में मूलभूत सुविधा के कार्य एवं गोदाम निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में मंडी बोर्ड द्वारा विधानसभा क्षेत्र लोरमी के धान उपार्जन केन्द्रों में किसान कुटीर, 200 मी. टन गोदाम के 42 कार्य लागत राशि रू. 562.50 लाख एवं विधानसभा मुंगेली क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड व पुलिया के कुल 08 कार्य राशि रू. 513.79 लाख के स्वीकृत किये गये।

विधानसभावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।(ख)** प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु मंडी बोर्ड निधि से सी.सी. रोड व पुलिया निर्माण के कुल 08 कार्यों राशि रु. 513.79 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** स्वीकृत कार्यों में से सभी के कार्यदिश जारी किए गये है, वर्तमान में कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं। उपरोक्त सभी कार्यों की दिनांक 22.08.2025 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाकर सभी कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है, अतएव शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

18. (क्र. 1885) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला-राजनांदगांव में जनवरी, 2022 से 17/02/2026 तक कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? जानकारी विकासखण्डवार, राशिवार प्रदान करें ? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति तथा भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी विकासखण्डवार प्रदान करें? **(ख)** क्या खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा वर्ष जनवरी, 2022 से 17/02/2026 तक किसी प्रकार की खरीदी की गई है? यदि हां, तो वर्षवार, सामग्रीवार, मात्रा/संख्यावार, राशिवार खरीदी की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छ.ग. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा जिला राजनांदगांव में जनवरी, 2022 से 17/02/2026 तक राशि रु. 752.70 लाख के 31 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों तथा भुगतान की अद्यतन स्थिति की विकासखंडवार, राशिवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मंडी बोर्ड द्वारा प्रश्नांकित अवधि में किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की गई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

बहुउद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन योजना के अंतर्गत मैत्री प्रशिक्षित किसान

[पशुधन विकास]

19. (क्र. 1886) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2022-23 से 17/02/2026 तक जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत बहुउद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन योजना हेतु प्राप्त राशि की जानकारी मदवार तथा प्रशिक्षित किये गये मैत्री किसानों की जानकारी ग्रामवार, विकासखण्डवार देवें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" की अवधि में प्रशिक्षण हेतु शिविर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो प्रशिक्षण में किये गये व्यय की ग्रामवार, विकासखण्डवार, दिनांकवार, जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक भारत सरकार से बहुउद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री) प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि निरंक हैं, चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 20.01.2026 को योजनांतर्गत 300 मैत्री (समस्त जिला) के प्रशिक्षण हेतु राशि रु. 93.00 लाख प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। वर्ष 2022-23 में योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में प्राप्त राशि से राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं. चौकी के 63 प्रशिक्षणार्थियों को राशि रु. 14.47 लाख का उपयोग कर मैत्री का प्रशिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षित किये गये मैत्री की ग्रामवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

प्रदेश में वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों का धान खरीदी हेतु पंजीयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

20. (क्र. 1893) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों के लिए खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की खरीदी हेतु कितने कृषक पंजीकृत हैं? उक्त कृषकों का धान खरीदी हेतु पंजीयन कब से प्रारंभ किया गया ? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या खरीफ वर्ष 2025-26 में वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों के लिए धान खरीदी हेतु पंजीकरण विलंब से प्रारंभ किया गया? यदि हाँ तो कितने पंजीकृत पट्टा धारक कृषकों से कितनी मात्रा में धान खरीदी की गयी? कितने कृषकों की धान खरीदी शेष/नहीं बेच पाये है? जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एकीकृत किसान पोर्टल के दिशा-निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष प्रदेश के कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में दिनांक 01 जुलाई से दिनांक 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाता है, जिसमें वन अधिकार पट्टा धारक कृषक भी सम्मिलित है। उक्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में वर्ष 2025-26 हेतु विभागीय पत्र क्र. क्र./1/63339/2025/20755/GENCOR-35/789/Ag. Sec. (T.) रायपुर, दिनांक 03-07-2025 द्वारा पंजीयन के निर्देश जारी किये गये। खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की खरीदी हेतु प्रदेश के कुल 81664 वन अधिकार पट्टाधारक कृषक पंजीकृत है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी नहीं। धान खरीदी अवधि में भी वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का पंजीयन किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा का आबंटन

[मछली पालन]

21. (क्र. 1894) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में कौन-कौन से समिति/समूह पात्र हैं तथा वर्तमान में कौन सी मछली पालन नीति प्रभावशील है ? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या समिति/समूह में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मछुआ समुदाय से होना अनिवार्य है ? क्या वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति/समूह में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं? यदि हाँ तो किस नियम/आदेश के तहत? यदि नहीं तो ऐसे समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र हैं ? **(ग)** क्या जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा आबंटन के लिए समिति/समूह की पात्रता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है** तथा वर्तमान में नवीन मछली पालन नीति-2022 प्रभावशील है। **(ख)** जी नहीं, प्रश्नांक "क" के अनुसार समिति/समूह में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मछुआ समुदाय से होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नीति के बिन्दु क्रमांक 7 के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देश अनुसार अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में आवश्यक रूप से पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा एवं उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति (धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह) के सदस्यों को प्राथमिकता होगी। वर्तमान प्रभावशील नीति-2022 में एक ही

परिवार के एक से अधिक सदस्य होने का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम-नियम के तहत पंजीकृत मछुआ समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र होंगे। (ग) जी हां, जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है। अनियमितता के विरुद्ध जिला कलेक्टर द्वारा जांच समिति गठित की गई है, जांच प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को भर्ती प्रक्रिया में छूट

[आदिम जाति विकास]

22. (क्र. 1905) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विशेष पिछड़ी जनजाति को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में दी गई छूट का लाभ दिसंबर, 2023 से लेकर 17/02/26 तक कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों की नियुक्ति इस छूट के अन्तर्गत की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 10 लोगों को छूट का लाभ देते हुये नियुक्ति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध एवं रिसाईक्लिंग व्यवस्था

[आवास एवं पर्यावरण]

23. (क्र. 1909) श्री दीपेश साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में पॉलीथिन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर वर्तमान में क्या प्रतिबंध लागू है? यह प्रतिबंध किन-किन श्रेणियों (कैरी बैग, कप, प्लेट, गिलास, पानी की बोतल आदि) पर प्रभावी है तथा उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? (ख) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक उपयोग की रोकथाम हेतु अब तक कितनी कार्रवाई की गई? कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं कितनी दंडात्मक राशि वसूल की गई? (ग) प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, रिसाईक्लिंग एवं सुरक्षित निष्पादन के लिए शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं तथा इसके लिए किन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है? (घ) प्लास्टिक निगलने से होने वाली पशुधन की मृत्यु एवं कृषि भूमि में मृदा प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या राज्य को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 (यथासंशोधित) अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य नॉन-बायोडिग्रेडेबल मटेरियल (रेगुलेशन ऑफ यूज एण्ड डिस्पोजल) नियम, 2023 अनुसार पॉलीथिन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल सहित/बिना हैंडल), नॉन-वुवेन पोलीप्रोपलीन बैग, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने डिस्पोजेबल कप, प्लेट, कटोरे, गिलास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, तरल पदार्थ रखने वाले डिस्पोजेबल कप एवं डिस्पोजेबल पाउच एवं 200 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली पीईटी/ पीईटीई बोतलें प्रतिबंधित हैं। उक्त प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर छापामार कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पाये जाने पर कार्यवाही की जाती है। (ख) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य के नगरीय

निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के संबंध में 20,200 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए कुल राशि रुपये 63.46 लाख अर्थदंड वसूली की गई है। कार्यालय, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी निरंक है। (ग) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर एवं बिलासपुर में अपशिष्ट के संग्रहण, रिसाईक्लिंग एवं सुरक्षित निष्पादन हेतु इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार कार्य हेतु मेसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड हैदराबाद से अनुबंध निष्पादित किया गया है तथा राज्य के अन्य नगरीय निकायों में अपशिष्ट के संग्रहण, रिसाईक्लिंग एवं सुरक्षित निष्पादन हेतु मिशन क्लीन सिटी योजना संचालित है। मिशन क्लीन सिटी योजना का क्रियान्वयन महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यालय, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्राप्त जानकारी अनुसार प्लास्टिक कचरे के संग्रहण एवं उचित निपटान के लिये शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना संचालित है तथा इसके लिये ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है। (घ) विभिन्न जिलों के पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी अनुसार प्लास्टिक निगलने से पशुओं की मृत्यु न हो इस हेतु पशु चिकित्सकों द्वारा विभिन्न विभागीय शिविर आयोजनों के माध्यम से पशुपालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक को यत्र-तत्र न फेंकने की सलाह दी जा रही है तथा प्लास्टिक से पशुओं को होने वाले नुकसान के बारे में पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार भूमि में मृदा प्रदूषण से संबंधित जानकारी निरंक है। राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है।

प्रदेश में "गौधाम योजना" हेतु प्रावधानित राशि

[पशुधन विकास]

24. (क्र. 1921) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में "गौधाम योजना" को स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां तो कब? प्रदेश में कितने "गौधाम" स्थापित किए गए हैं? इसका संचालन किसके द्वारा किया जावेगा? गौधाम के लिए कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? कितनी राशि आबंटित की गई है? जिलावार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें? (ख) गौधाम की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता का आधार/पैमाना क्या है? क्या जांजगीर-चाम्पा जिले में 17/02/26 तक एक भी गौधाम की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? यदि हां तो क्यों? कारण सहित जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग द्वारा "गौधाम योजना" की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.08.2025 को प्रदान की गई है। प्रदेश में 36 गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 11 गौधाम का पंजीयन छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग में हुआ है। उक्त में से 03 गौधाम वर्तमान में संचालित है। योजनांतर्गत गौधाम संचालन हेतु पात्र संस्थाएं छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति, स्वयंसेवी संस्था, एफ.पी.ओ., एन.जी.ओ, ट्रस्ट तथा सहकारी समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। गौधाम में संरक्षित पशुधन के पोषण आहार, अधोसंरचना निर्माण, चारा विकास, नस्ल सुधार, चरवाहा मानदेय एवं गौ सेवक मानदेय हेतु अनुदान राशि का प्रावधान है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** गौधामों के लिए की गई आबंटित राशि अद्यतन निरंक है। (ख) गौधाम की स्वीकृति हेतु प्राथमिकता का आधार जिला की आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव हैं। जी हाँ, जांजगीर-चाम्पा जिले में दिनांक 17/02/2026 तक एक भी गौधाम की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत 34 गौठान में गौधाम स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, प्राप्त प्रस्ताव में से छ.ग. गौ सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति द्वारा योग्य 8 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है, जिसका परीक्षण विभाग स्तर पर किया जा रहा है। **[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]**

महंगे दर एवं तय मात्रा से अधिक मक्का बीज की खरीदी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

25. (क्र. 1922) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान वर्ष में प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, मक्का बीज की खरीदी कौन-कौन से फर्मों के माध्यम से कब-कब की गई है? खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी राशि लंबित हैं? फर्मों के नाम, पता सहित जिलावार संपूर्ण जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या उक्त खरीदी तय मात्रा एवं सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर की गई? यदि हां तो क्यों? **(ग)** क्या उक्त क्रय प्रक्रिया में अनियमितता करने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा संज्ञान में आईं? यदि हां तो क्या उसकी जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 28.02.2026 तक प्रदेश के 12 जिलों में क्रय किए गए मक्का बीज की मात्रा, दर, भुगतान की गई राशि, भुगतान हेतु लंबित राशि तथा खरीदी हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की जिलावार, फर्मवार, तिथिवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी नहीं। उक्त खरीदी विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन घटक अंतर्गत निर्धारित लागत मानदंड (कॉस्ट नॉर्म्स) के अधीन की गई है। **(ग)** जी हाँ, उक्त क्रय प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है, अतः जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

बस्तर जिले में आश्रम, छात्रावासों एवं पोटाकेबिन में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति

[आदिम जाति विकास]

26. (क्र. 2033) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर जिले में पंजीकृत व संचालित शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय आश्रम, छात्रावास एवं पोटाकेबिन (बालक/बालिका), प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्तर की नाम पता सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में इन आश्रम, छात्रावासों एवं पोटाकेबिन में सुरक्षा व्यवस्था सहित सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती की स्थिति बतावें? उक्त आश्रम, छात्रावासों, पोटाकेबिन को वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों हेतु दी गई? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की जिन संस्थाओं में सुरक्षा कर्मों नहीं हैं अथवा जहां सुरक्षाकर्मों के स्वीकृत पद रिक्त हैं, वहां सुरक्षा कर्मों की पदस्थापना के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बस्तर जिले में पंजीकृत व संचालित शासकीय, प्राथमिक आश्रम 88 एवं माध्यमिक आश्रम 14, प्री मैट्रिक छात्रावास 93, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 38 एवं 16 अशासकीय आश्रम, संचालित है, पोटाकेबिन संचालित नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में 42 कन्या आश्रम एवं 49 कन्या छात्रावासों कुल 91 कन्या आश्रम/छात्रावास में 142 होमगार्ड कार्यरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।** छात्रावास/आश्रमों के भवन निर्माण, मरम्मत/अनुरक्षण व लघु निर्माण कार्यों की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' अनुसार है। (ग)** 08 संस्थाओं में सुरक्षा कर्मों नहीं है। जिला सेनानी नगर सेना को पदस्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित की की गई है।

प्रदेश में संचालित आश्रम, छात्रावास तथा पोटाकेबिन में छात्र/छात्राओं की असमय मौत

[आदिम जाति विकास]

27. (क्र. 2035) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में संचालित आदिवासी आश्रम, छात्रावास तथा पोटा केबिन में जनवरी, 2024 से 17 फरवरी, 2026 तक कितने छात्र/छात्राओं की मौत हुई? आश्रम, छात्रावास, पोटाकेबिन के नाम सहित मौत का कारण बताते हुए तिथिवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के घटनाक्रमों में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? किन-किन विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित हुई? क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के परिजनों को शासन द्वारा कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि भुगतान की गई? कितना किया जाना शेष है? कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार घटनाक्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? **(ड.)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार जिन आश्रम / छात्रावास/पोटाकेबिन में घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में संधारण/अनुरक्षण, रख-रखाव एवं अन्य विभिन्न मदों की व्यवस्था हेतु कितनी राशि जारी की गई है? कितनी व्यय हुई है? विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।**(ख)** विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।**(ग)** क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि भुगतान की जानकारी प्रपत्र "अ" अनुसार है। शेष भुगतान हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।**(घ)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार घटनाक्रम की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशानुसार छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य खराब होने पर उनका तत्काल उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय में कराया जाता है तथा स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना द्वारा छात्र-छात्राओं का प्रतिमाह नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।**(ड.)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

[आदिम जाति विकास]

28. (क्र. 2081) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक/एफ4-6/2024/1/6 रायपुर दिनांक 24/06/2024 के अनुसार मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि हां तो किन किन ग्रामों को, विकासखण्डवार ग्राम वार बतावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार दिनांक 24/06/2024 के पश्चात मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से किन-किन ग्रामों में किस-किस प्रकार के निर्माण/अन्य कार्य कितने राशि के स्वीकृत किये गये है? यदि नहीं तो क्यों, **(ग)** दिनांक 31.01.2026 तक स्थानीय विधायक द्वारा मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से किन किन ग्रामों में कितने निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। प्रस्तावित किये गये कार्यों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी, समयावधि बतावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 4-6/2024/1/6 रायपुर दिनांक 24/06/2024 के अनुसार बिन्दु क्रमांक-02 के पैरा-2 में अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा-मोहल्ला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों, सम्मिलित होंगे। अधिसूचना में ग्रामों की सूची अंकित नहीं है। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार दिनांक

24/06/2024 के पश्चात् मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। (ग) दिनांक 31.01.2026 तक स्थानीय विधायक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। कार्यों की स्वीकृति हेतु समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (छायाप्रति 1 से 6)

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

कृषि विभाग के अंतर्गत पृथक "कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय" की स्थापना का प्रस्ताव

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

29. (क्र. 2089) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विभाग के अंतर्गत पृथक "कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की विस्तृत रूपरेखा क्या है? (ख) उक्त संचालनालय की स्थापना हेतु 17.02.2026 तक कौन-कौन सी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं? (ग) इसकी स्थापना की संभावित समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? (घ) यदि नहीं, तो क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तैयार की गई इस योजना के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना हेतु बजट प्रावधान किया गया था। कृषि संवर्ग एवं कृषि अभियांत्रिकी संवर्ग द्वारा निष्पादित की जाने वाली संवर्गवार गतिविधि/कार्यों का विवरण तथा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की रूपरेखा का विवरण क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है। वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

फैक्ट्रियों में प्रदूषण मानकों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

30. (क्र. 2101) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला राजनांदगांव व केसीजी में वर्ष 2023-24 से 18/02/2026 तक पर्यावरण विभाग द्वारा किन-किन फैक्ट्रियों में प्रदूषण मानकों की जांच की गई? प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी/उद्योगों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? कृत कार्यवाही की वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या टेडेसरा एवं सांकरा के आस-पास की फैक्ट्रियों की ग्रामीणों के द्वारा कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं या विभाग के संज्ञान में आयी हैं? प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? कृत कार्यवाही की वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2023-24 से 18.02.2026 तक टेडेसरा एवं सांकरा के आसपास के उद्योगों के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा की गई 15 शिकायतें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त हुई हैं। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

जिले में संचालित वैध /अवैध पोल्ट्री फार्म

[आवास एवं पर्यावरण]

31. (क्र. 2102) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत जिला-राजनांदगांव व केसीजी में वर्ष 2023 से जनवरी, 2026 तक कितने वैध/अवैध पोल्ट्री फार्म संचालित हो रही हैं? फर्म/एजेसी का नाम व पता सहित पूर्ण जानकारी देवें? क्या पोल्ट्री फार्म संचालन कर्ता के द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गयी है? यदि हाँ, तो कब से कब तक ली गयी है? एवं ऐसी कितनी पोल्ट्री फार्म हैं जिनकी एन.ओ.सी.की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बिना नवीनीकरण के संचालित हैं? वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** ऐसी कितनी पोल्ट्री फार्म, ग्रामीण व शहरीय आवासीय क्षेत्र व झील, कुंआ, और पानी के स्टोरेज टैंक से लगी हुई हैं एवं जिनके विरुद्ध प्रदूषण फैलाने की शिकायत प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आयी है एवं प्राप्त शिकायत के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कृत कार्यवाही की जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत जिला-राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2023 से जनवरी, 2026 तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त कर कुल 07 पोल्ट्री फार्म इकाईयाँ संचालित हैं। उक्त फर्म/एजेसी का नाम एवं पता, सम्मति दिनांक, सम्मति वैधता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। सभी संचालित पोल्ट्री फार्म को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण वैध हैं। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित कुल 07 पोल्ट्री फार्म, ग्रामीण व शहरी आवासीय क्षेत्र व झील, कुंआ और पानी के स्टोरेज टैंक से नहीं लगे हुये हैं एवं इनके विरुद्ध प्रदूषण फैलाने की शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

किसानों के खेतों एवं नदी नालों में फ्लाइऐश डम्पिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

32. (क्र. 2128) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2025 में रायगढ़ जिलान्तर्गत उद्योगों द्वारा फ्लाइऐश को किसानों के खेतों, नदी नालों एवं तालाबों में बिना अनुमति अवैध डम्पिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है ? किसानों के खेतों, नदी, नालों एवं तालाबों में अवैध फ्लाइऐश डम्पिंग न हो, इसके लिए क्या कार्ययोजना है ? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 31/12/2025 तक की अवधि में रायगढ़ जिलान्तर्गत उद्योगों द्वारा फ्लाइऐशको किसानों के खेतों एवं तालाबों में बिना अनुमति डम्पिंग की कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। उद्योगों द्वारा जनित राखड़ का निष्पादन के मानिट्रिंग हेतु जी.पी.एस तथा जियोटैगिंग के साथ फ्लाई ऐश के परिवहन/भू-भराव करने बाबत इण्डस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड मानिट्रिंग सिस्टम (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस) लागू किया गया है, जो दिनांक 01/05/2025 से संचालित है, जिससे राखड़ के भू-भराव कार्य में होने वाले अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाकर नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे- (01) जी.पी.एस. युक्त वाहनों से फ्लाई ऐश का परिवहन (02) फ्लाई ऐश अवैध डंपिंग/अपवहन के शिकायत हेतु व्हाट्सएप हेल्प लाईन नंबर की व्यवस्था की गई है। जिले में फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग की

शिकायत प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक जांच उपरांत अवैध डंपिंग पाये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उप योजना (टीएसपी) के तहत आबंटित राशि

[आदिम जाति विकास]

33. (क्र. 2141) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उप योजना(टीएसपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025 - 2026 में 31/01/26 तक कितनी धनराशि आबंटित की गई थी? **(ख)** क्या यह धनराशि पूर्ण रूप से व्यय की गई? यदि हाँ, तो व्यय की जानकारी देवें? यदि नहीं, तो अव्ययित धनराशि की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 31/01/26 तक आबंटित धनराशि की विभागवार एवं वर्षवार जानकारी क्रमशः प्रपत्र -अ, ब एवं स पर संलग्न है। **(ख)** प्रश्नानुसार वांछित जानकारी प्रपत्र - अ, ब एवं स पर संलग्न है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

रासायनिक कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइजर एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सर की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

34. (क्र. 2167) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कृषि विभाग द्वारा रासायनिक कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइजर एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सर की खरीदी की गई है? यदि हाँ तो किस - किस दर से खरीदी की गई? जिलेवार तुलनात्मक जानकारी देवें। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से किस स्पेसिफिकेशन के मक्का बीज की जिलावार कितनी मात्रा में खरीदी किनसे व किस दर पर की गई तथा किन-किन को कितना-कितना भुगतान किया गया है? यदि हाईब्रिड मक्का बीज का भुगतान किया गया है तो IGKV द्वारा जारी जिले की DNA रिपोर्ट की जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' व 'ख' अनुसार सामग्री व खरीदी के संबंध में क्या शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क), (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**

उद्योगों की लंबित पर्यावरण स्वीकृति (EC)

[आवास एवं पर्यावरण]

35. (क्र. 2168) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत-2 वर्षों से प्रदेश के कितने जिलों की कितनी परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति (EC) लंबित है अथवा पर्यावरण स्वीकृति (EC) को रद्द किया गया है और क्यों? तथा वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2025-26 में विभाग और राज्य के प्रदूषण-नियंत्रण-बोर्ड द्वारा जिला रायपुर, भिलाई(दुर्ग), बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा औद्योगिक केन्द्र के किन-किन उद्योगों एवं परियोजना को नोटिस जारी किया गया है? जिलावार जानकारी देवें? पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के वर्तमान प्रचलित नियम/निर्देश/आदेश क्या हैं? जानकारी

देवें? (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार जिलों में किन-किन उद्योगों द्वारा CTE/CTO अनुमोदन प्राप्त किया गया है और किन-किन का लंबित है? पर्यावरण नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत विगत 02 वर्षों से (दिनांक 31/01/2024 या उसके पूर्व) आवेदित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 24 जिलों की कुल 128 प्रकरण राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में लंबित है। लंबित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की परियोजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(ख)दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 28/02/2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को जारी किये गये नोटिस की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बाबत मार्गदर्शिका जारी की गई है।(ग)दिनांक 01/04/2025 से दिनांक 28/02/2026 तक की अवधि में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा के औद्योगिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत नवीन उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लंबित स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत जारी स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति के अनुसार उद्योगों में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) एवं घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/ सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट स्थापित कराये जाते हैं। उपचारित दूषित जल का प्रक्रिया में पुनः चक्रीकरण / पुनः उपयोग कराए जाकर शून्य निस्सारण की स्थिति सुनिश्चित कराया जाता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपीटेटर/ बैग फ़िल्टर/ सायक्लोन डस्ट कलेक्टर/ वेट स्क़रबर/ जल छिड़काव की व्यवस्था कराई जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थापित एवं संचालित लाल श्रेणी के वृहद्/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु उद्योगों का प्रत्येक 09 माह में, नारंगी श्रेणी के वृहद्/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु श्रेणी उद्योगों का प्रत्येक 12 माह में तथा हरे श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक 24 माह में निरीक्षण किया जाता है।

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योगों के अपशिष्टों की डंपिंग हेतु भूमि चयन

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 2171) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उद्योग संचालित हैं ? नामवार, ग्रामवार एवं तहसीलवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर में संचालित उद्योगों से निकल रहे अपशिष्टों को डम्प करने या निकासी के लिए उद्योगों द्वारा क्या-क्या प्रावधान किया गया है ? अपशिष्ट पदार्थों को डम्प करने हेतु भूमि का चयन किस आधार पर एवं किस नियम के तहत किया जाता है? चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां डम्पिंग हेतु भूमि का चयन किया गया है ? ग्रामवार व तहसीलवार जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांक "ख" के अनुसार विभाग द्वारा अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक उक्त भूमि का निरीक्षण कब-कब किया गया ? निरीक्षण उपरांत की गई

कार्यवाही की जानकारी निरीक्षणकर्ता के नाम/पदनाम सहित दिनांकवार, वर्षवार देवें ? **(घ)** क्या डम्प किये गये मटेरियल से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की वर्षवार, ग्रामवार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 69 उद्योग (03 वृहद् / मध्यम तथा 66 लघु) संचालित है। उद्योगों की नामवार, ग्रामवार एवं तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों (कोल आधारित ताप विद्युत संयंत्र) से अपशिष्ट के रूप में मुख्यतः फ्लाई ऐश जनित होता है, उक्त जनित फ्लाई ऐश का निपटान उद्योगों द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के द्वारा जारी फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित) के तहत फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, सीमेंट प्लांट में उपयोग, निचले स्थल तथा निष्क्रिय खदानों के भू-भराव हेतु किया जाता है। चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित लघु श्रेणी के उद्योगों से मुख्यतः राइस हस्क तथा हस्क ऐश जनित होता है, राइस हस्क को बॉयलर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एवं हस्क ऐश को ईट निर्माताओं को प्रदाय किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ फ्लाई ऐश को डम्प करने हेतु भूमि का चयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निचले क्षेत्र/खदान के भराव हेतु मार्च 2019 में जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिस-जिस भूमि में फ्लाई ऐश से भराव हेतु अनुमति जारी की गई है, की ग्रामवार, तहसीलवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांक "ख" के अनुसार अप्रैल 2024 से 02 फरवरी 2026 तक भू-भराव स्थल की निरीक्षण तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी तथा की गई कार्यवाही की दिनांकवार वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' के कॉलम 6, 7, 8 के अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाई ऐश भराव से जल एवं वायु प्रदूषण संबंधी शिकायत **(घ)** प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

जिला सक्ती अंतर्गत संचालित आरकेएम पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 2172) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत संचालित आरकेएम पॉवर प्लांट को कुल कितने क्षेत्रफल में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई ? क्या प्लांट का संचालन पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रमाण पत्र कब-कब जारी किया गया है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित हो रहे प्लांट से कौन-कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है ? उत्सर्जित हो रही गैसों से वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी तक की अवधि में जल व वायु प्रदूषण एवं अन्य तरह की जांच के लिए कौन-कौन से अधिकारी नियुक्त किये गये ? जांचकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी वर्षवार देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत संचालित उद्योग मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट-धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा को भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/08/2008 के अनुसार 900 एकड़ क्षेत्रफल में पॉवर प्लांट संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित उद्योग के औद्योगिक प्रक्रिया से कार्बन डाई ऑक्साईड,

नाईट्रोजन के ऑक्साईड्स, सल्फर डाई ऑक्साईड का उत्सर्जन होता है। उद्योगों द्वारा उत्सर्जित हो रही गैसों से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लो नाक्स बर्नर कंबेशन सिस्टम तथा ओवर फायर एयर कंबेशन मॉडिफिकेशन तकनीक तथा 02 नग 275 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की गई है। प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

शासकीय कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, राइपेनिंग चेंबर एवं नियंत्रित वातावरण भंडारण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

38. (क्र. 2175) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में वर्तमान में कितने शासकीय/अनुदानित कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, राइपेनिंग चेंबर एवं नियंत्रित वातावरण भंडारण (Controlled Atmosphere Storage) संचालित हैं? उनकी कुल भंडारण क्षमता कितनी है? कितने को तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? **(ख)** क्या विभाग द्वारा कृषकों/FPO/SHG को पैकेजिंग यूनिट स्थापना, फूड प्रोसेसिंग इकाई, एग्री-लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन प्रबंधन, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ाव हेतु अनुदान/सब्सिडी प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्रदान की गई कुल राशि एवं लाभार्थियों की संख्या जिला-वार बतायें। **(ग)** राज्य की कृषि उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा किन देशों/एजेंसियों/निर्यात संवर्धन परिषदों से समन्वय स्थापित किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** प्रदेश में वर्तमान में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनांतर्गत अनुदानित 70 कोल्ड स्टोरेज, 2 राइपेनिंग चेंबर तथा 1 नियंत्रित वातावरण भंडारण है, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता क्रमशः 3,47,057 मीट्रिक टन, 72 मीट्रिक टन तथा 3,243 मीट्रिक टन है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत अनुदानित 594 वेयर हाउस व 153 कोल्ड स्टोरेज है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता क्रमशः 2,87,6371 मीट्रिक टन एवं 9,82,522 मीट्रिक टन है। इसी प्रकार मंडी बोर्ड द्वारा 551 वेयर हाउस निर्मित हैं जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 4,23,884 मीट्रिक टन है। उपरोक्त इकाईयों के तकनीकी उन्नयन हेतु किसी भी विभाग/संस्था को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतएव जानकारी निरंक है। **(ख)** विभाग द्वारा कृषकों/FPO/SHG को पैकेजिंग यूनिट स्थापना, फूड प्रोसेसिंग इकाई, एग्री-लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन प्रबंधन, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ाव हेतु अनुदान/सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है, अतएव जानकारी निरंक है। **(ग)** राज्य के कृषि उपज विशेष रूप से चावल निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय सुगंधित धान नॉन बासमती चावल (शार्ट ग्रेन सेन्टेड धान) किस्मों की पृथक से पहचान स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र, मनीला, फिलीपींस से संचालनालय कृषि तथा इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा समन्वय किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार की "एक देश एक बाजार कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल विक्रेता/कृषकों को उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य प्राप्त हो सके इस हेतु प्रदेश की 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 9 सन् 2024), छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2024, द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 2, धारा 32 एवं धारा 32-क में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिससे कि अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड / मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी बगैर पंजीयन के छत्तीसगढ़ प्रदेश की राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी 21 कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय कर सके।

जिला बलौदाबाजार में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति विकास कार्यक्रम (PVTG)

[आदिम जाति विकास]

39. (क्र. 2176) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जिला बलौदाबाजार में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास कार्यक्रम (PVTG) संचालित है? यदि हाँ, तो जिले में लक्षित विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम क्या हैं? वर्ष 2022-23 से 30 जनवरी, 2026 तक कुल कितने ग्राम इस योजना के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हैं? विकासखंडवार विवरण दें ? **(ख)** उक्त अवधि में आवास सहायता के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया? कितने आवास पूर्ण हुए एवं कितने निर्माणाधीन हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां। जिले में लक्षित विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम "कमार" है। वर्ष 2022-23 से 30 जनवरी 2026 तक कुल 02 ग्राम इस योजना के अंतर्गत विकासखंड कसडोल के ग्राम अवरार्ई एवं बल्दाकछार चिन्हांकित किए गए है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि मे आवास सहायता के अंतर्गत 25 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। सभी 25 आवास पूर्ण है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पंडरिया विधानसभा अंतर्गत पर्यटन स्थलो के विकास

[पर्यटन]

40. (क्र. 2179) श्रीमती भावना बोहरा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित/विकसित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? पर्यटन स्थलवार जानकारी देवें । **(ग)** क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्र कुकदुर के ग्राम भैंसाउदार स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है ? यदि हाँ, तो इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और उससे स्थानीय रोजगार सृजन करने के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक पर्यटन स्थल (पारस नगर बकेला) चिन्हांकित किया गया है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित पर्यटन स्थल के विकास, सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। **(ग)** भैंसादार (भैंसाओदार)स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है। नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्ताव मांगे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में शेष जानकारी निरंक है।

जिला- कबीरधाम में संचालित आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

41. (क्र. 2180) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में विभाग द्वारा आदिवासी युवाओं एवं परिवारों के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाएँ संचालित हैं? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कितने आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? विधानसभावार तथा योजना-वार

जानकारी दें। (ग) इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की क्या व्यवस्था की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 में आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत कबीरधाम जिले में 43 आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" \]](#)

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

42. (क्र. 2183) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में यंत्रवार एवं जिलावार निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का विवरण वर्षवार एवं जिलावार बताएं ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिलों में प्रशंश (क) अंतर्गत योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण किस आधार पर तथा किस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है? क्या उक्त अवधि में निर्धारित लक्ष्य में कोई संशोधन किया गया? यदि हाँ, तो कब, कितना एवं किस आधार पर संशोधन किया गया? प्रारंभिक लक्ष्य (मात्रा) एवं संशोधित लक्ष्य का विवरण वर्षवार एवं जिलावार बताएं ? (ग) प्रशंश (क) की अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि मशीनीकरण की दर में कितनी वृद्धि हुई? जिलावार एवं यंत्रवार विवरण दें। यदि वृद्धि नहीं हुई, तो इसके क्या कारण हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) , (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला रायगढ़ अन्तर्गत स्वीकृति वन अधिकार पत्र

[आदिम जाति विकास]

43. (क्र. 2187) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में वन अधिकार पत्र हेतु विभाग को कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कितने आवेदन स्वीकृत किए हैं, कितने अस्वीकृत किए गए हैं, विकासखंड वार जानकारी दें? (ख) वन अधिकार पत्र की स्वीकृति हेतु क्या मापदंड नियमावली है, कितने आवेदन जनवरी 2026 की स्थिति लंबित हैं एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत 03 वर्षों में वन अधिकार पत्र हेतु कुल 537 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें व्यक्तिगत वन अधिकार के 529, सामुदायिक वन अधिकार के 05 तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 03 आवेदन हैं। स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन की विकासखण्ड वार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वन अधिकार दावों की स्वीकृति हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-6 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम 11 एवं 12 में दिए गए प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किए जाने की समस्त प्रक्रिया त्रिस्तरीय समिति प्रणाली (ग्राम सभा स्तर की वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय

समिति एवं जिला स्तरीय समिति) के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था/नियम है। ग्रामसभा में प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार तथा विभिन्न सामुदायिक वन अधिकार दावों पर नियमानुसार संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों एवं संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पारित करेगी और उन्हें उपखण्ड स्तरीय समिति को भेज देगी एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण पश्चात प्रस्तावित वन अधिकार प्रारूप अभिलेखों के साथ जिला स्तरीय समिति को अंतिम विनिश्चय हेतु प्रेषित किया जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त दावों और अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र दावों का अंतिम रूप से अनुमोदन कर वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं। जनवरी 2026 की स्थिति में वर्तमान में 45 प्रकरण लैलुंगा विकासखण्ड एवं 16 प्रकरण तमनार विकासखण्ड के इस प्रकार कुल 61 व्यक्तिगत वन अधिकार के प्रकरण उपखण्ड स्तर पर प्रक्रियाधीन है। प्रकरण जिला स्तर समिति को प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निराकरण किया जावेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

रायगढ़ जिला में आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति विकास]

44. (क्र. 2189) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत वर्ष 2024-से जनवरी 2026 तक किन किन कार्यों के लिए, कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है, कार्य का नाम राशि सहित विकासखंड वॉर जानकारी देवें? **(ख)** कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने पूर्ण हैं कितने अपूर्ण हैं ? क्या वित्तीय अनियमितता या घटिया निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। वित्तीय अनियमितता या घटिया निर्माण कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीसल प्रक्षेत्र का उपयोग

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

45. (क्र. 2192) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोरभट्टीकलां में सीसल प्रक्षेत्र स्थित है? यदि हां, तो कब से और कितना जमीन सीसल प्रक्षेत्र हेतु आबंटित की गयी है? आबंटित जमीन में से कितना सीसल प्रक्षेत्र के द्वारा उपयोग किया जा रहा है और कितना बिना उपयोग के है? क्या किसी के द्वारा सीसल प्रक्षेत्र की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के तहत सीसल प्रक्षेत्र स्थापित करने के पीछे शासन का क्या उद्देश्य है? सीसल प्रक्षेत्र से क्या क्षेत्रीय कृषक लाभान्वित हो रहे हैं? **(ग)** कंडिका "क" के स्थित जमीन में से कौन-कौन से कार्य के लिए कितना-कितना जमीन का आबंटन किया गया है और उनमें से कितना-कितना का उपयोग किया जा रहा है? अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन को क्या शासन द्वारा कब्जा मुक्त कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक? **(घ)** कंडिका "क" के प्रक्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत एवं प्रस्तावित हैं और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** हां, यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र

अन्तर्गत ग्राम चोरभट्टी कला में शासकीय सीसल प्रक्षेत्र स्थित है। यह प्रक्षेत्र वर्ष 1966-67 में स्थापित किया गया है। स्थापना वर्ष से शासकीय सीसल प्रक्षेत्र हेतु कुल 134.022 हे. जमीन आबंटित की गई है। आबंटित 134.022 हे. जमीन में से वर्तमान में 20.00 हे. कृषि कार्य, 2.032 हे. जमीन भवन तथा सड़क, 10.00 हे. बीज प्रमाणीकरण संस्था अंतर्गत ग्री आउट टेस्ट फार्म तथा 1.207 हे. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित राज्य जैव प्रयोगशाला द्वारा इस प्रकार कुल 33.239 हे. जमीन उपयोग किया जा रहा है। 30.00 हे. फेसिंग के अभाव में तथा 55.373 हे. रकबा मुरूम जमीन होने के कारण इस प्रकार कुल 85.373 हे. जमीन का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। 15.410 हे. जमीन अरपा भैंसाझार परियोजना (नहर निर्माण) हेतु छ.ग. शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग को आबंटित किया गया है। सीसल प्रक्षेत्र की जमीन को अवैध रूप से कब्जा किये जाने की जानकारी निरंक है। **(ख)** कंडिका 'क' के तहत स्थापित सीसल प्रक्षेत्र में छ.ग. राज्य स्थापना उपरांत वर्ष 2005-06 से विभिन्न फसलों के "बीज उत्पादन कार्यक्रम" हेतु किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः दलहन, तिलहन फसलों के बीजोत्पादन कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रक्षेत्र में उत्पादित बीजों का बीज निगम द्वारा उपार्जन कर प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण कर क्षेत्रीय/प्रदेश के कृषकों को लाभान्वित किया जा है। इसी प्रकार बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्थापित ग्री आउट टेस्ट फार्म में बीज उत्पादन करने वाले कृषकों के बीजों का अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण कर तथा राज्य जैव प्रयोगशाला में उत्पादित जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदीनाशक का कृषकों को विक्रय कर प्रदेश के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। **(ग)** कंडिका 'क' अनुसार शासकीय सीसल प्रक्षेत्र चोरभट्टी को आबंटित कुल 134.022 हे. जमीन में से उपयोग किये जा रहे कुल 48.649 हे. का विवरण निम्नानुसार है:-

शासकीय

क्र. विभाग का नाम	प्रयोजन	आबंटित/उपयोग किया जा रहा रकबा (हे.)
1 कृषि विभाग	कृषि कार्य, भवन तथा सड़क	22.032
2 जल संसाधन	अरपा भैंसाझार परियोजना(नहर निर्माण)	15.410
3 छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था	ग्री आउट टेस्ट फार्म	10.000
4 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	राज्य जैव प्रयोगशाला बिलासपुर	1.207
योग		48.649

सीसल प्रक्षेत्र चोरभट्टी में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** कंडिका "क" के प्रक्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसी प्रकार का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सीसल प्रक्षेत्र हेतु राशि रू. 160.90 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। आबंटित संपूर्ण राशि का व्यय किया जा चुका है। विस्तृत **विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं कृषि महाविद्यालय की स्थापना

[मछली पालन]

46. (क्र. 2195) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राज्य में मत्स्य विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? **(ख)** विगत 3 वर्षों में कोंडागांव जिले में कितने लाभार्थियों को कौन-कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है और आगामी वर्ष हेतु कितने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है? **(ग)** प्रदेश में मछली पालन का कितना उत्पादन एवं खपत है, जिलेवार, प्रजातिवार, उत्पादनवार, खपतवार जानकारी दें? **(घ)** क्या विभाग अंतर्गत

वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की उपलब्धता है ? यदि नहीं तो उस दिशा पर क्या कार्यवाही की जा रही है, जिलेवार जानकारी देवे ? (ड) क्या विभाग को कोंडागांव जिले में मत्स्य महाविद्यालय/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) राज्य में मछलीपालन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) विगत 3 वर्षों में कोंडागांव जिले में 4043 लाभार्थियों को विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** आगामी वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन अनुसार लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने लक्षित किया जावेगा। (ग) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य उत्पादन 8.73 लाख मैट्रिक टन एवं खपत 5.35 लाख मैट्रिक टन है, जिलेवार, प्रजातिवार, उत्पादनवार, खपतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(घ)** जी नहीं, मछलीपालन विभाग अंतर्गत वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं है। उपलब्ध अधोसंरचना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है** एवं मानव संसाधन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।** अधोसंरचना निर्माण हेतु विभागीय जिलाधिकारियों को संबंधित कलेक्टर से सम्पर्क कर स्थल चयन करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग से तृतीय श्रेणी के 55 एवं चतुर्थ श्रेणी के 20 रिक्त पदों को भरे जाने की सहमति प्राप्त हुई है, पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। (ड) जी हां, विभाग को कोंडागांव जिले में मत्स्य महाविद्यालय शुरू करने हेतु 01 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

कोंडागांव जिले में कृषि विभाग की योजना एवं वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

47. (क्र. 2196) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) कोंडागांव जिले में विगत 3 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? (ख) क्या कृषकों की सुविधा हेतु विकासखंड या जिला स्तर पर कृषक कुटिर बनाने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो प्रदेश में अब तक कितने कुटिर का निर्माण किया गया है? (ग) कृषि विभाग अंतर्गत वाटरशेड परियोजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कोंडागांव जिले में क्या क्या कार्य कराए गए है ? क्या विभाग को वाटरशेड परियोजना के कार्यों के संबंध में उक्त अवधि में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोण्डागांव जिले में विगत 03 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में संचालनालय कृषि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** इस अवधि में संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार, योजनावार एवं घटकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा प्रदेश में विगत 03 वर्षों में विभिन्न मंडी क्षेत्रों में राज्य विपणन निधि/मंडी निधि की उपलब्धता एवं बजट प्रावधान के आधार पर 463 कुटीर का निर्माण किया गया है। (ग) कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में कराये गये कार्यों की घटकवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** विगत 03 वर्ष की अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि वर्ष 2025-26 में 01 शिकायत

प्राप्त हुई है, जिसमें कलेक्टर कोण्डागांव के निर्देश पर उप संचालक कृषि जिला कोण्डागांव द्वारा जांच दल गठित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति विकास]

48. (क्र. 2200) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छ.ग. राज्य आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा बस्तर संभाग में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल कितने-कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? जिलावार, वर्षवार कार्य का नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने कब से प्रगतिरत है ? कितने प्रारंभ नहीं हुए ? क्यों प्रारंभ नहीं हुए ? कारण सहित जानकारी वर्षवार, जिलावार, कार्य का नाम एवं राशि सहित देवें ? **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्राधिकरण की बैठक कब-कब, कहां-कहां आयोजित की गई? प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार बैठक कितने अवधि में किए जाने का प्रावधान है ? **(घ)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण मद में स्वीकृति राशि में से कितनी राशि व्यय होना शेष है ? क्यों शेष है कारण बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा बस्तर संभाग में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य 1185 एवं स्वीकृत राशि रू 6781.87 लाख तथा वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य 506 एवं स्वीकृत राशि रू 3117.33 लाख स्वीकृत किये गये हैं। जिलावार, वर्षवार विस्तृत जानकारी **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ”** अनुसार है। **(ख)** उपरोक्त स्वीकृत कार्य में वर्ष 2024-25 में 594 पूर्ण, 546 प्रगतिरत कार्य एवं 45 कार्य अप्रारंभ तथा वर्ष 2025-26 में 1 पूर्ण, 138 प्रगतिरत कार्य एवं 367 कार्य अप्रारंभ है। वर्षवार, जिलावार विस्तृत जानकारी **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ”** अनुसार है। **(ग)** बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2024 को जिला-बस्तर के चित्रकोट में आयोजित की गई थी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के नियमावली के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार प्रत्येक छैमाही में बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। **(घ)** वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण मद में स्वीकृत राशि रू 3117.33 लाख एवं व्यय राशि 310.05 लाख एवं शेष राशि रू 2807.28 लाख है। विस्तृत जानकारी **“पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब”** अनुसार है।

बस्तर संभाग में संचालित छात्रावास और आश्रम

[आदिम जाति विकास]

49. (क्र. 2201) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग में कितने आश्रम, छात्रावास संचालित हैं ? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त आश्रम, छात्रावास में से कितने अपने मूल स्थान पर संचालित है ? कितने मूल स्थान पर संचालित नहीं है ? मूल स्थान पर क्यों संचालित नहीं है ? कारण बतावें ? जानकारी जिलेवार देवें? **(ग)** अपने मूल स्थान पर संचालित नहीं होने वाले आश्रम छात्रावास अपने मूल स्थान पर कब तक संचालित कर दिए जाएंगे? विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** बस्तर संभाग अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित कुल 1138 छात्रावास/आश्रमों में से 1037 संस्था अपने मूल स्थान पर तथा 101 संस्था अन्य स्थान पर संचालित है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ एवं ‘ब’** अनुसार है। **(ग)** अन्य स्थानों पर संचालित संस्थाओं के अपने मूल स्थान पर संचालित किये जाने की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है।

मण्डी बोर्ड निधि से निर्माण कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

50. (क्र. 2203) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिला में मण्डी बोर्ड निधि से निर्माण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं. 1/55648/2025/39148/MANDI-1/3/-Ag.Sec(T) नवा रायपुर दिनांक 24-06-2025 को प्रबंध संचालक छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर को आपके अभिमत के साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हां तो आपके अभिमत के प्रत्याशा में कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी, जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक/1/55648/2025/39148/MANDI-1/3/-Ag.Sec (T) नवा रायपुर दिनांक 24-06-2025 द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर को मंडी बोर्ड निधि से निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने पत्र प्रेषित किया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 28.02.2026 को विकासखंड डोंगरगढ़/डोंगरगांव के ग्राम पंचायतों में मंडी निधि से सी.सी. रोड/डब्ल्यू बी.एम. रोड की स्वीकृति पश्चात कृषि उपज मंडी डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा राशि रू.128.22 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मंडी बोर्ड स्तर पर प्रदान की गई है, स्वीकृत कार्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

अवैध प्लॉटिंग रोकने हेतु कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक

[वाणिज्यिक कर]

51. (क्र. 2207) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अवैध प्लॉटिंग रोकने हेतु प्रदेश में 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है? यदि हां तो उक्त संबंध में आदेश कब एवं किसके द्वारा जारी किया गया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के अंतर्गत जिला-बिलासपुर में नियम विरुद्ध रजिस्ट्री एवं डायवर्सन किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावे। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के अनुसार जिला बिलासपुर में की गई रजिस्ट्री एवं डायवर्सन हेतु दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? विकासखंडवार प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश "ख" के कितने प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण/प्रारंभ किया जा चुका है एवं कितने प्रकरणों कालोनाईज़रों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** पंजीयन विभाग द्वारा अवैध प्लॉटिंग रोकने के सम्बन्ध में निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के तहत धारा 70(1) में नया परन्तुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 0.05 एकड़ से कम क्षेत्रफल की कृषि भूमि का उपखण्ड नहीं किया जा सकेगा। इस संशोधन के अनुपालन में पत्र क्रमांक 1158/तक.3/52/2018, दिनांक 22.07.2025 द्वारा सभी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयकों को निर्देशित किया गया है कि 0.05 एकड़ से कम के उपखण्ड से संबंधित विक्रय दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए। **(ख)** जिला बिलासपुर में नियम विरुद्ध रजिस्ट्री एवं डायवर्सन किए जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

पशुधन विकास अभिकरण द्वारा किए गए

[पशुधन विकास]

52. (क्र. 2208) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से 31.01.2026 तक राज्य पशुधन विकास अभिकरण को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किन-किन कार्यों / योजनाओं में व्यय की गई? स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी वर्षवार, योजनावार बतावें। **(ख)** प्रश्नांश "क" की प्राप्त राशि में से प्रश्नांकित अवधि में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई सामग्री? सामग्री क्रय हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्रय प्रक्रिया में किन-किन फर्म /कंपनियों ने भाग लिया? नाम पता सहित बतावें? क्रय आदेश किन-किन कंपनियों को प्रदान किया गया? फर्म /संस्था के चयन का आधार क्या था? **(ग)** क्या चयनित फर्मों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की गुणवत्ताहीन होने अथवा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया? यदि हां तो क्या-क्या कार्यवाही की गई? चयनित फर्मों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** वर्ष 2021-22 से 31.01.2026 तक राज्य पशुधन विकास अभिकरण को राशि रू. 4730.98 लाख प्राप्त हुआ। जिसके अनुक्रम में राशि रू. 3965.79 लाख का व्यय हुआ। स्वीकृत एवं व्यय राशि का वर्षवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है।**(ख)** प्रश्नांक 'क' की प्राप्त राशि में से प्रश्नांकित अवधि में क्रय सामग्री, क्रय प्रक्रिया, भाग लेने वाले फर्म/कंपनियों, क्रय ओदशित फर्म एवं चयन का आधार संबंधित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है।**(ग)** जी नहीं। फर्म/शासकीय संस्थान को राशि भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के परिपालन में पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस. मोड्यूल) में किया गया।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्योगों का पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

53. (क्र. 2217) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 से 01.01.2026 तक संचालित कितने उद्योगों का पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया व निरीक्षण के दौरान पर्यावरण के मानकों के उल्लंघन के संबंध में क्या पाया गया ? मानकों के उल्लंघन होने पर किन-किन उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? वर्षवार एवं उद्योगवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 01.01.2026 तक की अवधि में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कुल 195 उद्योगों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 52 उद्योगों में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन होना पाया गया। पाए गये उल्लंघन संबंधी जानकारी एवं की गई कार्यवाही की वर्षवार एवं उद्योगवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

विकास अनुज्ञा का उल्लंघन करके किये गये कार्यों की जांच तथा कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

54. (क्र. 2233) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2324 के लिखित उत्तर दिनांक 19 मार्च, 2025 में यह बताया गया था कि "प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।" यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम तथा जांच का परिणाम

क्या-क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत विकास अनुज्ञा के अनुसार कुल क्षेत्रफल कितना था, भवन निर्माण, सड़क आदि निर्माण का क्षेत्रफल तथा खुला (ओपन) क्षेत्रफल कितना-कितना था और इसके विरूद्ध वर्तमान स्थिति क्या-क्या है? **(ग)** विकास अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके कराए गए कार्यों को हटाने का उत्तरदायित्व किस विभाग का है और कौन सक्षम प्राधिकारी है? तथा हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। नगर पालिक निगम, बीरगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार, निकाय स्तर पर श्री नितीश अमन साहू, उप अभियंता, श्री कृष्ण विजय सिंह, सहायक अभियंता एवं श्री केवल चंद साहू, सहायक अभियंता सहित तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई हेतु, आयुक्त नगर पालिक निगम, बीरगांव द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सन्निर्माण कर्ता के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 299-क सहित सुसंगत धाराओं में विधिवत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 299-क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सक्षम विभाग है। सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

55. (क्र. 2243) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ 2022, खरीफ 2023, खरीफ 2024 तथा खरीफ 2025 में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता जिलावार क्या-क्या रही है? **(ख)** उपरोक्त वर्षों में सुगंधित किस्म के धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता जिलावार क्या-क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** खरीफ 2022, खरीफ 2023, खरीफ 2024, तथा खरीफ 2025 में धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** सुगंधित किस्म के धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता की वर्षवार, जिलेवार अनुमानित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

प्रसाद योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

[पर्यटन]

56. (क्र. 2247) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश के किन-किन धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु प्रसाद योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी-कितनी राशि का प्रस्ताव किन-किन स्थलों के किन-किन कार्यों हेतु भारत सरकार को कब-कब प्रेषित किया गया? वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु राज्य सरकार के बजट में कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? व्यय हेतु राज्य एवं केन्द्र का मापदण्ड क्या निर्धारित था? वर्षवार विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' हेतु भारत सरकार से राज्य की मांग के विरूद्ध कितनी राशि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कब-कब प्राप्त हुई? किन-किन कार्यों में व्यय की गई? कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? विवरण देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :(क) प्रसाद योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कोई प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित नहीं किया गया है। एवं वर्ष 2025-26 में महामाया मंदिर, रतनपुर के विकास हेतु राशि रू. 149.26 करोड़ का कांसेप्ट प्लान शासन के पत्र क्र. 158/ नि.स./स./पर्यटन दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति अपेक्षित है। प्रस्ताव में होटल,धर्मशाला, ज्योति कलश, व्हीआईपी गेस्ट हाऊस, कार्यालय, फेस्टिवल प्लाजा, तालाब में सीढ़ियाँ एवं पीचिंग, पार्किंग, आंतरिक सड़क, मेला प्लाजा, पाथवे, टॉयलेट, बाउण्ड्रीवाल, डेकोरेटिव लाईट, दुकानों का फेसिया, लैंडस्केपिंग, साइनेजेस, सीसीटीव्ही, प्रवेश द्वार, लाईट एंड साउंड शो आदि कार्य सम्मिलित किये गये हैं। (ख) प्रसाद योजना 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है। इसमें राज्य सरकार के बजट में कोई राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से उत्तरांश "क" में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण केंद्र से प्रश्नांकित अवधि में राशि प्राप्त नहीं हुयी है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"\]](#)

रासायनिक खाद के व्यवसाय में होने वाली हानि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

57. (क्र. 2554) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (ख) क्या शासन द्वारा रेलवे रैक पाइंट से डबल लाक केन्द्र तथा पैक्स तक खाद परिवहन की पूरी प्रक्रिया को जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन दोषी है एवं दोषी पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी नहीं। विभाग द्वारा रेलवे रैक प्रवाइंट से डबल लाक केन्द्र तथा पैक्स तक खाद परिवहन की पूरी प्रक्रिया को जियो टैगिंग करने के निर्देश नहीं दिये गये है अतः शेष जानकारी निरंक है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जिला गरियाबंद में अधिकारी की पस्थापना**

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 36) श्री रोहित साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला गरियाबंद अस्तित्व में आने के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक गरियाबंद जिले में नगर निवेश के सहायक संचालक के स्वीकृत पद पर पदस्थापना क्यों नहीं की गई है? इसकी पस्थापना, कब तक कर ली जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : नगर निवेश से सम्बंधित कार्य हेतु जिला गरियाबंद, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है। शेषांश प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में खाद एवं बीज की मांग एवं आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (क्र. 836) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत वर्ष 2025-26 में विभिन्न सोसायटियों में खरीफ फसल हेतु यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद, बीज का कितना भण्डारण किया गया है? क्या मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की पूर्ति की गई है? यदि नहीं तो किस कारण से? जानकारी देवें? (ख) क्या खाद एवं बीज की कमी का मामला प्रकाश में आया है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ, कितनी मात्रा में? जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या सरकारी आपूर्ति नहीं होने से अवैध खाद के कारोबार का मामला संज्ञान में आया है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के अंतर्गत विकासखण्डों के विभिन्न सोसायटियों में वर्ष 2025-26 में खरीफ फसल हेतु यूरिया एवं डी.ए.पी उर्वरक की मांग एवं भण्डारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** बीज की मांग एवं भण्डारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** संबंधित समितियों में मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की पूर्ति की गयी है। (ख) खाद एवं बीज की कमी का मामला प्रकाश में नहीं आया है। (ग) अवैध खाद के कारोबार का मामला संज्ञान में नहीं आया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

जिला जशपुर में पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[पशुधन विकास]

3. (क्र. 838) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) जिला जशपुर में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पशुधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं मदों का नाम, उद्देश्य तथा स्वीकृत राशि क्या है? (ख) प्रश्नांक "क" अंतर्गत पशु चिकित्सा सेवाएं, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, चारा विकास, दुग्ध उत्पादन संवर्धन, पशुपालक प्रशिक्षण, पशु शेड/संरचना निर्माण, उपकरण क्रय, औषधि क्रय एवं वाहन/लॉजिस्टिक मद से कितनी-कितनी राशि विभाग

की ओर से वर्षवार स्वीकृत हुई है? कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर किन-किन एजेंसियों, संस्थाओं, ठेकेदारों को कार्य आबंटित किया गया तथा भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण देवें? (घ) क्या किसी योजना में लक्ष्य के अनुरूप व्यय न होने, अनियमितता, अपूर्ण कार्य या गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो जांच एवं की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जशपुर में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं मदों का नाम, उद्देश्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्रांक (क) अंतर्गत पशु चिकित्सा सेवाएं, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, चारा विकास, दुग्ध उत्पादन संवर्धन, पशुपालक प्रशिक्षण, पशु शेड/संरचना निर्माण, उपकरण क्रय, औषधि कय एवं वाहन / लॉजिस्टिक मद में स्वीकृत राशि तथा व्यय की गयी राशि का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर आबंटित कार्य हेतु एजेंसियों, संस्थाओं, ठेकेदारों का विवरण तथा भुगतान की गई राशि का पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि का आबंटन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

4. (क्र. 973) श्री विनायक गोयल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं कितना प्रतिशत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छ0ग0 के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राज्यांश का कितना प्रतिशत आबंटन दिया जाता है ? (ख) क्या विगत एक वर्ष से शासन से 25 प्रतिशत आबंटन नहीं मिलने के कारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन कटौती कर आबंटन जारी किया जा रहा है ? (ग) क्या अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन कटौती कर विलंब से भुगतान किया जा रहा है ? (घ) यदि हां तो उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर पूर्ण वेतन भुगतान हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश का बजट में प्रावधान कब तक कर दिया जावेगा? तथा कृषि विज्ञान केन्द्र बस्तर, जिला बस्तर में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के पूर्ण वेतन भुगतान कब तक दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शत प्रतिशत (वेतन+डीए+गृहभाड़ा भत्ता) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त अनुदान से ही किया जाना प्रावधानित है, अतः राज्यांश संबंधी जानकारी निरंक है। (ख) कंडिका "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)-एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (अटारी) से जैसे-जैसे राशि प्राप्त होती है, उसे बगैर कटौती किये कृषि विज्ञान केन्द्रों को तत्काल निर्गमित कर दिया जाता है। (घ) माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3288/2025 एवं समरूप अन्य याचिकाएं में दिनांक 24.06.2025 को जारी स्थगन आदेश के परिपालन में पूर्वानुसार भुगतान किये जाने के परिपेक्ष्य में अंतर की राशि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के स्थापना अनुदान से किये जाने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है, जो अनुमति हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर शेष कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि हेतु संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

5. (क्र. 999) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? विशेष रूप से दलहन, तिलहन, सब्जी एवं फलोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण, अनुदान एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है? वर्ष 2025 की जानकारी दे? **(ख)** लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में 2025-26 में कुल कितने पंजीकृत किसान हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। कृषि विभाग अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है अपितु विभिन्न योजनाओं के तहत कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी सहायता, फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड तमनार, लैलूंगा एवं रायगढ़ में संचालनालय कृषि अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से दलहनी-तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 (01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक) में कुल 1840 किसानों को प्रशिक्षण, 4706 किसानों को अनुदान एवं 2197 किसानों को तकनीकी सहायता का लाभ दिया गया है तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा संचालित योजनाओं में सब्जी एवं फलोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 137 किसानों को तकनीकी सहायता एवं 714 किसानों को विभिन्न योजनांतर्गत अनुदान प्रदान की गई है। **(ख)** वर्ष 2025-26 में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड तमनार, लैलूंगा एवं रायगढ़ के कुल 29594 किसान एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत है।

लैलूंगा विधानसभा अंतर्गत धार्मिक स्थलों के संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

6. (क्र. 1000) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राचीन एवं लोक आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु मंत्रालय द्वारा क्या योजना संचालित की जा रही है? क्या धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्रालय द्वारा लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त पंजीकृत एवं अपंजीकृत धार्मिक न्यासों, मंदिरों एवं देवस्थानों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का अद्यतन सर्वे कराया गया है? जानकारी दे।

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : जी नहीं। विभाग द्वारा लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त पंजीकृत एवं अपंजीकृत धार्मिक न्यासों, मंदिरों एवं देवस्थानों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का अद्यतन सर्वे नहीं कराया गया है।

धमतरी जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 1016) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2024 से 17/02/2026 तक धमतरी जिले में संचालित किन-किन उद्योगों के खिलाफ पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने की शिकायत प्राप्त हुई है? उपरोक्त शिकायतों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 17/02/2026 तक की अवधि में धमतरी

जिले में संचालित उद्योगों के खिलाफ पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुये प्रदूषण फैलाने के संबंध में कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लगाये गये नेट का गुणवत्ता परीक्षण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (क्र. 1017) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर संभाग में वर्ष 2024 से 17/02/2026 तक सब्जी उत्पादक किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु खेतों व नर्सरी में कितने नेट हाउस बनाये गये हैं? जिलावार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या उक्त नेट हाउस का विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया गया? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत रायपुर संभाग में वर्ष 2024 से 17/02/2026 तक कृषको द्वारा निर्मित शेडनेट हाउस की **जिलावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हां। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 1179) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** किन-किन प्रकार के भूमि विक्रय /बटांकन/नामांतरण को अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में किन नियमों के तहत रखा जाता है? कृपया बतावें? **(ख)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से जनवरी, 2026 के मध्य किन-किन हल्कों में, किन-किन खसरो को अवैध प्लाटिंग घोषित कर, किन-किन दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या अवैध प्लाटिंग के नियमितीकरण की योजना है? यदि हां, तो वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक किन-किन स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को नियमित किया गया? हल्कावार तथा खसरा वार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** नगर पंचायत, बसना, जिला महासमुंद से प्राप्त जानकारी अनुसार, बसना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में खसरा नंबर 332, 333, 334, 335, 336, 337, 329 एवं 328 कुल रकबा 5.414 हेक्टेयर पर अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में संबंधित कॉलोनाईजर को नोटिस दिया गया है। **(ग)** जी, हां। नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के नियमितीकरण एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत अवैध कालोनियों के प्रबंधन का प्रावधान है। नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 2013 के नियम 15-क के तहत 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों जिनमें 10 प्रतिशत भवनों का निर्माण किया गया है, का नियमितीकरण किये जाने का प्रावधान है। जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस" \]](#)

आदिवासियों को रोजगार दिए जाने संबंधी योजनाओं में कार्यों के चयन एवं राशि आवंटन की प्रक्रिया
[आदिम जाति विकास]

10. (क्र. 1186) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित कौन-कौन से मद की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में लागू है? उस योजना के तहत कार्यों के चयन एवं राशि आवंटन की क्या प्रक्रिया है? **(ख)** बसना विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य कौन-कौन से ग्राम हैं? उन ग्रामों में गत तीन वर्षों में कितने कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। गत 03 वर्षों में कार्यवार खर्च की गई राशि की ग्रामवार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" अनुसार है।

रायगढ़ जिला में औद्योगिक संस्थान द्वारा भूमि रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर कृत कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]

11. (क्र. 1233) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या पटवारी हल्का नंबर 27 ग्राम शिवपुरी, जिला रायगढ़ के खसरा नंबर 28/4, 11/2, 12/2, 12/3, 11/4, 12/69, 28/5, 28/6, 12/6, 30/3/ख, 15/30/10, 12/4, 12/9, 12/7, 12/8, 11/1, 11/3, 30/11, 34/1, 34/2, 34/8, 34/9, 14/11, 14/1, 14/2, 14/6, 14/3, 14/5, 12/5 एवं 28/2 पर औद्योगिक संस्थान द्वारा कम वृक्ष बताकर रजिस्ट्री करायी गयी? जबकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास डायवर्सन के लिए आवेदन देने के पश्चात् वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन में जांच के आधार पर अधिक वृक्ष पाया गया? यदि हां, तो इस पर जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की चोरी पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या स्टाम्प ड्यूटी के चोरी मामले में रजिस्ट्री निरस्त करने/पुलिस में एफआईआर करने से जिला पंजीयक रायगढ़ द्वारा बचने की कोशिश की जा रही है? यदि हां तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? और नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 9645/शि.शा./वि.स./2025, दिनांक 10.12.25 के द्वारा वृक्षों की कम संख्या दर्शाया जाकर रजिस्ट्री होना संज्ञान में लाए जाने पर, जिला पंजीयक रायगढ़ द्वारा अब तक ग्राम शिवपुरी, जिला रायगढ़ के खसरा नंबर 28/4, 11/2, 12/2, 12/3, 11/4, 28/5, 28/6, 12/6, 30/3/ख, 12/4, 12/9, 12/7, 12/8, 11/1, 11/3, 34/1, 34/2, 14/1, 14/2, 14/6 14/3, 14/5, एवं 28/2 से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण कर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क (3) के तहत कुल 20 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** जिला पंजीयक रायगढ़ द्वारा बचने की कोशिश नहीं की जा रही है, अपितु भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क (3) के तहत मुद्रांक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जिला रायपुर में कीटनाशकों/उर्वरकों के व्यवसाय हेतु जारी बाईसेन्स

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

12. (क्र. 1295) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिले में दिनांक 17/02/2026 की स्थिति में शासकीय नियमों का पालन करते हुए कृषि दवाओं, (कीटनाशक), जैविक खाद एवं उर्वरक हेतु एवं सब्जी बीज, व्यवसाय के लिए कितने लायसेंस जारी किये गये हैं? विस्तारपूर्वक जानकारी दें? **(ख)** प्रशांश "क" अनुसार संचालित दुकानों में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985

कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियम 1971 तथा बीज गुण नियंत्रण आदेश, 1983 के उल्लेखित प्रावधान अनुसार नियमित रूप से उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में कब-कब जांच की गई है? जांच में पाई गई कमी पर क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर जिले में दिनांक 17.02.2026 की स्थिति में कीटनाशक विक्रय हेतु 928 एवं उर्वरक जैविक खाद् विक्रय हेतु 493 तथा सब्जी बीज व्यवसाय के लिये 82 लायसेंस जारी किये गये हैं। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र- ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार संचालित विक्रय केन्द्रों में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में निहित प्रावधान अनुसार विभागीय कीटनाशी एवं उर्वरक निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में की गई जांच, पाई गई कमी एवं की गई कार्यवाही की वर्षवार, विक्रय केन्द्रवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।**

प्रदेश की मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाने में व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

13. (क्र. 1296) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश की कितनी कृषि उपज मंडी समितियों को फल सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन प्रदाय की गई है? इसे कब-कब क्रय किया गया तथा इसमें कितनी राशि व्यय की गई? पूर्ण विवरण दें? (ख) फल सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीनों तथा अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं तो इनके क्रय का क्या औचित्य था? (ग) दिनांक 17/02/2026 की स्थिति में इन मशीनों की क्या स्थिति है? क्या यह ठीक हैं या कंडम हो गई हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा प्रदेश की 22 कृषि उपज मंडी समितियों को 06 फल-सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा 20 अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन प्रदाय की गई है। उक्त मशीनों की क्रय की तिथिवार एवं व्यय राशि का पूर्ण **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) वर्तमान में फल सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन उपयोग की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार की मंशा अनुसार तत्समय छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अपने संसाधनों तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से चिन्हांकित प्रमुख मंडी समितियों में फल सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन प्रदाय कर उपयोग में लाने के लिए पहल की थी। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ग) दिनांक 17.02.2026 की स्थिति में फल सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन तथा अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन उपयोग की स्थिति में नहीं है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

प्रदेश हेतु प्रावधानित बजट एवं लैप्स राशि

[वित्त]

14. (क्र. 1336) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के कुल बजट का प्रावधान कितना था? (ख) उक्त बजट वर्षों में वास्तविक व्यय कितना हुआ? (ग) कितनी राशि लैप्स हुई है? लैप्स हुई राशि का वर्ष एवं विभागवार विवरण क्या है? (घ) उक्त बजट वर्षों में शामिल कोटा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से कार्य वित्त विभाग में लंबित हैं? किन-किन कारणों से लंबित हैं? बजट वर्ष, कार्य का नाम एवं राशि के लंबित होने के कारण सहित विवरण क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के मुख्य बजट का प्रावधान क्रमशः 1,47,446 करोड़ एवं 1,65,000 करोड़ है। (ख) एवं (ग) बजट वर्ष 2024-25 में कुल वास्तविक व्यय 1,45,742 करोड़ है तथा 2025-26 के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2026 की समाप्ति के उपरांत उपलब्ध होगी। बजट एक अनुमान है तथा विभागों द्वारा इन प्रावधानों के विरुद्ध वास्तविक आवश्यकता/औचित्य के अनुसार व्यय किया जाता है। वर्ष के अंत में अव्ययित राशि का समर्पण महालेखाकार को प्रेषित की जाती है। जिसके आधार पर विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2024-25 के बचत राशि का विवरण प्रपत्र अनुसार संलग्न है। (घ) प्रश्नांश 'घ' के संबंध में जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों का रख-रखाव

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 1362) श्रीमती गोमती साय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जशपुर जिले में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कब-कब एवं किन-किन स्थानों पर किया गया है? विधानसभावार विवरण दे? (ख) उक्त आवासीय परिसरों के रख-रखाव (मेंटेनेन्स) की जिम्मेदारी वर्तमान में किस संस्था/विभाग के पास है? (ग) विगत तीन वर्षों में रख-रखाव मद में वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? (घ) उक्त आवासीय परिसरों के समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है एवं इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)उक्त आवासीय परिसरों का कार्य पूर्णता तिथि से पी.जी. अवधि तीन वर्ष तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का अनुबंध के तहत रख-रखाव की जिम्मेदारी रहता है। तत्पश्चात लोक निर्माण विभाग जशपुर द्वारा किया जाना है।(ग)लोक निर्माण विभाग, जशपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, विगत वर्षों में अलग से रख-रखाव मद में राशि स्वीकृत नहीं हुई। जानकारी निरंक है।(घ)लोक निर्माण विभाग, जशपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, समुचित रख-रखाव मरम्मत हेतु वार्षिक संधारण मद के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कार्य योजना प्रस्तावित कियाजारहाहै।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

फ्लाई ऐश के माध्यम से पुनर्भरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तूरी द्वारा प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (क्र. 1638) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 31.01.2026 तक की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी द्वारा फ्लाई ऐश के माध्यम से भूमि/क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक अनुमति का वर्षवार एवं प्रकरणवार अनुमति दिनांक आवेदक का नाम एवं पता व पुनर्भरण का स्थान (ग्राम, खसरा नंबर, रकबा) फ्लाई ऐश की स्वीकृत मात्रा, पुनर्भरण का उद्देश्य, अनुमति की वैधता अवधि सहित विवरण देवें। (ग) क्या उक्त अनुमतियाँ प्रदान करते समय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फ्लाई ऐश अधिसूचना, तथा संबंधित विभागों (पर्यावरण/खनिज/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था? यदि हाँ, तो उनका विवरण देवें। (घ) क्या फ्लाई ऐश पुनर्भरण स्थलों का निरीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण अधिकारी का नाम तथा की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तूरी से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में फ्लाई ऐश के माध्यम से

भूमि/क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।(ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।(ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।(घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।

सारंगढ़ में रायगढ़ जिला के उद्योगो द्वारा फ्लाईएश की अवैध डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

17. (क्र. 1646) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सारंगढ़ कुटेला के पुराने पत्थर खदानों में किसकी अनुमति से फ्लाईएश डंपिंग का कार्य किया जा रहा है, इन जल श्रोतों को नुकसान पहुँचाने वाले ठेकेदारो व उद्योगो तथा सम्बंधित अनुमति देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कुटेला में पुराने पत्थर खदानों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फ्लाई ऐश डंपिंग हेतु अनुमति नहीं दी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बिलासपुर जिला अंतर्गत छात्र गृह योजना हेतु प्राप्त आवेदन

[आदिम जाति विकास]

18. (क्र. 1654) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या यह सत्य है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में बिलासपुर जिला अंतर्गत छात्र गृह योजना (आवास सहायता) के तहत अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए अथवा शून्य आवेदन प्राप्त हुए? वर्षवार प्राप्त कुल आवेदनों, पात्र एवं अपात्र आवेदनों का विवरण प्रदान करें? **(ख)** उक्त तीनों वर्षों में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किन-किन माध्यमों का उपयोग किया गया? इस मद में वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई? यदि प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है? **(ग)** छात्र गृह योजना के अंतर्गत प्रति छात्र प्रतिमाह कितनी राशि स्वीकृत है? वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कुल कितने छात्रों को भुगतान किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई? भुगतान किस माध्यम (डीबीटी/बैंक अंतरण) से किया गया? **(घ)** उक्त योजना हेतु निर्धारित पात्रता की शर्तें क्या हैं? **(ङ)** वर्ष 2025-26 में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जिला बिलासपुर द्वारा छात्रगृह योजना (आवास सहायता) के प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न शिविरों में विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** छात्रगृह आवास योजना निर्देश 2001 अनुसार विद्यार्थियों के आवास हेतु चयनित किराये के भवन का किराया भुगतान किया जाता है। पृथक से विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई राशि प्रदाय नहीं की जाती है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** छात्रगृह की स्थापना अंतर्गत कम से कम 05 छात्र/छात्रा एक साथ रहने के लिए तैयार हो (अधिकतम सीमा नहीं) जिसके लिए उनका लिखित आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होना आवश्यक है। छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश की पात्रता जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में कक्षा ग्यारहवी या इससे ऊपर की कक्षा में प्रवेश लिया हो, तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता रखता हो।**(ङ.)** योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं

अधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु समस्त जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्व्यावन" \]](#)

प्लास्टिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले कचरे के विनष्टीकरण की प्रक्रिया

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 1658) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले कचरे के विनष्टीकरण हेतु नियम अधिनियम बनाए गए हैं? **(ख)** यदि हां तो नगरीय निकायों और पंचायत द्वारा किन-किन नियमों का पालन किया जाता है? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** अनुसार नगरीय निकायों और जिला पंचायतों द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे के विनष्टीकरण हेतु लागू अधिनियम, नियम, विभागीय निर्देशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करने हेतु क्या कोई समिति गठित की गई है? यदि हां तो समिति में कौन-कौन सदस्य होते हैं? मॉनिटरिंग की कार्यवाही प्रक्रिया क्या है? जानकारी दें? **(घ)** दुर्ग जिला अंतर्गत नगरीय निकायों और पंचायत विभाग द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों में प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :**(क)**जी हाँ। नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले कचरे के विनष्टीकरण हेतु नियम अधिनियम बनाए गए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं (1) अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 (यथासंशोधित) (2) छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020 (3) छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2023**(ख)**राज्य के नगरीय निकायों और पंचायतों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में उपरोक्त उल्लेखित नियमों का अनुपालन किया जाता है।**(ग)**संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे के विनष्टीकरण हेतु लागू अधिनियम, नियम, विभागीय निर्देशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग करने हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्ष एवं भारसाधक सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सदस्य होते हैं एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स में जिला कलेक्टर अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं। साथ ही नगरीय निकायों के आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस विभाग सदस्य होते हैं। उक्त समितियां समय-समय पर बैठक आयोजित कर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में की गई कार्यवाही की मॉनिटरिंग का कार्य करती है।**(घ)**अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 में दिनांक 14/03/2024 को किये गए संशोधन में जिला पंचायतों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान दिये गए हैं। पूर्व में जिला पंचायतों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने प्रावधान न होने के कारण जिला पंचायत दुर्ग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। दुर्ग जिला अंतर्गत कुल 11 नगरीय निकाय हैं। 11 नगरीय निकायों द्वारा वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

नया रायपुर में शासन द्वारा आबंटित भूमि

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (क्र. 1764) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नया रायपुर में स्कूल/अस्पताल/अन्य संस्थाओं को 01 जनवरी 2019 से अब तक कितनी-कितनी भूमि किन-किन दरों में

दी गई है ? (ख) स्कूल/अस्पताल/अन्य संस्थाओं को दी गई भूमि का नियम शर्त क्या है ? क्या भूमि प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा नियम शर्त का पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) स्कूल/अस्पताल/अन्य संस्थाओं को भूमि का आबंटन छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के नियमों के तहत किया गया है। सामान्यतः आबंटितियों/संस्थाओं द्वारा भूमि आबंटन पश्चात् नियम एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है। जिन आबंटितियों/संस्थाओं द्वारा भूमि आबंटन पश्चात् नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध लीज अनुबंध निष्पादन में विलंब एवं निर्धारित समयावधि में भवन अनुज्ञा प्राप्ति/पूर्णता नहीं किये जाने पर छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत अधिभार के भुगतान हेतु नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के पर्यटन स्थलों में निर्माण/सौंदर्यीकरण कार्य

[पर्यटन]

21. (क्र. 1868) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में किन-किन स्थानों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है? नाम बतावें? वर्ष 2024 से 2025 तक घोषित पर्यटन स्थलों में किन-किन प्रकार के निर्माण-सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार के कार्यों हेतु कितनी राशि के करारे गये हैं ? किन-किन पर्यटन क्षेत्रों में किस-किस प्रकार के कार्य किया जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांक क अनुसार विधानसभा मुंगेली के किन-किन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों /मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कार्य योजना बनाकर किन-किन कार्यों हेतु कुल कितनी राशि दिनांक 17/02/2026 तक स्वीकृत की गई है तथा किया जाना है? कार्यवार राशिवार जानकारी दें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के ग्राम सेतगंगा एवं माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर-ग्राम डोंगरीगढ़ को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन स्थल चिह्नंकित किया गया है। उपरोक्त चिह्नंकित स्थलों हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2024 से 2025 तक में कोई निर्माण कार्य नहीं कराए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के अंतर्गत चिह्नंकित उपरोक्त पर्यटन स्थलों में वर्तमान में कोई पर्यटन विकास कार्य प्रस्तावित नहीं है। (ख) उत्तरांश "क" में चिह्नंकित पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा दिनांक 17/02/2026 तक सेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु रु. 5.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं। मुंगेली जिले में स्थित मदकू द्वीप का उत्खनन पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में करवाया गया था। उक्त स्थल को राज्य संरक्षित घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उत्खनित संरचनाओं के मरम्मत/संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 99,000.00 (निन्यानवे हजार) स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि

[पशुधन विकास]

22. (क्र. 1887) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 2021-22 से 17/02/2026 तक प्राप्त राशि की जानकारी दिनांकवार दें ? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि से किसकी-किसकी अनुशंसा से किया गया है? जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार, कार्यवार, खरीदी गई सामग्रीवार दें ? (ख) क्या उक्त

योजना अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग में या कार्यों पर किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्रक्रिया भारत सरकार के एन.एल.एम. पोर्टल में आनलाईन होती है, जिसमें हिताग्राहीयों के द्वारा स्वयं आनलाईन आवेदन किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत अनुदान की राशि सीधे हिताग्राहीयों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। जनवरी, 2021-22 से 17/02/2026 तक योजनांतर्गत जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला हेतु भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ख) निरंक।

नेफेड के द्वारा मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के तहत खाद्यान्नों का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

23. (क्र. 1888) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 से 17/02/2026 तक राष्ट्रीय राज्य कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के द्वारा मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के अंतर्गत कौन-कौन से खाद्यान्नों की कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब खरीदी की गई है ? दिनांकवार, खाद्यान्नवार जानकारी देवें? खरीदी हेतु गुणवत्ता परीक्षण के कार्य हेतु पदस्थ किये गये कर्मचारी/अधिकारियों के नाम/पदनाम सहित जानकारी देवें तथा परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्डों की जानकारी देवें ? (ख) क्या खरीदी उपरांत परिक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्नों को निरस्त किया गया है ? यदि हां तो स्वीकृत/निरस्त की जानकारी जिलेवार, खाद्यान्नवार, मात्रावार एवं खरीदी उपरांत किये गये भुगतान की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23 से 17/02/2026 तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत खरीदी की गई खाद्यान्नों की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीदी हेतु गुणवत्ता परीक्षण के कार्य हेतु पदस्थ किये गये कर्मचारी/अधिकारियों के नाम/पदनाम सहित जानकारी तथा परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्डों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) जी नहीं, खरीदी उपरांत गोदामों में भंडारण हेतु लाये गये खाद्यान्नों स्कंधों का परीक्षण उपरांत निरस्त नहीं किया गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

24. (क्र. 1895) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कितनी योजनाएं संचालित हैं ? जानकारी देवें ? (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के बजट प्रावधान में जिला-बालोद को कितनी-कितनी राशि किन-किन मद से किन-किन योजनाओं हेतु आबंटन किया गया है ? योजनावार, राशिवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) क्या विभाग द्वारा शासकीय उद्यानरोपणी के उत्थान एवं संचालन हेतु विभागीय बजट का प्रावधान है? यदि हाँ तो बालोद जिले के किन-किन उद्यान रोपणी हेतु वर्ष 2024 से 17/02/26 तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी है ? उद्यान रोपणीवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला-बालोद को योजनावार आबंटित राशि की मदवार/विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ग) जी हाँ, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत शासकीय उद्यान रोपणी के उत्थान एवं संचालन हेतु विभागीय बजट का प्रावधान है। प्रश्नाधीन अवधि में जिला-बालोद को रोपणीवार आबंटित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

जिला बालोद में पशुधन विकास विभाग की संचालित योजनाएं

[पशुधन विकास]

25. (क्र. 1896) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद में कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय संचालित हैं ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्तमान में भवन की स्थिति क्या है ? संचालित पशु चिकित्सालय /औषधालयों का स्वीकृत सेटअप क्या है ? वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पदनाम, कार्य सहित विकासखण्डवार, चिकित्सालयवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** पशुधन विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2023 से 2025 तक जिला बालोद में कितने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ, कितनी-कितनी सब्सिडी पर दिया गया है? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बालोद में 14 पशु चिकित्सालय एवं 45 पशु औषधालय संचालित है। **(ख)** प्रश्नांक (क) के अनुसार वर्तमान में पशु औषधालय पीपरछेड़ी, निपानी, केंवट नवागांव, बोहारा, कंवर, बड़भूम, पशु चिकित्सालय डौण्डीलोहारा एवं मंगचुवा के भवनों की स्थिति जर्जर है, तथा पशु औषधालय भानपुरी, बेलौदा एवं पशु औषधालय पेण्डी भवन विहीन है। जिला बालोद में संचालित पशु चिकित्सालय / औषधालयों का स्वीकृत सेटअप तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की पदनाम, कार्य सहित विकासखण्डवार, चिकित्सालयवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** (ग) जिला बालोद में पशुधन विकास विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी तथा वर्ष 2023 से 2025 तक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को दी गई सब्सिडी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

कांकेर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

[पर्यटन]

26. (क्र. 1907) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पर्यटन विभाग के द्वारा कांकेर जिले में कौन-कौन से निर्माण कार्य कहां - कहां पर स्वीकृत किये गये हैं? जानकारी लागत राशि व पूर्ण/ अपूर्ण की स्थिति सहित दें? **(ख)** विभाग के द्वारा कांकेर जिले में ऐसे कितने स्थानों को चिन्हांकित किया गया है जिन्हें भविष्य में पर्यटन केंद्र के रूप विकसित किया जाना है? स्थलों के नाम सहित जानकारी दें ? यदि चिन्हांकन नहीं किया गया है तो क्या निकट भविष्य में सर्वे करवा कर पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा? यदि हां तो कब तक ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा कांकेर जिले में स्वीकृत कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -अ** अनुसार है। **(ख)** पर्यटन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा जिला कांकेर में चिन्हांकित पर्यटन स्थल की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। जिसे भविष्य में

आवश्यकतानुसार एवं बजट उपलब्धतानुसार विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही भविष्य में प्रदेश में नवीन स्थलों का सर्वे कराकर जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जायेगा एवं बजट उपलब्धतानुसार उन्हें विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" \]](#)

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

27. (क्र. 1908) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 एवं 2025 में कुल कितने किसानों ने बीमा करवाया था तथा कितने किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश क के अनुसार किसानों को फसल बीमा के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? जानकारी वर्षवार देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। मौसम खरीफ वर्ष 2024 एवं खरीफ 2025 में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलो यथा भानुप्रतापपुर, चारामा एवं दुर्दूकोंदल अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले तथा बीमा दावा भुगतान प्राप्त करने वाले कृषको की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार बीमा दावा के रूप में कृषको को भुगतान की गई राशि की वर्षवार, मौसमवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं में व्यय राशि

[आवास एवं पर्यावरण]

28. (क्र. 1910) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में विगत 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कितनी योजनाएँ स्वीकृत की गईं? योजना-वार स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का वर्ष-वार विवरण दें? (ख) राज्य के कितने शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं वैज्ञानिक लैंडफिल स्थापित हैं? कितने स्थानों पर स्वीकृति है परंतु कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? (ग) केंद्रीय मानकों के अनुसार प्रदूषण स्तर से अधिक पाए गए शहरों की संख्या कितनी है? ऐसे शहरों में सुधार हेतु क्या ठोस कार्यवाही की गई तथा उसका परिणाम क्या रहा? (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निकायों को दी गई राशि में से कितनी राशि उपयोग नहीं हो पाई? कारण सहित विवरण दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है चूंकि वन पर्यावरण के अभिन्न अंग है अतः विभाग में वनो के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न वानिकी योजनाएं संचालित है। संचालित योजनाएं स्वीकृत एवं व्यय राशि तथा भौतिक प्रगति का वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** राज्य में विगत 05 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत मिशन 2.0, स्मार्ट सिटी मिशन, 15 वित्त आयोग, राज्य बजट अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये गये है। योजनावार स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल में राज्य शासन की योजना संचालित नहीं है। अपितु केन्द्र शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण न्यूनिकरण के लिये सहायता कार्यक्रम संचालित था। योजनावार स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ख)** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में 12 निकायों में 21 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 170 निकायों में 377 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तथा 2 निकायों में 2 वैज्ञानिक लैंडफिल स्थापित है। वर्तमान में 84 निकायों में 129 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य स्वीकृत है तथा नवीन 18 निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्वीकृत है। उक्त सभी कार्य वर्तमान में निविदा प्रक्रिया स्तर पर/ प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त ग्राम केसदा, जिला-बलोदा बाजार-भाटापारा में परिसंकटमय अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु संयुक्त परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भण्डारण एवं निपटान सुविधा (सी.एच.डब्ल्यू.टी.एस.डी.एफ.), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के सुरक्षित प्रसंस्करण हेतु ग्राम- बख्तारा (गोढ़ी) आरंग में ई-अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तथा जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा (सी.बी.डब्ल्यू.टी.डी.एफ.) 04 शहरों (अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर एवं रायपुर) में स्थापित है एवं 01 शहर (कोरबा) में प्रस्तावित है। **(ग)** केंद्रीय मानकों के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम 10 की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पाए गए शहरों की संख्या 03 है, राज्य में औद्योगिक जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु उद्योगों में आवश्यकता अनुसार औद्योगिक दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.), न्यूट्रीलाईजेशन/सेटलिंग टैंक की स्थापना की गई है। इसी तरह घरेलु जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की स्थापना की गई है। उद्योगों में वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यकता अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा ई.एस.पी./बैग फिल्टर/डस्ट कलेक्टर/वेट स्क़बर/जल छिड़काव व्यवस्था एवं उद्योग परिसर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य के निकायों में जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु एस.टी.पी. निर्माण का कार्य, नदियों के किनारे वृक्षारोपण, जल संचयन का कार्य, नगरीय ठोस अपशिष्ट का नदियों में मिलने से रोकना एवं नगरीय क्षेत्रों के तालाबों का पुनरूद्धार कार्य किये जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु नई सड़कों का निर्माण, बी.टी. टॉपिंग कार्य, गढ़दो का मरम्मत, फव्वारा स्थापना एवं सड़कों को धूल रहित करने के लिए पानी छिड़काव किये जा रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत रायपुर, भिलाई एवं कोरबा शहर में रोड पक्कीकरण, वृक्षारोपण, सड़कों की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, उद्यान विकास, जन जागरूकता गतिविधियां, ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण, पृथक्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण, सड़क चौड़ीकरण आदि कार्य कराये गये हैं। उक्त कार्यों से भिलाई शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार अवलोकित हुआ है। **(घ)** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निकायों को प्रदाय राशि के विरुद्ध निरंतर स्वीकृति प्रदाय की जाती है, जिसके अनुसार निकाय द्वारा राशि का उपयोग किया जा रहा है। अतः राशि उपयोग नहीं हो पाने का प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

29. (क्र. 1923) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 1 जनवरी, 2024 से 17/02/26 तक कृषि उपज मंडी समिति-नैला एवं कृषि उपज मंडी समिति-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) अंतर्गत मंडी बोर्ड, मंडी निधि, विपणन विकास निधि अनुदान एवं अन्य मद से कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत राशि से, कहां-कहां स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? मंडीवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उक्त समितियों में मंडी निधि मद में कितनी-कितनी राशि शेष है? मंडीवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) 1 जनवरी, 2024 से 17/02/26 तक कृषि उपज मंडी समिति-नैला जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत मंडी बोर्ड एवं अन्य मद से कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। मंडी निधि से कुल 41 कार्य लागत रू. 1038.91 लाख के स्वीकृत किये गये। लागत राशि से स्वीकृत कार्यों के अद्यतन स्थिति की मंडीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** कृषि उपज मंडी समिति-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) अंतर्गत मंडी बोर्ड एवं विपणन विकास निधि अनुदान, अन्य मद से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। मंडी निधि से, कुल 59 कार्य कुल राशि रू. 927.25 लाख के स्वीकृत किए गए। लागत राशि से स्वीकृत कार्यों के अद्यतन स्थिति की मंडीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**(ख) मंडी समिति नैला के मंडी निधि मद में राशि रू. 891.78 लाख एवं मंडी समिति अकलतरा के मंडी निधि मद में राशि रू. 268.31 लाख शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

जांजगीर-चाम्पा जिले में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री की खरीदी

[आदिम जाति विकास]

30. (क्र. 1924) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 17/02/26 तक जेम पोर्टल के माध्यम से कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस दर पर, किन-किन फर्मों के माध्यम से क्रय की गई है? सामाग्रियों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रशंसा **(क)** अवधि में क्रय की गई सामाग्रियों में भ्रष्टाचार/अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई अथवा संज्ञान में आई? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

विदेशी बैंको से लिए गए ऋण

[वित्त]

31. (क्र. 1930) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2024 से 17/02/26 तक राज्य सरकार ने किन-किन विदेशी बैंको या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कितना कर्ज लिया है? विदेशी बैंकों से लिए गए इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है? क्या यह निश्चित दर पर है या फ्लोटिंग दर पर है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** विदेशी बैंकों से प्राप्त इस राशि का उपयोग किन-किन विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है? क्या इन परियोजनाओं के लिए विदेशी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को कितने समय-सीमा में पूरा कर लिया जावेगा? विभागवार विवरण देवें? **(ग)** विदेशी ऋण लेने के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुमति का विवरण क्या है? क्या राज्य सरकार ने इन ऋणों के लिए कोई शासकीय गारंटी दी है? क्या विदेशी ऋण की बढ़ती मात्रा से राज्य के ऋण-जीएसडीपी अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? आगामी 05 वर्षों में इन ऋण वापसी के लिए सरकार की क्या योजना है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत, राज्य सरकार को बाह्य ऋण लेने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी विदेशी ऋण बहुपक्षीय विकास बैंकों के माध्यम से 'बैक-टू-बैक' आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। राज्य शासन ने इन ऋणों के लिये कोई शासकीय गारंटी नहीं दी

है। विदेशी ऋण की मात्रा में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। मूलधन एवं ब्याज की अदायगी संचित निधि पर भारित होती है, अतः आगामी 5 वर्षों के वार्षिक बजट में भी मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

बालोद जिले में किसानों का फसल बीमा भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

32. (क्र. 1932) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बालोद जिले में खरीफ 2024-25, 2025-26 के दौरान कितने किसानों का फसल बीमा किया गया था और कितने किसानों को फरवरी 2026 तक दावा (CLAIM) राशि का भुगतान किया गया है? **(ख)** जिले के उन किसानों की संख्या कितनी है जिनका बीमा दावा तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। प्रदेश में कृषि फसलो के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रश्रांकित अवधि में बालोद जिले से संबधित तहसीलो में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले एवं बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की योजनावार, वर्षवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

(ख) प्रश्रांश "क" की अवधि में बीमा क्रियान्वयक कंपनियो द्वारा तकनीकी कारणों से किसी भी किसान का फसल बीमा दावा खारिज नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन विभाग के होटल/मोटल/रिसोर्ट का संचालन

[पर्यटन]

33. (क्र. 1933) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन विभाग के कुल कितना होटल/मोटल/रिसोर्ट है एवं इनको किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है ? विवरण देवें? **(ख)** क्या यह सत्य है कि अनेक होटल/मोटल/रिसोर्ट को निजी संस्थानों को दिया गया है ? यदि हां, तो किनको व किन प्रक्रियाओं के तहत ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :**(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन विभाग के कुल 02 होटल, 21 मोटल, 18 रिसोर्ट है एवं इनके संचालित/अधिपत्य का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जी हां। यह सत्य है, कि 15 मोटलों एवं 01 रिसोर्ट को निजी संस्थानों को दिया गया है । उक्त को निविदा प्रक्रिया के तहत आधिपत्य सौपा गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

आदिम जाति विकास विभाग में परियोजना कार्यालयों को राशि आबंटन

[आदिम जाति विकास]

34. (क्र. 1934) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में संचालित परियोजना कार्यालयों को शासन द्वारा कितनी -कितनी राशि आबंटित की गई है ? मदवार विवरण देवें ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा शासन से प्राप्त आबंटन को नियम विरूद्ध खर्च किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं में और कार्यों में ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

संस्कृति विभाग द्वारा शासकीय आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यय राशि

[संस्कृति]

35. (क्र. 1935) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीज त्यौहारों एवं सरकारी आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है ? (ख) सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य के व राज्य से बाहर के कितने सांस्कृतिक समूहों/कलाकारों को किन-किन समयों पर प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है तथा कितनी-कितनी धनराशि दी गई? विवरण दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीज त्यौहारों एवं शासकीय आयोजनों में 2418 सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुल 17,25,57,346/- (सतरह करोड़ पचीस लाख सतावन हजार तीन सौ छयालिस) मात्र राशि व्यय किया गया है। (ख) राज्य के 525 समूहों / दलों को जनप्रतिनिधियों के मांग अनुसार मेला मण्डई, समारोह, महोत्सव, नवरात्र, दशहरा, घासीदास जयंती, माघी पूर्णिमा अन्य तीज त्यौहारो पर तथा विभागीय आयोजन पावस प्रसंग, रंग तरंग, रंग परब, हरेली, लोकरंग पर्व, राज्योत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रदर्शन का अवसर दिया गया। इस हेतु राशि 11,59,73,800/- (ग्यारह करोड़ उनसठ लाख तिहत्तर हजार आठ सौ) स्वीकृत की गई। राज्य से बाहर 17 समूहों / दलों को बस्तर पण्डुम, कौशल्या महोत्सव, राज्योत्सव, वस्तर लोकोत्सव, विधानसभा, राजभवन, राजिम कुंभ में प्रदर्शन में अवसर प्रदान किया, इस हेतु राशि 5,65,83,546/- (पांच करोड़ पैंसठ लाख तिरासी हजार पांच सौ छयालिस) व्यय किया गया।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिला गरियाबंद अंतर्गत कराए गए कार्य

[आदिम जाति विकास]

36. (क्र. 2026) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिला गरियाबंद अंतर्गत किन किन ग्रामों में सोलर हाई मास्ट लाइट, बोर खनन का कार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांक 'क' में वर्णित कार्यों का कार्यवार भौतिक स्थिति बताएं? क्या समस्त स्वीकृत कार्यों का भुगतान कार्यों को पूर्ण करने के पूर्व किया गया है? (ग) छात्रावास/आश्रमों में उपरोक्त कार्यों में क्या गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है? ग्रामवार, कार्यवार, लागतवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' में वर्णित कार्यों का कार्यवार भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। समस्त स्वीकृत कार्यों का 50 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप के कार्य करने हेतु फर्म को भुगतान किया गया है। कार्य पूर्णता उपरांत शेष राशि का भुगतान किया गया है। (ग) गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

पशुधन विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं

[पशुधन विकास]

37. (क्र. 2034) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पशुधन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं

की जानकारी देवें? योजनावार केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण वर्षवार देवें? **(ख)** वर्ष 2025-26 में बस्तर जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, कार्यक्रम, शिविरों के संबंध में तिथिवार स्थान सहित विवरण देवें? इस हेतु विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण किए गए पशु पक्षियों की संख्या विकासखण्डवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** पशुधन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त एवं व्यय राशि के विवरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख)** वर्ष 2025-26 में बस्तर जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, कार्यक्रम, शिविरों के संबंध में तिथिवार स्थानसहित विवरण तथा प्राप्त, व्यय एवं शेष राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण किये गये पशु पक्षियों की संख्या की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

छ.ग. के देवस्थलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए स्वीकृत बंटन एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

38. (क्र. 2036) श्री बघेल लखेश्वर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छ.ग. में विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में देवस्थलों व प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत बंटन व व्यय की स्थिति स्वीकृत वर्ष सहित कार्यवार जिलेवार जानकारी बतावें? **(ख)** स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति बताने की कृपा करेंगे?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा पैक हाउस निर्माण की स्वीकृति एवं भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

39. (क्र. 2053) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्रांश कितना प्राप्त हुआ? राज्यांश कितना जारी हुआ? कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई? कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? वर्षवार बतावें? **(ख)** एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक कितने पैक हाउस स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? कितने हितग्राहियों द्वारा स्थापना कार्य पूर्ण कर लिया गया? कितने हितग्राहियों को अनुदान राशि भुगतान कर दी गयी? सम्पूर्ण जानकारी वर्षवार, जिलेवार, देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 दिनांक 20.02.2026 की स्थिति में) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत राशि रु. 13250.00 लाख केन्द्रांश एवं राशि रु. 8833.34 लाख राज्यांश जारी हुआ। कुल राशि रु 22083.34 लाख की स्वीकृत प्राप्त हुई है। राशि रु. 16094.79 लाख का व्यय किया गया तथा राशि रु 5988.55 लाख शेष है। वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 386 पैक हाउस की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2025-26 में दिनांक 20.02.2026 की स्थिति में अब तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 2024-25 में 343 हितग्राहियों द्वारा स्थापना कार्य पूर्ण करने पर हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - छैसठ"]

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में आवासीय विद्यालय की स्थापना

[आदिम जाति विकास]

40. (क्र. 2085) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में नीति आयोग के मसौदे के अनुरूप अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला में टीएसपी बजट उपयोजना अन्तर्गत आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कोचिंग मार्गदर्शन एवं तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थान स्थापित किये गये हैं? यदि हां तो विवरण देवें ? (एकलव्य आवासीय विद्यालय को छोड़कर) **(ख)** यदि नहीं तो कब तक स्थापित किये जायेंगे? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) बजट अंतर्गत आवासीय विद्यालय के रूप में शासकीय आश्रम शालाएं एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त आश्रम शालाएं, अनुदान प्राप्त अशासकीय आवासीय विद्यालय, पोटा कैबिन, पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श बालक आवासीय विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालय स्थापित/संचालित है। इसी प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण अंतर्गत कौशल विकास केन्द्र, लाईवलीहुड कालेज, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी संस्थाएं स्थापित/ संचालित हैं। कोचिंग तथा मार्गदर्शन केन्द्र अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय, विज्ञान वाणिज्य शिक्षण केंद्र, शासकीय सेवाओं में चयन की तैयारी हेतु कोचिंग के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, खेल संबंधी प्रशिक्षण/ कोचिंग हेतु क्रीड़ा परिसर जैसी संस्थाएं स्थापित/संचालित हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थान के रूप में इंजीनियरिंग महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग महाविद्यालय इत्यादि स्थापित/संचालित हैं। **(ख)** उपरोक्तानुसार अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में संस्थाएँ संचालित की जा रही है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य तथा मापदंड के अनुरूप प्रस्ताव TSP में प्रावधानित होने पर स्वीकृति की दशा में नवीन संस्थाएँ स्थापित की जाती है।

ई-वे बिल जांच द्वारा पेनाल्टी के रूप में राजस्व की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

41. (क्र. 2092) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिला अंतर्गत राज्य कर (जी.एस.टी) विभाग द्वारा जनवरी, 2025 से दिनांक 17/02/2026 तक ई-वे बिल जांच कर कितने वाहनों पर चालानी/पेनाल्टी की कार्यवाही की गई तथा इन जांचों में कितने राजस्व की वसूली विभाग द्वारा की गई? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अवधि में की गई जांचों में विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत माल भेजनेवाले/प्राप्तकर्ता/परिवहनकर्ता अंतर्गत ई-वे बिल की जांच में कितने-कितने वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर पेनाल्टी की वसूली की गई? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या कार्यवाही के दौरान किसी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता या अवैध वसूली संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** एवं **(ख)** रायपुर संभाग-एक, रायपुर संभाग-दो एवं नवा रायपुर संभाग अंतर्गत राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 17.02.2026 तक ई-वे बिल के अंतर्गत कुल 640 वाहनों पर कार्यवाही कर राशि रू. 8.24 करोड़ की पेनाल्टी वसूल की गई है। ई-वे बिल की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार संधारित नहीं की जाती है। **(ग)** कार्यवाही के दौरान किसी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता या अवैध वसूली संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत फर्मों द्वारा जमा कर (टैक्स)

[वाणिज्यिक कर]

42. (क्र. 2100) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगाव व केसीजी में जीएसटी विभाग में वर्ष 2023-24 से 17/02/2026 तक कुल कितने फर्म पंजीकृत हैं? कुल पंजीकृत में से कितने फर्म कंपोजिशन का लाभ ले रहे हैं? जानकारी देवें? (ख) जिला राजनांदगाव व केसीजी में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पंजीकृत फर्मों द्वारा कुल कितना टैक्स जमा किया गया है? शेष पंजीकृत फर्मों में से कितने फर्मों द्वारा आई.टी.सी. समायोजन पश्चात नकद टैक्स जमा की जाती है? कितने फर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा पिछले 03 वर्षों में नकद में कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है तथा क्यों नहीं किया गया? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) राजनांदगांव व केसीजी वृत्त में वर्ष 2023-24 से दिनांक 17/02/2026 तक कुल **9185** फर्म पंजीकृत है, जिसमें से **1856** फर्म कंपोजिशन का लाभ ले रहे हैं। (ख) राजनांदगांव व केसीजी वृत्त में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक पंजीकृत फर्मों द्वारा आई.जी.एस.टी. रू. 427.20 करोड़, सी.जी.एस.टी. रू. 243.50 करोड़, एस.जी.एस.टी. रू. 288.00 करोड़ एवं सेस रू. 72.50 करोड़ कुल राशि रू. **1031.20 करोड़** टैक्स जमा किया गया है। 4344 पंजीकृत फर्मों द्वारा आई. टी. सी. समायोजन पश्चात् नगद टैक्स जमा किया गया है। 4569 व्यवसायों द्वारा विगत 03 वर्षों में नगद में कोई टैक्स जमा नहीं किया गया है। कर दायित्व का भुगतान आई.टी.सी. एवं नगद दोनों माध्यम से किया जाता है।

बजट में शामिल कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

[वित्त]

43. (क्र. 2103) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला राजनांदगांव व केसीजी में वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के बजट में शामिल होने के बाद भी कितने निर्माण कार्यों को दिनांक 17/02/2026 तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है और क्यों? कारण सहित वर्षवार जानकारी देवें? (ख) उक्त वर्षों में कितने कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं कितने लंबित है? लंबित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी एवं पूर्ण करने की समयवधि क्या है? वर्षवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला राजनांदगांव व केसीजी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में शामिल कार्य जिनकी दिनांक 17-2-2026 तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, की सूची **संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार** है।(ख) विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में बजट में शामिल जिन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, की सूची **संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार** है। नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा रू. 3 करोड़ के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर रू. 5 करोड़ किया गया है। ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दिनांक 17.02.2026 की स्थिति में वित्त विभाग में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला राजनांदगांव व केसीजी के कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है। बजट में शामिल कार्य एवं राशि बजट अनुमान होते हैं। विभाग अपनी आवश्यकता एवं औचित्य के अनुसार कार्यों की स्वीकृति एवं व्यय करता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विगत तीन वर्षों में मत्स्य पालन से प्राप्त राजस्व

[मछली पालन]

44. (क्र. 2106) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में शासकीय तालाबों का पट्टा किन-किन मत्स्य सहकारी समितियों/व्यक्तियों को प्रदान किया गया? यदि हाँ, तो विकासखंडवार तालाबों की संख्या, रकबा एवं पट्टा अवधि का विवरण क्या है? क्या योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों का चयन निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया? यदि हाँ, तो चयन प्रक्रिया, पात्रता शर्तें एवं लाभान्वित हितग्राहियों की वर्गवार (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) संख्या क्या है? **(ख)** तालाब पट्टा से शासन को वर्षवार कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई तथा लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति कितनी रही? **(ग)** जिले में विगत तीन वर्षों में मत्स्य उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन कितना रहा? लक्ष्य से कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं? **(ड)** क्या विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को बीज, आहार एवं उपकरण हेतु प्रदान की गई अनुदान राशि का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में मत्स्य सहकारी समितियों/व्यक्तियों को पट्टे पर आबंटित शासकीय तालाबों की संख्या, रकबा एवं पट्टा अवधि की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** जी हां, योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन नवीन मछली पालन नीति-2022 में निहित चयन प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तों के मापदण्डों के अनुसार किया गया है। लाभान्वित हितग्राहियों की वर्गवार (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** तालाब पट्टा आबंटन से शासन को वर्षवार प्राप्त राजस्व राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है** तथा विभाग द्वारा राजस्व राशि प्राप्ति हेतु पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। **(ग)** जिले में विगत तीन वर्षों में मत्स्य उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** तालाबों में जलस्तर कम होने के कारण लक्ष्य के विरुद्ध मत्स्योत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। **(ड)** जी हां, विभाग द्वारा मत्स्य पालकों को बीज, आहार एवं उपकरण हेतु प्रदान की गई अनुदान राशि का भौतिक सत्यापन कर वितरण किया गया है। मछली पालन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" \]](#)

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आदिम जाति अंतर्गत संचालित आश्रम, छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

45. (क्र. 2107) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम, छात्रावास, कन्या छात्रावास एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? संस्था-वार स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्या है? **(ख)** वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में उक्त संस्थाओं के भवन निर्माण, मरम्मत, फर्नीचर, भोजन व्यवस्था एवं अन्य मदों हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? संस्था-वार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** उक्त अवधि में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तक एवं साइकिल वितरण की क्या स्थिति है? लाभान्वित विद्यार्थियों की वर्गवार एवं विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(घ)** क्या विभाग अंतर्गत रिक्त पदों (अधीक्षक, शिक्षक, भृत्य आदि) की संख्या कितनी है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(ड)** क्या विभाग द्वारा नवीन छात्रावास/आश्रम स्वीकृत करने अथवा उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत 02 आश्रम 21 छात्रावास संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है।(ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।(ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है। (घ) जिला खैरागढ़- छुईखदान-गंडई में अधीक्षकों के रिक्त पद के विरूद्ध शिक्षा विभाग के शिक्षक अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत है एवं भृत्य/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरूद्ध कलेक्टर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है। रिक्त पदों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "द"** अनुसार है।(ङ) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

रायगढ़ जिला में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना

[आवास एवं पर्यावरण]

46. (क्र. 2129) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ जिलान्तर्गत किन-किन कारणों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है ? वर्तमान में वायु गुणवत्ता सूचकांक में रायगढ़ की कौन सी श्रेणी है ? लगातार बढ़ते प्रदूषण से कौन-कौन सी स्वास्थ्यगत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? लगातार प्रदूषण में बढ़ोतरी न हो और प्रदूषण नियंत्रण में रहे, इसके लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है? जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ शहर में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित दो मापन केन्द्रों से प्राप्त डाटा अनुसार वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुई है। जिससे रायगढ़ शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ना परिलक्षित नहीं होता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के विभागीय व्यय

[वित्त]

47. (क्र. 2130) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन-कौन से विभाग को किस-किस अनुदान मांगों के तहत कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी ? क्या अनुदान मांगों की राशि का पूर्ण व्यय हुआ ? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी अनुदान मांगों का पूर्ण व्यय हुआ ? यदि नहीं तो कौन-कौन से अनुदान मांगों की कितनी-कितनी राशि किस कारण से व्यय नहीं हुई ? जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागों को विभिन्न अनुदान मांगों के तहत आबंटित राशि, व्यय तथा बचत की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। बजट में किये गये प्रावधान अनुमान होते हैं तथा विभागों द्वारा प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक आवश्यकता/औचित्य के अनुसार व्यय किया जाता है। वर्ष के अंत में विभागों द्वारा महालेखाकार को व्यय उपरांत शेष राशि का समर्पण, राशि व्यय नहीं होने के कारण सहित, किया जाता है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त जानकारी के आधार पर विनियोग लेखे तैयार कर विधानसभा पटल में प्रस्तुत किये जाते हैं। विनियोग लेखे 2023-24 विधानसभा में प्रस्तुत किये गये हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा स्वीकृति

[संस्कृति]

48. (क्र. 2142) श्री बालेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से 17-02-26 तक की स्थिति में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से कार्यक्रम/आयोजन के लिए कितनी अनुशंसायें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितनी अनुशंसायें स्वीकृत की गयी हैं ? जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अनुशंसा स्वीकृति के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है? कृपया जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमों/आयोजन में कितने पूर्ण कर लिए गए हैं और कितने प्रक्रियाधीन हैं? जो प्रक्रियाधीन हैं, कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? कृपया, जानकारी दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से 17.02.2026 तक की स्थिति में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से कार्यक्रम के लिए 10,802 अनुशंसायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से 6843 स्वीकृत की गयी है। **(ख)** जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित उत्सव, महोत्सव, आयोजन का अवसर एवं उद्देश्य अथवा सांस्कृतिक पंचाग अंतर्गत पारंपरिक पर्व के अवसर पर अनुशंसा पत्र में उल्लेखित कलाकार दल की वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की अधिकतम सीमा, अनुशंसाकर्ता जनप्रतिनिधि को स्वीकृत कार्यक्रमों की संख्या एवं बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' एवं 'ख' अनुसार 10,802 प्राप्त अनुशंसाओं पर स्वीकृत कार्यक्रम, आयोजन प्रक्रिया पूर्ण कर लिए गये हैं। प्रक्रियाधीन अनुशंसा निरंक है।

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत मछली पालन विभाग में आबंटन

[मछली पालन]

49. (क्र. 2155) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में संचालित मछली पालन विभाग अन्तर्गत वर्ष 2024-25 से जनवरी 2026 तक कौन-कौन से योजना के तहत कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? जानकारी दें। **(ख)** प्राप्त आबंटन से कितनी-कितनी राशि, कौन-कौन से योजना के कौन-कौन से कार्य के लिए व्यय की गयी है? विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी दें। **(ग)** मछली पालन हेतु कौन-कौन से ग्रामों में कितने-कितने तालाबों का निर्माण कितनी-कितनी राशि से किया गया है? कितने तालाब निर्माण हो चुके हैं? कितने अपूर्ण हैं? विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी दें। **(घ)** तालाबों में मछली पालन से कितने ग्रामीण लाभान्वित हुये? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में संचालित मछली पालन विभाग अन्तर्गत वर्ष 2024-25 से जनवरी 2026 तक संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आबंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** प्राप्त आबंटन से विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों के लिए व्यय की विकासखंडवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** मछली पालन हेतु 64 ग्रामों में 64 तालाबों का निर्माण राशि रू. 359.228 लाख से किया गया है तथा अपूर्ण तालाबों की जानकारी निरंक है। विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(घ)** तालाबों में मछली पालन से 64 ग्रामीण लाभान्वित हुये,**जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

विज्ञापन एजेंसियों के चयन एवं शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[पर्यटन]

50. (क्र. 2169) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग व बोर्ड द्वारा पर्यटन प्रचार के लिए विगत 5 वर्षों में विज्ञापन पर कितना-कितना व्यय किया गया? विज्ञापन हेतु

विज्ञापन एजेंसियों का चयन किस प्रकार/पद्धति की प्रक्रिया को अपनाते हुये किया गया है और क्यों? वर्षवार जनकारी देवें। डिजिटल/सोशल मीडिया में प्रचार के लिए कौन-कौन से प्लेटफॉर्म उपयोग में हैं और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे किया गया? जानकारी देवें। **(ख)** पर्यटन विभाग एवं बोर्ड के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2022 से दिनांक 31-01-26 की स्थिति किसके द्वारा, क्या एवं किसको शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर कार्यवाही की गई है और किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी देवें।

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** पर्यटन विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार कर पर्यटकों/आगन्तुकों/आम जनों में छत्तीसगढ़ पर्यटन के प्रति रुझान बढ़ाये जाने के उद्देश्य एवं उन्हें छत्तीसगढ़ में भ्रमण हेतु आकर्षित किये जाने के प्रयास के उद्देश्य से विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाइट, वेबपोर्टल, होर्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ट्रेन, सिनेमा स्क्रीन्स, एल.ई.डी. स्क्रीन्स/एल.ई.डी. टीवी, रेडियो, टीवी चैनल आदि माध्यमों में विज्ञापन प्रकाशन / प्रसारण / प्रदर्शन कर प्रचार किया गया। विगत 5 वर्षों में विज्ञापन पर किये गये व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। विज्ञापन हेतु विज्ञापन एजेंसियों का चयन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में प्राप्त प्रस्तावों का चयन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में गठित समिति द्वारा अवलोकन एवं परीक्षण कर छत्तीसगढ़ संवाद में इम्पैनेल्ड संस्थाओं से छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दर पर तथा डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी (डीएवीपी) / सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन (सीबीसी) द्वार निर्धारित दर होने को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं का चयन विज्ञापन हेतु किया जाता है। डिजिटल / सोशल मीडिया में प्रचार के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यु-ट्यूब एवं एक्स (ट्विटर) का उपयोग किया जाता है। प्रभावशीलता का मूल्यांकन आकर्षक पोस्ट, रील विडियो, लाईक्स, व्यूज, शेयर और फॉलोअर्स के आधार पर किया जाता है। जिसका डिजिटल इम्प्रिंट (Digital Imprint) देखा जा सकता है। **(ख)** छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के अधिकारी श्री श्रीरंग शरद पाठक, के विरुद्ध पत्र दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से श्री राकेश चौबे, पता 34/बी रिकियेशन मार्ग चौबे कालोनी रायपुर द्वारा सचिव, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, एवं प्रबंध संचालक छ.ग. पर्यटन मंडल, को शिकायत किया गया था। शिकायत में लेख किया गया था कि श्री श्रीरंग शरद पाठक (उपमहाप्रबंधक, सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल प्रकरण WP (S) 3713/2019 जो कि दिनांक 15/05/2019 को निर्णित हुआ, में फर्जी दस्तावेज दिनांक 14/08/2013 गढ़ कर एनेक्सजर-पी-20 के रूप में लगाकर, के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने की शिकायत पर अपराधिक मुकदमा दायर करने का निवेदन था। उक्त प्रकरण में श्री राकेश चौबे द्वारा की गई शिकायत पर परीक्षण उपरांत श्री श्रीरंग शरद पाठक (उपमहाप्रबंधक, सेवानिवृत्त) के लेखाधिकारी से उपमहाप्रबंधक पद पर पदोन्नति नियमानुसार, वैद्य मानते हुए उक्त प्रकरण, को नस्तीबद्ध कर दिया गया था तथा समय-समय पर तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 207/1/स्था./प्रशा. / 2021, दिनांक 27.05.2021 एवं पत्र क्रमांक 185/1/स्था./प्रशा./ पर्य./2023, रायपुर दिनांक 28/07/2023 के माध्यम से सचिव, पर्यटन विभाग को अवगत कराया गया है। पर्यटन विभाग एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड स्तर में वर्तमान में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी प्रगति

[पर्यटन]

51. (क्र. 2170) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत पाँच वर्षों में पर्यटन विभाग को आवंटित कुल बजट एवं वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण क्या है? कितनी परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं और कितनी पूर्ण हुईं? अधूरी परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और पूर्ण नहीं होने के

कारण क्या हैं? क्या किसी परियोजना में लागत वृद्धि (Cost Escalation) हुई? यदि हां, तो किस स्तर पर अनुमोदन लिया गया? क्या विभाग की किसी योजना में CAG/आंतरिक ऑडिट द्वारा आपत्तियाँ दर्ज की गईं? उनका निराकरण क्या हुआ? आपत्तियाँ वार जानकारी दें। **(ख)** PPP मॉडल पर विकसित परियोजनाओं की संख्या व उनकी प्रगति क्या है? परियोजनावार जानकारी दें। राज्य में पंजीकृत होटल/रिसॉर्ट की संख्या क्या है? जिलेवार जानकारी दें। कितने निवेश प्रस्ताव MoU स्तर पर लंबित हैं? क्या किसी परियोजना में भूमि आवंटन या निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत हुई? शिकायतवार जानकारी दें।

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विगत पाँच वर्षों में पर्यटन विभाग को आबंटित कुल बजट एवं वास्तविक व्यय का वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। स्वीकृत परियोजनाएँ, पूर्ण की जानकारी एवं अधूरी परियोजनाओं की जानकारी तथा परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रपत्र-बमें दर्शित किसी भी परियोजना में लागत वृद्धि (Cost Escalation) नहीं हुई एवं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृहद निर्माण कार्य मद अंतर्गत कुल राशि 500.00 लाख में राशि ₹. 300.00 लाख हेतु प्राप्त हुई है। निर्माणाधीन एजेंसी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा जारी किया गया जिसमें निविदा दर 12 प्रतिशत अधिक होने के कारण निर्माणाधीन बालक छात्रावास की लागत 3.33 करोड़ हो गयी है, जिसका पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। जी हाँ। AG ऑडिट द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र -स** अनुसार है। **(ख)** PPP मॉडल पर 02 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, जिनकी परियोजनावार प्रगति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -द** अनुसार है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में पंजीकृत होटल/रिसॉर्ट की कुल संख्या 39 है, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-इ** अनुसार है। किसी परियोजना में भूमि आवंटन या निविदा प्रक्रिया अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत योजनाओं के बजट का उपयोग

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

52. (क्र. 2173) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2026 तक की अवधि में चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है? **(ख)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त किस-किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि खर्च नहीं हो सकी/लैप्स हो गई ? वर्षवार बतायें ।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग किया जा रहा है। **(ख)** वर्ष 2024-25 की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** अनुसार है एवं वर्ष 2025-26 की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब** अनुसार है।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं में सब्सिडी का भुगतान

[मछली पालन]

53. (क्र. 2177) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2022-23 से 2025-26 में जनवरी, 2026 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं में (तालाब निर्माण/सुधार, मछली बीज, फीड, एरेशन, मत्स्य परिवहन वाहन, कोल्ड चेन आदि) के अंतर्गत हितग्राहियों को विभाग द्वारा सब्सिडी वितरण पूर्णतः DBT (Direct Benefit Transfer)

के माध्यम से किया जाता है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत भुगतान सीधे लाभार्थी खातों में हुआ? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें। **(ख)** क्या किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सब्सिडी राशि का वितरण लंबित रहा? यदि हाँ, तो लंबित राशि, प्रभावित हितग्राहियों की संख्या, विलंब के कारण बताए? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें। **(ग)** क्या विभागीय ऑडिट/लेखा परीक्षण में हितग्राही चयन अथवा सब्सिडी वितरण में वित्तीय अनियमितता पाई गई है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां, वर्ष 2022-23 से 2025-26 में जनवरी, 2026 तक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को विभाग द्वारा सब्सिडी वितरण पूर्णतः DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाता है। शत प्रतिशत भुगतान सीधे लाभार्थी के खातों में हुआ है। वर्षवार एवं विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं, किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सब्सिडी राशि का वितरण लंबित नहीं रहा है। **(ग)** जी नहीं, विभागीय ऑडिट/लेखा परीक्षण में हितग्राही चयन अथवा सब्सिडी वितरण में वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत वर्तमान लागू फसल बीमा योजना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

54. (क्र. 2178) श्री संदीप साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत वर्तमान में कौन-सी फसल बीमा योजना लागू है? क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत संचालित है? यदि हाँ, तो अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि निर्धारण का आधार, प्रीमियम दर एवं राज्य अंशदान का विवरण वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक विकासखंडवार बताए? **(ख)** क्या फसल क्षति आंकलन हेतु क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इमेजिंग/रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वेक्षण, मोबाइल एप आधारित डेटा एंट्री का उपयोग प्रश्नांश 'क' अंतर्गत जिला में किया गया है? **(ग)** अमानक/दोषपूर्ण बीज के कारण उत्पादन हानि की स्थिति में बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की जवाबदेही, बीमा कंपनी की दायित्व निर्धारण प्रक्रिया, संबंधित कृषि अधिकारी की रिपोर्टिंग प्रणाली क्या है? बीमा दावा (Claim Settlement) के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है? कितने प्रकरणों में 60/90 दिन की समय-सीमा से अधिक विलंब हुआ? विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/बीमा कंपनियों पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला बलौदाबाजार भाटापारा में कृषि फसलो के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। फसल बीमा योजनाओ के अंतर्गत जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत अधिसूचित फसल, प्रीमियम दर एवं राज्य अंशदान का तहसीलवार विवरण **क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** फसल बीमा योजनाओ में बीमित राशि का निर्धारण राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) द्वारा निर्धारित प्रतिवर्ष जिलावार, फसलवार, प्रति हेक्टेयर ऋणमान राशि (स्केल ऑफ फाईनेन्स) के आधार पर राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.आई) की स्वीकृति से किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल क्षति का आंकलन फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) एवं सी.सी.ई. एग्री मोबाइल एप्प आधारित उपज आकड़ों के आधार पर किया गया है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल

बीमा योजनान्तर्गत फसल क्षति का आंकलन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित टर्मशीट में निहित मौसमीय मापदण्डों से राज्य में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त वास्तविक मौसमीय आंकड़ों के विचलन के आधार पर किया गया है। सैटेलाइट इमेजिंग/रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से फसल क्षति का आंकलन का कार्य नहीं किया गया है। (ग) छ.ग. राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था का कार्य केवल प्राप्त बीज नमूनों का परीक्षण कर परिणाम जारी करने तक ही सीमित है। अमानक बीज के कारण उत्पादन हानि की स्थिति में संस्था की कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिसूचित जोखिम यथा-बोवाई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने, स्थानीय आपदा, फसल कटाई उपरांत खेत में सुखाने के लिये फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान तथा अंतिम रूप से फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों को पात्रता के आधार पर बीमा दावा भुगतान किया जाता है। कृषको को फसल बीमा दावा भुगतान के संबंध में क्रियान्वयक बीमा कंपनी का दायित्व है कि फसल क्षति और उपज के आंकड़ों की प्राप्ति पर दावा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई.) के डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जायेगा। इन जोखिमों के अंतर्गत दावा भुगतान की कार्यवाही हेतु रिपोर्टिंग का कार्य यथा जोखिम घटित होने की सूचना 72 घंटे में कृषक से प्राप्त होने के पश्चात कृषि विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख व बैंक वित्तीय संस्थान के अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयक बीमा कंपनी को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे में उपलब्ध करायी जाती है तथा सीसीई एग्री एप्प के माध्यम से फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आकड़े के आधार पर अंतिम दावा भुगतान हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई.) में तथा ऐसे बीमा इकाई, जहां तकनीकी कारणों से फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं हो सके है, की जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त कर कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वयक बीमा कंपनी को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उपज आकड़े राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई.) में दर्ज की जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जोखिमवार बीमा दावा भुगतान हेतु समय-सीमा, ऐसे प्रकरण जिसमें 60/90 दिन की समय-सीमा से अधिक विलंब हुआ, विलंब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/बीमा कंपनियों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार एवं तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा के प्रावधानानुसार प्रतिकूल मौसम यथा अधिक तापमान, कम तापमान, व्याधि अनुकूल मौसम, बेमौसम वर्षा, अधिक वर्षा, कम वर्षा एवं वायुगति से फसल क्षति की स्थिति में क्रियान्वयक बीमा कंपनी का दायित्व है कि राज्य में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्र के माध्यम से प्राप्त मौसमीय आंकड़ों के आधार पर दावा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई.) के डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जायेगा एवं स्थानीय जोखिम यथा ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति की स्थिति में दावा भुगतान की कार्यवाही हेतु रिपोर्टिंग का कार्य यथा जोखिम घटित होने की सूचना 72 घंटे में कृषक से प्राप्त होने के पश्चात उद्यान विभाग, राजस्व एवं भू-अभिलेख व बैंक/वित्तीय संस्थान के अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयक बीमा कंपनी को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे में उपलब्ध करायी जाती है तथा राज्य में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्र के माध्यम से मौसमीय आंकड़ों के आधार पर अंतिम दावा भुगतान हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई.) में दर्ज की जाती है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा दावा राशि का भुगतान फसलवार निर्धारित जोखिम अवधि समाप्ति उपरांत भारत सरकार के विंड्स पोर्टल पर मौसमीय आंकड़ा प्राप्त होने के 21 दिन पश्चात् किया जाता है। प्रश्नांश "क" की अवधि में फसल बीमा दावा भुगतान से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन व लाभार्थी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

55. (क्र. 2181) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कितने लाभार्थी हैं ? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं? विधानसभावार जानकारी दें। **(ख)** कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने किसान पंजीकृत हैं ? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं? विधानसभावार जानकारी दें। **(ग)** उक्त अवधि में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने लाभार्थी किसान द्वारा कुल कितनी राशि का दावा (क्लेम) किया गया है? विधानसभावार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संधारित नहीं की जाती है। कबीरधाम जिले में दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 1,14,992 कृषक पंजीकृत हैं, जिनमें से वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण हेतु क्रमशः 96,662 एवं 99,227 कृषकों द्वारा आवेदन देकर लाभ प्राप्त किया गया। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषको का पंजीकरण नहीं किया जाता है अपितु मौसमवार, वर्षवार एवं फसलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने के इच्छुक कृषको से प्राप्त आवेदनो का परीक्षण कर आवेदनो की राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई) में प्रविष्टि की जाती है एवं जानकारियो का संधारण तहसीलवार किया जाता है। वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले से संबधित तहसीलो में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने इच्छुक कृषको से प्राप्त आवेदन एवं फसल बीमा आवरण से लाभान्वित कृषको की वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावा राशि का क्लैम नहीं किया जाता है अपितु योजना के प्रावधानानुसार फसल क्षति के आधार पर दावा गणना कर पात्र बीमित कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। प्रश्नांश "ख" अनुसार योजना के तहत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको में से बीमा दावा भुगतान हेतु पात्र कृषको की संख्या एवं भुगतान की गई राशि की वर्षवार, मौसमवार एवं तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

जिला कबीरधाम में पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण

[पशुधन विकास]

56. (क्र. 2182) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया है? **(ख)** क्या किसी ग्राम में समय पर टीकाकरण नहीं हो पाने से पशु रोगों का प्रकोप बढ़ने का प्रकरण सामने आया है? यदि हाँ, तो उन ग्रामों के नाम सहित इस पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें। **(ग)** भविष्य में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में रोगवार टीकाकृत पशुओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र**

अनुसार है।(ख) जी नहीं।(ग) भविष्य में जिलें में पशु टीकाकरण का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा सुनियोजित कार्ययोजना निम्नानुसार है- 1. विभागीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा जिलें में सक्रिय पशुधन मित्र/मैत्री को सम्मिलित कर, टीकाकरण दल गठन। 2. पूर्व निर्धारित रोस्टर अनुसार निर्धारित तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी कराकर एवं स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं निकायों के सहयोग से शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना। 3. शिविरों के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के संबंध में जन-जागरूकता अभियान का संचालन।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

महासमुंद जिला अंतर्गत SMSP योजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

57. (क्र. 2184) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP) – बीज ग्राम योजना अंतर्गत किन-किन फसलों हेतु कितना बीज वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना बीज वितरित किया गया? वर्षवार, विकासखंडवार एवं राशि , मूल्य सहित बतायें? **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत बीज निगम द्वारा निर्धारित दर, फसल अवधि, 4% कमीशन घटाकर बीज की वास्तविक दर, योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान की राशि/प्रतिशत, अनुदान का भुगतान किस मद में एवं कितनी राशि दी गई, अनुदान घटाने के पश्चात कृषक अंश की राशि, बीज की मात्रा फसलवार (रबी/खरीफ) तथा बीज निगम को किए गए भुगतान की राशि वर्षवार एवं विकासखंडवार बताएं ? **(ग)** उक्त अवधि में बीज की दर, बीज की गुणवत्ता/खराबी तथा बीज निगम को भुगतान में अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क), (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रदेश में पर्यटन स्थलों के रूप में घोषणा एवं विकास हेतु स्वीकृति

[पर्यटन]

58. (क्र. 2186) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? उन स्थलों पर विकास कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? स्थलवार, जिलावार एवं वर्षवार बतायें? **(ख)** महासमुंद जिले में पूर्व से घोषित एवं नवीन घोषित कितने स्थलों के लिए कितनी राशि प्रश्नांश 'क' के समयावधि तक स्वीकृत की गई है? स्थलवार, कार्यवार एवं वर्षवार बतायें ? **(ग)** महासमुंद जिले में कितने धार्मिक पर्यटन योग्य स्थलों को पर्यटन (धार्मिक) स्थल घोषित करने एवं विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृति के लिए 31 जनवरी 2026 की स्थिति में प्रस्ताव भेजा गया है? उन प्रस्तावों पर कब तक समुचित निर्देश प्रदाय कर दिया जावेगा ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :(क) प्रश्नांकित अवधि में जिला जशपुर के शारदा धाम मंदिर (ग्राम टेढ़ापहाड़, विकासखण्ड दुलदुला) को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है।उपरोक्त चिन्हांकित पर्यटन स्थल के पर्यटन विकास हेतु प्रश्नांकित अवधि में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण पर्यटन विभाग द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। भविष्य में निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जायेगी। **(ख)** जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार महासमुंद जिले में

चिन्हांकित दो पर्यटन स्थलों के लिए प्रश्नांकित अवधि में कुल रु. 79.96 लाख स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की स्थलवार, कार्यवार एवं वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) महासमुंद जिले में कुल सात धार्मिक पर्यटन योग्य स्थलों को पर्यटन (धार्मिक) स्थल घोषित करने एवं विकास कार्यों हेतु राशि स्वीकृति हेतु छः आवेदन पर्यटन विभाग को प्राप्त हुए हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" \]](#)

जिला रायगढ़ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विरुद्ध वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

59. (क्र. 2188) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या जिला रायगढ़ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र चिन्हांकित हैं ? यदि हां, तो इन चिन्हांकित क्षेत्रों में कितना वृक्षारोपण किया जाना था ? कितने क्षेत्रों में वृक्षारोपण जनवरी 2026 की स्थिति में किया गया है तथा कितना शेष है ? क्या उक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है ? यदि हां, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला रायगढ़ अंतर्गत 03 औद्योगिक क्षेत्र चिन्हांकित हैं। उद्योग संचालनालय अंतर्गत अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधर नगर, रायगढ़ रकबा 9.86 हेक्टेयर है तथा ग्रामीण कर्मशाला पुसौर रकबा 0.942 हेक्टेयर अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से स्थापित है। इन क्षेत्रों में उद्योग विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं कराया गया है, तथापि आबंटित भूखण्डों में उद्योगों द्वारा स्वयं अपने भूखण्डों के रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा संचालित नवनिर्मित औद्योगिक क्षेत्र सियारपाली मौहापाली में रकबा 0.442 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित है। वर्ष 2026 में 450 नग वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य है।

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के उत्थान हेतु व्यय राशि

[आदिम जाति विकास]

60. (क्र. 2190) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति कहां कहां निवासरत हैं ? विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? वर्ष 2014 से जनवरी, 2026 तक उनके उत्थान के किन किन योजनाओं के नाम पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा क्या क्या लाभ दिया गया है ? जानकारी देवे? **(ख)** कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जाँच किस-किस अधिकारियों द्वारा की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। संचालित योजनाओं एवं व्यय की गई राशि तथा कार्यों/लाभों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ख)** कार्यों की अद्यतन जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। जी नहीं, शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

संस्कृति विभाग द्वारा लोक कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन/सम्मान राशि

[संस्कृति]

61. (क्र. 2193) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक कलाकारों को पेंशन/सम्मान राशि प्रदान की जाती है? यदि हां,

तो किन-किन योजनाओं के अंतर्गत किन-किन श्रेणियों के लोक कलाकारों को प्रतिमाह/प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने लोक कलाकारों को पेंशन/सम्मान राशि प्रदान की जा रही है? जिलावार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में पेंशन/सम्मान राशि हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत एवं कितने लंबित हैं? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा? **(घ)** कंडिका "क" के अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने लोक कलाकारों को पेंशन दी जा रही है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** संस्कृति विभाग द्वारा लोक कलाकारों को पेंशन/सम्मान राशि प्रदान की जाती है। "ख्यातिप्राप्त अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन)" योजना के अंतर्गत साहित्य और लोक कला की श्रेणी में प्रतिष्ठित अर्थाभावग्रस्त लोक कलाकार/साहित्यकार, या उनके आश्रितों को प्रतिमाह राशि रू. 5,000, प्रतिवर्ष राशि रू. 60,000 प्रदान की जाती है। **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 159 लोक कलाकारों/ साहित्यकारों को पेंशन/सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में पेंशन/सम्मान राशि हेतु कुल 235 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 46 आवेदन स्वीकृत हैं एवं 189 लंबित हैं। लंबित आवेदनों में दस्तावेजों के अपूर्ण होने के कारण आवेदकों से दस्तावेज मंगाये गये हैं। दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् अगामी समिति की बैठक में आवेदन निराकृत किया जाएगा। **(घ)** कंडिका "क" के अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 04 लोक कलाकारों को पेंशन दी जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर" \]](#)

मंदिरों के जीर्णोद्धार, रखरखाव, सुरक्षा एवं संरक्षण कार्य

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

62. (क्र. 2194) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार, रखरखाव, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत बिलासपुर संभाग के कुल कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? **(ग)** कंडिका "क" के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से मंदिर को शामिल किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विभाग द्वारा प्रदेश के मंदिरों के रखरखाव, सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्य नहीं कराया जाता है बल्कि केवल जीर्णोद्धार एवं धर्मशाला निर्माण संबंधी ही कार्य किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश में दर्शित संभाग के जांजगीर-चांपा जिले में 07 सांरगढ़ जिले में 17 एवं गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही जिला में 16 कुल 40 मंदिरों का जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत की गई है। जिला-बिलासपुर अंतर्गत बिरंजीनाथ मंदिर जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव कलेक्टर-बिलासपुर से चाहा गया है। **(ग)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी मंदिर को शामिल नहीं किया गया है।

पशु कल्याण बोर्ड अंतर्गत संचालित इकाईयां

[पशुधन विकास]

63. (क्र. 2198) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में जिलों में पशु कल्याण बोर्ड की ईकाई संचालित हैं ? यदि हाँ, तो उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रदान करें। **(ख)** विभाग द्वारा आवारा पशु के टीकाकरण एवं रोकथाम, तथा हाईवे पर विचरण कर रहे मवेशियों को दुर्घटना से बचाने हेतु शासन की क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? **(ग)** प्रदेश में वर्तमान में

कितने शासकीय/ अशासकीय गो सेवा केंद्र संचालित हैं? क्या उन्हें शासन से किसी भी प्रकार की मदद प्रदाय की जाती है? **(घ)** क्या गौशाला /पशु संधारण केंद्र हेतु शासन द्वारा भूमि संरक्षित किए जाने का कोई प्रावधान है? **(ङ)** क्या कोण्डागांव जिले में नगर पालिका परिषदों अंतर्गत गौशाला स्थित है या उस हेतु कोई भूमि संरक्षित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** जी हॉ, प्रदेश में छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड एवं 28 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति (एस.पी.सी.ए.) संचालित हैं। बोर्ड एवं एस.पी.सी.ए. द्वारा राज्य में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशु क्रूरता संबंधी प्रकरणों का निराकरण, पशु कल्याणकारी कार्य, पालतू पशु दुकानों एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटर का पंजीयन, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (श्वान) की निगरानी, पशु क्रूरता संबंधी प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता कार्यक्रम, पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम/नियमों का पालन किया जाता है। **(ख)** विभाग द्वारा आवारा पशुओं के टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण हेतु शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्षित है, जिसकी पूर्ति हेतु स्थानीय ग्रामवासी, क्षेत्र में सक्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आवारा पशुओं में टीकाकरण की कार्यवाही की जाती है तथा हाईवे पर विचरण कर रहे मवेशियों को दुर्घटना से बचाने हेतु शासन द्वारा गौधाम योजना संचालित है। **(ग)** प्रदेश में वर्तमान में संचालित शासकीय/अशासकीय गौसेवा केन्द्र तथा उन्हे शासन से प्रदाय मदद की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	गौसेवा केन्द्र का विवरण	शासकीय/ अशासकीय	छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग में पंजीकृत (हॉ/नहीं)	शासन से प्रदाय मदद की जानकारी
1	आदर्श गौधाम एवं गोकुल ग्राम झालम जिला बेमेतरा	शासकीय	हॉ	छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा संचालित है जिनमें संरक्षित पशुधन के पालन-पोषण एवं संवर्धन आदि का व्यय गौ सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।
2	गौ सेवा आयोग में पंजीकृत 135 गौशालाओं में से 119 गौशालाएं संचालित	अशासकीय	हॉ	छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग के माध्यम से पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गौवंश पशुओं के पालन-पोषण एवं संवर्धन के लिए अनुदान प्रदाय किया जाता है। अधिकतम राशि रू. 25.00लाख प्रति गौशाला प्रति वर्ष दिये जाने का प्रावधान है।
3	गौ सेवा आयोग में पंजीकृत 11 गौधाम में से 03 गौधाम संचालित	अशासकीय	हॉ	छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग के माध्यम से पंजीकृत गौधाम में संरक्षित गौवंश पशुओं के पालन-पोषण एवं संवर्धन के लिए अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
4	अपंजीकृत 54 गौशाला	अशासकीय	नहीं	शासकीय अनुदान का प्रावधान नहीं है।

(घ) गौशाला/पशु संधारण केन्द्र जैसे गौधाम योजना अंतर्गत पंजीकृत गौधाम हेतु शासन द्वारा भूमि संरक्षित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग में अशासकीय गौशालाओं के पंजीयन हेतु छ.ग. गौ सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधन 2016) के नियम 5 के उप नियम (3) घ अनुसार गौशाला के नाम से पंजीकृत आधा एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। साथ ही शासकीय भूमि जैसे निर्मित गौठानों हेतु संरक्षित भूमि में गौधाम स्थापित किये जाने का प्रावधान है। **(ङ)** कोण्डागांव जिले में नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव अंतर्गत गौशाला स्थित नहीं है और न ही कोई भूमि संरक्षित है।

अनुसूचित जाति, जन जाति की सूची में छूटे हुए जातियों को शामिल किया जाना

[आदिम जाति विकास]

64. (क्र. 2199) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत कितने मोवार/मौवार सहित अन्य कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है तथा उक्त जातियां प्रदेश के किन-किन जिलों में निवासरत है? (ख) प्रश्नांश 'क' हेतु राज्य सरकार द्वारा अथवा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भारत सरकार से किए गए पत्राचार का विवरण दे ? (ग) प्रश्नांश 'क' की समस्या का निराकरण कब तक संभावित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में मोवार/मौवार सहित 21 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में विभिन्न कारणों से शामिल नहीं किया है। उक्त जातियां प्रदेश के जिन-जिन जिलों में निवासरत है की जानकारी पुस्तकालयमें रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति विकास]

65. (क्र. 2202) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- पी.एम. जनमन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी-कितनी राशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुई ? राज्यांश की कितनी राशि जारी की गई ? कितनी व्यय हुई, कितनी शेष है ? स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने के क्या कारण है ? वर्षवार, जिलावार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना में स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति विकास]

66. (क्र. 2205) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में धरती आबा जनजातिय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना संचालित है? यदि हां तो चयनित विकासखण्ड एवं ग्रामों की जानकारी देते हुए किन-किन कार्यों या गतिविधियों के प्रस्ताव राज्य/केन्द्र को प्रेषित किये गये थे एवं उक्त ग्रामों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में योजना के उद्देश्य के पूर्ति हेतु विभिन्न घटकों के लिए किन-किन विकासखण्डों में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? स्वीकृत कार्य की गतिविधिवार/कार्यवार/मदवार, स्वीकृत राशि, भौतिक और वित्तीय प्रस्ताव, स्थलवार, कार्यवार व्यय की वर्षवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हाँ। चयनित विकासखण्ड एवं ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। योजनांतर्गत गतिविधिवार राज्य/केन्द्र को प्रेषित किये गए प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है। विकासखंडवार, गतिविधिवार, कार्यवार, मदवार, स्थलवार एवं वर्षवार स्वीकृत कार्यों तथा स्वीकृत राशि की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति (व्यय सहित) की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-"स" अनुसार है।

किसान सुविधा केन्द्र का संचालन एवं आवश्यक सेटअप

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

67. (क्र. 2206) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव के वि.ख. डोंगरगढ़ ग्राम आलीवारा में संचालनालय कृषि के पत्र क्रं 711 दिनांक 04.10.2023 द्वारा किसान सुविधा केन्द्र के संचालन एवं आवश्यक सेटअप हेतु वित्तीय प्रस्ताव अनुपूरक बजट में प्रावधान करने की अपेक्षा की गई थी तथा विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 25.06.2025 को अपर प्रमुख सचिव (ए.पी.सी.) परीक्षण कर स्वीकृत करें उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं कार्य के समाधान के तारतम्य में संचालक, उपसंचालक कृषि एवं जिला कलेक्टर राजनांदगांव से शासन एवं संचालक अनुसंधान सेवाएं इ.गां.कृषि विश्वविद्यालय व अधिष्ठाता एस के एस.कृषि महाविद्यालय राजनांदगांव को किये गये पत्राचार एवं किये गये कार्यवाही की जानकारी, दिनांकवार, विभागवार, कार्यवाहीवार देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संकलित की जा रही है।

फ्लाई ऐश डंपिंग संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

68. (क्र. 2209) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में फ्लाई ऐश डंपिंग एवं परिवहन के लिए क्या-क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या फ्लाई ऐश से गड्डे भरे जाने का नियम है? यदि हां तो कोरबा एवं सक्ती जिले में वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक कहाँ-कहाँ कितने-कितने गड्डे भरे गये? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश "ख" की अवधि तक सक्ती एवं कोरबा जिले में नियम विरुद्ध कितने जगहों पर एवं कहाँ-कहाँ फ्लाई ऐश डंपिंग एवं परिवहन की कितनी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :**(क)** फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 (यथा संशोधित) वर्तमान में प्रभावशील है। साथ ही उद्योगों से जनित ठोस अपशिष्टों जिनसे परिवहन के दौरान डस्ट उत्सर्जन की सम्भावना हो, के परिवहन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 26.06.2024 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) जारी की गयी है। उपरोक्त अधिसूचना तथा एस.ओ.पी. की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोरबा एवं सक्ती जिले में जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2026 तक राखड़ भराव की दी गई अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" की अवधि तक कोरबा एवं सक्ती जिले में नियम विरुद्ध फ्लाई ऐश का अवैध डंपिंग तथा परिवहन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'स' अनुसार** है।

विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत प्राप्त राशि

[वित्त]

69. (क्र. 2210) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक भारत सरकार की पूंजीगत व्यय के विशेष सहायता योजना SCSCI अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में किन-किन क्षेत्रों में सुधारों हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? पृथक-पृथक

बतावें। (ग) प्रश्नांश "ख" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार की कितनी-कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की पूंजीगत व्यय के विशेष सहायता योजना SAsCI अंतर्गत राज्य शासन को 6103.56 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 की स्थिति में उक्त योजनांतर्गत राज्य शासन को 6339.56 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'ग' के संबंध में वित्त विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी" \]](#)

प्रदेश में मछली पालकों के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें

[मछली पालन]

70. (क्र. 2214) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? संचालित योजनाओं के अंतर्गत मछली पालन करने वाले हितग्राहियों को मछली पालन हेतु कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा कितनी की सब्सिडी राज्य शासन कि योजनाओं एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है ? जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार मछली पालकों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए मछली पालकों के लिए क्या मापदंड है ? जानकारी दें ? (ग) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मछली पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है तथा उन्हें मछली पालन हेतु वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक कितनी राशि सब्सिडी के रूप में दी गई है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में मछली पालकों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। संचालित योजनाओं के अंतर्गत मछली पालन करने वाले हितग्राहियों को मछली पालन हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना विभाग में संचालित नहीं है तथा राज्य शासन की योजनाओं एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाले सब्सिडी की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नवीन मछली पालन नीति-2022 में निहित निर्देशानुसार जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर हितग्राहियों का चयन किये जाने का प्रावधान है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने हेतु पहले आओ, पहले पाओ व समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप चयन का प्रावधान है। (ग) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक 1096 हितग्राहियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मछली पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें मछली पालन हेतु राशि 295.118 लाख सब्सिडी के रूप में दी गई है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी" \]](#)

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धर्मस्व विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य व राशि

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

71. (क्र. 2215) श्री मोतीलाल साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024-2025 से दिनांक 01.01.2026 तक धर्मस्व विभाग द्वारा शासकीय व सार्वजनिक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई वर्षवार, शासकीय एवं सार्वजनिक वार एवं मंदिरवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** राज्य शासन द्वारा कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी ? जिसमें रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय व सार्वजनिक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** प्रश्नांश में दर्शित विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 से दिनांक 01.01.2026 तक शासकीय/सार्वजनिक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित विकास कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

72. (क्र. 2218) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित आर0डी0ए0/हाउसिंग बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जैसे- सामुदायिक भवन/अस्पताल/खेल मैदान/हाई स्कूल निर्माण किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो इस हेतु प्रस्तावित भूमि की विस्तृत जानकारी संभागवार-खसरा नंबर एवं रकबा तथा नगर निवेश द्वारा स्वीकृत ले आउट सहित विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत कितनी जगह पर प्रस्तावित सार्वजनिक प्रयोग हेतु निर्माण कार्य हुआ है अथवा निर्माण होना शेष है ? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत क्या उक्त खसरा नंबर एवं रकबा के अधिग्रहण की शिकायत प्राप्त हुई है तो उस पर विभाग द्वारा की गई ? कार्यवाही की जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में 01 स्थान पर सामुदायिक भवन हेतु भूमि आरक्षित है। स्वास्थ्य/अस्पताल हेतु 11 भूखण्ड विक्रित तथा 02 भूखण्ड आरक्षित है। 210 स्थान पर खेल मैदान/उद्यान की भूमि आरक्षित है। इसी प्रकार शैक्षणिक प्रयोजन हेतु 13 भूखण्ड विक्रित है, 01 प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं 01 पूर्व से निर्मित है। खसरा एवं रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में 04 स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, 01 स्थान पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है, 01 स्थान पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है तथा 01 स्थान पर भूमि आरक्षित है। 04 स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल हेतु आरक्षित एवं 01 स्थान की भूमि विक्रित है। इसी प्रकार 06 स्थानों पर स्कूल संचालित है एवं 03 स्थानों पर भूमि आरक्षित है। खसरा एवं रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** रायपुर विकास प्राधिकरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में 04 स्थान पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है, 01 स्थान पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है, 01 स्थान पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है तथा 01 स्थान पर भूमि आरक्षित है। 04 स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल हेतु आरक्षित एवं 01 स्थान की भूमि विक्रित है। इसी प्रकार 06 स्थानों पर स्कूल संचालित है एवं 03 स्थानों पर भूमि आरक्षित है। **(ग)** रायपुर विकास प्राधिकरण की जानकारी निरंक है। कबीर नगर रायपुर स्थित भूमि खसरा न 613/37-38 रकबा 0.5030 का भाग में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा माननीय जिला न्यायालय रायपुर में

प्रकरण क्रमांक 09ए/2025 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक एम.ए.न. 252/2025 दर्ज किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

प्रदेश के विविध जिलों में आयोजित महोत्सवों पर खर्च

[संस्कृति]

73. (क्र. 2221) श्री ब्यास कश्यप : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, कृषि, उद्योग एवं व्यापार मेला के आयोजन के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था तथा कितनी राशि व्यय की गई? जिलावार, आयोजन वार जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो उक्त आयोजन की राशि किस मद से व्यय की जाती है? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के आयोजनों में भाग लेने वाले स्थानीय लोक कलाकारों, बाहरी राज्यों के कलाकारों को भुगतान के लिए शासन के क्या नीति/निर्देश हैं? **(ग)** संस्कृति विभाग के द्वारा पंजीकृत लोक कलाकारों को स्वीकृत कार्यक्रम की राशि भुगतान के लिए क्या मापदंड हैं? वर्ष 2025-26 में छ.ग. के कितने लोक कलाकारों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कितना भुगतान किये जाने शेष हैं? जानकारी प्रदान करें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** संस्कृति विभाग अंतर्गत आयोजनों की जिलावार, आयोजनवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। कृषि विभाग अंतर्गत संचालनालय कृषि, उद्यानकी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में मेले एवं प्रदर्शनी हेतु 35.90 लाख का स्वयं के बजट में प्रावधान किया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है, एवं छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी एवं मेला मद में 2024-25 में ₹. 1,00,00,000.00 (एक करोड़) एवं वर्ष 2025-26 में ₹. 1,00,00,000.00 (एक करोड़) राशि का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त मद में व्यय नहीं होने से जानकारी निरंक है। तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जानकारी निरंक है। **(ख)** जिला कलेक्टर को कुल आबंटित राशि में से 45 प्रतिशत स्थानीय कलाकारों के भुगतान के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य राज्यों के कलाकारों का भुगतान आयोजक जिला प्रशासन कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से व्यय किये जाते हैं। विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अन्य राज्यों से आमंत्रित राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के लिए "राष्ट्रीय कलाकार प्रबंधन सेवाप्रदाताओं" अंतर्गत अनुबंधित फर्मों के माध्यम से एवं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र से अनुबंधित नियमों के तहत भुगतान किया जाता है। **(ग)** संस्कृति विभाग द्वारा पंजीकृत लोक कलाकारों को स्वीकृत कार्यक्रमों हेतु "कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021" के तहत चयन समिति द्वारा निर्धारित ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी अनुसार भुगतान किया जाता है। वर्ष 2025-26 में छ.ग. के 1550 लोक कलाकार दलों को राशि 7,33,56,000/- का भुगतान किया जा चुका है तथा राशि 3,88,25,000/- प्रक्रियाधीन है।

जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम अफरीद व भंवरमाल में स्थापित चैम्पियन सेरेमिक्स और अरविंद

इण्डस्ट्रीज के नियम विरुद्ध संचालन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

74. (क्र. 2228) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम अफरीद व भंवरमाल में स्थापित चैम्पियन सेरेमिक्स और अरविंद इण्डस्ट्रीज द्वारा विगत 03 वर्षों में कब-कब पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई है तथा कब अनुमति प्रदान की गई है, कृपया जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित प्लांट का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं राष्ट्रीय हरित

न्यायाधिकरण अधिसूचना के तहत कब-कब निरीक्षण किया गया है, और निरीक्षण के दौरान किस प्रकार की गड़बड़ी पायी गयी थी, और प्लांट प्रबंधन के उपर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5, 6, एवं 7 के अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी" \]](#)

कृषि विभाग में कार्यरत प्रदेश के दैनिक वेतन कर्मचारियों के लंबित श्रम सम्मान राशि का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

75. (क्र. 2231) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.01.2026 तक कृषि विभाग में कार्यरत प्रदेश के कितने दैनिक वेतन कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया गया है एवं कितने कर्मचारियों को नहीं किया गया है? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** उक्त राशि किस अवधि का भुगतान नहीं किया गया है? राशि किन कारणों से भुगतान नहीं की गयी है? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्रवाई की गई है या की जावेगी? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत श्रम सम्मान योजना के तहत पात्रता नहीं रखने वाले कुल 206 दैनिक वेतन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है। राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती), रायपुर अंतर्गत कुल 10 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को संचालनालय कृषि से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर अंतर्गत 01 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक 64 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जिलों में प्राप्त श्रम सम्मान निधि की राशि की मांग पत्र में कमियों के कारण नवम्बर 2025 तक भुगतान प्रक्रियाधीन रही। 01 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 282 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि प्रदाय नहीं की गई है। वित्त निर्देश 29/2023 दिनांक 28.08.2023 के बिन्दु क्रमांक 03 में प्रावधान अनुसार श्रम सम्मान निधि अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित विभाग के बजट शीर्ष के उद्देश्य शीर्ष #18 पारितोषिक के अंतर्गत विकल्पनीय होगी। इस प्रावधान के संज्ञान में आने पर श्रम सम्मान निधि अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भुगतान स्थगित रखते हुए निगमके संचालक मण्डल की 64वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। संचालक मण्डल द्वारा उक्त वित्त निर्देश के परिपेक्ष्य में श्रम सम्मान निधि अंतर्गत निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भुगतान करने के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी" \]](#)

आर्थिक अनियमितता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्रवाई

[मछली पालन]

76. (क्र. 2232) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दिनांक 05 मार्च, 2025 के विधानसभा प्रश्नोत्तर-सूची के तारांकित प्रश्न सरल क्र. 01 (प्रश्न क्र. 1196) में सभा में चर्चा के दौरान मंत्री जी द्वारा बालोद जिले में पदस्थ तत्कालीन सहायक संचालक के विरुद्ध वर्ष 2020 में केज कल्चर आबंटन में आर्थिक अनियमितता पायी गयी है अवगत कराते हुए सदन को आश्वस्त किया था कि उक्त अधिकारी पर शीघ्र की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां तो उन पर कितनी राशि की आर्थिक

अनियमितता पायी गई है एवं दिनांक 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में उनसे राशि वसूली या उन पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने संबंधी क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हॉ, आश्वस्त किया गया था। तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन, जिला-बालोद के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी कर, विभागीय जांच संस्थित की गई। वर्तमान में आचरण नियमों के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा रायपुर विकास प्राधिकरण का ऋण, पुनर्भुगतान एवं शेष
[आवास एवं पर्यावरण]

77. (क्र. 2234) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा रायपुर विकास प्राधिकरण पर 31 मार्च 2019 को ऋण (ब्याज सहित) की कितनी-कितनी देनदारी, किसके-किसके प्रति थी? इन ऋणों को किन-किन प्रयोजनों के लिए लिया गया था? **(ख)** 2019-20 से 2024-25 की अवधि में लिये गये ऋणों का प्रयोजनवार तथा वर्षवार विवरण बताएं? **(ग)** 31 मार्च 2019 को शेष ऋणों के पुनर्भुगतान का विवरण वर्षवार, राशि सहित बताएं? इसके लिए राज्य शासन से कितनी वित्तीय सहायता दी गई? **(घ)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भारत माला परियोजना से भूमि का कुल कितना मुआवजा प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी बैंक तथा संस्था से कोई भी ऋण नहीं लिया गया है। अतः जानकारी निरंक है।**(ग)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।**(घ)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

पशुधन विकास विभाग में केन्द्रीय योजनाओं से प्राप्त राशि

[पशुधन विकास]

78. (क्र. 2235) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना एवं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशुधन विकास विभाग हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव, कब-कब भारत सरकार को प्रेषित की गई? कितनी-कितनी राशि कब भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रदान की गई? प्राप्त राशि कहां-कहां किस काम में व्यय की गई, विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजना में धनराशि के अतिरिक्त कौन-कौन सी अन्य सामग्री यथा दवाईयां, टीके इत्यादि कितनी-कितनी राशि के कब-कब राज्य सरकार को प्राप्त हुए? कहां उपयोग किया गया विवरण दें? **(ग)** केन्द्रांश की राशि डिमांड के अनुसार राज्य सरकार को नहीं मिल पाने के क्या कारण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना एवं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशुधन विकास विभाग हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव एवं प्राप्त राशि तथा व्यय के विवरण **की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रश्नांक "ख" की जानकारी निरंक हैं। **(ग)** विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना एवं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशुधन विकास विभाग हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत प्रस्ताव

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किये गये तथा आयोजित बैठकों में राशि विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। केंद्रांश की राशि डिमांड अनुसार प्रदाय नहीं किये जाने के संबंध में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा कोई कारण संसूचित नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी" \]](#)

प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में की गई शिकायतों पर कार्यवाही

[आदिम जाति विकास]

79. (क्र. 2236) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में तक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग अंतर्गत प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कौन-कौन से एवं कितने-कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त है ? (ख) प्रश्नांश 'क' के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच/विवेचना एसीबी, ई.ओ.डब्ल्यू, लोक आयोग, पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसियों में चल रही है ? किन-किन के विरुद्ध जांच पूर्ण/अपूर्ण है ? प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित थी एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'क' के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक अनियमितता/कदाचार/भ्रष्टाचार की कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस के विरुद्ध प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्वीकृत/भरें/रिक्त पदों की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ' अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में अधिकारियों के विरुद्ध जांच/विवेचना एसीबी, ई.ओ.डब्ल्यू, लोक आयोग पुलिस अथवा अन्य जांच से संबंधित प्रकरणों की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-ब' अनुसार है। (ग) वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक अनियमितता/कदाचार/भ्रष्टाचार शिकायत की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-स' अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी" \]](#)

रायगढ़ जिले में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले की जांच समिति द्वारा कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

[आदिम जाति विकास]

80. (क्र. 2238) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या प्रश्न क्रमांक 308 दिनांक 15 दिसंबर 2025 के माध्यम से रायगढ़ जिले के आदिवासी विकास विभाग में चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले के संबंध में शासन द्वारा जांच समिति गठित किए जाने की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त जांच समिति में सम्मिलित अधिकारियों के नाम एवं पदनाम बताएं। (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 15.02.2026 तक उक्त जांच समिति द्वारा जांच पूर्ण नहीं की गई है? यदि हाँ, तो जांच पूर्ण न होने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं। (ग) जांच लंबित रहने के कारण क्या संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा जांच पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ, शासन द्वारा जांच समिति गठित किये जाने की जानकारी दी गई थी। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) दिनांक 15.02.2026 तक जांच प्रतिवेदन शासन को प्राप्त नहीं हुआ था, जांच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 25.02.2026 को शासन को प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी" \]](#)

SpringBox Films Private Limited के कार्य एवं भुगतान

[पर्यटन]

81. (क्र. 2240) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या SpringBox Films Private Limited, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024- 25 में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग में एम्पैनल/कार्यदिश किया गया था ? अगर हां तो किस टेंडर/चयन प्रक्रिया के माध्यम से इंपैनल किया गया था ? (ख) उपरोक्त एम्पैनलमेंट/टेंडर/चयन प्रक्रियाओं के अंतर्गत SpringBox Films Private Limited के अतिरिक्त जिन अन्य कंपनियों का चयन किया गया है, उनकी सूची दें । (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक SpringBox Films Private Limited से कराए गए विभागवार कार्यों का कार्यवार विवरण तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की जानकारी दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हाँ। Spring Box Films Private Limited नई दिल्ली का चयन निविदा (आर.एफ.पी) दिनांक 21/01/2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा की नियम व शर्तों अनुसार संयुक्त दरों पर एजेसी का निविदा में दिये गये क्वालिटी एण्ड कास्ट बेस सलेक्शन (QCBS) पद्धति अनुसार मूल्यांकन अनुसार चयन किया गया है। (ख) उपरोक्त एम्पैनलमेंट/टेंडर/चयन प्रक्रियाओं के Spring Box Films Private Limited के अतिरिक्त अन्य कंपनियों का चयन नहीं किया गया है। (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक Spring Box Films Private Limited से कराए गए विभागवार कार्यों का विवरण तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी" \]](#)

SpringBox Films Private Limited के कार्य एवं भुगतान

[संस्कृति]

82. (क्र. 2241) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या SpringBox Films Private Limited, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 में छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग में एम्पैनल/कार्यदिश किया गया था ? अगर किया गया था तो किस टेंडर/चयन प्रक्रिया के माध्यम से इंपैनल किया गया था? (ख) उपरोक्त एम्पैनलमेंट/टेंडर/चयन प्रक्रियाओं के अंतर्गत SpringBox Films Private Limited के अतिरिक्त जिन अन्य कंपनियों का चयन किया गया है, उनकी सूची दे ? (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक SpringBox Films Private Limited से कराए गए विभागवार कार्यों का कार्यवार विवरण तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की जानकारी दें।

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :(क) Spring Box Films Private Limited नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 में छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग में एम्पैनल / कार्यदिश नहीं किया गया। (ख) एम्पैनलमेंट/टेंडर / चयन प्रक्रियाओं के अंतर्गत Spring Box Films Private Limited के अतिरिक्त अन्य कंपनियों का चयन नहीं किया गया है। (ग) चूँकि (क) एवं (ख) के अनुसार एम्पैनल / कार्यदिश एवं अतिरिक्त अन्य कंपनियों का चयन नहीं किया गया अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक Spring Box Films Private Limited से कराए गए विभागवार कार्यों का कार्यवार विवरण तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की जानकारी देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं कृषि विस्तार कार्यों पर प्रभाव

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

83. (क्र. 2248) श्री दीपेश साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कर्मचारियों को प्रदत्त सेवा सुविधाओं एवं अधिकारों का विवरण क्या है? जानकारी दें। (ख) केवीके कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण, सेवा शर्तें तथा परियोजना समाप्ति की स्थिति में दायित्व निर्धारण संबंधी क्या प्रावधान हैं? जानकारी दें। (ग) राज्यांश की राशि के अभाव में कृषि विस्तार सेवाओं, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शन कार्यक्रमों एवं कृषि प्रसार गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? जानकारी दें। (घ) कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कर्मचारियों को नियमित एवं पूर्ण वेतन तथा अन्य अनुमन्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा क्या स्थायी नीति/व्यवस्था बनाई गई है अथवा प्रस्तावित है? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कर्मचारियों को प्रदत्त सेवा सुविधाओं एवं अधिकारों का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख) केवीके कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण, सेवा शर्तें तथा परियोजना समाप्ति की स्थिति में दायित्व निर्धारण संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र के किसी भी कार्यक्रम हेतु राज्यांश का प्रावधान नहीं है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान का दायित्व राज्य शासन पर नहीं है। तथापि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3288/2025 एवं समरूप अन्य याचिकाएँ में दिनांक 24.06.2025 को जारी स्थगन आदेश के परिपालन में पूर्वानुसार भुगतान किये जाने के परिपेक्ष्य में अंतर की राशि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के स्थापना अनुदान से किये जाने प्रस्ताव राज्य शासन को प्राप्त हुआ है। जो अनुमति हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर शेष कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत कर्मचारियों की लंबित पेंशन प्रकरण का निराकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

84. (क्र. 2524) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, छ.ग. राज्य शासन द्वारा पोषित/सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है? क्या उक्त विश्वविद्यालय का अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित समस्त स्टेट्स, आर्डिनैंस एवं रेगुलेशन छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं? क्या विश्वविद्यालय के अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर, वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को विधिवत पेंशन ग्रेच्युटी, पेंशन एरियर्स तथा महंगाई राहत की राशि नियमित एवं समयबद्ध रूप से प्रदान करना है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? स्पष्ट कारण बतावें? **(ख)** विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य शासन द्वारा इन समस्याओं के निराकरण हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर राज्य शासन द्वारा अनुदान/सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है। विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम, 1987 विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, उक्त परिनियम के अध्याय-10 में प्रावधान किया गया है, कि

सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ की नियमानुसार पात्रता है। **(ख)** लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

01. विश्वविद्यालय में जुलाई, 2008 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू होने के कारण ओल्ड पेंशन फण्ड में अंशदान कटौती राशि में कमी होने तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण पेंशन आदि के भुगतान में वित्तीय व्यवस्था असंतुलित हो गई है, इस हेतु शासन स्तर पर लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु एक समिति गठित की गई है।


02. सेवानिवृत्त प्राध्यापकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण प्रत्याशित पेंशन 90 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है एवं ग्रेच्युटी की राशि लंबित रखा गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

03. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा जिन वैज्ञानिकों की प्रथम नियुक्ति वैज्ञानिक के पद पर हुई है उनका पेंशन प्रकरण में आपत्ति लिया जाकर अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष के आधार पर सेवा गणना कर पेंशन प्रकरण प्रावधिक रूप से पारित किया जा रहा है, इस संबंध में पृथक से प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार पशु संख्या का विवरण

पशुओं के नाम	कुल पशु संख्या (लाख में)	नर पशु (लाख में)	मादा पशु (लाख में)	प्रजनन योग्य (लाख में)
गौवंशीय	99.84	46.32	53.52	32.99
भैंसवंशीय	11.75	5.69	6.06	3.76
बकरा / बकरी	40.05	12.54	27.51	19.78
भेंड	1.80	0.61	1.19	भारत सरकार द्वारा निर्धारित पशु संगणना कार्यक्रम अनुसार पृथक से गणना का प्रावधान नहीं है।
सूकर	5.27	2.24	3.03	
घोडा, गधा, खच्चर	0.008	0.003	0.005	
श्वान	1.32	1.00	0.31	
खरगोश	0.13	0.61	0.70	



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ज.)

चिराग परियोजना अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु उपयोग की गई राशि का विवरण
(दिनांक 26.03.2025 की स्थिति में)

क्र.	घटक का नाम	कुल व्यय (रूपये)
1	सामुदायिक सशक्तिकरण और संस्थागत सुदृढीकरण	5,12,26,630
2	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा आधारित कृषि	2,09,03,117
3	मूल्यवर्धन और बाजार पहुंच	2,01,83,682
4	परियोजना प्रबंधन	14,46,16,506
	योग	23,69,29,935

- कोविड-19 आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया के मद की राशि रू. 183.96 करोड़ समर्पित की गयी।



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परोशिष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क. 2212) की जानकारी

कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	धार्मिक चार एवं धर्मस्व विभाग का आवंटन/स्वीकृति पत्र	पूर्/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	2018	ग्राम करुपना जिला बलौदाबाजार स्थित ओग महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य	4.93	क/एफ1-7/2018/धर्मस्व/छ: दिनांक 20.03.2018	पूर्ण
2	2018	श्री हनुमान मंदिर ग्राम पटपर में धर्मशास्त्रा निर्माण हेतु अनुदान आवंटन	12.00	क/एफ1-33/2018/धर्मस्व/छ: दिनांक 20.07.2018	पूर्ण
3	2021	(वर्ष 2018में स्वीकृत राशि) योग महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम विलारी(क) विकासखंड कसडोल	16.93		पूर्ण
4	2021	जौट्येष महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार, भाटापारा	5.00	पत्र क्रमांक/एफ 1-40/2020/धर्मस्व/छ: दिनांक 08.03.2021	पूर्ण
5	2021	जपरालीह महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार सिमगा	5.00	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
6	2021	देवरी महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	5.00	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
7	2021	कडार महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	3.50	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
8	2021	कडार महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	1.50	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
9	2021	महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य खपराडीह	5.00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
10	2021	महात्माया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, तरंगा	5.00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
11	2021	हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार कार्य दुरंधर वार्ड न.पा. भाटापारा	5.00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
12	2021	ग्राम कंजी विकास खंड बलौदाबाजार अंतर्गत 'शोबला माता मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य'	5.00	एफ 1-51/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
13	2022	(वर्ष 2021 में स्वीकृत राशि) योग ग्राम पंचायत विलारी(क) विलारी घाट में शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य	45.00		पूर्ण
14	2023	(वर्ष 2022में स्वीकृत राशि) योग ग्राम पंचायत ओझान वि.ख. पलारी में शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य।	5.00	एफ 1-13/2022/धर्मस्व/छ: दिनांक 27.06.2022	पूर्ण
15	2025	(वर्ष 2023 में स्वीकृत राशि) योग ग्राम अर्जुनी में शिव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य (गांव तालाव)	5.00	एफ 1-47/2022/धर्मस्व/छ: दिनांक 08.02.2023	पूर्ण
16	2025	ग्राम पंचायत देकुना, वि.ख. सिमगा स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ महिषासुर मंदिनी मांषली मंदिर तरपोंगा जीर्णोद्धार कार्य)	1.50	GENS/2106/2025-RT&ED दिनांक 28.05.2025	अपूर्ण
		(वर्ष 2025 में स्वीकृत राशि) योग महायोग	5.00	GENS/535/2025-RT&ED Date 08-10-2025	अपूर्ण
			6.50		
			78.43		

अपर कलेक्टर

बलौदाबाजार-भाटापारा

कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)

पृष्ठ "ब"

धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग से भाटापारा विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की जानकारी

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का आवंटन/स्वीकृति पत्र	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	2021	ओटेबंघ महामाया मंदिर जीर्णोद्धार, भाटापारा	5.00	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
2	2021	देवरी महामाया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	5.00	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
3	2021	कडार महामाया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	3.50	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
4	2021	कडार महामाया मंदिर जीर्णोद्धार भाटापारा	1.50	एफ 1-7/2021/धर्मस्व/छ: नवा रायपुर दिनांक 15.03.2021	पूर्ण
5	2021	महामाया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य खपराडीह	5.00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
6	2021	महामाया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य, तरैगा	5.00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
7	2021	हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार कार्य धुरंधर वार्ड न.पा. भाटापारा (वर्ष 2021 में स्वीकृत राशि) योग	30:00	एफ 1-44/2021/धर्मस्व/छ: दिनांक 25.11.2021	पूर्ण
8	2025	ग्राम पंचायत डेकुना, वि.खं. सिमगा स्थित श्री सिध्द शक्तिपीठ महिषासुर मर्दिनी मांवली मंदिर तरपोंगा जीर्णोद्धार कार्य) (वर्ष 2025 में स्वीकृत राशि) योग	5.00	GENS/535/2025-RT&ED Date 08-10-2025	अपूर्ण
		महायोग	35.00		

K

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा

परिशेष - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1231) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से अनुमति प्राप्त कर जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले में उद्योगों से निकलने वाले राख/फ्लाई ऐश के निचले क्षेत्र/खदान में भराव हेतु उपयोग की जानकारी :-

जिला-जांजगीर-चांपा

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता जिसके द्वारा फ्लाई ऐश का निष्पादन किया जा रहा है	निचले क्षेत्र/खदान की जानकारी जिसमें फ्लाई ऐश भराव का कार्य किया जा रहा है	
		ग्राम का नाम	खसरा नंबर
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-तरौद, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2115
		ग्राम-तरौद, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2107/2, 2108/2, 2109/2, 2110/2
		ग्राम-अर्जुनी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	25/25, 25/26, 25/27, 45/2, 45/7
		ग्राम-दरीटाड़, ग्राम पंचायत कल्याणपुर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	366/4, 367/1, 370/2, 376, 377/1क, 365/3, 366/5
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम- मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दरमुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	ग्राम-धुरकोट, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	210/1/क/3, 210/1/क/5, 210/3
		ग्राम-कनस्टा, तहसील-शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा	190/2, 191
		ग्राम-मोहगांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा	12, 128, 138, 185, 256, 274/1
		ग्राम-दरभाठा, ग्राम पंचायत-कुलीपोटा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)	425 430, 431, 432, 426
		ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19
		ग्राम-पिसौद, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2303/2, 2303/3, 2303/7
		ग्राम-पोड़ीखुर्द, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	208/2, 208/3
3.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, 2x500 मेगावाट, ग्राम-मड़वा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-चारपारा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	264/1, 2/8, 1146, 264/2, 727/1/क, 1152, 159
		ग्राम-बैजलपुर, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	301, 302, 332/2
		ग्राम-नवागांव, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	312/3
4.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1508/24, 1508/25
5.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	ग्राम-बम्हनीडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-	1625/7, 1627

		चांपा (छ.ग.)	
6.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, खरसिया रोड पतरापाली, जिला-रायगढ़	ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	228, 229
		ग्राम-पिपरदा, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	491, 494/2
		ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1370/7, 1370/10, 1374
		ग्राम-संजयग्राम, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	84/1, 86
		ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/11, 5/12, 5/15, 5/18, 5/19
7.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पोस्ट-जमनीपाली, जिला-कोरबा	ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1126/5
8.	मेसर्स वेदांता लिमिटेड, छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ग्राम-सिंधीतराई, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	ग्राम-दर्राभांठा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	425, 430, 431, 432, 426, 406
		ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	216/1, 216/2, 220, 221, 223
9.	मेसर्स हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरबा वेस्ट, जिला-कोरबा (छ.ग.)	ग्राम-कोसमंदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	905/4
10.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट आफिस बाल्को नगर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	ग्राम-करमंदा, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	1090, 1091, 1092
		ग्राम-बिरगहनी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	216/1, 216/2, 220, 221, 223

जिला-रायगढ़

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता जिसके द्वारा फ्लाइ ऐश का निष्पादन किया जा रहा है	निचले क्षेत्र/खदान की जानकारी जिसमें फ्लाइ ऐश भराव का कार्य किया जा रहा है	
		ग्राम का नाम	खसरा नंबर
1.	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बोजिया, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	19/1/झ एवं 28/1/ख/1
		ग्राम-घरघोड़ा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	306/1, 312/2, 314/2, 317/2, 318/2, 306/4, 306/5, 312/1, 316/1, 317/1 एवं 318/2
		ग्राम-कुड़ेकेला, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	457
2.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	67/1, 68, 69 एवं 67/2
3.	मेसर्स सिंधल इन्टप्राईजेश प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-बगबुड़ा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	72, 75/1, 75/2, 71/1, 71/2
4			

4. 4.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-तिलगा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	362/2 एवं 364/2,
		ग्राम-बादपाली, तहसील व जिला- रायगढ़	91/1 एवं 84/1,
		ग्राम-बादपाली, तहसील व जिला- रायगढ़	80/4, 80/2,
		ग्राम-सम्बलपुरी, तहसील व जिला- रायगढ़	253/1, 253/2,
		ग्राम-बलभद्रपुर, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	12/4, 12/204/1, 13/205/1 एवं 15/203/1
		ग्राम-चक्रधरपुर, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	65/440/1, 65/40/2
5.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम- गड़उमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-तेतला, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	1500, 1502, 1484/1
		ग्राम-दर्रापाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	91/4
6.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला- रायगढ़	ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	726, 727, 728, 729
		ग्राम-दोरम, तहसील- घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	313/3
		ग्राम-मोहनपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	501, 506 एवं 508
7.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	ग्राम-छैफोरा, तहसील- पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	781/1, 781/2, 781/3, 784, 785, 786, 782, 783, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5 एवं 789/6
		ग्राम-झिलगीटार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	80, 156, 158, 164/1, 165/1, 175 एवं 177
8.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	ग्राम-बगडुडा, तहसील- तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	48, 54/2, 55/2 एवं 57/1
9.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भैंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला- रायगढ़	ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	169/6
10.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम- सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	113/1

		ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	96/1 एवं 96/2
		ग्राम-सर्राईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	78,
11.	मेसर्स बी.एस. स्फंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	60
		ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	56/2
12.	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	239/1 एवं 239/2/ख
		ग्राम-सम्बलपुरी, तहसील व जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	227/12
13.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-हराडीह, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	78/3
14.	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-सर्राईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	85/1
		ग्राम-हराडीह, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	75/1
15.	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	49
		ग्राम-देलारी, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14/14
16.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	ग्राम-कोटमार, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	288/3
17.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम- बड़ादरहा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	ग्राम-मदनपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	26/2, 27/5, 27/3/2, 28/1/2 एवं 28/1
		ग्राम-मदनपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	5/327
18.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	ग्राम-कुशवाबहरी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	3/1, 3/4 एवं 3/5
19.	मेसर्स जिंदल पॉवर लि. ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	गारे पेलमा IV/02 और 03 कोयला खदान एवं गारे पेलमा IV/01 कोयला खदान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	
१०			

20.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम- तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	गारे पेलमा IV/02 और 03 कोयला खदान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
21.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, डोंगामहुआ केप्टिव पावर प्लांट, ग्राम-डोंगामौहा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	गारे पेलमा IV/02 और 03 कोयला खदान एवं गारे पेलमा IV/01 कोयला खदान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले में जिन उद्योगों द्वारा निचले क्षेत्र/खदान में राख/प्लाई ऐश को भराव हेतु उपयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा ऐश डाईक/तालाब/डैम के निर्माण की जानकारी

:-

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	ऐश डाईक/तालाब/डैम के निर्माण की स्थिति (हाँ/नहीं)
1.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	हाँ
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम- मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दरमुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	हाँ
3.	मेसर्स अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, 2x500 मेगावाट, ग्राम-मड़वा, जिला-जांजगीर-चांपा	हाँ
4.	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	नहीं
5.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	हाँ
6.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, खरसिया रोड पतरापाली, जिला-रायगढ़	हाँ
7.	मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पोस्ट-जमनीपाली, जिला-कोरबा	हाँ
8.	मेसर्स वेदांता लिमिटेड, छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ग्राम-सिंघीतराई, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	हाँ
9.	मेसर्स हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरबा वेस्ट, जिला-कोरबा (छ.ग.)	हाँ
10.	मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट आफिस - बालको नगर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	हाँ
11.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़	नहीं
12.	मेसर्स सिंघल इन्ट्राईजेश प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
13.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
14.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-गड़ुमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
15.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	हाँ
16.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	नहीं
17.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	नहीं
18.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-सर्राईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	नहीं
19.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
20.		

20.	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
21.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
22.	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
23.	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
24.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
25.	मेसर्स जिंदल पॉवर लि. ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	हाँ
26.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
27.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, डोंगामहुआ केप्टिव पॉवर प्लांट, ग्राम-डोंगामौहा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	नहीं
28.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, ग्राम- बड़ादरहा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	हाँ
29.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)	हाँ

-

 अनुमान अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - चार
तारांकैत प्रश्न संख्या 10 (क्र. 799) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-बस्तर

चित्रकोट महोत्सव वर्ष 2023

क्र	मद का नाम	कार्य का नाम	फर्म का नाम	राशि
1	संस्कृति विभाग	मादरी नृतक दल नारायणपुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
2	संस्कृति विभाग	पुनेम सुदरी नृतक दल गौदम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
3	संस्कृति विभाग	गौर सिंग नृतक दल बास्तानार	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
4	संस्कृति विभाग	लेजा परब नृत्य दरभा	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
5	संस्कृति विभाग	गेंडी नृत्य लागकर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
6	संस्कृति विभाग	ढोलनाचा दल आंजर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
7	संस्कृति विभाग	गौर सिंग नृतक दल नेतानार	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
8	संस्कृति विभाग	धनश्याम महानदी जगदलपुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	80000
9	संस्कृति विभाग	धुंघरू जगदलपुर प्रस्तुत	सांस्कृतिक कार्यक्रम	21000
10	संस्कृति विभाग	रासपरब जगदलपुर सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	21000
11	संस्कृति विभाग	अभ्युदय कला समुह हर्ली लोक नृतक	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
12	संस्कृति विभाग	बस्तर जिला द्विव्यांग कलाकारों की प्रस्तुति	सांस्कृतिक कार्यक्रम	10000
13	संस्कृति विभाग	परब नृत्य दल	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
14	संस्कृति विभाग	गौर सिंग नृत्य बीजापुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
15	संस्कृति विभाग	दीप स्टेशनरी लाईट भाईक टेंट एवं अन्य	लाईट नाईक टेंट	165000
योग				437000

क्र	मद का नाम	कार्य का नाम	फर्म का नाम	राशि
1	सीएसआर मद	रॉक बैंड मुम्बई की प्रस्तुति	सांस्कृतिक कार्यक्रम	160000
2	सीएसआर मद	सुरेन्द्र दुवे हास्य कवि सम्मेलन	सांस्कृतिक कार्यक्रम	350000
3	सीएसआर मद	रविन्द्र जॉनी मुम्बई कामडियन	सांस्कृतिक कार्यक्रम	170000
4	सीएसआर मद	लाधन्वादास मानिकपुरी जगदलपुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
5	सीएसआर मद	धुरवा नाचा नेतानार	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
6	सीएसआर मद	दण्डामी नृत्य दल नानगुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
7	सीएसआर मद	किन्दरवाडा लोककला	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
8	सीएसआर मद	प्रज्ञा योग एवं डास शिव र्तुति	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
9	सीएसआर मद	मादरी ककसाड नर्तक दल	सांस्कृतिक कार्यक्रम	15000
10	सीएसआर मद	आरू साहु धमतरी	सांस्कृतिक कार्यक्रम	100000
11	सीएसआर मद	नितिन दुवे रायपुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	200000
12	सीएसआर मद	आनंद दास कोरापुट	सांस्कृतिक कार्यक्रम	80000
13	सीएसआर मद	अफजल अली आकरस्ट्र	सांस्कृतिक कार्यक्रम	26000
14	सीएसआर मद	हरप्रीत कौर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
15	सीएसआर मद	श्रुति सरोज नृत्य	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
योग				1166000

वर्ष 2023 योग

1603000

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

चित्रकोट महोत्सव वर्ष 2024

क्र	मद का नाम	कार्य का नाम	फर्म का नाम	राशि
1	सीएसआर मद	महोत्सव में कार्यक्रम हेतु	फुलोन इंटरटेनमेंट	200000
2	सीएसआर मद	स्लीस ड्रांस ग्रुप के कलाकारों को भुगतान	स्लीस ड्रांस ग्रुप को राशि जारी	250000
3	सीएसआर मद	महोत्सव में कार्यक्रम हेतु	फुलोन इंटरटेनमेंट	500000
योग				950000
1	सांस्कृति विभाग	महोत्सव में कार्यक्रम हेतु	फुलोन इंटरटेनमेंट	400000
2	सांस्कृति विभाग	टेंट एवं अन्य	मे बालाजी टेंट हाउस जगदलपुर	236000
3	सांस्कृति विभाग	विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार का भुगतान	विभिन्न कलाकार	242000
योग				878000
वर्ष 2024 का योग				1828000

चित्रकोट महोत्सव वर्ष 2025

क्र	मद का नाम	कार्य का नाम	फर्म का नाम	राशि
1	सीएसआर मद	मानसाय बघेल, धुरवा मडई, लोक नर्तक	लोक नृतक	10000
2	सीएसआर मद	मोसा राम कवासी, डोल, नाचा, लोक नर्तक दल तोकापाल	लोक नृतक	10000
3	सीएसआर मद	आनंदिता तिवारी रायपुर	सांस्कृतिक कार्यक्रम	7000
4	सीएसआर मद	अजय कोराम सांस्कृतिक विद्या कार्यक्रम सेजेस अलनार प्रथम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
5	सीएसआर मद	किरण ठाकुर सांस्कृतिक विद्या कार्यक्रम द्वितीय	सांस्कृतिक कार्यक्रम	3000
6	सीएसआर मद	सामबती कश्यप सांस्कृतिक विद्या कार्यक्रम तृतीय	सांस्कृतिक कार्यक्रम	2000
7	सीएसआर मद	प्रज्ञा मण्डवी जगदलपुर को कथक नृत्य प्रस्तुति	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
8	सीएसआर मद	बरतार संगीत महाविद्यालय जगदलपुर सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	20000
9	सीएसआर मद	अवसर टेंट मैनेजमेंट जगदलपुर	एलईडी लाइट	500000
10	सीएसआर मद	वर्मा टेंट एण्ड इलेक्ट्रिकल साउण्ड सर्विस जगदलपुर	टेंट आदि	250000
योग-				812000
1	सांस्कृति विभाग	वोनी चौधरी, रिदम आफ बरतार म्यूजिकल	सांस्कृतिक कार्यक्रम	30000
2	सांस्कृति विभाग	पीलाराम कश्यप, दगार लेजा परब नृत्य	सांस्कृतिक कार्यक्रम	10000
3	सांस्कृति विभाग	श्याम शिवा शेटिया चित्रकोट, गेडी नृत्य	सांस्कृतिक कार्यक्रम	10000
4	सांस्कृति विभाग	निधि रावल कथक नृत्य	सांस्कृतिक कार्यक्रम	5000
5	सांस्कृति विभाग	शालेश्वर बरतार अचल कॉन्फेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	35000
6	सांस्कृति विभाग	मलखण नारायणपुर को भुगतान	सांस्कृतिक कार्यक्रम	75000


अनुभाग अधिकारी
 सांस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.प.)

//3//

7	संस्कृति विभाग	दिलीप महापात्र, ओडिसी, जगदलपुरी कथक	सांस्कृतिक कार्यक्रम	80000
8	संस्कृति विभाग	अनुराम शर्मा रायपुर छोगो सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम	204140
9	संस्कृति विभाग	वर्षा टैट एण्ड इलेक्ट्रिकल साउण्ड सर्विस जगदलपुर	टैट आदि	550000
योग-				999140
वर्ष 2025 का योग -				1811140

अपर कलेक्टर
जिला-बस्तर

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

पॉरीशेष्ट - पॉंच

तारांकैत प्रश्न संख्या 11 (क्र. 795) कौ जानकारी

प्रपत्र- 'अ'

- (1) प्रकरण क्रमांक-202501111000462, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ), महेन्द्र अग्रवाल, शंकर सोनी, रफीक अहमद, अमृत लाल आहूजा, विनय अग्रवाल, विनिता अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, अनिल आहूजा, अशोक कुमार, सुरेश केसवानी, प्रिया अग्रवाल, विमलस्टॉक बिल्डकॉन, शंकरलाल आहूजा, नारायण सरकार, मनोज चौधरी, विजय सचदेव, संतोष कुमार राय, किशोर पृथ्वानी, विनोद सचदेव, नाबा. प्रथमणी यादव, सी.के.अग्रवाल, शीला लोढ़ा ग्रीनरा फार्म विलास प्रा.लि., कैलाश यादव, मोइन अहमद, महेन्द्र माली।
- (2) प्रकरण क्रमांक-202501111000436, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) महेन्द्र अग्रवाल, शिवलाल, प्रदीप अग्रवाल, महेन्द्र पाल गुप्ता रतना कवर, सुधीर कंवर, राउमल बच्छावत, छोगामल बच्छावत, नाबा. घतमणी नाबा. नृपमणी-विरेन्द्र भूषण यादव, अजीत तिवारी, सी.के. अग्रवाल
- (3) प्रकरण क्रमांक-202501111000435, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) महेन्द्र अग्रवाल, परमानंद, प्रमिला, सरस्वती, नारायण, सोहद्रा, दुखनी बाई, शेखर चौहान, रमेश गोयल, सुरेश गोयल
- (4) प्रकरण क्रमांक-202501111000437, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) मुन्ना साहू पिता गणेशू राम साहू (धरमपुरा)
- (5) प्रकरण क्रमांक-202501111000434, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) महेन्द्र अग्रवाल, मुन्नालाल साहू, धृतमणी यादव
- (6) प्रकरण क्रमांक-202501111000433, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ), महेन्द्र अग्रवाल, नेमुराम, लतेल, रमेश गोयल, अशोक गोयल, श्यामलाल जी गोयल, रमेश गोयल, श्यामलाल गोयल
- (7) प्रकरण क्रमांक-202501111000439, आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ), महेद्र अग्रवाल, फेरहाराम साहू, अवधराम, निलम कोडा, किशन कुमार कोडा, आर.के.ग्रीन्स-तेज प्रकाश अग्रवाल, शीतल जसवीर अरोरा, भैरव बिल्डकॉन-नारायण अग्रवाल, राजकुमार चुन्नीलाल, सरिता अरोरा, विरेन्द्र भूषण यादव, अशोक कुमार, रामरतन
- (8) प्रकरण क्रमांक-202501111000432 आवेदक का नाम-महंत रामआशीष दास, अनावेदक का नाम-रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ), अजय तिवारी, महेन्द्र अग्रवाल, सी.के. अग्रवाल. नृपमणी यादव, विजेन्द्र भूषण यादव, विपुल जैन, विक्रम जैन, राहुल जैन, संजीव अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, रामसाहब अग्रवाल, अजीत तिवारी, सी.के.तिवारी, अवधराम साहू, राजकुमार, सरिता अरोरा, वेदप्रकाश अग्रवाल, आर.के.ग्रीन्स, लोधीराम साहू, श्री श्याम लाल साहू

(2)

(9) प्रकरण क्रमांक-202503111000448, आवेदक का नाम-रूपचंद जैन अध्यक्ष, कृषि गौरक्षणी सभा, अनावेदक का नाम-राजीव बोरा, सचिव, कृषि गौरक्षणी सभा

(10) प्रकरण क्रमांक-202310111000966, आवेदक का नाम-संजय कुमार सिंह, अनावेदक का नाम-गणेशराम शिवदत्त राय ट्रस्ट

प्रपत्र- 'ब'

- (1) प्रकरण क्रमांक-202501111000462, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.03.2025, 28.02.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी, जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/ उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है- 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (2) प्रकरण क्रमांक-202501111000436, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी, जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/ उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है - 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (3) प्रकरण क्रमांक-202501111000435, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/ उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है- 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (4) प्रकरण क्रमांक-202501111000437, दर्ज तिथि-14.01.2025 सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/ उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है - 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (5) प्रकरण क्रमांक-202501111000434, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है - 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (6) प्रकरण क्रमांक-202501111000433, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 26.09.2025, 10.10.2025, 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 19.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है - 30.10.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 05.12.2025, 08.01.2026, 23.01.2026, 06.02.2026, 20.02.2026

- (7) प्रकरण क्रमांक-202501111000439, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई)-निरंक

- (8) प्रकरण क्रमांक-202501111000432, दर्ज तिथि-14.01.2025, सुनवाई तिथी-14.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 17.04.2025, 02.05.2025, 20.06.2025, 04.07.2025, 25.07.2025,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई)-निरंक

- (9) प्रकरण क्रमांक-202503111000448, दर्ज तिथि-21.03.2025, सुनवाई तिथी-21.03.2025, 04.04.2025, 11.04.2025, 17.04.2025, 16.05.2025, 19.06.2025, 03.07.2025, 07.08.2025, 21.08.2025, 11.09.2025, 09.09.2025, 17.10.2025, 31.10.2025, 14.11.2025, 14.12.2025, 26.12.2025, 16.01.2026, 05.02.2026, 19.02.2026,

सुनवाई तिथी जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है -11.04.2025, 16.05.2025, 20.06.2025, 19.06.2025, 21.08.2025, 19.09.2025, 31.10.2025, 14.11.2025, 16.01.2026, 19.02.2026

(10) प्रकरण क्रमांक-202310111000966, दर्ज तिथि-13.07.2023, सुनवाई तिथी-13.07.2023, 28.07.2023, 18.08.2023, 31.08.2023, 29.09.2023, 20.10.2023, 20.11.2023, 26.11.2023, 08.12.2023, 21.12.2023, 11.10.2023, 19.10.2023, 30.01.2024, 19.02.2024, 14.03.2024, 05.04.2024, 19.04.2024, 14.05.2024, 14.06.2024, 19.06.2024, 28.06.2024, 05.07.2024, 24.07.2024, 31.07.2024, 09.08.2024, 23.08.2024, 05.09.2024, 12.09.2024, 31.10.2024, 10.10.2024, 18.10.2024, 07.11.2024, 22.11.2024, 05.12.2024, 09.12.2024, 13.12.2024, 20.12.2024, 10.01.2025, 14.02.2025, 23.03.2025, 24.03.2025, 03.04.2025, 11.04.2025, 25.04.2025, 09.05.2025, 23.05.2025, 05.06.2025, 16.06.2025, 17.07.2025, 01.08.2025, 25.08.2025, 12.09.2025, 10.10.2025, 21.11.2025, 28.11.2025, 12.12.2025, 08.01.2026, 22.01.2026, 05.02.2026, 20.02.2026,

सुनवाई तिथी, जिसमें पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति/ शासकीय कार्य में व्यस्त होने/उच्च न्यायालय प्रवास के कारण सुनवाई स्थगित की गई की जानकारी निम्नानुसार है -31.08.2023, 20.11.2023, 19.02.2024, 14.05.2024, 14.06.2024, 24.07.2024, 31.07.2024, 09.08.2024, 10.10.2024, 07.11.2024, 13.12.2024, 11.04.2025, 01.08.2025, 28.11.2025, 20.02.2026

पॉरीशेष्ट - छः

तारांकैत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 826) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावास/आश्रमों की संख्या एवं महिला होमगार्ड की जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड नियुक्ति का प्रावधान है।	कुल संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड कार्यरत है।	कुल संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड कार्यरत नहीं है
1	2	3	4	5
1	बालोद	19	19	0
2	बलौदाबाजार	29	29	0
3	बलरामपुर	56	56	0
4	बस्तर	91	83	8
5	बेमेतरा	9	9	0
6	बीजापुर	62	62	0
7	बिलासपुर	27	27	0
8	दंतेवाड़ा	42	42	0
9	धमतरी	22	22	0
10	दुर्ग	14	14	0
11	गरियाबंद	26	21	5
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	37	37	0
13	जांजगीर-चांपा	31	22	9
14	जशपुर	85	69	16
15	कबीरघाम	38	35	3
16	कांकेर	73	66	7
17	खैरागढ़	10	5	5
18	कोण्डागांव	53	53	0
19	कोरबा	61	61	0
20	कोरिया	22	22	0
21	महासमुन्द	66	66	0
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	27	26	1
23	मोहला-मानपुर-अ.चौ.	42	19	23
24	मुंगेली	17	12	5
25	नारायणपुर	37	25	12
26	रायगढ़	57	57	0
27	रायपुर	27	27	0
28	राजनांदगांव	23	16	7
29	सक्ती	16	16	0
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	30	25	5
31	सुकमा	53	50	3
32	सुरजपुर	47	47	0
33	सरगुजा	57	53	4
	योग	1306	1193	113

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
संभालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पॉरीशेड - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2230) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में गन्ने का रकबा, उत्पादन, आरक्षित क्षेत्र, भुगतान की वर्षवार जिलावार जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला	जिले में गन्ना फसल का रकबा (हेक्ट. में)	जिले में गन्ना फसल का कुल उत्पादन (मेटन)	जिले में शक्कर कारखाने हेतु आरक्षित रकबा (हे. में)	आरक्षित रकबे में उत्पादित गन्ना (मेटन)	शक्कर कारखाना द्वारा क्रय गन्ना (किं.)	FRP दर पर क्रय का विवरण			प्रदाय प्रोत्साहन/ बोनस राशि का विवरण			
								भारत सरकार द्वारा 9.5 % रिक्वैरी दर पर निर्धारित FRP दर (रु./किं. में)	FRP दर पर भुगतान राशि (कोरोड़ में)	भुगतान हेतु लंबित राशि (कोरोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन/ बोनस राशि (दर रु./किं. में)	भुगतान की गई प्रोत्साहन/ बोनस राशि (कोरोड़ में)	बोनस भुगतान हेतु लंबित राशि (कोरोड़ में)	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2020-21		18060.00	1083600.00	24170.00	1078800.80	4656472.75	270.750	126.071		84.250	39.231		17254
	2021-22		30610.00	1836600.00	19509.06	1163623.90	6384941.39	275.500	175.900		79.500	50.760		18387
	2022-23	कबीरघाम	31665.00	1899900.00	28924.48	1725997.60	6152876.23	282.125	173.580	0	72.875	44.839	0	19454
	2023-24		32567.00	1954020.00	24933.12	1430361.54	6991885.21	291.975	204.130		63.025	44.066		19716
	2024-25		32960.00	1977600.00	32567.00	1660843.00	4260626.20	315.100	134.250		39.900	17.000		19308
2	2020-21		4457.80	222889.75	4457.80	222889.75	1157764.42	270.750	31.346		84.250	9.754		6611
	2021-22		5108.06	255403.20	5108.06	255403.20	1807809.11	275.500	49.805		79.500	14.372		8135
	2022-23	सुरजपुर	6659.28	332964.20	6659.28	332964.20	1800989.03	282.125	50.810	0	72.875	13.125	0	9240
	2023-24		5917.01	295850.40	5917.01	295850.40	1929793.29	291.975	56.345		63.025	12.163		9144
	2024-25		6173.85	308692.65	6173.85	308692.65	1549439.83	315.100	48.823		39.900	6.182		8376
3	2020-21		2529.43	126471.65	2529.43	126471.65	411895.74	270.750	11.152		84.250	3.470		1601
	2021-22		2218.97	110948.65	2218.97	110948.65	321979.31	275.500	8.871		79.500	2.560		1066
	2022-23	सरगुजा	1929.92	96496.20	1929.92	96496.20	217771.09	282.125	6.144	0	72.875	1.587	0	808
	2023-24		1508.04	75402.20	1508.04	75402.20	144317.25	291.975	4.214		63.025	0.910		522
	2024-25		1376.64	68832.00	1376.64	68832.00	87071.82	315.100	2.744		39.900	0.347		367
4	2020-21		1701.27	85063.30	1701.27	85063.30	456204.64	270.750	12.352		84.250	3.844		2387
	2021-22		2047.84	102391.85	2047.84	102391.85	706144.10	275.500	19.454		79.500	5.614		2750
	2022-23	बलरामपुर	2369.27	118463.45	2369.27	118463.45	641602.30	282.125	18.101	0	72.875	4.676	0	2947
	2023-24		1933.46	96672.80	1933.46	96672.80	554035.69	291.975	16.176		63.025	3.492		2324
	2024-25		1365.22	68260.80	1365.22	68260.80	358686.17	315.100	11.302		39.900	1.431		1855

क्र.	वर्ष	जिला	जिले में गन्ना फसल का रकबा (हेक्ट. में)	जिले में गन्ना फसल का कुल उत्पादन (मै.टन)	जिले में शककर कारखाने हेतु आरक्षित रकबा (हे. में)	आरक्षित रकबे में उत्पादित गन्ना (मै.टन)	शककर कारखाना द्वारा क्रय गन्ना (क्वि.)	FRP दर पर कय का विवरण		प्रदाय प्रोत्साहन/ बोनस राशि का विवरण					
								भारत सरकार द्वारा 9.5 % रिकवरी दर पर निर्धारित FRP दर (रु./क्वि. में)	FRP दर पर भुगतान राशि (करोड़ में)	भुगतान हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन/ बोनस राशि (रु. /क्वि. में)	भुगतान की गई प्रोत्साहन/ बोनस राशि (करोड़ में)	बोनस हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	2020-21	बालोद	516.33	30500.00	516.33	30500.00	290238.05	270.750	7.858		84.250	2.445		639	
	2021-22		544.39	32663.00	544.39	32663.00	274327.50	275.500	7.558		79.500	2.181		577	
	2022-23		1000.14	49000.00	1000.14	49000.00	467258.90	282.125	13.183	0		72.875	3.405	0	1026
	2023-24		1051.56	63094.00	1051.56	63094.00	545125.48	291.975	15.916			63.025	3.436		1073
	2024-25		798.93	51930.00	798.93	51930.00	460281.90	315.100	14.503			39.900	1.837		884
6	2020-21	बेमेतरा	3779.00	226740.00	50.24	2110.00	20319.20	270.750	0.550			84.250	0.171		7
	2021-22		4200.00	252000.00	170.00	10200.00	61165.30	275.500	1.685			79.500	0.486		36
	2022-23		4323.00	259380.00	0.00	0.00	98939.00	282.125	2.791	0		72.875	0.721	0	28
	2023-24		3720.00	223200.00	106.00	6360.00	88505.05	291.975	2.584			63.025	0.558		23
	2024-25		3853.00	231180.00	144.00	9360.00	121291.74	315.100	3.822			39.900	0.484		37
7	2020-21	मुंगेली	550.00	33000.00	106.67	6323.39	11693.30	270.750	0.317			84.250	0.099		54
	2021-22		303.77	18015.12	203.78	12085.20	18474.93	275.500	0.510			79.500	0.147		62
	2022-23		437.19	27008.00	284.02	16843.92	21169.06	282.125	0.600	0		72.870	0.154	0	79
	2023-24		536.43	33138.75	497.80	29521.92	26401.22	291.975	0.770			63.025	0.166		77
	2024-25		637.57	39387.00	517.84	30710.40	22682.74	315.100	0.710			39.900	0.091		77
8	2020-21	दुर्ग	294.18	21180.96	19.83	592.00	5023.80	270.750	0.136			84.250	0.042		11
	2021-22		313.34	22591.80	20.20	1212.00	2581.00	275.500	0.071			79.500	0.021		5
	2022-23		335.29	24174.40	50.45	3179.00	12350.10	282.125	0.348	0		72.875	0.090	0	27
	2023-24		378.94	27438.10	69.45	4167.00	29519.68	291.975	0.862			63.025	0.186		46
	2024-25		427.18	30994.10	83.53	5430.00	29419.68	315.100	0.927			39.900	0.117		46

क्र.	वर्ष	जिला	जिले में गन्ना फसल का रकबा (हेक्ट. में)	जिले में गन्ना फसल का कुल उत्पादन (मेटन)	जिले में शककर कारखाने हेतु आरक्षित रकबा (हे. में)	आरक्षित रकबे में उत्पादित गन्ना (मेटन)	शककर कारखाना द्वारा क्रय गन्ना (क्वि.)	FRP दर पर क्रय का विवरण			प्रदाय प्रोत्साहन/ बोनस राशि का विवरण			लाभान्वित कृषक संख्या
								भारत सरकार द्वारा 9.5 % रिकवरी दर पर निर्धारित FRP दर (रु./क्वि. में)	FRP दर पर भुगतान राशि (करोड़ में)	भुगतान हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन/ बोनस राशि (रु./क्वि. में)	भुगतान की गई प्रोत्साहन/ बोनस राशि (करोड़ में)	बोनस हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2020-21	धमतरी	13.20	739.20	13.20	450.00	3921.30	270.750	0.106		84.250	0.033		14
	2021-22		3.44	192.64	3.44	206.00	1709.80	275.500	0.047		79.500	0.014		5
	2022-23		6.86	384.16	6.86	433.00	1042.44	282.125	0.029	0	72.875	0.008	0	5
	2023-24		10.10	565.60	10.10	606.00	5300.00	291.975	0.155		63.025	0.033		12
	2024-25		11.20	627.20	11.20	728.00	7471.53	315.100	0.235		39.900	0.030		12
10	2020-21	राजनांदगांव	110.00	6600.00	10.30	150.00	1071.60	270.750	0.029		84.250	0.009		2
	2021-22		100.00	6000.00	27.60	1656.00	3702.30	275.500	0.102		79.500	0.029		11
	2022-23		40.00	2400.00	5.40	480.00	4691.60	282.125	0.132	0	72.875	0.034	0	5
	2023-24		60.00	3600.00	19.80	1188.00	4300.00	291.975	0.126		63.025	0.027		8
	2024-25		65.00	3900.00	32.40	2106.00	9011.16	315.100	0.284		39.900	0.036		8
11	2020-21	कांकेर	10.10	505.00	10.10	505.00	4893.10	270.750	0.132		84.250	0.041		9
	2021-22		16.69	1001.00	16.69	1001.00	7119.40	275.500	0.196		79.500	0.057		17
	2022-23		40.05	1600.00	40.05	1600.00	5914.40	282.125	0.167	0	72.875	0.043	0	21
	2023-24		39.40	2364.00	39.40	2364.00	4840.33	291.975	0.141		63.025	0.031		12
	2024-25		11.95	777.00	11.95	777.00	4940.33	315.100	0.156		39.900	0.020		12
12	2020-21	कोरिया	0.80	40.00			309.38	270.750	0.008		84.250	0.003		1
	2021-22		0.20	10.00		0	24.55	275.500	0.001		79.500	0.0002	0	1
	2022-23		0.40	20.00			95.98	282.125	0.003		72.875	0.001		1
	2023-24													
2024-25														

0

क्र.	वर्ष	जिला	जिले में गन्ना फसल का रकबा (हेक्ट. में)	जिले में गन्ना फसल का कुल उत्पादन (मै.टन)	जिले में शक्कर कारखाने हेतु आरक्षित रकबा (हे. में)	आरक्षित रकबे में उत्पादित गन्ना (मै.टन)	शक्कर कारखाना द्वारा क्रय गन्ना (क्वि.)	FRP दर पर क्रय का विवरण			प्रदाय प्रोत्साहन/ बोनस राशि का विवरण			लाभान्वित कृषक संख्या
								भारत सरकार द्वारा 9.5 % रिकवरी दर पर निर्धारित FRP दर (रु./क्वि. में)	FRP दर पर भुगतान राशि (करोड़ में)	भुगतान हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन/ बोनस राशि (रु. रू./क्वि. में)	भुगतान की गई प्रोत्साहन/ बोनस राशि (करोड़ में)	बोनस भुगतान हेतु लंबित राशि (करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	2020-21	बीजापुर						0						
	2021-22													
	2022-23													
	2023-24													
	2024-25													
31	2020-21	दंतोवाडा						0						
	2021-22													
	2022-23													
	2023-24													
	2024-25													
32	2020-21	मनेन्द्रगढ़						0						
	2021-22													
	2022-23													
	2023-24													
	2024-25													
33	2020-21	नारायणपुर						0						
	2021-22													
	2022-23													
	2023-24													
	2024-25													

Digitally signed by विकास मिश्रा
 Vikas Mishra
 उप सचिव
 Date: 06-03-2026 14:21:38
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1683) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा 01 पर्यटन स्थल चिन्हांकित है। जिसके अंतर्गत स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल
1	मैनपाट	मैनपाट	पैगा	जलजली
2			बिसरपानी	उल्टापानी
3			सरभंजा	मछली पाइंट
4			कुनिया	टाईगर पाइंट
5			सुपलगा	सनसेट पाइंट
6			रोपाखार	बायोडायवर्सिटी पार्क

प्रपत्र-ब

चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट अंतर्गत स्थित स्थलों में प्रदाय किये गए सुविधाओं की बिन्दुवार, स्थलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल	प्रदाय किये गए सुविधाएं						रिमार्क
		सामुदायिक शौचालय	बैठक व्यवस्था	पेयजल व्यवस्था	पार्किंग व्यवस्था	सुरक्षा हेतु घेराव	साफ-सफाई व्यवस्था	
1	जलजली	02 नग	है	है	है	है	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूह के सदस्यों के द्वारा पर्यटन स्थलों की साफ सफाई का कार्य किया जाता है।	ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया है।
2	उल्टापानी	02 नग	है	है	है	नहीं है		
3	मछली पाइंट	01 नग	है	है	है	नहीं है		
4	टाईगर पाइंट	02 नग	है	है	है	है		
5	सनसेट पाइंट	01 नग	है	है	है	है		
6	बायोडायवर्सिटी पार्क	03 नग	है	है	है	है		सामुदायिक शौचालय का निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया है।

नोट -

1. पर्यटन स्थल मछली पाइंट सघन आच्छादित वनक्षेत्र है। अतः उसका घेराव किया जाना संभव नहीं है।
2. पर्यटन स्थल उल्टापानी क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है। अतः वन विभाग के द्वारा उक्त स्थल का घेराव नहीं किया गया है।

प्रपत्र-स

उत्तरांश "क" में अंकित स्थलों की सुरक्षा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूहों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिसका स्थलवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	ब्लॉक	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल	प्रमुख दर्शनीय स्थलों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी
1	मैनपाट	जलजली	30
2		उल्टापानी	12
3		मछली पाइंट	21
4		टाईगर पाइंट	26
5		सनसेट पाइंट	04
6		बायोडायवर्सिटी पार्क	25

परोशिष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क. 2088) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र	विकासखंड	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1	खैरागढ़	खैरागढ़	ऐतिहासिक, शैक्षणिक, पुरातात्विक	इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय
2		माँ भवानी मंदिर करेला	धार्मिक, प्राकृतिक	पहाड़ी पर स्थित माँ भवानी का मंदिर एवं प्राकृतिक सौंदर्य।
3	छुईखदान	गंडई	धार्मिक, ऐतिहासिक	प्राचीन शिव मंदिर
4		जय डोंगेश्वर महादेव चोड़राधाम	धार्मिक, एवं प्राकृतिक	जय डोंगेश्वर महादेव चोड़राधाम
				मंडीप खोल
				पैलीमेटा बाँध (सुरही जलाशय)
				मोटियारी घाट
				नर्मदा कुण्ड
				शिव एवं गंगई मंदिर गण्डई
घटीयारी का प्राचीन पुरातात्विक शिव मंदिर				

प्रपत्र-ब

चिन्हांकित पर्यटन स्थलों एवं उनके दर्शनीय स्थलों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रशनांकित अवधि में स्वीकृत की गई योजनाओं की जानकारी

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	मद/योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	मां भवानी मंदिर — करेला	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (भवानी पारा)	6.50	2.60	लिनटल स्तर (आर.आर.सी. जारी)
2		<u>24 / 5054(2457) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम</u>	डोंगरगढ़-खैरागढ़ मुख्य मार्ग से मां भवानी मंदिर प्रांगणतक सड़क चौड़ीकरण एवं सीढ़ी निर्माण लं.2.15 किमी	431.31	398.98	कार्य पूर्ण। (जीएसबी-1.47, डब्ल्यू एम एस-1.47, बी.टी.-1.47, सी. सी.-680 मी., पुलिया-3 नग पूर्ण, नाली-1400 मी., सीढ़ी-1159 नग)
3	जय डोगेश्वर महादेव चोडराधाम	विधायक निधि	चोडराधाम के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	3.00	2.99	पूर्ण
4			जय डोगेश्वर के पास उद्यान निर्माण कार्य	6.50	6.48	पूर्ण
5			जय डोगेश्वर तालाब के पास पाथवे निर्माण कार्य	13.50	13.49	पूर्ण
6			चोडरा में शेड निर्माण व अन्य कार्य	10.00	4.00	पूर्ण
7			नर्मदा कुंड में नर्मदा मंदिर के पास शेड निर्माण व अन्य कार्य	10.00	9.994	पूर्ण
कुल राशि रु. —				480.81	438.534	

प्रपत्र-स

चिन्हांकित पर्यटन स्थलों एवं उनके दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की स्थलवार जानकारी

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	दर्शनीय स्थल	उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं									
			सड़क व्यवस्था	पेयजल व्यवस्था	शौचालय व्यवस्था	विद्युत व्यवस्था	प्रकाश व्यवस्था	सुरक्षा व्यवस्था	पार्किंग	सूचना केन्द्र	विश्राम गृह	
1	खैरागढ़	इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
2	गंडई	प्राचीन शिव मंदिर	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	
3	माँ भवानी मंदिर करेला	पहाड़ी पर स्थित माँ भवानी का मंदिर एवं प्राकृतिक सौंदर्य।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
4	जय डोंगेश्वर महादेव चोड़राधाम	जय डोंगेश्वर महादेव चोड़राधाम	कच्ची सड़क	बोरिंग	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	
		मंडीप खोल	कच्ची सड़क	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
		पैलीमेटा बॉध (सुरही जलाशय)	कच्ची सड़क	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
		मोटियारी घाट	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
		नर्मदा कुण्ड	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
		शिव एवं गंगई मंदिर गण्डई	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
		घटीयारी का प्राचीन पुरातात्विक शिव मंदिर स्थापित है।	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

पारिशेष - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क. 2246) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में अभियंताओं के स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	प्रमुख अभियंता	1	1	0
2	मुख्य अभियंता	2	2	0
3	अधीक्षण अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	4	2	2
4	अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	1	0	1
5	कार्यपालन अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	8	5	3
6	कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	2	1	1
7	सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	17	10	7
8	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	4	2	2
9	सहायक अभियंता (आई.टी./कम्प्यूटर साईंस)	1	0	1
10	उप-अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	32	2	30
11	उप-अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	6	1	5
12	उप-अभियंता (आई.टी./कम्प्यूटर साईंस)	1	0	1
	महायोग	79	26	53


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में बाह्य सेवा से पदस्थ अभियंताओं की जानकारी

स.क्र.	पदों का नाम	पद विरुद्ध कार्यरत	अधिकारी/कर्मचारी का नाम मूल पदनाम	मूल विभाग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य अभियंता	1) श्री हरिओम शर्मा	मुख्य अभियंता	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
		2) श्री बी. आर. अग्रवाल (अतिरिक्त प्रभार)	कार्यपालन अभियंता	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2	अधीक्षण अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	1) श्री बी. आर. अग्रवाल	कार्यपालन अभियंता	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
		2) श्री दिलीप राठी	कार्यपालन अभियंता	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
3	कार्यपालन अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	1) श्री विजय कुमार रात्रे	कार्यपालन अभियंता	जल संसाधन विभाग
		2) श्री मधुसुदन एम्पान	कार्यपालन अभियंता	जल संसाधन विभाग
		3) श्री कमलेश्वर साय पैकरा	सहायक अभियंता	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
		4) श्री हेमराव बावनथड़े	सहायक अभियंता	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
4	कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	श्री कमलेश कुमार वर्मा	कार्यपालन अभियंता	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5	सहायक अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.)	श्री नरेश कुमार लक्कर	उप अभियंता	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1676) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि में बिलाईगढ़ क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित पत्थर क्रशर उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	क्रशर उद्योगों का नाम एवं पता	निरीक्षण तिथि	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स बजरंग मिनरल्स, ग्राम-सलिहाघाट, बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	21.01.2025	निरीक्षण तिथि को उत्पादन बंद पाया गया।	क्रशर उद्योग बंद पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
2.	मेसर्स श्री ब्याम स्टोन क्रशर ग्राम एवं तहसील- बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	29.01.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
3.	मेसर्स संदीप स्टोन क्रशर, ग्राम-खपराडीह, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	25.02.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
4.	मेसर्स चन्द्रा स्टोन क्रशर, ग्राम-सलिहाघाट, पोस्ट-सलोनीकला, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	21.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
5.	मेसर्स श्री गणेश स्टोन क्रशर, ग्राम-गोविंदवन,	29.01.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
6.	मेसर्स सौमित्रा मिनरल्स, ग्राम-छिस्कुआ, गगोरी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	16.09.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
7.	मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स, ग्राम-सोहागपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	04.12.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
8.	मेसर्स राज राजेश्वरी क्रशर उद्योग, ग्राम-सोहागपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	04.12.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
9.	मेसर्स दीपक स्टोन क्रशर, ग्राम-सलिहा, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	29.01.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
10.	मेसर्स मित्तल स्टोन क्रशर, ग्राम-बिलाईगढ़, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	04.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
11.	मेसर्स नरसिंह देवांगन स्टोन क्रशर, ग्राम-छपोरा, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	16.09.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भ्रमालय, रायपुर

ग्ररर ररररररररर वररररर कूरर गररर ररररररररर एवं वररर कूरर गूरर रररर

अ (र) वरर 2023-24 - बैकरररर कुरकुकुट इकरर वररररर (रररर इकरर 45 ररररर कुरकुकुट कूरर)

कुर.	ग्ररर ररररररर कूरर नररर	वररररर इकररर संखरर	अररररररर
1	कररर	21	शररररररर रररररर रररररर
2	शरररर	7	
3	अरररररर	7	
4	बेला	15	
5	नकररररर	18	
6	दूररर	11	
7	सरनररर	15	
8	डुदुनरर	1	
9	कररकरर	3	
10	खुडुडल	3	
11	सरररररर	0	
12	कननरररर	7	
13	रररररर	1	
14	ररररर	1	
15	रररररर	5	
16	सररररर	6	
17	डुदुडरररर	5	
18	कररररर	3	
19	कनकूर	6	
20	कररररर	13	
21	गुडरर	4	
22	सररररर	14	
23	दुदुतररर	4	
24	सररतरर	4	
25	कररररर	3	
26	डदवरर	3	
27	बेहरकुरंवर	7	
28	कैनरर	4	
29	कररररर	6	
30	कलुगरर	6	
31	रररर	6	

(Handwritten signature)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित इकाई संख्या	अभियुक्ति
32	करतला	6	शासकीय प्रक्षेत्र से वितरण
33	कोटमेर	1	
34	उमरेली	4	
35	रामपुर	5	
36	सेन्द्रीपाली	5	
37	गिधौरी	2	
38	तुमान	2	
39	देवलापाठ	3	
40	सुखरीकला	2	
41	तरदा	5	
42	सकदुकला	21	
43	बेंदरकोना	8	
44	करूमौहा	1	
45	बसीम	3	
46	मदनपुर	5	
47	पसरखेत	1	
48	चचिया	3	
49	कटकोना	7	
50	दमखांचा	5	
51	पकरिया	4	
52	बरपाली	15	
53	भैसामुड़ा	4	
54	महोरा	5	
55	बिरतराई	1	
56	जामबहार	4	
57	भेलवाटार	2	
58	कुदमुरा	1	
योग:-		334	

100

अ (ii) वर्ष 2024-25 – बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण (प्रति इकाई 45 रंगीन कुक्कुट चूजे)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित इकाई संख्या	अभियुक्ति
1	केराकछार	3	शासकीय प्रक्षेत्र से वितरण
2	रजगामार	5	
3	गोड़मा	3	
4	कोरकोमा	2	
5	अजगरबहार	9	
6	माखुरपानी	2	
7	गढ़उपरोड़ा	8	
8	कछार	3	
9	बेला	17	
10	नकटीखार	7	
11	कुकरीचोली	11	
12	चाकामार	10	
13	भुलसीडीह	6	
14	ढोंगदरहा	9	
15	जमनीपाली	1	
16	उपरेली	3	
17	पहाड़गांव	1	
18	रामपुर	3	
19	चैनपुर	1	
20	बेहरचुंवा	1	
21	गुमिया	1	
22	कनकी	5	
23	करतला	5	
24	सुईआरा	2	
25	बड़मार	7	
26	तुमान	2	
27	औराई	1	
28	चिकनीपाली	2	
29	टिमनभौना	1	
30	कोटमेर	5	
31	पचपेंडी	1	
32	देवलापाठ	2	

५५

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित इकाई संख्या	अभियुक्ति
33	सेन्द्रीपाली	2	शासकीय प्रक्षेत्र से वितरण
34	रोगदा	1	
35	नावापारा	1	
36	जामपानी	2	
37	मदनपुर	5	
38	चचिया	4	
39	कटकोना	4	
40	पसरखेत	2	
41	तौलीपाली	1	
42	कुदमुरा	3	
43	जिल्गा	1	
44	महोरा	10	
45	विरतराई	1	
46	बरपाली	25	
47	भैसामुड़ा	2	
48	सलिहाभांठा	2	
49	सरगबुंदिया	2	
50	ढनढनी	1	
51	संडैल	3	
52	जर्वे	2	
53	पुरेना	1	
योग:-		214	

Handwritten signature

ब (i) वर्ष 2023-24 नर बकरा वितरण (प्रति हितग्राही 1 नर बकरा)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित बकरे की संख्या	अभियुक्ति
1	धनगांव	3	शासकीय प्रक्षेत्र से वितरण
2	अजगरबहार	1	
3	मुढुनारा	1	
4	गिरारी	1	
5	चिरा	1	
6	श्यांग	1	
7	दोंदरो	1	
8	नकटीखार	1	
9	बेला	1	
10	ढोंगदरहा	2	
11	रीवापार	1	
12	पहाड़गांव	1	
13	देवलापाठ	2	
14	केरवादवारी	1	
15	बेहरचुंवा	1	
16	करईनारा	1	
17	बुढियापाली	1	
18	कथरीमाल	1	
19	कनकी	2	
20	कटघोरा	1	
21	दमखांचा	1	
22	ढनढनी	1	
23	पुरेना	1	
24	सोनपुरी	1	
25	जामबहार	1	
26	कोरकोमा	1	
27	पचपेड़ी	1	
28	सोनगुढा	2	
29	रजगामार	1	
30	रामपुर	1	
31	ढोंढातराई	1	
32	साजापानी	1	
योग:-		38	

AS

ब (ii) वर्ष 2024-25 नर बकरा वितरण (प्रति हितग्राही 1 नर बकरा)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित बकरे की संख्या	अभियुक्ति
1	गोड़मा	2	हितग्राहियों द्वारा स्थानीय बाजार से बकरा कय किया गया है तथा अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी.के माध्यम से किया गया है।
2	गढ़उपरोड़ा	1	
3	माखुरपानी	1	
4	दोंदरो	1	
5	जमनीपाली	1	
6	साजापानी	1	
7	करतला	2	
8	बेला	2	
9	सुईआरा	1	
10	कोटमेर	1	
11	जोगीपाली	1	
12	गाड़ापाली	1	
13	रीवाबहार	1	
14	कुदमुरा	1	
15	मदनपुर	1	
16	चचिया	1	
17	बरपाली	1	
18	संडैल	1	
19	ढोंगदरहा	1	
20	चाकामार	1	
21	बेंदरकोना	1	
योग:-		24	

ब (iii) वर्ष 2025-26 नर बकरा वितरण (प्रति हितग्राही 1 नर बकरा)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित बकरे की संख्या	अभियुक्ति
1	अजगरबहार	2	हितग्राहियों द्वारा स्थानीय बाजार से बकरा कय किया गया है तथा अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी.के माध्यम से किया गया है।
2	लेमरू	1	
3	कोरकोमा	1	
योग:-		4	



स. वर्ष 2023-24 सूकरत्रयी इकाई वितरण - प्रति इकाई (1नर +2 मादा सूकर)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरित सूकरत्रयी इकाई संख्या	अभियुक्ति
1	सोनपुरी	4	हितग्राहियों द्वारा स्थानीय बाजार से बकरा कय किया गया है तथा अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी.के माध्यम से किया गया है।
2	ढोगदरहा	4	
3	चोरभट्ठी	2	
4	कल्गामार	3	
5	पसरखेत	3	
6	फूलसरी	1	
7	मदनपुर	1	
	योग:-	18	

द (i) वर्ष 2023-24 राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना
(प्रति हितग्राही - 02 गाय)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही संख्या	अभियुक्ति
1	रफ्ता	1	हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से स्वयं कय किया गया।
2	कुटुरुवा	1	
3	बेला	1	
4	गिधौरी	1	
5	पतरापाली	1	
6	जमनीपाली	1	
7	गिधौरी	1	
8	मुकुंदपुर	1	
9	जामपानी	1	
	योग	9	

44

द (ii) वर्ष 2024-25 राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना
(प्रति हितग्राही - 02 गाय)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही संख्या	अभियुक्ति
1	मसान	1	हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से स्वयं कय किया गया।
2	सलिहाभांठा	1	
3	रजगामार	1	
4	रजगामार	1	
5	खोडडल	1	
6	गोडमा	1	
7	करतला	1	
8	करतला	1	
9	छातापाठ	1	
10	डोगरीभांठा	1	
11	गुरमा	1	
12	टिमनभौना	1	
13	चचिया	1	
14	करतला	1	
15	सुईआरा	1	
16	डोगरीभांठा	1	
17	श्यांग	1	
18	श्यांग	1	
19	कुदमुरा	1	
20	जुनवानी	1	
	योग	20	

य (प) वर्ष 2024-25 राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना


(प्रति हितग्राही 13 बकरी + 2 बकरा)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही संख्या	अभियुक्ति
1	रजगामार	1	हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से स्वयं कय किया गया।
	योग	1	

य (ii) वर्ष 2025-26 राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना

(प्रति हितग्राही 13 बकरी + 2 बकरा)

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	हितग्राही संख्या	अभियुक्ति
1	चिकनीपाली	1	हितग्राही द्वारा स्थानीय बाजार से स्वयं कय किया गया।
2	माखुरपानी	1	
	योग	2	



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्य अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (उ.प्र.)

क.	टीकाद्रव्य का नाम	2023-24	2024-25	2025-26	अभियुक्ति
		कुल लागत (राशि रु. में)	कुल लागत (राशि रु. में)	कुल लागत (राशि रु. में)	
1	एफएमडी	6891672.00	0	0.00	केन्द्र शासन से प्राप्त
2	पीपीआर	0.00	264375	0.00	
3	क्लासिकल स्वाईन फीवर	0.00	0	0.00	
4	ब्रूसेल्लोसिस	0.00	0	0.00	
5	गोटपॉक्स (एलएसडी)	1776600.00	1075725	1645875.00	-
6	एच एस + बी क्यू	909247.50	819157.5	0.00	-
7	एच एस	0.00	621750	88500.00	-
8	बी क्यू	0.00	0	16470.00	-
9	एंटेरोटॉक्सिमिया	29946.00	127108.5	7360.00	-
10	एंटीरैबीज	65875.00	59950	37158.80	-
	योग	9673340.50	2968066	1795363.80	-



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2229) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 31/01/2026 तक की स्थिति में मेसर्स आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम-जैजैपुर, तहसील-जैजैपुर, विकासखंड-जैजैपुर, जिला-सक्ती में पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर राखड़ की डम्पिंग किये जाने संबंधी मामले की जानकारी :-

क्र.	शिकायत प्राप्ति का माध्यम	शिकायत का बिन्दु	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति	की गयी कार्यवाही
1	2	4	5	6	7
1.	समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित खबर दिनांक 10/11/2025	"जैजैपुर-बाराद्वार मुख्य मार्ग पर राखड़ के गुब्बार से राहगीर परेशान, चलना मुश्किल"	12/11/2025	समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित समाचार के परिपेक्ष्य में स्थल का निरीक्षण किया गया। शिकायत स्थल ग्राम-जैजैपुर, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती स्थित भूमि खसरा नंबर-5762/2, रकबा-0.323 हेक्टेयर में उद्योग द्वारा राखड़ भराव हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है, किन्तु निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा अनुमति प्राप्त स्थल में फ्लाई ऐश का भराव न किया जाकर अन्य स्थल खसरा नंबर-5759/10, 5809/3, 5802/4, 5814 रकबा क्रमशः-0.061, 0.040, 0.073, 0.316 हेक्टेयर में फ्लाई ऐश का भराव किया जाना पाया। प्रकरण में जाँच के दौरान यह पुष्टि हुई कि राखड़ जिस खसरा पर राखड़ डाला गया तथा जिस खसरे पर राखड़ डालने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो दोनों एक ही भू-स्वामी का है, एक भूमि नहर के दाईं ओर तथा दूसरी बाईं ओर है। खसरे का सही चिन्हांकन नहीं होने के कारण अन्य भूमि पर राखड़ डाला गया है तथा यह भू-स्वामी की सहमति से ही किया गया है।	उक्त के अनुक्रम में खसरा नंबर-5759/10, 5809/3, 5802/4, 5814 रकबा क्रमशः-0.061, 0.040, 0.073, 0.316 हेक्टेयर को सम्मिलित करते हुए पूर्व में राखड़ भराव हेतु जारी अनुमति को संशोधित कर दिनांक 15/12/2025 को नवीन अनुमति जारी की गई एवं उद्योग के विरुद्ध राशि रूपये 6,80,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 16/12/2025 को अधिरोपित की गई। उपरोक्त राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशिए - चोंदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 817) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-बस्तर, विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट अंतर्गत धरती आबा जनतातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

(राशि राखों में)

क्र.	विकासखंड का नाम	चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा जनतातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत शामिल ग्रामों की संख्या	वर्ष	विभाग का नाम (विभागवार/ गतिविधिवार)	योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण होने के स्थिति में औचित्यपूर्ण कारण/जिम्मेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
							पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बारतानार	23							
1	दरमा	21	2023-24	आदिवासी विकास विभाग					
	तोकापाल	67	2024-25						
	लोहण्डीगुड़ा	39							
	योग	150			0	0.0000			
				समग्र शिक्षा					
			2023-24						
2	दरमा	9	2024-25	समग्र शिक्षा	2	542.000	-	अपूर्ण	01 कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन
	तोकापाल	10	2024-25	(100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण)	1	271.000	-	अपूर्ण	01 कार्य तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
	योग	19			3	813.000			भूमि पूजन कार्य सम्पन्न
				प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना					
3			2023-24						
			2024-25		0	0.000			
	योग	0							
				विद्युत विभाग					
4			2023-24						
			2024-25						
	योग	0			0	0.000			
				मत्स्य पालन विभाग					
5			2023-24						
			2024-25		0	0.000			
	योग	0							
				पशुधन विकास विभाग					
6			2023-24						
			2024-25		0	0.000			
	योग	0							

सुश्रीमती शिवकुंज
 सुश्रीमती शिवकुंज शिव
 सुश्रीमती शिवकुंज शिव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7			2023-24	कृषि विभाग				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
8			2023-24	छ.ग.राज्य कौशल विकास प्राधिकरण				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
9			2023-24	पंचायत एवं ग्रामीण विकास				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
10			2023-24	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
11			2023-24	छ.ग.राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रैडो)				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
12			2023-24	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
13			2023-24	खाद्य विभाग				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
14			2023-24	महिला एवं बाल विकास विभाग				निरंक	
			2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		-	2023-24	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी				निरंक	
		-	2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
16		-	2023-24	पंचायत विभाग				निरंक	
		-	2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
17		-	2023-24	पर्यटन विभाग				निरंक	
		-	2024-25					निरंक	
	योग	0			0	0.000			
	महायोग	169			3	813.000			


शुभम शर्मा
आदिम खासि विकास विभाग
महाराष्ट्र, महाराष्ट्री भवन, पदा संयोजक

परिशिष्ट - पन्द्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 929) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

आश्रम/छात्रावास में प्रदाय की जाने वाली स्थायी सामग्रियों के बदलाव की अवधि

क्र.	सामग्री का नाम	अवधि
1	2	3
1	गद्दा	05 वर्ष
2	चादर	01 वर्ष
3	तकिया	03 वर्ष


अनुभाग अधिकारी
आदिग जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महामती भवन, गुरु कानपुर

प्रपत्र- "ब"

फरसगांव विकासखण्ड के बालक छात्रावास, चिंगनार में सामग्री प्रदाय तारीख

क्र.	सामग्री का नाम	प्रदाय संख्या	प्रदाय तारीख
1	2	3	4
1	गद्दा	12	19.05.2022
2	चादर	25	28.05.2025
3	तकिया	50	19.05.2022


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महामदी भवन, नया दिल्ली

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (छ0ग0)

— :: छात्रावास/आश्रमों का निरीक्षण प्रतिवेदन :: —

1. जिला :- कोण्डागांव
2. विकासखण्ड :- कुरुखगांव
3. छात्रावास :- श्रीमै बालक छात्रावास पिन्गामार
4. छात्रावास की जानकारी :-
 - (4.1) छात्रावास का नाम :-
 - (4.2) छात्रावास का पता :- पिन्गामार
 - (4.3) छात्रावास कैटेगरी (बा/बालि) :- बालक
 - (4.4) छात्रावास का प्रकार :- श्रीमै
 - (4.5) छात्रावास/आश्रम वर्ग (ST/Sc/Obc):- ST
 - (4.6) छात्रावास का ई-मेल आई.डी. :-
 - (4.7) छात्रावास का एरिया टाईप :- अनुसूचित
 - (4.8) प्रवेशित सीट संख्या :- 50
 - (4.9) निरीक्षण के समय छात्रावास में उपस्थित संख्या :- 50
 - (4.10) संपर्क सूत्र :-
 - (4.11) अधीक्षक/अधीक्षिका का नाम :- श्री बालसिंह कुमारी
5. छात्रावास अधीक्षक की जानकारी :-
 - (5.1) छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका का नाम :- श्री बालसिंह कुमारी
 - (5.2) छात्रावास अधीक्षक का मोबाईल नंबर :- 9098691547
 - (5.3) क्या अधीक्षक/अधीक्षिका का आवास गृह है ? हों/नहीं ✓
 - (5.4) क्या अधीक्षिका परिसर में निवास करते है ? हों/नहीं ✓
 - (5.5) अगर नहीं तो, कारण बताये :- अधीक्षक आवास गृह नहीं है
 - (5.6) यदि अधीक्षिका परिवार सहित निवास करती है :- तो कौन-कौन रहते है विवरण :-
 - (5.7) क्या अधीक्षिका के आवास गृह में पृथक से प्रवेश द्वार निर्मित है ? हों/नहीं
 - (5.8) अगर नहीं तो, कन्या छात्रावास की सुरक्षा:- के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था है :-

अनुभाग अधिकारी
मानव जाति विकास विभाग
मंत्री, महानदी धमन, नया बजपुर

6. निरीक्षणकर्ता अधिकारी की जानकारी :-

- (6.1) निरीक्षण दिनांक :- 21/12/2025
- (6.2) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम :- हृषिकेश तिवारी
- (6.3) निरीक्षणकर्ता का लिंग :- पुरुष
- (6.4) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम :- सहायक आयुक्त
- (6.5) निरीक्षणकर्ता अधिकारी के पदस्थ कार्यालय का नाम :- आदिवासी विकास विभाग
- (6.6) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का फोन नंबर :- 8085989475
- (6.7) निरीक्षणकर्ता अधिकारी का ई-मेल आई.डी. :-

7. वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी (संख्या) :-

कर्मचारी का प्रकार	पुरुष			महिला		
	स्थायी	संविदा	दैनिक वेतन	स्थायी	संविदा	दैनिक वेतन
मृत्य	0	-----	0	-----	-----	-----
रसोईयों	-----	-----	-----	-----	-----	-----
चौकीदार	-----	-----	-----	-----	-----	-----
होमगार्ड	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (7.1) यदि कन्याओं की संस्था है तो न्यूनतम एक महिला कर्मचारी (अधीक्षिका, महिला होमगार्ड, महिला चौकीदार) के लिए पृथक से आवास व्यवस्था है ? हाँ/नहीं
- (7.2) पदस्थ महिला होमगार्ड का नाम :-
- (7.3) क्या महिला होमगार्ड आवास गृह है ? हाँ/नहीं
- (7.4) पदस्थ महिला चौकीदार का नाम :-
- (7.5) क्या महिला चौकीदार आवास गृह है ? हाँ/नहीं
- (7.6) क्या महिला चौकीदार आवास गृह परिसर के भीतर है ? हाँ/नहीं
- (7.7) क्या महिला चौकीदार आवास गृह में निवासरत है ? हाँ/नहीं
- (7.8) क्या महिला परिवार के साथ निवास करती है ? हाँ/नहीं

//03//

(7.10) चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या :-

(7.11) पुरुष कर्मचारी का नाम (यदि कार्यरत है) :-

8. छात्रावास प्रोफाइल :-

(8.1) क्या निगरानी समिति का गठन किया गया है ? हों/नहीं

(8.2) अगर नहीं तो कारण बताये :-

(8.3) क्या चालू वर्ष में बैठक आयोजित हुई है हों/नहीं(8.4) चालू वर्ष में आयोजित बैठकों की तिथि
कम अनुसार भरे :-

(8.5) चालू वर्ष में आयोजित बैठकों की कुल संख्या :-

(8.6) क्या छात्रावास हेतु सभी पंजी संचारित है हों/नहीं

9. छात्रावास भवन की जानकारी :-

(9.1) छात्रावास की स्वीकृत सीट के मान से भवन की उपलब्धता :- पर्याप्त / अपर्याप्त

(9.2) क्या भवन स्वयं का है ? हों/नहीं

(9.3) अगर नहीं तो, वैकल्पिक भवन का विवरण :-

(9.4) क्या शौचालयों की व्यवस्था है ? हों/नहीं

(9.5) अगर नहीं तो, कारण बताये :-

(9.6) उपयोगी शौचालयों की संख्या :- 04

(9.7) अनुपयोगी शौचालयों की संख्या :-

(9.8) क्या शौचालयों की अतिरिक्त आवश्यकता है ? हों/नहीं(9.9) यदि हों तो जमीन की उपलब्धता है ? हों/नहीं

(9.10) यदि शौचालयों की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो संख्या :- 03

(9.11) शयन कक्ष पर्याप्त है हों/नहीं(9.12) अगर नहीं तो शयन कक्ष (तखत, पलंग, बिस्तर) :-
मछरदानी की स्थिति(9.13) क्या स्नानागार की व्यवस्था है ? हों/नहीं

- (9.15) क्या स्नानागार की अतिरिक्त आवश्यकता है ? हाँ/नहीं
- (9.16) यदि हाँ तो जमीन की उपलब्धता है ? हाँ/नहीं
- (9.17) यदि स्नानागार की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो संख्या :-
- (9.18) परिसर के भीतर उपलब्ध उद्यानिकी/पर्यावरण का स्तर सामान्य/अच्छा/बहुत अच्छा/अच्छा नहीं
- (9.19) क्या अहता उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (9.20) क्या विद्युत सुविधा उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (9.21) क्या सोलर उर्जा सुविधा उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (9.22) क्या विद्युत एवं सोलर दोनों सुविधा उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (9.23) क्या पेयजल का स्रोत है ? हाँ/नहीं
- (9.24) अगर नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी दें :-
- (9.25) उपलब्ध पेयजल स्रोत :- टैपमल/हैण्डपंप/बोरवेल/कुआ
- (9.26) क्या निस्तार हेतु जल उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (9.27) क्या संस्था को ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट उपलब्ध है हाँ/नहीं
- (9.27) अगर हाँ तो कौन सा सर्टिफिकेट :-
- (9.28) क्या संस्था आदर्श छात्रावास/आश्रम के रूप में विकसित की जा चुकी है :- हाँ/नहीं
10. अन्य सुविधाओं की जानकारी :-
- (10.1) क्या नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है ? हाँ/नहीं
- (10.2) अगर हाँ तो किस योजना के तहत ? :- स्वरुधतन स्वरुधामम
- (10.3) अगर नहीं तो कारण :- के अंतर्गत
- (10.4) क्या खेल मैदान उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (10.5) क्या क्रीडा सामग्री उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
- (10.6) क्या छात्रावास में विशेष कोचिंग योजना संचालित है ? हाँ/नहीं
- (10.7) क्या राशन कार्ड बनवाया गया है ? हाँ/नहीं
- (10.8) प्रति छात्र प्रतिमाह उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा ? पर्याप्त/अपर्याप्त

सी.सी.टी.वी. कैमरा / कम्प्यूटर लैब / पुस्तकालय / आर.ओ की जानकारी

- (11.7) क्या संस्था में CCTV कैमरा उपलब्ध है :- हाँ / नहीं
- (11.8) अगर हाँ तो CCTV कैमरा की संख्या :-
- (11.9) क्या CCTV चालू हालत में है ? :- हाँ / नहीं
- (11.10) अगर हाँ तो चालू CCTV कैमरा की संख्या :-
- (11.11) क्या संस्था में कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है ? :- हाँ / नहीं
- (11.12) अगर हाँ तो कम्प्यूटर की संख्या :- 06
- (11.13) क्या संस्था में कम्प्यूटर चालू हालत में है ? :- हाँ / नहीं
- (11.14) अगर हाँ तो चालू कम्प्यूटर की संख्या :- 04
- (11.15) क्या संस्था में पुस्तकालय उपलब्ध है ? :- हाँ / नहीं
- (11.16) अगर हाँ तो, पुस्तक की संख्या :-
- (11.17) क्या संस्था में पुस्तकालय के लिए अलग से कमरा उपलब्ध है ? :- हाँ / नहीं
- (11.18) क्या संस्था में RO की सुविधा उपलब्ध है ? :- हाँ / नहीं
- (11.19) अगर हाँ तो RO की संख्या :-
- (11.20) क्या RO चालू हालत में है ? :- हाँ / नहीं
- (11.21) अगर हाँ तो चालू RO की संख्या :-
- (11.22) क्या RO खराब हालत में है ? :- हाँ / नहीं
- (11.23) अगर हाँ तो खराब RO की संख्या :-
- (11.24) क्या संस्था में अक्सर 1 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहती है ? :- हाँ / नहीं

बस्तात के दिनों
में समस्या आधिक्य होती
है

1/08/1

अधिकारी के संपर्क की जानकारी :-

(11.1) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के नाम दीवारों में अंकित किया गया है ? हाँ/नहीं(11.2) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर दीवारों में अंकित किए गए हैं ? हाँ/नहीं(11.3) क्या टोल फ्री नंबर उपयुक्त स्थान में दर्शाया गया है ? हाँ/नहीं(11.4) क्या संस्था में दूरभाष उपलब्ध है ? हाँ/नहीं *अधीशुत*(11.5) क्या शिकायत पेट्री का संवारण है ? हाँ/नहीं

(11.6) टिप्पणी

:- ~~कुछ खाज खज्जा हेतु~~
 :- ~~निर्देशित किया गया।~~
 :-

21/12/2025
 नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
 एवं पदमुद्रा

अनुभवा अधिकारी
 आर्यन चौरा सिविल विभाग
 पंजाब, गुरुनानक नगर, पंजाब

पारोशेष्ट - सोलह
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1006) की जानकारी

प्रपत्र

जिलेवार आबंटित राशि व जारी दिनांक की जानकारी

(राशि लाखों में)

क	जिला	006 अन्य व्यय मद अंतर्गत आबंटित राशि	आबंटन जारी दिनांक
1	बालोद	3.00	08-05-2025
2	गरियाबंद	3.00	08-05-2025
3	जगदलपुर	9.00	08-05-2025
4	नारायणपुर	3.00	08-05-2025
5	जशपुर	6.00	08-05-2025
6	जीपीएम	3.00	08-05-2025
7	मनेन्द्रगढ़	3.00	08-05-2025
8	मोहला मानपुर	3.00	08-05-2025
9	रायगढ़	3.00	08-05-2025
10	कांकेर	6.00	08-05-2025
11	सरगुजा	3.00	08-05-2025
12	बलरामपुर	3.00	08-05-2025
13	सक्ती	2.00	08-05-2025
14	मुंगेली	2.00	08-05-2025
15	रायपुर	2.00	08-05-2025
16	बिलासपुर	2.00	08-05-2025
	योग	56.00	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, पतान्ती भवन, नया रायपुर

परिशेष - सत्रह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1294) की जानकारी

प्रपत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा जिले में स्थापित सीमेंट संयंत्रों में प्रयुक्त ए.एफ.आर. के भौतिक सत्यापन किये जाने के संबंध में गठित संयुक्त टीम के द्वारा किये गये निरीक्षण के संबंध में जानकारी।

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, ग्राम - रावन, तहसील - बलौदाबाजार, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	30/01/2025	ए.एफ.आर. शेड के समीप पिजोमेट्रिक बिंदुओं की स्थापना, दुर्गंध के नियंत्रण हेतु ऑडर कंट्रोल सिस्टम (दुर्गंध नियंत्रण प्रणाली) स्थापित किया जाना एवं परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण क्षेत्र में सीपेज के रोकथाम हेतु कांक्रीट युक्त पक्के प्लेटफार्म का निर्माण किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, ग्राम- रिसदा, सुहेला रोड, बलौदाबाजार, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	30/01/2025	ए.एफ.आर. शेड के समीप पिजोमेट्रिक बिंदुओं की स्थापना, दुर्गंध के नियंत्रण हेतु ऑडर कंट्रोल सिस्टम (दुर्गंध नियंत्रण प्रणाली) स्थापित किया जाना एवं परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण क्षेत्र में सीपेज के रोकथाम हेतु कांक्रीट युक्त पक्के प्लेटफार्म का निर्माण किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।
3.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, पोस्ट- ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, तहसील- सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	30/01/2025	उद्योग द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के को-प्रोसेसिंग का कार्य नहीं किया जाता है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।
4.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम- हिरणी, तहसील- सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	30/01/2025	उद्योग द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के को-प्रोसेसिंग का कार्य नहीं किया जाता है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।
5.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, (सोनाडीह सीमेंट प्लांट) पो. - रसेडा, तहसील-बलौदाबाजार, जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)	30/01/2025	ए.एफ.आर. शेड के समीप पिजोमेट्रिक बिंदुओं की स्थापना, दुर्गंध के नियंत्रण हेतु ऑडर कंट्रोल सिस्टम (दुर्गंध नियंत्रण प्रणाली) स्थापित किया जाना एवं परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण क्षेत्र में सीपेज के रोकथाम हेतु कांक्रीट युक्त पक्के प्लेटफार्म का निर्माण किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परीक्षित - अट्टारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 1355) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम एवं पोटाकेबिन में जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक निवासार्थ छात्र-छात्राओं की हुई मृत्यु के संबंध में जानकारी।

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	बालक छात्रावास चेरामंगी	उसूर	जेवियर कुजूर	श्री ललित कुजूर	आत्महत्या	27-02-2024	छात्रावास अधीक्षक को निलंबित किया गया	-
2	बीजापुर	कन्या आश्रम बेदरे	भैरमगढ़	कु0 अनिता कुरसम	श्री वैजा कुरसम	उल्टी-वस्त	07-08-2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
3	बीजापुर	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	भैरमगढ़	कुमारी मंजू पोयाम	सोनधन पोयाम	बाँटण्डीवाल से गिर जाने से	29-11-2024	प्रकरण में प्रमारी अधीक्षक को अधीक्षकीय कार्य से पृथक किया गया।	1.00 लाख
4	नारायणपुर	प्री.मै.आ.बा.छा.सोनपुर	नारायणपुर	स्व. सूरजु राम कुमेटी	श्री संतुराम कुमेटी	मलेरिया से	04-08-2024	अधीक्षक द्वारा मृत छात्र के इलाज में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	-
5	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	बकावण्ड	कु0 अंजना कश्यप	श्री मंगल राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलावल में उपलब्ध समस्त जीवन रक्षक मेडिसीन के द्वारा 15 मिनट तक CPR करने के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, और दोपहर 02:02 बजे इलाज के दौरान छात्रा की मृत्यु अस्पताल में हुई।	01-09-2024	अधीक्षिका द्वारा मृत छात्रा के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। इस कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	1.00 लाख
6	बस्तर	पो0मे0 बालक छात्रावास बकावण्ड	बकावण्ड	त्रिनाथ कश्यप	श्री जगुराम कश्यप	सिकलिन से	12-12-2024	अधीक्षक द्वारा छात्र त्रिनाथ कश्यप के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई जिसके कारण अधीक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	1.00 लाख
7	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	कोन्टा	सोडी जोगा	श्री सोडी चिंगा	मलेरिया	21-07-2024	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-

अनुपम अडिवाली
 अतिरिक्त सहायक निदेशक
 बस्तर संभाग

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्रा	सुकमा	कु.सोई संध्या	श्री उमेश सोई	मलेरिया	14-11-2024	अधीक्षिका के पद से हटा दिया गया है।	-
9	सुकमा	बालक आश्रम कोराबैकूर	सुकमा	माडवी दुला	श्री नंदा	सिर में दर्द	12-04-2024	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-
10	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम भण्डारसिवनी	फरसगांव	गौरव कुमार	श्री तुलसी मण्डवी	सड़क दुर्घटना	12-08-2024	-	100000
11	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम खडपडी	कोण्डागांव	तामेश्वर कोर्रा	श्री रामचंद्र कोर्रा	मलेरिया	03-10-2024	-	100000
12	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम कागा	कोण्डागांव	समीर कोर्रा	श्री मिलू राम कोर्रा	आकस्मिक	22-12-2024	-	100000
13	कोण्डागांव	श्री-मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरदाबेडा	फरसगांव	कु0 ममता	श्री लक्ष्मीनाथ	आकस्मिक	26-12-2024	-	100000
पोटाकेबिन									
14	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल संगमपल्ली	भो.पटनम	कु. वेदिका जब्बा	श्री नन्दू	मलेरिया	14.07.2024	विभागीय जांच	-
15	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल तारलागुडा	भो.पटनम	कु. दीक्षिता रंगा	श्री प्रभाकर	मलेरिया	12.07.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
16	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल दुर्गागुडा	उसूर	राकेश पूनेम	श्री सुछरू	मलेरिया	27.09.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
17	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल भटवाड़ा	भैरमगढ	टंकेश्वर नाग	श्री शेषदेव	मलेरिया	16.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
18	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल नैमेड	बीजापुर	कु.प्रमिला वेट्टी	श्री हिडमो	आकस्मिक	28.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
19	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल बीजापुर	बीजापुर	कु.रजिना कुडुमुल	श्री मल्ला	किडनी फेल	04.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
20	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल नैमेड	बीजापुर	कु.दीप्ति कुहरामी	श्री मंगलू	आकस्मिक	28.11.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
21	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल बासागुडा	उसूर	देवा मडकम	श्री नन्दा	सिकलिन	20.08.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा केबिन तोंगपाल	छिन्दगढ़	कृष्णा बघेल	श्री चैतन बघेल	मोटर साईकल दुर्घटना	05.04.2024	-	-
23	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा केबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	कुमारी सन्नी	श्री भीमा	कैंसर	02.06.2024	-	-
24	सुकमा	केजीबीन्ही कोण्टा	कोण्टा	कवारी मंजू	श्री ध्रुवा	पेट की बीमारी	08.10.2024	-	-
25	सुकमा	पोर्टा केबिन बुडदी	सुकमा	आयता मड़कामी	श्री डोमू	चेचक	14.10.2024	-	-
26	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा केबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	कुमारी रोशनी	श्री इंदर नाग	आकस्मिक मृत्यु	16.12.2024	जॉंच किया गया।	-
27	दत्तेवाड़ा	बालक पोटाकेबिन भांसी	दत्तेवाड़ा	घासीराम	स्व. श्री बिसरो बास्ता	आत्महत्या	07-12-2024	जिला स्तरीय समिति का गठन कर जांच करायी गया।	-


अनुयायन अखिलेश्वरी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा खयपुर

प्रपत्र "अ"

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम एवं पोटाकोबिन में जनवरी 2025 से 17 फरवरी 2026 तक निवासरत् छात्र-छात्राओं की हुई मृत्यु के संबंध में जानकारी।

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	बालक आश्रम एडापल्ली	भोपालपटनम	श्री करनदास कुरसम	श्री रमेश कुरसम	सीने में दर्द सांस लेने में तकलीफ	16-01-2025	प्रकरण में प्रमारी अधीक्षक का निलंबित किया गया।	-
2	बीजापुर	बालक आश्रम मिरतुर	भैरमगढ़	श्री राकेश कुमार ओयाम	श्री भीमा ओयाम	मलेरिया से	10-07-2025	जाँच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण संबंधित अधीक्षकों को विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। भविष्य के लिए सचेत किया गया।	-
3	बीजापुर	कन्या आश्रम तोयनार	बीजापुर	कु0 शर्मिला कुडियम	श्री नागा कुडियम	सांस लेने में विकृत, पेट दर्द, चेहरे में सुजन	31-07-2025		-
4	बीजापुर	कन्या आश्रम ईतामपार	भैरमगढ़	कु0 लक्ष्मी पुनेम	श्री मंगलु पुनेम	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में कुए में डुबने से	08-08-2025		4.00
5	बीजापुर	बालक छात्रावास चिन्नाकवाली	बीजापुर	राजेश यालम	श्री बोर्न यालम	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में स्वास्थ्य खराब होने के कारण	15-08-2025		-
6	बीजापुर	प्री0मै0बा0छा0 बीजापुर	बीजापुर	रोहित कोरसा	श्री रमेश कोरसा	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में तालाब में डुबने के कारण	21-09-2025	जाँच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण संबंधित अधीक्षकों को विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। भविष्य के लिए सचेत किया गया।	-
7	बीजापुर	बालक आश्रम पुसबाका	उसूर	लेकाम शम्भू	श्री मंगु लंकाम	दशहरा अवकाश के दौरान गृह ग्राम में फासी लगाकर आत्महत्या किया गया	08-10-2025		-
8	बीजापुर	बालक छात्रावास चैरामंगी	उसूर	अजय कुमार कोरसा	श्री नरसा कोरसा	दिपावली अवकाश के दौरान गृह ग्राम में तबीयत खराब होने से	22-10-2025		-
9	बीजापुर	बा0छा0 गुदमा	भैरमगढ़	पवन वाचम	श्री हरिराम वाचम	मलेरिया से	15-12-2025	छात्रावास अधीक्षक को संस्था से हटाया गया।	-
10	दन्तेवाड़ा	बालक आश्रम गौगपाल	कुआकोण्डा	संजय पोडियामी	बुधराम पोडियामी	मलेरिया	03-08-2025	गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षक को भविष्य के लिए चेतावनी दिया गया।	-
11	दन्तेवाड़ा	प्री.मै.अ.ज.जा.क.छा.दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	कु.राधा कर्मा	सुकमन कर्मा	टाइफॉइड मलेरिया	08-08-2025	अधीक्षिका के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। उक्त संबंध में अधीक्षिका को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।	-
12	कांकर	प्री.मै.बा.छा.अंतांगढ़	अंतांगढ़	साहिल उईके	स्व. श्री रत्तीराम उईके	घर पर आत्महत्या	24-07-2025		-
13	कांकर	प्री.मै.क.छा. लाडोकी	अंतांगढ़	कु.प्रतिभा दरपट्टी	श्री जगूराम दरपट्टी	कांकर अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु	01-08-2025	मौत छात्रावास/आश्रम में नहीं हुई है अतः कार्यवाही निरक	-

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	कांकेर	प्री.मै.क.छा. आमाबेडा	अंतागढ	कृ. दिव्या सलाम	श्री श्रवण सलाम	घर पर आत्महत्या	12-02-2026		-
15	कांकेर	बालक आश्रम सिंगारभाट	कांकेर	हिरेंद्र कुमार वट्टी	श्री विरेन्द्र वट्टी	अपने निवास स्थान पर	06-04-2025	मौत छात्रावास/आश्रम में नहीं हुई है अतः कार्यवाही निररक	-
16	बस्तर	प्री0मै0 कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	कु0 रविना बघेल	श्री पतिराम बघेल	शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने निवास स्थान में अज्ञात कारण से आत्महत्या की गई ।	06-01-2025	अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार का लापरवाही बरतना नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	1.00 लाख
17	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	सुकमा	कुडामी नन्दा	श्री देवा	मलेरिया	27-01-2025	प्रमारी अधीक्षक को जांच उपरांत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की गई है।	-
18	सुकमा	बालक आश्रम वितलनार	छिन्दगढ़	भीमा पौडियामी	श्री हुगाराम पौडियामी	मलेरिया	02.08.2025	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-
19	कोण्डगांव	प्री-मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलाबंद	कोण्डगांव	सागर बघेल	श्री दयमान बघेल	उल्टी दस्त	19.01.2025		-
20	कोण्डगांव	कन्या आश्रम हंगवा	कोण्डगांव	कु0 जयंती नाग	श्री बरामासी नाग	फुड पायजनिंग	11-02-2025		100000
21	कोण्डगांव	कन्या आश्रम मोहलई	कोण्डगांव	कु0 लक्ष्मी कश्यप	श्री सीताराम कश्यप	दुखार/ निमोनिया के कारण।	21-02-2025		-
22	कोण्डगांव	बालक आश्रम करियाकाटा	कोण्डगांव	होमेश्वर सोरी	श्री दिनकर सोरी	आकस्मिक	21-07-2025		-
23	कोण्डगांव	अजजा प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	कु. चुनेता	श्री आसमन मण्डवी	आकस्मिक	21-08-2025		-
24	कोण्डगांव	कन्या आश्रम काटागांव	माकडी	कु. चम्या नेताम	श्री रामचन्द्र नेताम	आत्महत्या	11-10-2025	हैं, संबंधित अधीक्षक को निलंबन किया गया है।	-
25	कोण्डगांव	बालक आश्रम मटवाल	कोण्डगांव	रविन्द्र कोराम	श्री सुनेर कोराम	मलेरिया	19-11-2025		-
पोटाकेबिन									
26	बीजापुर	बालक रेसीडेसीयल स्कूल दुर्गईगुडा	उसूर	नितेश धुवा	श्री अर्जुन धुवा	आकस्मिक	30.03.2025	विभागीय जांच	-
27	बीजापुर	बालक रेसीडेसीयल स्कूल भैरमगढ	भैरमगढ	सोमारू पोयामी	श्री राजू पोयामी	स्वास्थ्य खराब	25.11.2025	विभागीय जांच	-
28	बीजापुर	पोर्टा केबिन कन्या छात्रावास 100 सीटर नैमेड	बीजापुर	कु. पिंकी कुरसम	श्री भीमा कुरसम	आत्महत्या	05.08.2025	विभागीय जांच	-
29	बीजापुर	बालक रेसीडेसीयल स्कूल चेरपाल	बीजापुर	समीर कडती	श्री रामलू कडती	सर्पदंश	5.08.2025	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	बीजापुर	कन्या रेसीडेंसीयल स्कूल आवापल्ली	उसूर	कु. नागमड़ी सेमला	श्री भीमा	स्वास्थ्य खराब	15.12.2025	विभागीय जांच	-
31	बीजापुर	कन्या रेसीडेंसीयल स्कूल कुटूरु	भैरमागढ़	कु. पार्वती कोवासी	श्री कोसाराम कोवासी	स्वास्थ्य खराब	06.01.2025	विभागीय जांच	-
32	बीजापुर	बालक रेसीडेंसीयल स्कूल केशकुतुल	भैरमागढ़	आकाश कुंजाम	श्री सुखराम	मलेरिया, डेंगू, टायफाइड	26.12.2025	विभागीय जांच	-
33	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा केबिन तोंगपाल	छिन्दगढ़	भीमा राम कवासी	श्री लखमा	मोटर साईकल दुर्घटना	16.03.2025	-	-
34	दत्तेवाड़ा	कन्या पोटाकोबिन मोखपाल	कटेकल्याण	कु. नम्रता	श्री धन्नु राम	पैर में चोट के पश्चात जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान	05-01-2026	जिला स्तरीय समिति का गठन कर जांच कराया गया।	-
35	सुकमा	100 सीटर बालक छात्रावास गादीरास पोर्टाकेबिन	सुकमा	विकास	श्री दुला	अवकाश अवधि में अपने निवास स्थान पर अस्माहत्या की गई	08.01.2026	श्री दुलार सिंह सेरपा अधीक्षक को अधीक्षक के दायित्व से मुक्त कर उनकी मूल पदस्थापना स्कूल हेतु आदेशित किया गया।	-

सुभाष अभिकारी
 कश्मिरी खासि विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र. "ब"

बस्तर संभाग अंतर्गत संस्था जंहा घटना घटित हुई है उन्ह संस्थाओं में जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2026 तक की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र	जिला	संस्था का नाम जंहा घटना घटित हुई है	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष 2024.25				वित्तीय वर्ष 2025.26			
				संधारण/ अनुरक्षण		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु		संधारण/ अनुरक्षण		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु	
				प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बीजापुर	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	भैरमगढ़	100000	100000	-	-	-	-	-	-
2	बीजापुर	कन्या आश्रम ईतामपार	भैरमगढ़	-	-	400000	400000	-	-	-	-
3	दन्तेवाड़ा	बालक आश्रम गोंगपाल	कुआकोण्डा	-	-	-	-	239000	239000	-	-
4	दन्तेवाड़ा	प्री.मै.अ.ज.जा.क.छा.दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	488000	488000	-	-	40000	40000	-	-
5	नारायणपुर	प्री.मै.बा.छा.सोनपुर	नारायणपुर	25000	25000	-	-	-	-	-	-
6	कांकेर	प्री.मै.बा.छा.अंतागढ़	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
7	कांकेर	प्री.मै.क.छा. ताडोकी	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
8	कांकेर	प्री.मै.क.छा. आमाबेड़ा	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
9	कांकेर	बालक आश्रम सिंगारमाट	कांकेर	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
10	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	बकावण्ड	1000000	993000	-	-	-	-	-	-
11	बस्तर	पो0मे0 बालक छात्रावास बकावण्ड	बकावण्ड	-	-	-	-	178000	178000	-	-
12	बस्तर	प्री0मे0 कमलौ नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	-	-	-	-	1000000	0	-	-
13	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	कोन्टा	82700	82700	-	-	25000	25000	1918000	-
14	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्	सुकमा	755000	523600	-	-	866000	250000	176000	-
15	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकूर	सुकमा	25000	25000	-	-	25000	25000	-	-
16	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	सुकमा	40000	40000	-	-	40000	40000	-	-
17	सुकमा	बालक आश्रम चितलनार	छिन्दगढ़	25000	25000	-	-	271000	25000	-	-
18	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा कोबिन तोंगपाल	छिन्दगढ़	455314	316140	300507	297528	350801	253501	231132	158616
19	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा कोबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	624064	446273	410205	386629	469000	160620	309000	203060
20	सुकमा	केजीबीव्ही कोण्टा	कोण्टा	250000	247749	150000	150000	127494	127494	75880	75880

क्र	जिला	संस्था का नाम जंहा घटना घटित हुई है	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष 2024.25						वित्तीय वर्ष 2025.26					
				संधारण / अनुरक्षण			अन्य मदों में व्यवस्था हेतु			संधारण / अनुरक्षण			अन्य मदों में व्यवस्था हेतु		
				प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
21	सुकमा	पोर्टा कोबिन बुड्डी	सुकमा	360654	168000	238027	60270	250440	103224	165006	103510				
22	सुकमा	100 सीटर बालक छात्रावास गादीरास	सुकमा	125000	104000	82500	68725	93800	93800	61800	61800				
23	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम भण्डारसिवनी	फरसगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
24	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम खडपडी	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
25	कोण्डागांव	अजजा बालक आश्रम कांगा	कोण्डागांव	40000	40000	3000	3000	40000	40000	3000	3000				
26	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरदाबेड़ा	फरसगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
27	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलावंड	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
28	कोण्डागांव	कन्या आश्रम हंगवा	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
29	कोण्डागांव	कन्या आश्रम मोहलाई	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
30	कोण्डागांव	बालक आश्रम करियाकाटा	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
31	कोण्डागांव	अजजा प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
32	कोण्डागांव	कन्या आश्रम काटागांव	माकड़ी	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				
33	कोण्डागांव	बालक आश्रम मटवाल	कोण्डागांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000				

उत्पत्ता अधिकारी
 छात्रावास विकास विभाग
 भिलाई, कल्याण संस्थान, नवा रायपुर

प्रपत्र. "ब"

बस्तर संभाग अंतर्गत संस्था जहां घटना घटित हुई है उक्त जिलों में संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सामग्रीपूर्ति एवं 006 अन्य व्यय मद अंतर्गत जारी आबंटन की जानकारी

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	2024-25			2025-26		
		25 सामग्रीपूर्ति मद	006 अन्य व्यय मद	योग	25 सामग्रीपूर्ति मद	006 अन्य व्यय मद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	278.54	105.04	383.58	295.04	89.06	384.10
2	कोंडागांव	144.03	56.48	200.51	152.19	70.75	222.94
3	कांकेर	223.65	107.09	330.74	209.30	97.05	306.35
4	दंतेवाडा	257.68	79.67	337.35	248.69	82.63	331.32
5	सुकमा	232.53	69.28	301.81	237.84	70.57	308.41
6	बीजापुर	290.90	75.68	366.58	329.71	86.13	415.84
7	नारायणपुर	126.58	47.97	174.55	163.68	39.06	202.74
	योग	1553.91	541.21	2095.12	1636.45	535.25	2171.70

उत्तम कुमार
आदिवासी शिक्षा विभाग
बस्तर, जिला बस्तर, चत्तिसगढ़

पारिशेष्य - उन्नीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1665) की जानकारी

प्रपत्र-अ

धरसीवां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित ताप विद्युत संयंत्रों का नाम, पता, क्षमता तथा दिनांक
01/01/2025 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि में जनित होने वाले फ्लाइ ऐश की
मात्रा की जानकारी

क्र.	ताप विद्युत संयंत्रों का नाम एवं पता	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	जनित फ्लाइ ऐश की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1.	मेसर्स सारडा एनजी मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	एफबीसी 60 मेगावाट	2,32,593.80
2.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-1, रायपुर	बायोमास 20 मेगावाट एवं एफबीसी 11 मेगावाट	1,02,138.00
3.	मेसर्स बंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	एफबीसी 24 मेगावाट	1,76,243.96
4.	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 30 मेगावाट एवं सीएफबीसी 30 मेगावाट	2,12,367.74
5.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पावर प्रा. लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	एफबीसी 4 मेगावाट	29,379.96
6.	मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 2 मेगावाट	24,110.41
7.	मेसर्स रश्मि स्पंज ऑयरन एंड पावर इण्डस्ट्रीज लि.मि. सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 4 मेगावाट	1,810
8.	मेसर्स जी.आर. स्पंज एंड पावर लिमिटेड सिलतरा फेज-2, रायपुर	एफबीसी 4 मेगावाट	30,732.33
9.	मेसर्स भगवती पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 4 मेगावाट	28,330.0
10.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा रायपुर	एफबीसी 7 मेगावाट	1,12,165.0
11.	मेसर्स डोलिया इलेक्ट्रोस्टीलस प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा रायपुर	एफबीसी 6 मेगावाट	33,909.54
12.	मेसर्स श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस-2, रायपुर	बायोमास 12 मेगावाट	19,038.14
13.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा फेज-2, रायपुर	बायोमास 5 मेगावाट	43,204.05
14.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गिरौद, सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 7.5 मेगावाट एवं एफबीसी 6.0 मेगावाट	73,478
15.	मेसर्स मां उषा उर्जा लिमिटेड ग्राम- गिरौद, जिला-रायपुर	बायोमास 7.5 मेगावाट	19,096
16.	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सोण्डा, सिलतरा, रायपुर	एफबीसी 2.5 मेगावाट	10,268.41
17.	मेसर्स घनकुन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम- सोण्डा, फेस-11 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	एफबीसी 2 मेगावाट	16,427
18.	मेसर्स जगदम्बा पावर एंड एलॉयज लिमिटेड, मुरेठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर	एफबीसी 25 मेगावाट	72,739.83
19.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-बहेसर जिला-रायपुर	एफबीसी 4 मेगावाट	6,174.09
20.	मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स रायपुर एनर्जन लिमिटेड), ग्राम-रायखेडा, तहसील-तिल्दा, जिला - रायपुर	पीएफबीसी 2x685 (1370 मेगावाट)	26,36,404
21.	मेसर्स गौरी गणेश इस्पात प्रा. लि, ग्राम - मढी, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	एफबीसी 8 मेगावाट	3,347

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भंभालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

धरसीवां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एवं संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि में जनित होने फ्लाई ऐश का विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग किये जाने तथा शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	उत्पन्न फ्लाई ऐश की मात्रा	जिस प्रयोजन में फ्लाई ऐश का उपयोग/प्रदाय/निराकृत किया गया है, का विवरण					शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा
			सीमेंट प्लांट को प्रदाय	ईंट निर्माण	भू-भराव	खदान में भराव	राइक निर्माण हेतु उपयोग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	मेसर्स सारडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	232593.80	30271.40	202322.87	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
2.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	102138.0	-	102138.0	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
3.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	176243.96	24372.47	151871.49	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
4.	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	212367.74	-	212367.74	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
5.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	29379.96	-	29379.96	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
6.	मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	24110.41	-	24110.41	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
7.	मेसर्स रश्मि स्पंज ऑयरन एंड पावर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	1810	-	1810	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाई ऐश की मात्रा निरंक है।
8.	मेसर्स जी.आर. स्पंज एंड पावर लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	30732.33	-	29871.25	-	-	-	परिसर के भीतर 861.08 टन बचे फ्लाई ऐश को निर्मित साईलों में भंडारण कर रखा गया है।
9.	मेसर्स भगवती पावर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड	28330.0	-	28330.0	-	-	-	शत प्रतिशत

	सिलतरा, रायपुर								उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
10.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	112165.0	68997.64	43167.36	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
11.	मेसर्स ड्रॉलिया इलेक्ट्रोस्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	33909.54	-	33909.54	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
12.	मेसर्स श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	19038.14	3480.08	5540.69	-	-	9498.50	-	परिसर के भीतर 961.40 टन बचे फ्लाइ ऐश को निर्मित साईलों में भंडारण कर रखा गया है।
13.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	43204.05	-	43204.05	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
14.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गिरौद, सिलतरा, रायपुर	73478	-	73478	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
15.	मेसर्स मॉ उषा उर्जा लिमिटेड, ग्राम- गिरौद, जिला- रायपुर	19096	-	19096	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
16.	मेसर्स दासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सोण्डा, सिलतरा, रायपुर	10268.41	-	10268.41	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
17.	मेसर्स धनकुन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम- सोण्डा, फेस-11 के पास, सिलतरा इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर	16427	16427	-	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
18.	मेसर्स जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज लिमिटेड, मुरैठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर	72739.83	-	72739.83	-	-	-	-	शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष बचे फ्लाइ ऐश की मात्रा निरंक है।
19.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम- बहेसर, जिला-रायपुर	6174.09	-	6149.27	-	-	-	-	परिसर के भीतर 24.82 टन बचे फ्लाइ ऐश को निर्मित साईलों में भंडारण कर रखा गया है।
20.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स रायपुर एनर्जन लिमिटेड), ग्राम-रायखेड़ा, तहसील- तिल्दा, जिला - रायपुर	2636404	848208	25191	666927	1086530	5473	-	1,53,825 टन बचे फ्लाइ ऐश को उद्योग परिसर के भीतर ऐश ग्राण्ड में सुरक्षित ढग से रखा गया है।
21.	मेसर्स गौरी गणेश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - मढी, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	3347	-	1227	667	-	1180	-	परिसर के भीतर 273 टन बचे फ्लाइ ऐश को निर्मित साईलों में भंडारण कर रखा गया है।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
अज्ञालय, रायपुर

परीशेष - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1848) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति मुंगेरी से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 17.02.2026 तक (वित्तीय वर्ष 2025-26) छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्राप्त हुई विपणन विकास निधि की जानकारी ।

क्र०	संभाग का नाम	जिले का नाम	क०	मंडी का नाम	वित्तीय वर्ष	
					2024-25	2025-26 (दि. 17.02.2026 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासपुर	मुंगेरी	1	मुंगेरी	446.76	232.63
			2	लोरसी	207.78	103.39
				कुल	654.54	336.02

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 06-03-2026 15:57:30
छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जिला मुंगेरी के विभिन्न कृषि उपज मंडियों में स्वीकृत कार्यों की विधानसभावार जानकारी

क्र0	वित्तीय वर्ष	जिला	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्र./दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	कार्यदिश दिनांक	निविदा दर सहित लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रारंभ	अप्रारंभ	निर्माणधीन	पूर्ण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	बोड़वाला कलां	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	0	0	0	0	0	निरस्त।
2	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	गोड़खास्ती	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.59	0	0	0	0	0	निरस्त।
3	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	फुलझर	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.58	14.50	0	0	0	1	
4	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	डोंगरिया	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	14.56	0	0	0	1	
5	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	दाउकापा	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.54	3.79	0	0	1	0	
6	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	मनोहरपुर	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.55	14.51	0	0	0	1	
7	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	गुरुबाईन उबरी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.54	14.21	0	0	0	1	
8	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	लोरसी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	14.53	0	0	0	1	
9	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	अखरार	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	09.01.2025	14.54	0	0	0	1	0	
10	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	सुरेठा	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.54	14.48	0	0	0	1	
11	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	खपरीकलां	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.53	14.51	0	0	0	1	
12	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	झाफल	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.205	14.53	0	0	0	1	0	
13	2024-25	मुंगेरी	लोरसी	चंदली	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	14.56	0	0	0	1	

क्र0	वित्तीय वर्ष	जिला	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्र./दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	कार्यादेश दिनांक	निविदा दर सहित लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रारंभ	अप्रारंभ	निर्माणधीन	पूर्ण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	2024-25	मुंगेली	लोरसी	पैजनिया	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.48	14.20	0	0	0	1	
15	2024-25	मुंगेली	लोरसी	नवागांव बेंकट	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.54	14.40	0	0	0	1	
16	2024-25	मुंगेली	लोरसी	नवाडीह	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.54	0	0	0	1	0	
17	2024-25	मुंगेली	लोरसी	कोदवामहंत	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	0	0	0	1	0	
18	2024-25	मुंगेली	लोरसी	मसनी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	17.01.2025	14.60	0	0	0	1	0	
19	2024-25	मुंगेली	लोरसी	सिधनपुरी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	07.01.2025	14.54	14.20	0	0	0	1	
20	2024-25	मुंगेली	लोरसी	डिंडरी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	09.01.2025	14.54	0	0	0	0	1	
21	2024-25	मुंगेली	लोरसी	साल्हेघोरी	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.60	0	0	0	1	0	
22	2024-25	मुंगेली	लोरसी	छपरवा	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	—	14.51	0	0	0	0	0	निरस्ता।
23	2024-25	मुंगेली	लोरसी	औरबाधा	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	08.01.2025	14.54	14.25	0	0	0	1	
24	2024-25	मुंगेली	लोरसी	लीलापुर	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	26.12.2024	14.54	14.39	0	0	0	1	
25	2024-25	मुंगेली	लोरसी	लपारा	किसान कुटीर	धान उपाजर्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य।	2693 / 01.08.2024	14.00	12.12.2024	14.43	14.10	0	0	0	1	
26	2024-25	मुंगेली	लोरसी	खुड़िया	200 से.टन गोदाम	धान उपाजर्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 से.टन	2693 / 01.08.2024	12.50	15.01.2025	12.98	0.00	0	0	1	0	
27	2024-25	मुंगेली	लोरसी	झोका	200 से.टन गोदाम	धान उपाजर्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 से.टन	2693 / 01.08.2024	12.50	26.12.2024	12.98	12.50	0	0	0	1	

क्र0	वित्तीय वर्ष	जिला	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क. /दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	कार्यादेश दिनांक	निविदा दर सहित लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रारंभ	अप्रारंभ	निर्माणधीन	पूर्ण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	2024-25	मुंगेली	लोहरी	कोदवामहंत	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.95	12.85	0	0	0	1	
29	2024-25	मुंगेली	लोहरी	मसनी	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	17.01.2025	13.00	12.81	0	0	0	1	
30	2024-25	मुंगेली	लोहरी	सिंघनपुरी	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	26.12.2024	12.95	12.70	0	0	0	1	
31	2024-25	मुंगेली	लोहरी	डिंडौरी	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.98	12.72	0	0	0	1	
32	2024-25	मुंगेली	लोहरी	विचारपुर	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	26.12.2024	12.98	12.35	0	0	0	1	
33	2024-25	मुंगेली	लोहरी	भादूखोंदरा	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	26.12.2024	12.92	0	0	0	1	0	
34	2024-25	मुंगेली	लोहरी	रैतराकला	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	20.12.2024	12.97	12.90	0	0	0	1	
35	2024-25	मुंगेली	लोहरी	साल्हेघोरी	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.98	12.25	0	0	0	1	
36	2024-25	मुंगेली	लोहरी	उजियारपुर	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.90	12.30	0	0	0	1	
37	2024-25	मुंगेली	लोहरी	छपरवा	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.96	0	0	0	0	0	निरस्त।
38	2024-25	मुंगेली	लोहरी	औराबांधा	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	12.12.2024	12.96	12.80	0	0	0	1	
39	2024-25	मुंगेली	लोहरी	लीलापुर	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	26.12.2024	13.02	12.80	0	0	0	1	
40	2024-25	मुंगेली	लोहरी	लगरा	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	08.01.2025	12.88	12.80	0	0	0	1	
41	2024-25	मुंगेली	लोहरी	बोड़तला कला	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	15.01.2025	12.98	12.82	0	0	0	1	

क्र0	वित्तीय वर्ष	जिला	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम/ग्राम पंचायत	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क्र./दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	कार्यादेश दिनांक	निविदा दर सहित लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रारंभ	अप्रारंभ	निर्माणधीन	पूर्ण	अद्यतन स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
42	2024-25	मुंगेली	लोहरी	गोड़खामही	200 मेटन गोदाम	धान उपार्जन केन्द्र में गोदाम निर्माण कार्य। 200 मेटन	2693 / 01.08.2024	12.50	15.01.2025	13.03	12.90	0	0	0	1		
योग (42 कार्य)-																	
1	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	जंगलपुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	चकरमाटा रोड से जंगलपुर 02 कि.मी. सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	98.67	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
2	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	बुदेली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	निरजाम से बुदेली 03 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	98.67	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
3	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	बटहा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	ग्राम बटहा में झझपुरी मार्ग 01 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	49.34	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
4	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	चीनू	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	ग्राम चीनू से चौतापुर 02 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	98.67	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
5	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	औराबांधा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	ग्राम औराबांधा से जेवरा सरहद मार्ग तक 1.50 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	74.00	27.02.2026	379.98	0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
6	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	बागबुडवा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	ग्राम बागबुडवा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	22.20	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
7	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	बटली खुर्द	पुलिया निर्माण कार्य।	कुम्हौरी से बटली खुर्द के बीच पुलिया निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	37.51	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
8	2025-26	मुंगेली	मुंगेली	लोकईपुर	पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	लोकईपुर में मुक्तिधाम के पास नाला में पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	4311 / 22.08.2025	34.73	27.02.2026		0	0	0	0	0	0	कार्यादेश जारी
योग (08 कार्य)-																	
								513.79		379.98	0	0	0	0	0	0	

Digitally signed by विकास मिश्रा
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 06-03-2026 15:58:14
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशिए - इक्कीस

पारोवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1885) की जानकारी

प्रपत्र

मंडी बोर्ड निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

क्र.	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्य पर व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022 (01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत अलीवारा में हाटबाजार अंतर्गत कवर्ड रोड 03 नग, मुत्रालय 01 नग, 251.50 वर्ग मी. सी.सी.रोड एवं बोरवेल हेण्डपंप 01 नग निर्माण कार्य	24.73	23.14	पूर्ण
2		राजनांदगांव	राजनांदगांव	ग्राम पंचायत बिल्हारी के हाटबाजार अंतर्गत कवर्ड रोड 04 नग, मुत्रालय 01 नग, सी.सी.रोड निर्माण कार्य ।	22.94	22.62	पूर्ण
3		राजनांदगांव	डोंगरगांव	हाटबाजार निर्माण कार्य ग्राम कोकपुर में कवर्डरोड 03 नग सीमेंट कांकीट रोड 840 वर्ग मी., मुत्रालय (मुत्रालय/पुरुष) बोरवेल, हैण्डपंप सबमर्सिबल पंप सहित 01 नग निर्माण कार्य।	37.22	38.70	पूर्ण
4		राजनांदगांव	डोंगरगांव	हाट बाजार निर्माण ग्राम नरायणगढ़ में कवर्डरोड 06 नग ओपन प्लेटफार्म सीमेंट कांकीट रोड 1000 वर्ग मी., मुत्रालय (महिला/पुरुष) बोरवेल, हैण्डपंप सबमर्सिबल पंप सहित 01 नग निर्माण कार्य।	50.02	41.68	पूर्ण
योग:-					134.91	126.14	
5	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा के ग्राम जोगीदल्ली में शीतला भवन एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य।	13.46	12.48	पूर्ण
6	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत पारागांवकला में ग्राम पारागांव कला पुसराखुर्द रेलवे अंडरबीज से पारागांवकला तक 2.10 कि.मी. एप्रोच रोड निर्माण ।	11.39	9.85	पूर्ण
7	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत बोदेला में पेटेश्री पुलिया से पेटेश्री एनीकट तक 1.50 कि.मी. एप्रोच रोड।	14.98	13.61	पूर्ण
8	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत पारागांव/ग्राम आरबीरा से खदान तक एप्रोच रोड 2.60 कि.मी.।	21.8	20.98	पूर्ण
9	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत खपरीकला में ग्राम खपरीकला रेल्वे स्टेशन पहुँच मार्ग पर 2.00 कि.मी एप्रोच रोड ।	10.86	10.54	पूर्ण
10	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत बोदेला में ग्राम बरहापुर डोंगरगढ़ मेनरोड से बरहापुर पहुँच मार्ग पर 1.08 कि.मी. एप्रोच रोड।	18.03	16.43	पूर्ण
11	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगांव	ग्राम पंचायत जामरी अंतर्गत जटकचहार रेल्वे स्टेशन पहुँच मार्ग पर 3.00 कि.मी. ।	29.62	28.34	पूर्ण
12	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	ग्राम पंचायत बांकल से रेल्वे कांसिंग तक एप्रोच रोड 3.0 किमी. एप्रोच रोड	45.84	38.39	पूर्ण
13	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा में बस स्टैंड में व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य।	22.56	0	निरस्त
14	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा में मंगल भवन निर्माण कार्य।	24.31	0	निरस्त
15	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा/ग्राम जोगीदल्ली में मंगल भवन निर्माण कार्य।	24.31	0	निरस्त
16	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	ग्राम पंचायत पनियाजोब के ग्राम पनियाजोब से रेल्वे गेट तक (पनियाजोब जलाशय) में 03 कि.मी. एप्रोच रोड निर्माण	14.46	13.57	पूर्ण
17	2022-23	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जिला राजनांदगांव वि.ख. डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसातरा के ग्राम जोगीदल्ली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	29.01	25.35	पूर्ण
18	2022-23	राजनांदगांव	खैरागढ़	वि.ख. छुईखदान में वार्ड 03 में बजरंग चौक से देवीदिन के घर तक ग्राम भुरमुसी में सी.सी. रोड निर्माण			
19	2022-23	राजनांदगांव	खैरागढ़	ग्राम पंचायत एवं ग्राम भुरमुसी वि.ख. छुईखदान गौरव पथ निर्माण पानी टंकी से बाजार रोड तक।	50.19	23.87	पूर्ण
20	2022-23	राजनांदगांव	खैरागढ़	ग्राम पंचायत एवं ग्राम भुरमुसी वि.ख. छुईखदान गौरव पथ निर्माण वार्ड नं. 13 ।			
21	2022-23	राजनांदगांव	खैरागढ़	ग्राम जुनवानी के वार्ड क.02.03 एवं 04 में मेन रोड से पंचायत भवन तक 300 मी. सी.सी. रोड निर्माण	18.46	17.08	पूर्ण
22	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तोरेगांव में स्लेब/पाईप कवर्ट, निर्माण	49.97	39.59	पूर्ण

क्र.	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्य पर व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
23	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसवाड़ा एवं कोसमी में स्लेब कल्वर्ट, निर्माण	55.69	50.57	पूर्ण
24	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	विधानसभा क्षेत्र मोहला वि.ख. मानपुर ग्राम पंचायत देवरसुर में संदर्भ नाला में स्लेब कल्वर्ट, निर्माण	55.85	39.13	पूर्ण
25	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम पंचायत पानाबरस में सी.सी.रोड 280 मी. निर्माण कार्य	9.54	0	निरस्त
26	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम खासफड़की हाटबाजार में 03 नग कवर्डशेड एवं सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	17.97	17.77	पूर्ण
27	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम कुम्हारी हाटबाजार में 03 नग कवर्डशेड एवं सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	17.97	16.34	पूर्ण
28	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम ईरागांव हाटबाजार में 03 नग कवर्डशेड एवं सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	15.61	14.65	पूर्ण
29	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम कोसमी हाटबाजार में 03 नग कवर्डशेड एवं सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	17.97	16.47	पूर्ण
30	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम दिघवाडी हाटबाजार में 03 नग कवर्डशेड एवं सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	17.97	0	निरस्त
31	2022-23	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	ग्राम पंचायत बसेली में 260 मी सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	9.97	0	निरस्त
योग:-					617.79	425.01	
	2023-24	निरंक					
	2024-25	निरंक					
	2025-26 (17.02.2026 की स्थिति में)	निरंक					
महायोग:-					752.70	551.15	

Digitally signed by

Vikas Mishra

(विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026

14:28:29

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत प्रशिक्षित मैत्रियों की ग्रामवार एवं विकासखण्डवार सूची -

वर्ष	क्र	नाम	ग्राम	विकासखण्ड	व्यय राशि
बजट प्राप्त वर्ष 2018-19 प्रशिक्षण वर्ष 2022-23	1	श्री देवेन्द्र कुमार	उरईदाबारी	डोगरगढ़	20,000/-
	2	श्री कौशल कुमार उरवासा	लेडीजॉब	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	3	श्री राजेन्द्र कुमार चंदेल	कोहलाटोला	छुईखदान	20,000/-
	4	श्री बेलचंद मेरीया	अलकन्हार	मोहला	20,000/-
	5	श्री बद्रीनाथ गोंड	सरायपतेरा	छुईखदान	20,000/-
	6	श्री भानु प्रकाश	बकरकट्टा	छुईखदान	20,000/-
	7	श्री रामाधार जमवेश	आमगांव	छुईखदान	20,000/-
	8	श्री रूपेन्द्र	मोहगांव	छुईखदान	20,000/-
	9	श्री शैलेन्द्र कुमार खेलकर	देवरचा	छुईखदान	20,000/-
	10	श्री मुकेश्वर सिंह	बड़गांव	छुईखदान	20,000/-
	11	श्री गोपाल सिंह	उमरवाही	छुरिया	20,000/-
	12	श्री विजय जंघले	सहसपुर	छुरिया	20,000/-
	13	श्री अमर सिंह कोठारी	बोरिया	छुईखदान	20,000/-
	14	श्रीमती रतना बाई	पेंडौदी	मानपुर	20,000/-
	15	श्रीमती राधा जाडे	घोटिया	मानपुर	20,000/-
	16	श्रीमती रोहणी कोमा	औंधी	मानपुर	20,000/-
	17	श्रीमती प्रसन्ना बाई	हालेपायली	मानपुर	20,000/-
	18	श्रीमती सतवंतीन भौरैया	चवेला	मानपुर	20,000/-
	19	श्रीमती कुमुलता तारम	चापाटोला	मानपुर	20,000/-
	20	प्रीति	उपरवाही	मानपुर	20,000/-
	21	श्रीमती काला बाई	कंडे	मोहला	20,000/-
	22	प्रतिमा	बुदन कट्टा	मोहला	20,000/-
	23	श्री विनोद	बागनदी	छुरिया	20,000/-
	24	श्री मदन लाल लंजारे	हलमकोडी	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	25	श्री देवीलाल बेसन	ठाकुरबंधा	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	26	श्री बेदराम कुंजाम	कुसुमकसा	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	27	श्री हेमराज	मरी	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	28	श्री नवीन कुमार	ककटीटोला	अम्बागढ़ चौकी	20,000/-
	29	श्री रोषन कुमार यादव	गंडई (दुग्ध संघ)	छुईखदान	20,000/-

(Handwritten signature)

वर्ष	क्र	नाम	ग्राम	विकासखण्ड	व्यय राशि
बजट प्राप्त वर्ष 2018-19 प्रशिक्षण वर्ष 2022-23	30	श्री प्रकाश जांगडे	कलेवा (दुग्ध संघ)	राजनंदगांव	20,000/-
	31	श्री खुबलाल यादव	सोनेसरार	डोगरगांव	20,000/-
	32	श्री गजाधर साहू	कोटराभाठा	राजनंदगांव	20,000/-
	33	श्री दुलेश्वर यदु	घुमका	राजनंदगांव	20,000/-
	34	श्री सुर्यकांत	गोपालपुर	राजनंदगांव	20,000/-
	35	श्री राजकुमार यादव	छुईखदान	छुईखदान	20,000/-
	36	श्री यशवंत कुमार	कोरे	छुरिया	20,000/-
	37	श्री मुकुट राम जंघेल	जंगलपुर	छुरिया	20,000/-
	38	श्री धर्मेन्द्र जंघेल	संडी	छुईखदान	20,000/-
	39	श्री तरुण पंडरीया	चकनार	छुईखदान	20,000/-
	40	श्री रोहित साहू	करेला पारा	खैरागढ़	20,000/-
	41	श्री हेमंत साहू	कुतुलबोड	राजनंदगांव	20,000/-
	42	श्री जितेश कुमार देवांगन	पचपेडी	राजनंदगांव	20,000/-
	43	श्री पप्पु साहू	बधीरा	राजनंदगांव	20,000/-
	44	श्री भुपेन्द्र साहू	कुम्हलेरी	राजनंदगांव	20,000/-
	45	श्री जयपाल साहू	सहसपुर	राजनंदगांव	20,000/-
46	श्री चुलन कुमार यादव	धमनसारा	राजनंदगांव	20,000/-	
बजट प्राप्त वर्ष 2020-21 प्रशिक्षण वर्ष 2022-23	1	श्री मदन लाल	सीताकासा	अम्बागढ़ चौकी	31,000/-
	2	श्री किशोर कुमार	सलोनी	छुरिया	31,000/-
	3	श्री संजीव साहू	खपराभाट	राजनंदगांव	31,000/-
	4	श्री भोनगुल दास	घोटिया	छुरिया	31,000/-
	5	श्री मनहरण लाल	रामपुर	खैरागढ़	31,000/-
	6	श्री नरेश कुमार	चोभर	छुईखदान	31,000/-
	7	श्री उत्तम कुमार	करेठी	छुईखदान	31,000/-
	8	श्री नरेन्द्र कुमार जामुरीया	गहिराबेदी	छुरिया	31,000/-
	9	श्री धमेन्द्र कुमार	मगरकुंड	छुरिया	31,000/-
	10	श्री चेतन कुमार वर्मा	ढाबा	छुईखदान	31,000/-

वर्ष	क्र	नाम	ग्राम	विकासखण्ड	व्यय राशि
बजट प्राप्त वर्ष 2020-21 प्रशिक्षण वर्ष 2022-23	11	श्री विनीत सहारे	चौथना	छुईखदान	31,000/-
	12	श्री तुलसी दास सहटोंडे	भदेरानावागांव	डोंगरगढ़	31,000/-
	13	श्री श्याम सुन्दर वर्मा	भालूकोन्हा	राजनंदगांव	31,000/-
	14	श्री विनोद कुमार लहरे	बिरेझर	राजनंदगांव	31,000/-
	15	श्री हर्ष सिंह	ममता नगर	राजनंदगांव	31,000/-
	16	श्री गौरव कौशिक	भटगांव	राजनंदगांव	31,000/-
	17	श्री रणधीर कुमार लिहरे	हरदुआ	राजनंदगांव	31,000/-
योग	63 प्रशिक्षित मैत्री				14,47,000/-


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशिष्ट - तेईस

पॉरेवातेत अतारााकेत प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1893) की जानकारी

प्रपत्र

असर्वेक्षित ग्राम/वनग्राम/राजस्व ग्राम में पंजीकृत किसानों की जानकारी

क्र.	जिला	पंजीकृत किसानों की संख्या	असर्वेक्षित ग्राम/वनग्राम में धान का रकबा (हेक्टेयर में)	धान बेचने वाले किसानों की संख्या	बेचे गए धान की मात्रा (क्वि.)	धान नहीं बेचने वाले किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	बस्तर	3265	2012.56	1573	71113.20	1692
2	बीजापुर	1963	2532.27	1270	49645.60	693
3	दन्तेवाड़ा	1378	1220.04	355	5675.60	1023
4	कांकेर	4832	5029.24	3411	200870.00	1421
5	कोंडागांव	8082	7714.02	5666	328038.00	2416
6	नारायणपुर	4418	5085.51	1190	33672.40	3228
7	सुकमा	4273	4413.43	2552	120360.00	1721
8	बिलासपुर	1404	825.04	665	45240.00	739
9	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	1252	415.97	408	17550.80	844
10	जांजगीर चाम्पा	134	87.93	108	5480.80	26
11	कोरबा	2655	1256.51	1347	47333.60	1308
12	मुंगेली	2737	3210.64	2126	113871.20	611
13	रायगढ़	1321	621.60	688	25520.40	633
14	सक्ती	50	12.50	35	1019.20	15
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	683	367.25	480	19451.60	203
16	बालोद	554	775.68	464	25046.80	90
17	बेमेतरा	2	0.00	0	0.00	2
18	दुर्ग	4	0.00	0	0.00	4
19	कवर्धा	4955	3517.14	2616	158964.80	2339
20	राजनांदगांव	1035	696.64	887	32089.20	148
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	1542	1038.91	1023	36546.80	519
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	4466	4298.11	3600	162003.60	866
23	बलौदाबाजार	5866	6417.46	5025	272003.20	841
24	धमतरी	6627	9621.00	5557	318910.80	1070
25	गरियाबंद	4161	2532.14	2803	131331.20	1358
26	महासमुंद	3822	3751.84	3269	195407.20	553
27	रायपुर	1	0.00	0	0.00	1
28	बलरामपुर	1521	715.87	939	45934.80	582
29	जशपुर	604	171.32	173	8447.60	431
30	कोरिया	1058	606.37	725	27781.20	333
31	सरगुजा	2267	931.74	1450	43934.80	817
32	सुरजपुर	1511	1264.85	885	48287.20	626
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	3221	1917.33	1996	75802.80	1225
महायोग		81664	73060.91	53286	2667334.40	28378

Digitally signed by (विकास मिश्रा)

Vikas Mishra उप सचिव

Date: 06-03-2026 शासन

14:10:14 कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पट्टा आबंटन हेतु पात्रता की जानकारी

नवीन मछली पालन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के कण्डिका क्रमांक 33

33. पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम :-

1. पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति एवं मछुआ समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता होगी।)
2. स्थानीय महिला स्व सहायता समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता) होगी।
3. ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
5. गोधन न्याय योजना अन्तर्गत निर्मित गौठान हेतु निर्मित तालाबों में मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह द्वारा की जावेगी।

“मछुआ” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी आजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करता है। (वंशानुगत मछुआ जाति/धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता क्रम में रखा जाएगा।

प्राथमिकता क्रम का आशय यह है कि जब प्रथम प्राथमिकता के लोग उपलब्ध नहीं होंगे अथवा आवश्यक सदस्य संख्या का अभाव होगा, तब ही द्वितीय प्राथमिकता के लोगों का समावेश किया जा सकेगा। इसी तरह ही तृतीय चतुर्थ एवं पंचम प्राथमिकता का विचार किया जा सकेगा।

33.2. शासन की स्पष्ट नीति है कि तालाब/जलाशय का पट्टा आबंटन करने हेतु निर्धारित प्राथमिकता क्रमानुसार ही इन तालाब/जलाशयों को स्थानीय मछुओं को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य पालन हेतु पंचायते पट्टे पर आबंटित करेंगी किसी भी स्थिति में इन जलक्षेत्रों की नीलामी नहीं करेगा।

33.3. अनुसूचित जनजाति अधिसूचित जिला/क्षेत्र में उसी जाति/वर्ग के स्थानीय पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति/महिला स्व सहायता समूह/मछुआ समुह/मछुआ व्यक्ति को प्राथमिकताओं का पालन करते हुये उनकी आर्थिक बायेबिलिटी को भी ध्यान रख पंचायते पट्टा आबंटित करेगा।

33.4. यदि सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र के तालाब/जलाशय के परिधि में अन्य वर्ग (सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा) की मछुआ सहकारी समिति पंजीकृत हों तो उन्हें समिति के पंजीकृत बायलॉज मेें वर्णित कार्यक्षेत्र के तालाबों को नीति में निहित निर्देशानुसार प्रथम प्राथमिकता होगी।

33.5. तालाब/जलाशय की परिधि में आने वाली उन्ही स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता रहेगी जिनके समिति गठन के समय पंजीकृत उपविधि में कार्यक्षेत्र ग्राम/ग्राम पंचायत का स्पष्ट उल्लेख हो।

33.6. यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक स्थानीय क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियाँ है तो निर्धारित समयावधि में आवेदन देने की स्थिति में सबसे पुरानी क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी किंतु संबंधित तालाब/जलाशय समिति के उपविधि में वर्णित हो। यदि दोनों समिति के कार्यक्षेत्र में तालाब/जलाशय वर्णित न हो तो उक्त स्थिति में पुरानी समिति को प्राथमिकता होगी।

33.7. पंचायत ऐसे तालाब/जलाशय जिसमें पूर्व से ही सिंघाड़ा, ढेंस, कमल आदि की फसल ली जा रही है को मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा, ढेंस फसल के लिए उसी मछुआ समिति मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को जिसे मछली पालन हेतु पट्टा दिया जा रहा है, अतिरिक्त फसल हेतु अतिरिक्त पट्टा राशि लेकर सिंघाड़ा, ढेंस उत्पादन के लिए पट्टा पर दिये जावे ताकि दोनो ही तरह की खेती में विवाद न हों।


33.8. कंण्डिका-2 में वर्णित प्राथमिकता क्रम में तालाब/जलाशय का आबंटन स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा।

स्थानीय मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को आबंटित किया जावेगा।

33.9. मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 0.50 हेक्टर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 2.00 हेक्टर प्रति सदस्य/व्यक्ति के मान से दिया जा सकेगा ।

33.10. मछुआ सहकारी समिति को एक से अधिक तालाब ऊपर वर्णित अधिकतम औसत जलक्षेत्र सीमा तक आबंटित किया जा सकता है ।

33.11. शासन द्वारा उल्लेखित प्राथमिकता क्रम अनुरूप ही पंचायत स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह/मछुआ समूह/मछुआ व्यक्ति आबंटित करेगी और ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण विस्थापित हो गये हैं ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को अथवा उस क्षेत्र में स्व सहायता समूह उपलब्ध न होने की दशा में समीपस्थ मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह मछुआ व्यक्ति को तालाब/जलाशय आबंटित करेगी।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग


संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - पच्चीस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1921) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांक 'क' की जानकारी—

गौधाम हेतु प्रावधानित राशि

- पोषण आहार अनुदान—

प्रथम वर्ष	—	10 रूपये प्रतिदिन/पशु
द्वितीय वर्ष	—	20 रूपये प्रतिदिन/पशु
तृतीय वर्ष	—	30 रूपये प्रतिदिन/पशु
चतुर्थ वर्ष	—	35 रूपये प्रतिदिन/पशु
- चरवाहों को मानदेय— अकुशल वर्ग, राशि रू. 10,916.00 प्रति माह
- गौ सेवक को मानदेय — उच्च कुशल वर्ग, राशि रू. 13,126.00 प्रति माह
- पशु नस्ल सुधार — राशि रू. 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) प्रति वर्ष।
- चारा विकास — 1 एकड़ के लिए राशि रू. 47,000.00
5 एकड़ के लिए राशि रू. 2,85,000.00
- अधोसंरचना विकास (पशु शेड निर्माण/मरम्मत) — राशि रू. 5,00,000.00


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2025.26 में दिनांक 28.02.2026 तक मक्का बीज का क्रय मात्रा, भुगतान तथा खरीदी हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	क्रय किये गये मक्का बीज की मात्रा (किग्रा)	मक्का बीज किस	दर रु./किग्रा जिस पर मक्का बीज खरीदी की गई	कुल राशि (रु. में)	फर्म/संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	खरीदी का दिनांक	खरीदी हेतु अपनायी गई प्रक्रिया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	लंबित भुगतान राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महारासुंद	19500	डीएमआरएच —1308	296	5772000	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	02-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	5772000
2	धमतरी	16800	डीएमआरएच —1308	296	4972800	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	27-11-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	4972800
3	बिलासपुर	9000	डीएमआरएच —1308	296	2664000	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	05-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	2664000
4	मुंगेली	7800	डीएमआरएच	296	2308800	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	28-11-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	2308800
5	जांजीर-चांपा	17956	डीएमआरएच —1308	296	5314976	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	02-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	5314976

क्र.	जिला का नाम	क्रय किये गये मक्का बीज की मात्रा (किया)	मक्का बीज किस्म	दर रु./किया जिस पर मक्का बीज खरीदी की गई	कुल राशि (रु. में)	फर्म/संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	खरीदी का दिनांक	खरीदी हेतु अपनायी गई प्रक्रिया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	लंबित भुगतान राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	एडवांटा एडीवी-756	295	796500	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.)	09-06-2025	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.) से सीधे खरीदी की गई	796500	-
6	कोरबा	1800	डीएमआरएच -1308	296	532800	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	09-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	532800
		1110	डीएमआरएच -1308	296	328560	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	21-11-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	328560
7	रायगढ़	3900	डीएमआरएच -1308	296	1154400	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	02-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	1154400
8	सक्ती	900	डीएमआरएच -1308	296	266400	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	14-11-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	266400
9	सरगुजा	300	डीएमआरएच -1308	296	88800	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	12-01-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	88800
10	बलरामपुर	6450	डीएमआरएच -1308	296	1909200	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्ता, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	23-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	1909200

क्र.	जिला का नाम	क्रय किये गये मक्का बीज की मात्रा (किया)	मक्का बीज किस्म	दर रू./किया जिस पर मक्का बीज खरीदी की गई	कुल राशि (रू. में)	फर्म/संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	खरीदी का दिनांक	खरीदी हेतु अपनायी गई प्रक्रिया	भुगतान की गई राशि (रू. में)	लंबित भुगतान राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	जशपुर	750	डीएमआरएच-1308	296	222000	कर्णावती सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डी-202, सत्यमेव विस्टा, गोता ब्रिज के पास, गोता, अहमदाबाद, गुजरात, 382421	17-12-2025	जैम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा पद्धति द्वारा	-	222000
12	कोण्डागांव	2996	श्रीराम बायोसीड-9782	260	778960	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.)	18-11-2025	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.) से सीधे खरीदी की गई	778960	-
		1348	श्रीराम बायोसीड-9782	260	350480	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.)	10-06-2025	राष्ट्रीय बीज निगम लिमि., रायपुर (छ.ग.) से सीधे खरीदी की गई	350480	-
	कुल योग	93310			27460676				1925940	25534736

Digitally signed by (विकास मिश्रा)
Vikas Mishra
उप सचिव
Date: 06-03-2026 छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
16:52:12 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - सप्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 2035) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

प्रदेश अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम एवं पोटाकेबिन में जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक निवासरत छात्र-छात्राओं की हुई मृत्यु के संबंध में जानकारी।

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	बालक छात्रावास चेरामंगी	उसूर	जेवियर कुजूर	श्री ललित कुजूर	आत्महत्या	27-02-2024	छात्रावास अधीक्षक को निलंबित किया गया	-
2	बीजापुर	कन्या आश्रम बेदरे	भैरमगढ़	कु0 अनिता कुरसम	श्री वैजा कुरसम	उल्टी-दस्त	07-08-2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
3	बीजापुर	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	भैरमगढ़	कुमारी मंजू पोयाम	सोनधन पोयाम	बौलण्डीवाल से गिर जाने से	29-11-2024	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक को अधीक्षकीय कार्य से पृथक किया गया।	1.00 लाख
4	नारायणपुर	प्री.मै.आ.बा.छा.सोनपुर	नारायणपुर	स्व. सूरजु राम कुमैटी	श्री संतुराम कुमैटी	मलेरिया से	04-08-2024	अधीक्षक द्वारा मृत छात्र के इलाज में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	-
5	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	बकावण्ड	कु0 अंजना कश्यप	श्री मंगल राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलावल में उपलब्ध समस्त जीवन रक्षक मेडिसीन के द्वारा 15 मिनट तक CPR करने के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, और दोपहर 02:02 बजे इलाज के दौरान छात्रा की मृत्यु अस्पताल में हुई।	01-09-2024	अधीक्षिका द्वारा मृत छात्रा के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। इस कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई	1.00 लाख
6	बस्तर	पो0मै0 बालक छात्रावास बकावण्ड	बकावण्ड	त्रिनाथ कश्यप	श्री जगुराम कश्यप	परिजन द्वारा छात्र के उचित इलाज हेतु बाहर ले कर जा रहे थे किन्तु छात्र की मृत्यु रास्ते में हो गई।	12-12-2024	अधीक्षक द्वारा छात्र त्रिनाथ कश्यप के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई जिसके कारण अधीक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	1.00 लाख
7	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	कोन्टा	सोडी जोगा	श्री सोडी चिंगा	मलेरिया	21-07-2024	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-

सुभाग अधीक्षक
आदिप जाति विकास विभाग
नारायण, गढ़मण्डी भवन, नवा सयपुर

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्रा	सुकमा	कु. सोडी संध्या	श्री जमेश सोडी	मलेरिया	14-11-2024	कार्यलयीन आदेश क्रमांक/आ.वि./स्था./2024-24/2312 सुकमा दिनांक 26.11.2026 के तहत अधीक्षिका के पद से हटा दिया गया है।	-
9	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकूर	सुकमा	माडवी दुला	श्री नंदा	सिर में दर्द	12-04-2024	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण मविध्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-
10	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम मण्डारसिवनी	फरसगांव	गौरव कुमार	श्री तुलसी मण्डावी	सड़क दुर्घटना	12-08-2024	-	100000
11	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम खडपड़ी	कोण्डगांव	तामेश्वर कोर्रा	श्री रामचंद्र कोर्रा	मलेरिया	03-10-2024	-	100000
12	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम कांगा	कोण्डगांव	समीर कोर्रा	श्री मिलू राम कोर्रा	आकस्मिक	22-12-2024	-	100000
13	कोण्डगांव	प्री-मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरदाबेडा	फरसगांव	कु0 ममता	श्री लक्ष्मीनाथ	आकस्मिक	26-12-2024	-	100000
14	धमतरी	आदिवासी बालक आश्रम करैहा	नगरी	ओमन कुमार	श्री राघुलाल गोड़	निर्मानिया होने के कारण सास लेने में तकलीफ होने से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु होना बताया गया।	15-08-2024	प्रमारी अधीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अधीक्षक से प्राप्त जवाब के आधार व जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षक को मविध्य के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया।	-
15	महासमुन्द	पो0म0 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास महासमुन्द	महासमुन्द	कु.चांदनी कोसारिया	श्री तातुलाल कोसारिया	आज्ञात	13-11-2024	-	-
16	सूरजपुर	कन्या आश्रम डेडरी	सूरजपुर	कु.खुशमनी	श्री मनोज सिंह	सिकल सेल एनिलिया की वजह से	09-11-2024	-	-
17	सरगुजा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास दरिमा	अम्बिकापुर	मुकेश तिकी	श्री रामजीत तिकी	आत्महत्या	28-02-2024	छात्रावास अधीक्षक को निलंबित किया गया	-

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनो को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पोटाकेबिन									
18	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल संगमपल्ली	भो.पटनम	कु. वेदिका जब्बा	श्री नन्दू	मलेरिया	14.07.2024	विभागीय जांच	-
19	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल तारलागुडा	भो.पटनम	कु. दीक्षिता रंगा	श्री प्रमाकर	मलेरिया	12.07.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
20	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल दुगईगुडा	उसूर	राकेश पूनेम	श्री सुछरू	मलेरिया	27.09.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
21	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल भटवाड़ा	भैरमगढ़	टंकेश्वर नाग	श्री शेषदेव	मलेरिया	16.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
22	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल नैमड़	बीजापुर	कु.प्रमिला वेटी	श्री हिड़मो	आकस्मिक	28.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
23	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल बीजापुर	बीजापुर	कुरजीना कुडमुल	श्री मल्ला	किडनी फेल	04.12.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
24	बीजापुर	क.रेसी.स्कूल नैमड़	बीजापुर	कु.दीप्ति कुहरामी	श्री मंगलू	आकस्मिक	28.11.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
25	बीजापुर	बा.रेसी.स्कूल बासागुडा	उसूर	देवा मडकम	श्री नन्दा	सिकलिन	20.08.2024	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
26	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा केबिन तोंगपाल	छिन्दगढ़	कृष्णा बघेल	श्री चैतन बघेल	मोटर साईकल दुर्घटना	05.04.2024	-	-
27	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा केबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	कुमारी सन्नी	श्री भीमा	कैंसर	02.06.2024	-	-
28	सुकमा	केजीबीव्ही कोपटा	कोपटा	कवासी मंजू	श्री धुरवा	पेट की बीमारी	08.10.2024	-	-
29	सुकमा	पोर्टा केबिन बुडदी	सुकमा	आयता मडकामी	श्री डोमू	चेचक	14.10.2024	-	-
30	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा केबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	कुमारी रोशनी	श्री इंदर नाग	आकस्मिक मृत्यु	16.12.2024	जांच किया गया।	-
31	दत्तेवाड़ा	बालक पोटाकेबिन भांसी	दत्तेवाड़ा	घासीराम	स्व. श्री बिसरो बास्ता	आत्महत्या	07-12-2024	जिला स्तरीय समिति का गठन कर जांच कराया गया।	-

प्रपत्र "अ"

प्रदेश संभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम एवं पोस्टालेकिन में जनवरी 2025 से 17 फरवरी 2026 तक निवासार्थ छात्र-छात्राओं की हुई मृत्यु के संबंध में जानकारी।

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	बालक आश्रम एडापल्ली	भोपालपटनम	श्री करनदास कुरसम	श्री रमेश कुरसम	सीने में दर्द सांस लेने में तकलीफ	16-01-2025	प्रकरण में प्रभारी अधीक्षक का निलंबित किया गया।	-
2	बीजापुर	बालक आश्रम मिरतुर	भैरमगढ़	श्री राकेश कुमार आयाम	श्री भीमा आयाम	मलेरिया से	10-07-2025	जॉच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण संबंधित अधीक्षकों को विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। भविष्य के लिए सचेत किया गया।	-
3	बीजापुर	कन्या आश्रम तोयनार	बीजापुर	कु0 शर्मिला कुडियम	श्री नागा कुडियम	सांस लेने में दिक्कत, पेट दर्द, चेहरे में सुजन	31-07-2025		-
4	बीजापुर	कन्या आश्रम ईतामपार	भैरमगढ़	कु0 लक्ष्मी पुनेम	श्री मंगलु पुनेम	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में कुर में डुबने से	08-08-2025		4.00 लाख
5	बीजापुर	बालक छात्रावास चिन्नाकवाली	बीजापुर	राजेश यालम	श्री बोर्ला यालम	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में स्वास्थ्य खराब होने के कारण	15-08-2025		-
6	बीजापुर	प्री0मै0बा0छा0 बीजापुर	बीजापुर	रोहित कोरसा	श्री रमेश कोरसा	अवकाश के दौरान गृह ग्राम में तालाब में डुबने के कारण	21-09-2025	जॉच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण संबंधित अधीक्षकों को विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। भविष्य के लिए सचेत किया गया।	-
7	बीजापुर	बालक आश्रम पुसबाका	उसूर	लेकाम शम्भू	श्री मंगु लकाम	दशहरा अवकाश के दौरान गृह ग्राम में फासी लगाकर आत्महत्या किया गया	08-10-2025		-
8	बीजापुर	बालक छात्रावास चेरामंगी	उसूर	अजय कुमार कोरसा	श्री नरसा कोरसा	दिपावली अवकाश के दौरान गृह ग्राम में तबीयत खराब होने से	22-10-2025		-
9	बीजापुर	बा0छा0 गुदमा	भैरमगढ़	पवन वाचम	श्री हरिराम वाचम	मलेरिया से	15-12-2025	छात्रावास अधीक्षक को संस्था से हटाया गया।	-
10	दन्तेवाड़ा	बालक आश्रम गोंगपाल	कुआकोण्डा	संजय पोडियामी	बुधराम पोडियामी	मलेरिया	03-08-2025	गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधीक्षक को भविष्य के लिए चेतावनी दिया गया।	-
11	दन्तेवाड़ा	प्री.मै.अ.ज.जा.क.छा.दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	कु राधा कर्मा	सुकमन कर्मा	टाइफाईड मलेरिया	08-08-2025	अधीक्षिका के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। उक्त संबंध में अधीक्षिका को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।	-

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	कांकेर	प्री.मै.बा.छा.अंतागढ़	अंतागढ़	साहिल उईके	स्व. श्री रत्तीराम उईके	घर पर आत्महत्या	24-07-2025		-
13	कांकेर	प्री.मै.क.छा. ताडोकी	अंतागढ़	कु.प्रतिभा दरपट्टी	श्री जगूराम दरपट्टी	कांकेर अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु	01-08-2025	मौत छात्रावास/आश्रम में नहीं हुई है अतः कार्यवाही निरंक	-
14	कांकेर	प्री.मै.क.छा. आमाबेडा	अंतागढ़	कृ. दिव्या सलाम	श्री श्रवण सलाम	घर पर आत्महत्या	12-02-2026		-
15	कांकेर	बालक आश्रम सिंगारभाट	कांकेर	हिरेंद्र कुमार वट्टी	श्री विरेन्द्र वट्टी	अपने निवास स्थान पर	06-04-2025	मौत छात्रावास/आश्रम में नहीं हुई है अतः कार्यवाही निरंक	-
16	बस्तर	प्री0मै0 कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	कु0 रविना बघेल	श्री पतिराम बघेल	शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने निवास स्थान में अज्ञात कारण से आत्महत्या की गई ।	06-01-2025	अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार का लापरवाही बरतना नहीं पाये जाने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।	1.00 लाख
17	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	सुकमा	कुडामी नन्दा	श्री देवा	मलेरिया	27-01-2025	प्रमारी अधीक्षक को जांच उपरांत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की गई है।	-
18	सुकमा	बालक आश्रम चितलनार	छिन्दगढ़	भीमा पोडियामी	श्री हुगाराम पोडियामी	मलेरिया	02.08.2025	जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षक की लापरवाही परिलक्षित नहीं होने के कारण मविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में चेतावनी दी गयी है।	-
19	कोण्डगांव	प्री-मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलाबंड	कोण्डगांव	सागर बघेल	श्री दयमन बघेल	उल्टी दस्त	19.01.2025		-
20	कोण्डगांव	कन्या आश्रम हंगवा	कोण्डगांव	कु0 जयंती नाग	श्री बाणमाली नाग	फुड पायजनिंग	11-02-2025		100000
21	कोण्डगांव	कन्या आश्रम मोहलाई	कोण्डगांव	कु0 लक्ष्मी कश्यप	श्री सीताराम कश्यप	बुखार/ निमोनिया के कारण।	21-02-2025		-
22	कोण्डगांव	बालक आश्रम करियाकाटा	कोण्डगांव	होमेश्वर सोरी	श्री दिनकर सोरी	आकस्मिक	21-07-2025		-
23	कोण्डगांव	अजजा प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	कु. बुनेता	श्री आसमन मण्डावी	आकस्मिक	21-08-2025		-
24	कोण्डगांव	कन्या आश्रम काटागांव	माकड़ी	कु चम्पा नेताम	श्री रामचन्द्र नेताम	आत्महत्या	11-10-2025	हाँ, संबंधित अधीक्षक को निलंबन किया गया है।	-
25	कोण्डगांव	बालक आश्रम मटवाल	कोण्डगांव	रविन्द्र कोराम	श्री सुरेश कोराम	मलेरिया	19-11-2025		-
26	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम लाऊ	राजपुर	अजीत कुमार	श्री नोहर साय	उल्टी दस्त होने के कारण घर से स्वास्थ्य केन्द्र ले जाते समय मृत्यु	03-02-2025	श्री बीरसाय राम तत्कालीन प्रमारी अधीक्षक पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम लाऊ विकासखण्ड राजपुर को निलंबित किया गया है।	-

क्र	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	बलरामपुर	बालक आश्रम झारा	रामचन्द्रपुर	विजय सिंह	श्री हीरालाल	संस्था परिसर में सर्प दंश के कारण	15-07-2025	श्री कुंवर सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक बालक आश्रम झारा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर को निलंबित किया गया है।	-
28	बलरामपुर	बालक आश्रम जरहाडीह	बलरामपुर	अमय कच्छप	श्री साहेब कच्छप	संस्था परिसर में स्थित झाड़ी काटते समय टागिया से पैर कटने के कारण	31-08-2025	श्री दिनेश कुमार तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक बालक आश्रम जरहाडीह, विकासखण्ड बलरामपुर को निलंबित किया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध थाना बलरामपुर में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। जिस पर न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।	-
29	धमतरी	प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास नगरी	नगरी	कु. जागृति कोरम	श्री मनोज कुमार	शीतकालीन अवकाश के दौरान छात्रा के द्वारा अपने घर पर आत्महत्या की गई।	14-01-2025	प्रभारी अधीक्षिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अधीक्षिका से प्राप्त जवाब के आधार पर प्रभारी मण्डल संयोजक से जांच कराया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार अधीक्षिका द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। उक्त संबंध में अधीक्षिका को मविध्य के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया।	-
30	जशपुर	शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बरिया	कांसाबेल	अमृत साय	श्री नंदकिशोर साय	सर्पदंश	08-07-2025	प्रभारी आश्रम अधीक्षक को निलंबित किया गया।	5.00 लाख

पोटाकेबिन

31	बीजापुर	बालक रेसीडेंसीयल स्कूल दुर्गागुड़ा	उसूर	नितेश धुवा	श्री अर्जुन धुवा	आकस्मिक	30.03.2025	विभागीय जांच	-
32	बीजापुर	बालक रेसीडेंसीयल स्कूल भटवाड़ा	भैरमगढ़	सोमारू पोयामी	श्री राजू पोयामी	स्वास्थ्य खराब	25.11.2025	विभागीय जांच	-
33	बीजापुर	पोर्टा केबिन कन्या छात्रावास 100 सीटर नैमड़	बीजापुर	कु. पिकी कुरसम	श्री भीमा कुरसम	आत्महत्या	05.08.2025	विभागीय जांच	-
34	बीजापुर	बालक रेसीडेंसीयल स्कूल चेरपाल	बीजापुर	समीर कड़ती	श्री रामतू कड़ती	सर्पदंश	5.08.2025	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-
35	बीजापुर	कन्या रेसीडेंसीयल स्कूल आवापल्ली	उसूर	कु. नागमंडी सेमला	श्री भीमा	स्वास्थ्य खराब	15.12.2025	विभागीय जांच	-
36	बीजापुर	कन्या रेसीडेंसीयल स्कूल कुटुरू	भैरमगढ़	कु. पार्वती कोवासी	श्री कोसाराम कोवासी	स्वास्थ्य खराब	06.01.2025	विभागीय जांच	-
37	बीजापुर	बालक रेसीडेंसीयल स्कूल केशकुल	भैरमगढ़	आकाश कुंजाम	श्री सुखराम	मलेरिया, डेंगू, टायफाइड	26.12.2025	विभागीय जांच	-

क	जिला	संस्था का नाम	विकास खण्ड	मृतक विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मृत्यु का कारण	मृत्यु दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शासन द्वारा परिजनों को प्रदाय की गई मुआवजा राशि की जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा केबिन तौंगपाल	छिन्दगढ़	भीमा राम कवासी	श्री लखमा	मोटर साईकल दुर्घटना	16.03.2025	-	-
39	दंतेवाड़ा	कन्या पोटाकेबिन मोखपाल	कटेकल्याण	कु. नम्रता	श्री धनु राम	पैर में चोट के पश्चात जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान	05-01-2026	जिला स्तरीय समिति का गठन कर जांच कराया गया।	-
40	सुकमा	100 सीटर बालक छात्रावास गादीरास पोटाकेबिन	सुकमा	विकास	श्री दुला	अवकाश अवधि में अपने निवास स्थान पर अल्माहत्या की गई	08.01.2026	श्री दुलार सिंह सेरपा अधीक्षक को अधीक्षक के दायित्व से मुक्त कर उनकी मूल पदस्थापना स्कूल हेतु आदेशित किया गया।	-

अनुभाग अधिकारी
आदिन ज्योति विद्यारथि विभाग
बालक, महात्माजी भवन, काठमाडौं

प्रपत्र. "ब"

प्रदेश अंतर्गत संस्था जंहा घटना घटित हुई है उन्ह संस्थाओं में जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2026 तक की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र	जिला	संस्था का नाम जंहा घटना घटित हुई है	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष 2024.25				वित्तीय वर्ष 2025.26			
				संधारण/ अनुसंधान		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु		संधारण/ अनुसंधान		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु	
				प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बीजापुर	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास फरसेगढ़	भैरमगढ़	100000	100000	-	-	-	-	-	-
2	बीजापुर	कन्या आश्रम ईतामपार	भैरमगढ़	-	-	400000	400000	-	-	-	-
3	दन्तेवाड़ा	बालक आश्रम गोंगपाल	कुआकोण्डा	-	-	-	-	239000	239000	-	-
4	दन्तेवाड़ा	प्री.मै.अ.ज.का.छा.दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	488000	488000	-	-	40000	40000	-	-
5	नारायणपुर	प्री.मै.बा.छा.सोनपुर	नारायणपुर	25000	25000	-	-	-	-	-	-
6	कांकेर	प्री.मै.बा.छा.अंतागढ़	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
7	कांकेर	प्री.मै.क.छा. ताडोकी	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
8	कांकेर	प्री.मै.क.छा. आमाबेड़ा	अंतागढ़	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
9	कांकेर	बालक आश्रम सिंगारमाट	कांकेर	25000	25000	-	-	425000	425000	-	-
10	बस्तर	कन्या आश्रम कोलावल	बकावण्ड	1000000	993000	-	-	-	-	-	-
11	बस्तर	पो0मै0 बालक छात्रावास बकावण्ड	बकावण्ड	-	-	-	-	178000	178000	-	-
12	बस्तर	प्री0मै0 कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर	-	-	-	-	1000000	0	-	-
13	सुकमा	बालक आश्रम किस्टाराम	कोन्टा	82700	82700	-	-	25000	25000	1918000	-
14	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्दा	सुकमा	755000	523600	-	-	866000	250000	176000	-
15	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकूर	सुकमा	25000	25000	-	-	25000	25000	-	-
16	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल	सुकमा	40000	40000	-	-	40000	40000	-	-
17	सुकमा	बालक आश्रम चितलनार	छिन्दगढ़	25000	25000	-	-	271000	25000	-	-
18	सुकमा	बालक आवासीय पोर्टा केबिन तोंगपाल	छिन्दगढ़	455314	316140	300507	297528	350801	253501	231132	158616
19	सुकमा	कन्या आवासीय पोर्टा केबिन बालाटिकरा	छिन्दगढ़	624064	446273	410205	386629	469000	160620	309000	203060
20	सुकमा	केजीबीव्ही कोण्टा	कोण्टा	250000	247749	150000	150000	127494	127494	75880	75880
21	सुकमा	पोर्टा केबिन बुडदी	सुकमा	360654	168000	238027	60270	250440	103224	165006	103510
22	सुकमा	100 सीटर बालक छात्रावास गादीरास	सुकमा	125000	104000	82500	68725	93800	93800	61800	61800

क्र	जिला	संस्था का नाम जंहा घटना घटित हुई है	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष 2024.25				वित्तीय वर्ष 2025.26			
				संधारण / अनुरक्षण		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु		संधारण / अनुरक्षण		अन्य मदों में व्यवस्था हेतु	
				प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम मण्डारसिवनी	फरसगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
24	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम खड़पड़ी	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
25	कोण्डगांव	अजजा बालक आश्रम कांगा	कोण्डगांव	40000	40000	3000	3000	40000	40000	3000	3000
26	कोण्डगांव	प्री.मैट्रिक कन्या बालक छात्रावास उरंदाबेड़ा	फरसगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
27	कोण्डगांव	प्री.मैट्रिक अजजा बालक छात्रावास गोलावंड	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
28	कोण्डगांव	कन्या आश्रम हंगवा	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
29	कोण्डगांव	कन्या आश्रम मोहलाई	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
30	कोण्डगांव	बालक आश्रम करियाकाटा	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
31	कोण्डगांव	अजजा प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
32	कोण्डगांव	कन्या आश्रम काटागांव	माकड़ी	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
33	कोण्डगांव	बालक आश्रम मटवाल	कोण्डगांव	25000	25000	3000	3000	25000	25000	3000	3000
34	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम लाऊ	राजपुर	28000	28000	-	-	3000	3000	-	-
35	बलरामपुर	बालक आश्रम झारा	रामचन्द्रपुर	28000	28000	-	-	3000	3000	-	-
36	बलरामपुर	बालक आश्रम जरहाडीह	बलरामपुर	28000	28000	-	-	3000	3000	-	-
37	धमतरी	आदिवासी बालक आश्रम करैहा	नगरी	50000	50000	-	-	89000	89000	-	-
38	धमतरी	प्री मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास नगरी	नगरी	50000	50000	-	-	99000	99000	-	-
39	जशपुर	शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बगिया	कांसाबेल	-	-	-	-	-	-	-	-
40	महासमुन्द	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास महासमुन्द	महासमुन्द	-	-	-	-	500000	400005	-	-
41	सुरजपुर	कन्या आश्रम डेडरी	सुरजपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
42	सरगुजा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास दरिमा	अम्बिकापुर	-	-	-	-	-	-	-	-

सुरक्षित प्रतिलिपि
 काठिन्य खति विकास विभाग
 नूरापुरी, महामन्दी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र. "ब"

प्रदेश अंतर्गत संस्था जहां घटना घटित हुई है उक्त जिलों में संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सामग्रीपूर्ति एवं 006 अन्य व्यय मद अंतर्गत जारी आबंटन की जानकारी

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	2024-25			2025-26		
		25 सामग्रीपूर्ति मद	006 अन्य व्यय मद	योग	25 सामग्रीपूर्ति मद	006 अन्य व्यय मद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	278.54	105.04	383.58	295.04	89.06	384.10
2	कोंडागांव	144.03	56.48	200.51	152.19	70.75	222.94
3	कांकेर	223.65	107.09	330.74	209.30	97.05	306.35
4	दंतेवाडा	257.68	79.67	337.35	248.69	82.63	331.32
5	सुकमा	232.53	69.28	301.81	237.84	70.57	308.41
6	बीजापुर	290.90	75.68	366.58	329.71	86.13	415.84
7	नारायणपुर	126.58	47.97	174.55	163.68	39.06	202.74
8	सरगुजा	130.02	108.89	238.91	134.83	76.65	211.48
9	सूरजपुर	123.02	74.08	197.10	106.17	71.67	177.84
10	बलरामपुर	103.35	70.37	173.72	147.66	61.42	209.08
11	जशपुर	174.40	44.13	218.53	206.64	49.87	256.51
12	महासमुन्द	120.30	24.61	144.91	137.76	13.20	150.96
13	धमतरी	42.00	55.53	97.53	60.89	47.27	108.16
	योग	2247.00	918.82	3165.82	2430.40	855.33	3285.73

अनुमान अधिकारी
आदिवासी जाति विकास विभाग
कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - अट्टाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2081) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	पत्र क्रमांक	दिनांक	कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	क्रमांक 251	13.06.2025	25	150.00
2	क्रमांक 354	04.08.2025	16	96.00
3	क्रमांक 438	14.10.2025	18	108.00
4	क्रमांक 15	21.01.2026	14	86.00
योग			73	440.00


अनुमान सुविधा
आदिप जाति विकास विभाग
विभाग, महानदी भवन, नवा सतपुर

①

पता : ग्राम व पोस्ट दशरंगपुर, थाना जरहागांव
 वि.ख. व जिला-मुंगेली
 नि. कार्यालय : सी.-1, फॉरेस्ट कॉलोनी
 राजा तानाव, रायपुर (इ.ग.)
 मो. 94282-19668



वि.स.दे.का 27
 (एच.मं.)
 महाराष्ट्र आर्थिक एवं धातुकरण

दिनांक : 12/06/2024

प्रति,

माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
 मुख्यमंत्री,
 छत्तीसगढ़ शासन

- विषय :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद से निर्माण कार्य स्वीकृति विषयक।
 संदर्भ :- 1. स.प्रा.विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का अधिसूचना
 क्रमांक/एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक : 24/06/2024
 2 इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 289 रायपुर दिनांक 28/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 01 के द्वारा विधानसभा मुंगेली अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली 11 ग्राम एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्राम जो 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राह है में संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में मुंगेली विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्रामों में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे :-

क्रं.	ग्राम पंचायत	वि.ख.	निर्माण कार्य	राशि
1	सेमरचुआ	मुंगेली	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
2	कचनपुर	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
3	मोतिमपुर	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
4	मझरेटा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
5	कचनपुर	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
6	जेवरा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
7	कोकडी	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
8	टोनहीचुवा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
9	बागबुडवा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
10	तरईगांव (गोईन्दा)	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
11	जगताकापा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
12	खैरझिटी	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
13	रीनाकापा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
14	पुछेली	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00
15	कुकुसदा	पथरिया	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य	6.00


पंचायत
जि.सं.क्ष.क्र. 27
(पंच मंडल)
आपूर्ति एवं सामाजिक



पता : ग्राम पंचायत दशरंगपुर, थाना जयसंगम
वि.ख. ब. जिला-मुंगेली
नि. कार्यालय : सी.-1, फारेस्ट कॉलोनी
राजा तालाब, रायपुर (छ.ग.)
मो. 94252-19600

दिनांक :

क्र.	ग्राम पंचायत	वि.ख.	निर्माण कार्य	राशि
16	तुलसीकापा	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
17	पचौटिया	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
18	कामता	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
19	लोकईपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
20	महादेवगढ़	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
21	हरदीडीह	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
22	मौहामड़वा	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
23	हेडसपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
24	मदनपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
25	जैतपुरी	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.00
योग :-				150.00


(पुनूलाल मोहले)

(2)

व्यवस्थापक

वि.स.शे.क्र. 27

(पूर्व मंत्री)

सांस्कृतिक, आर्थिक एवं ग्रामाच्छेप



एन. घाट व पोस्ट नरसिंहपुर, जिला जरहाराज
 वि.स. व जिला-मुंगेली
 नि. कार्यालय - भी-1, पोस्ट कोल्होनी
 राज नान्दा, रायपुर (छ.प्र.)
 मो. 94252-19698

क्र. 334

दिनांक 04/08/2024

प्रति,

माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
 मुख्यमंत्री,
 छत्तीसगढ़ शासन

विषय :- मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल ग्रामों में निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक।

संदर्भ :- 1. स.प्रा.विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का अधिसूचना क्रमांक/एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक 24/08/2024
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 289 रायपुर दिनांक 28/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 01, के द्वारा विधानसभा मुंगेली अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 ग्राम एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्राम जो 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन जाति बाहुल्य ग्राम हैं में संदर्भित पत्र क्रमांक 02, के माध्यम से निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में मुंगेली विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 शामिल में से निम्नलिखित 16 ग्रामों में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे :-

क्र.	ग्राम का नाम	वि.ख.	कार्य का नाम	राशि
1	पचोटिया	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
2	महादेवगढ़	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
3	हरदीडीह	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
4	मौहामडवा	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
5	हेडसपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
6	मदनपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
7	सेमरचुआ	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
8	मोतिमपुर	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
9	कंचनपुर	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
10	जेवरा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
11	कोकडी	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
12	टोनहीचुवा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
13	बगबुडवा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
14	रौनाकापा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
15	पुछेली	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
16	कुकुसदा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
योग :-				96.00

(पुनूलाल मोहले)

कार्यालय मुंगेली विधानसभा
 क्रमांक 11/2024 दिनांक 5/8/24

3



पता: श्रम क पोस्ट बाराबंसी, थाना जहांगीर
वि.ख. व विकास-मुंगेली
वि. कार्यालय सी-1, फायाद बौलाना
सका नामा, सधवा (उ.प्र.)
सी 94252-1960

विधायक
मुंगेली वि.म.डी.क. 2
(पठ मंडल)
खाद्य न्यायिक, आपूर्ति एवं आन्वयान

क्रमांक: 438

दिनांक: 10/10/2025

प्रति,

माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन

विषय :- मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल ग्रामों में निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक।

संदर्भ :- 1. स.प्रा.विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का अधिसूचना क्रमांक/एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक 24/06/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 01, के द्वारा विधानसभा मुंगेली अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 ग्राम एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्राम जो 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन जाति बाहुल्य ग्राम है को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में मुंगेली विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 शामिल में से निम्नलिखित 18 ग्रामों में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे :-

क्रं.	ग्राम का नाम	वि.ख.	कार्य का नाम	राशि
1	महादेवगढ़	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
2	हरदीडीह	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
3	मौहामड़वा	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
4	हेडसपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
5	मदनपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
6	जैतपुरी	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
7	सेमरचुवा	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
8	तरईकापा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
9	मझरेठा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
10	कंचनपुर	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
11	जेवरा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
12	कोकड़ी	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
13	टोनहीचुआ	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00

Yamles P.T.O.
14/10/25

राज्य सरकार
विधायक

वृत्त वि.सं. 17
(पुणे जिल्हा)

ग्राम व पोस्ट विकास खातेचा अर्थसंबंध



पत्ता : ग्राम व पोस्ट दशरूपपुर, धना जखमगांव
वि.सं. व जिला-पुणे
पि. कार्यालय सं. 1, फारस बिल्डिंग
सुख नाथान, रायगड (उ.प.)
सं. 94252-19600

क्र.सं. 538

दिनांक : 11/11/25

(2)

क्र.	ग्राम का नाम	वि.ख.	कार्य का नाम	राशि
14	बगमुडवा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
15	जगताकापा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
16	खैरझिटी	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
17	रौनाकापा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
18	कुकुसदा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
योग :-				108.00

(पुन्लाल मोहले)

(4)



पता : ग्राम व पोस्ट दशरंगपुर, थाना जरगांव
 वि.ख. व जिला-मुंगेली
 नि. कार्यलय सी-1, एगोस्ट कोलावे
 राजा बाबाद, रायपुर (छ.प्र.)
 पिन- 492252-190000

क्रमांक 15

दिनांक 21/01/2024

प्रति,

माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
 मुख्यमंत्री,
 छत्तीसगढ़ शासन

- विषय :- मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत शामिल ग्रामों में निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक।
- संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का अधिसूचना क्रमांक / एफ4-6/2024/एक/6 दिनांक 24/06/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अधिसूचना क्रमांक 01 के द्वारा विधानसभा मुंगेली अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली 11 ग्राम एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्राम जो 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम है।

अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में मुंगेली विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली के 11 एवं विकासखण्ड पथरिया के 14 कुल 25 ग्रामों में से निम्नलिखित ग्रामों में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे :-

क्र.	ग्राम का नाम	वि.ख.	कार्य का नाम	राशि
1	पचोठिया	मुंगेली	सामुदायिक भवन निर्माण	6.50
2	मझरेठा	पथरिया	सामुदायिक भवन निर्माण	6.50
3	प्रतापपुर	मुंगेली	सामुदायिक भवन निर्माण	6.50
4	खुर्सी	मुंगेली	सामुदायिक भवन निर्माण	6.50
5	झझपुरी	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
6	मदनपुर	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
7	कोदवाबानी	मुंगेली	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
8	पुछेली	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
9	टोनहीचुआ	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
10	बघमुडवा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
11	कोकडी	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
12	जेवरा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
13	कुकुसदा	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
14	कचनपुर	पथरिया	सी.सी.रोड निर्माण	6.00
योग :-				86.00

(पुन्नूलाल मोहले)

पारिशेष - उन्तीस
पारिवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2089) की जानकारी

प्रपत्र—अ

कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी संवर्ग द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों/कार्यों एवं योजनाओं का संवर्गवार विवरण

क्र.	संवर्ग	निर्धारित गतिविधियां/कार्य एवं योजनाएं
1	कृषि अभियांत्रिकी	सभी प्रकार के मशीनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य, अर्थ वर्क, भूमि सुधार इत्यादि हेतु बुलडोज़र एवं अन्य मशीन उपकरण उपलब्ध कराने एवं क्रियान्वित करने का कार्य, कार्यशाला में ट्रेक्टर, बुलडोज़र एवं अन्य मशीनों के कार्यों का निरीक्षण, भूमि संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यकतानुसार यंत्र, मशीनरी आदि उपलब्ध कराने का कार्य, कृषि यंत्रों के प्रदर्शन एवं परीक्षण का कार्य तथा कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य, केन्द्र प्रवर्तित योजना कृषि यांत्रिकी सबमिशन अंतर्गत कम्पोनेंट क्रमांक—2 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना एवं कम्पोनेंट क्रमांक 3 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना का कार्य।
2	कृषि	केन्द्र प्रवर्तित योजना कृषि यांत्रिकी सबमिशन अंतर्गत कम्पोनेंट क्रमांक—1, अन्य समस्त केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाएं, भूमि संरक्षण एवं वाटरशेड संबंधी समस्त कार्य।

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

14:02:27

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की रूपरेखा

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	संचालक कृषि अभियांत्रिकी	लेबल 15	01
2	अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी	लेबल 15	01
3	संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी	लेबल 14	01
4	उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी	लेबल 13	01
5	सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी	लेबल 12	02
6	यांत्रिक सहायक (उप यंत्री)	लेबल 8	03
7	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1	लेबल 8	02
8	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	लेबल 6	03
9	सहायक ग्रेड-3	लेबल 4	03
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर	लेबल 4	03
11	वाहन चालक (हल्का वाहन)	लेबल 4	04
12	भृत्य	लेबल 1	05

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026 (विकास मिश्रा)

14:03:16 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - तीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2102) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023 से जनवरी, 2026 तक की अवधि में विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त संचालित पोल्ट्री फार्म की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	सम्मति दिनांक	वैधता दिनांक
1.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मुडपार, तहसील- डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	31.03.2021	22.03.2026
2.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चारभाटा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	26.03.2021	25.03.2026
3.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-शिवपुरी, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	08.06.2021	22.03.2026
4.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	09.03.2021	08.03.2026
5.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-देवादा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	09.03.2021	07.03.2026
6.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-दामरी, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	26.03.2021	25.03.2026
7.	मेसर्स एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पचपेढी, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गंडई (छ.ग.)	14.06.2021	31.03.2026


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - इकतौस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2128) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 31/12/2025 तक की अवधि में रायगढ़ जिलान्तर्गत उद्योगों द्वारा फलाई ऐश को किसानों के खेतों, नदी नालों एवं तालाबों में बिना अनुमति अवैध डंपिंग तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र	उद्योग का नाम एवं पता	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
01	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटमा, जिला-रायगढ़	श्री बिरेन्द्र कुमार निशाद एवं श्री शिवचरण पटेल से प्राप्त शिकायत दिनांक 29.04.2025	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटमा के द्वारा दरामुड़ा अटल चौक तालाब को अवैध रूप से फलाई ऐश पाटने पर रोक लगा कर उचित कार्यवाही करने के संबंध में।	26.06.2025	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
02	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जामगांव, जिला-रायगढ़	कलेक्टर जनदशरथ पोर्टल में प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2025	ग्राम पंचायत सपनाई तहसील व जिला रायगढ़ में फलाई ऐश ड्रस्ट बहकर जाने से फसलों एवं मिट्टी को नुकसान होने के संबंध में।	03.09.2025	अनुमति प्राप्त भू-भराव क्षेत्र से लगे खेतों में वर्षा जल के साथ फलाई ऐश बहकर जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग पर 90,000.00/- रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानकारक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 90,000.00/- जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
03	मेसर्स इण्ड सिनजी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, मौहापाली, तहसील व जिला-रायगढ़	श्री दीपक चौहान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 02.09.2025	मेसर्स इण्ड सिनजी कंपनी के द्वारा कृषक की कृषि भूमि में फलाई ऐश डालकर खराब करने की शिकायत एवं उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	19.09.2025	निरीक्षण में उद्योग परिसर के बाहर उद्योग परिसर की स्वयं की भूमि में फलाई ऐश का बिना अनुमति अपवहन किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 01.12.2025 द्वारा उद्योग पर 5,40,000.00/- रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फलाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 5,40,000.00/- जमा करते हुये स्थल पर फलाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अनुभाजि अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मन्थालय, रायपुर

परिशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2141) की जानकारी

प्रपत्र-अ

अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) अंतर्गत योजनावार आबंटित, व्यय एवं अव्ययित राशि की जानकारी

वर्ष 2023-24

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	आबंटित धनराशि	व्यय राशि	वित्तीय वर्ष में अव्ययित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कृषि	888183.910	886084.870	2099.040	—
2	उद्यानिकी	6559.830	5946.600	613.230	—
3	पशुधन विकास	1904.120	1884.150	19.970	—
4	मत्स्य	4767.236	4766.112	1.124	—
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	275081.520	236687.180	38394.340	—
6	सहकारी संस्थाएं	18990.430	15302.300	3688.130	—
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	419961.290	255343.785	164617.505	—
8	पंचायत	24703.020	24697.570	5.450	—
9	आ.जा. तथा अनु.जा.	183545.720	140748.300	42797.420	—
10	जल संसाधन	75908.100	33554.990	42353.110	—
11	ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.)	218126.720	151504.660	66622.060	—
12	ऊर्जा (क्रेडा)	29514.700	29514.700	0.000	—
13	वाणिज्य एवं उद्योग	8295.000	6249.100	2045.900	—
14	भौमिकी एवं खनिकर्म	5900.000	3859.200	2040.800	—
15	ग्रामोद्योग - रेशम	2205.930	1983.150	222.780	—
16	ग्रामोद्योग - खादी	344.900	344.900	0.000	—
17	ग्रामोद्योग - हाथकरघा	343.000	342.930	0.070	—
18	हस्त शिल्प वि.बो.	243.100	200.600	42.500	—
19	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	363.280	0.000	363.280	—
20	वन	21846.890	20678.670	1168.220	—
21	समाज कल्याण	10058.480	9496.610	561.870	—
22	खेल एवं युवा कल्याण	6792.900	3966.790	2826.11	—
23	स्कूल शिक्षा	515603.600	487794.570	27809.030	—
24	उच्च शिक्षा	16997.500	13331.860	3665.640	—


अनुसूचित जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

25	चिकित्सा शिक्षा	57574.080	38056.150	19517.930	—
26	जनशक्ति-रोजगार पक्ष	21736.000	6832.950	14903.050	—
27	प्रशिक्षण पक्ष	10954.780	8398.130	2556.650	—
28	तकनीकी शिक्षा	8716.620	7956.230	760.390	—
29	स्वास्थ्य सेवार्ये	201440.010	153340.880	48099.130	—
30	आयुर्वेद	6634.200	5594.980	1039.220	—
31	लो.स्वा.यांत्रिकी	138235.140	86619.840	51615.300	—
32	नगरीय प्रशासन	88944.120	52525.950	36418.170	—
33	जनसंपर्क	2200.000	1493.860	706.140	—
34	संस्कृति	905.000	341.276	563.724	—
35	महिला एवं बाल विकास	166355.330	138042.140	28313.190	—
36	आर्थिक एवं सांख्यिकी	11600.000	11178.260	421.740	—
37	लोक निर्माण	152237.327	94626.160	57611.167	—
38	विधि और विधायी	40.000	44.682	15.527	विगत वर्ष की अवशेष राशि को आगामी वित्त वर्ष में उपयोग किया जाता रहा है।
	योग	3603813.783	2939335.085	664498.908	


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महामन्दी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) अंतर्गत योजनावार आबंटित, व्यय एवं
अव्ययित राशि की जानकारी

वर्ष 2024-25

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	आबंटित धनराशि	व्यय राशि	वित्तीय वर्ष में अव्ययित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कृषि	499827.290	496179.910	3647.380	—
2	उद्यानिकी	10274.410	8389.920	1884.490	—
3	पशुधन विकास	1753.960	1169.150	584.810	—
4	मत्स्य	3852.637	3579.807	272.830	—
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	455196.040	436817.390	18378.650	—
6	सहकारी संस्थाएं	15888.760	11837.220	4051.540	—
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	511035.924	300686.891	210349.033	—
8	पंचायत	34073.910	34059.440	14.470	—
9	आ.जा.तथा अनु.जा.	206334.060	140835.030	65499.030	—
10	जल संसाधन	59363.100	47326.730	12036.370	—
11	ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.)	309932.340	409115.110	-99182.770	—
12	ऊर्जा (क्रेडा)	15236.350	15236.350	0.000	—
13	वाणिज्य एवं उद्योग	236296.180	17715.660	218580.520	—
14	भौमिकी एवं खनिकर्म	6331.000	0.000	6331.000	—
15	ग्रामोद्योग - रेशम	2444.200	2320.980	123.220	—
16	ग्रामोद्योग - खादी	320.000	320.000	0.000	—
17	ग्रामोद्योग - हाथकरघा	300.500	299.700	0.800	—
18	हस्त शिल्प वि.बो.	226.910	226.910	0.000	—
19	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	363.010	363.000	0.010	—
20	वन	25869.340	20590.230	5279.110	—
21	समाज कल्याण	11204.460	10618.470	585.990	—
22	खेल एवं युवा कल्याण	1913.770	1699.180	214.590	—

अनुसूचित अधिकारी
आदिवासी विकास विभाग
मंत्रालय, महात्मा भवन, नया दिल्ली

23	स्कूल शिक्षा	626332.910	529365.290	96967.620	—
24	उच्च शिक्षा	20128.500	15749.340	4379.160	—
25	चिकित्सा शिक्षा	74944.300	49807.650	25136.650	—
26	जनशक्ति-रोजगार पक्ष	965.550	636.900	328.650	—
27	प्रशिक्षण पक्ष	11359.640	7431.950	3927.690	—
28	तकनीकी शिक्षा	10924.130	8704.690	2219.440	—
29	स्वास्थ्य सेवायें	304156.870	228778.190	75378.680	—
30	आयुर्वेद	7111.100	5985.910	1125.190	—
31	लो.स्वा.यांत्रिकी	177290.210	120597.220	56692.990	—
32	नगरीय प्रशासन	87194.300	34888.180	52306.120	—
33	जनसंपर्क	1000.000	983.765	16.235	—
34	संस्कृति	817.000	165.168	651.832	—
35	महिला एवं बाल विकास	416449.160	400113.270	16335.890	—
36	आर्थिक एवं सांख्यिकी	11803.110	11719.660	83.450	—
37	लोक निर्माण	274384.748	201509.390	72875.358	—
38	विधि और विधायी	30.000	13.103	32.424	विगत वर्ष की अवशेष राशि को आगामी वित्त वर्ष में उपयोग किया जाता रहा है।
	योग	4432929.679	3575836.754	857108.452	


 अनुमानित आंकड़ों पर
 आधारित वित्त विवरण
 फंडिंग, प्रशासनिक खर्च, पंचायत समिति

प्रपत्र-स

अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) अंतर्गत योजनावार आबंटित, व्यय एवं
अव्ययित राशि की जानकारी

वर्ष 2025-26 (31.01.2026 की स्थिति में)

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	आबंटित धनराशि	व्यय राशि	अव्ययित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कृषि	40562.240	31112.990	9449.250	—
2	उद्यानिकी	10071.760	3164.780	6906.980	—
3	पशुधन विकास	2579.090	1465.820	1113.270	—
4	मत्स्य	3829.604	3087.226	742.378	—
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	1113993.110	486190.120	627802.990	—
6	सहकारी संस्थाएं	18817.660	8902.060	9915.600	—
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	610711.272	337680.562	273030.710	—
8	पंचायत	19091.180	18449.660	641.520	—
9	आ.जा.तथा अनु.जा.	206055.950	98658.680	107397.270	—
10	जल संसाधन	77002.100	32550.100	44452.000	—
11	ऊर्जा (छ.ग.वि.वि.कं.)	206371.000	150068.020	56302.980	—
12	ऊर्जा (क्रेडा)	1492.000	1492.000	0.000	—
13	वाणिज्य एवं उद्योग	12756.000	3282.560	9473.440	—
14	भौमिकी एवं खनिकर्म	7790.670	0.000	7790.670	—
15	ग्रामोद्योग - रेशम	2608.100	1748.000	860.100	—
16	ग्रामोद्योग - खादी	87.500	87.500	0.000	—
17	ग्रामोद्योग - हाथकरघा	339.500	172.500	167.000	—
18	हस्त शिल्प वि.बो.	241.750	61.440	180.310	—
19	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	0.0001	0.0000	0.0001	—
20	वन	28522.650	16448.580	12074.070	—
21	समाज कल्याण	11601.350	5168.960	6432.390	—
22	खेल एवं युवा कल्याण	1680.000	571.170	1108.830	—
23	स्कूल शिक्षा	1004928.350	806885.680	198042.670	—


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 पंचायत विकास विभाग, नवा रायपुर

24	उच्च शिक्षा	23035.360	14173.650	8861.710	—
25	चिकित्सा शिक्षा	82936.560	28555.050	54381.510	—
26	जनशक्ति-रोजगार पक्ष	993.110	572.400	420.710	—
27	प्रशिक्षण पक्ष	11117.440	5745.100	5372.340	—
28	तकनीकी शिक्षा	10087.810	6527.630	3560.180	—
29	स्वास्थ्य सेवायें	241789.470	153739.790	88049.680	—
30	आयुर्वेद	8296.610	4749.010	3547.600	—
31	लो.स्वा.यांत्रिकी	151445.340	19209.870	132235.470	—
32	नगरीय प्रशासन	77587.613	21997.529	55590.084	—
33	जनसंपर्क	1000.000	0.000	1000.000	—
34	संस्कृति	817.000	205.942	611.058	—
35	महिला एवं बाल विकास	361069.290	259612.510	101456.780	—
36	आर्थिक एवं सांख्यिकी	11600.000	6867.920	4732.080	—
37	लोक निर्माण	210040.673	71562.900	138477.773	—
38	विधि और विधायी	0.000	14.595	17.830	विगत वर्ष की अवशेष राशि को आगामी वित्त वर्ष में उपयोग किया जाता रहा है।
	योग	4572949.112	2600782.304	1972199.233	


 अध्यक्ष, अखिल भारतीय
 आदिवासी शिक्षण विभाग
 कानपुर, महानदी भवन, नया देवपुर

पारिशेष्य - तैतीस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2171) की जानकारी

प्रपत्र-अ

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उद्योगों की नामवार, ग्रामवार एवं तहसीलवार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	ग्राम	तहसील
1	2	3	4
1.	मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड	बड़ादरहा	डभरा
2.	मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड	उच्चपिंडा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली	डभरा
3.	मेसर्स वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ पॉवर प्लांट	सिंधीतराई	डभरा
4.	मेसर्स जय श्री राम पेड्डी प्रोसेसिंग	बोडासागर	मालखरोदा
5.	मेसर्स जय अम्बे पेड्डी प्रोसेसिंग	बोडासागर	मालखरोदा
6.	मेसर्स जय श्री राधा कृष्ण पेड्डी	बोडासागर	मालखरोदा
7.	मेसर्स जय भवानी परबायलिंग यूनिट,	फगुरम	मालखरोदा
8.	मेसर्स राज कुमार अग्रवाल क्रशर (पूर्व नाम साहू क्रशर)	खोंघर	डभरा
9.	मेसर्स लोकेश चंद्रा माईस	नगझर	मालखरोदा
10.	मेसर्स शिवम राईस मिल	बोडासागर	मालखरोदा
11.	मेसर्स श्री सालासर चावल उद्योग	बोडासागर	मालखरोदा
12.	मेसर्स श्री शिव राईस मिल, यूनिट-2	बोडासागर	मालखरोदा
13.	मेसर्स मां ट्रेडर्स	अडभार मेन	मालखरोदा
14.	मेसर्स राधे कृष्णा फूड प्रोडक्ट	नवापारा कला	सक्ती
15.	मेसर्स कृष्णा राईस मिल,	फगुरम	मालखरोदा
16.	मेसर्स जय भवानी राईस मिल	फगुरम	मालखरोदा
17.	मेसर्स जय भवानी एग्रो	फगुरम	मालखरोदा
18.	मेसर्स सांभवी फूड्स	मालखरोदा	सक्ती
19.	मेसर्स श्री मंगल राईस मिल	कुधरी	मालखरोदा
20.	मेसर्स मां शारदा एग्रो	भाटा	मालखरोदा
21.	मेसर्स एल. एम. राईस मिल	सकरा	मालखरोदा
22.	मेसर्स एल. एम. राईस मिल	सकरा	मालखरोदा
23.	मेसर्स मारूति फूड	बोडासागर	मालखरोदा
24.	मेसर्स श्री अष्टभुजी ट्रेडर्स	फगुरम	मालखरोदा
25.	मेसर्स श्री बालाजी राईस प्रोडक्ट्स	कुलबा	मालखरोदा
26.	मेसर्स मां शक्ति राईस मिल	फगुरम	मालखरोदा
27.	मेसर्स लखदातार राईस इण्डस्ट्रीज	फगुरम	मालखरोदा
28.	मेसर्स शिव राईस मिल	नवापारा कला	सक्ती
29.	मेसर्स मंगलम राईस मिल	सुखदा	डभरा
30.	मेसर्स के. वी. के. एग्रो मिल	नवापारा खुर्द	सक्ती
31.	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी राईस मिल	कोटमी	डभरा
32.	मेसर्स श्री गणपति एग्रो	देवरघटा	डभरा
33.	मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज	डिक्सी	अडभार
34.	मेसर्स परी फर्नीचर	छोटे सीपत	मालखरोदा
35.	मेसर्स धनीराम श्री कृष्ण राईस मिल	फगुरम	अडभार
36.	मेसर्स अंकित टेगडिंग कम्पनी (यूनिट-2)	पेण्डूरूवा	सक्ती
37.	मेसर्स लक्ष्मी ग्रेन्स यूनिट-2	भाटा	अडभार
38.	मेसर्स श्री श्याम राईस मिल	बदोरा	अडभार
39.	मेसर्स साई फाल्गुनी फूड्स	पोटा	मालखरोदा
40.	मेसर्स मां अष्टभुजी राईस मिल	सकरा	अडभार
41.	मेसर्स खेतान एग्रो इण्डस्ट्रीज	रामभाठा	डभरा
42.	मेसर्स श्री बजरंग ग्रेन्स	हरदी	सक्ती

43.	मेसर्स कृष्णा एग्रो	अड़भार	सक्ती
44.	मेसर्स जय भवानी राईस मिल (युनिट-2)	सेरो	अड़भार
45.	मेसर्स हरिओम इन्फ्रा एण्ड लाजिस्टिक्स	सकराली	उभरा
46.	मेसर्स श्री श्याम राईस मिल	भांटा	अड़भार
47.	मेसर्स जय बाबा बेद्यनाथ राईस मिल	बोड़ासागर	मालखरोदा
48.	मेसर्स हरिओम इन्फ्रा एण्ड लाजिस्टिक्स	माजरकुंद	उभरा
49.	मेसर्स हरिओम इन्फ्रा एण्ड लाजिस्टिक्स	कलमा	चन्द्रपुर
50.	मेसर्स मां अष्टभुजी फ्लाई ऐश ब्रिक्स	अड़भार	मालखरोदा
51.	मेसर्स श्री अग्रसेन राईस मिल	फगुरम	मालखरोदा
52.	मेसर्स छत्तीसगढ़ बायोमास प्रा.लि.	टुण्डी	उभरा
53.	मेसर्स मां दुर्गा टेक्स	ढेंकुनाभांठा	उभरा
54.	मेसर्स श्री नेगी जी फ्लाई ऐश ब्रिक्स	देवरघटा	उभरा
55.	मेसर्स मां भगवती ट्रेडर्स	डिक्सी	अड़भार
56.	मेसर्स श्री हरिगुर्जर ब्रिक्स	सकरा	अड़भार
57.	मेसर्स लक्ष्मी फ्लाई ऐश ब्रिक्स	सेरा	सारसकेला
58.	मेसर्स सरला अग्रवाल	कुदरी	अड़भार
59.	मेसर्स शिवनारायण साहू	चरोदा	अड़भार
60.	मेसर्स अनिल फ्लाई ऐश ब्रिक्स	किरकार	मालखरोदा
61.	मेसर्स प्रांशु ट्रेडिंग कंपनी	नवापारा	सक्ती
62.	मेसर्स टिकेश कुमार साहू	फटौद	उभरा
63.	मेसर्स बालाजी राईस मिल	किरारी	नया बाराद्वार
64.	मेसर्स बालाजी राईस मिल	किरारी	नया बाराद्वार
65.	मेसर्स रतन फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड टाईल्स	कलमी	मालखरोदा
66.	मेसर्स बालाजी फ्लाई ऐश ब्रिक्स	किरारी	बाराद्वार
67.	मेसर्स बलभद्र प्रसाद चन्द्र फ्लाई ऐश ब्रिक्स	अमलीडीह	मालखरोदा
68.	मेसर्स अमृत फ्लाई ऐश ब्रिक्स	बड़ेसीपत	मालखरोदा
69.	मेसर्स मनोज फ्लाई ऐश ब्रिक्स	नवापारा कला	सक्ती


 अनुभानु अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग,
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- ब

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फ्लाइंग ऐश से भू-भराव करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी अनुमति तथा अप्रैल 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक की अवधि में उक्त भू-भराव स्थल के किये गये निरीक्षण का विवरण:-

वर्ष 2024 में किये गये निरीक्षण -

भू-भराव स्थल का विवरण					किये गये निरीक्षण की जानकारी		
क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नंबर	रकबा	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	जमगहन	मालखरोदा	38/1	7.8 हेक्टेयर	24/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2-	बुन्देली	मालखरोदा	09, 60/2, 60/5	0.596 हेक्टेयर	24/06/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3-	कटौद	डभरा	1763/1	1.21 हेक्टेयर	16/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4-	धोबनीपाली	डभरा	26, 30/1, 30/4, 30/5, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 44, 47/1, 47/2, 51/1, 54/1, 54/3, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 68/2, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 71/1, 72, 75/1, 75/2, 75/3, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 81/5, 82, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84/1, 84/5, 85/2, 153/1, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/5, 156, 157	9.651 हेक्टेयर	24/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5-	नवागाँव	मालखरोदा	552/1	0.1740 हेक्टेयर	24/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					10/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					27/12/2024	श्री ए.के. भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6-	नवापारा	मालखरोदा	757/1, 958/1, 958/2	34.849 हेक्टेयर	09/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7-	डभरा	डभरा	1045	0.3240 हेक्टेयर	24/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
8-	कांसा	डभरा	432/2, 432/3, 432/5, 432/7, 432/8, 432/9, 433, 434/2, 508/4, 508/8	1.549 हेक्टेयर	10/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
9-	धिवरा	डभरा	10/5, 76, 77, 82, 91, 96/1, 100/9, 109/3, 119/1, 122/1, 123, 134, 136/4, 138/1, 138/6, 140/3, 140/4, 141/6, 141/7, 141/9, 143/1, 147/1, 147/5,	17.1030 हेक्टेयर	24/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाइंग ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

			147/7, 149/9, 150/2, 151, 152, 156/1, 156/3, 157, 161/1, 161/2, 161/3, 164/3, 164/4, 164/5, 168/2, 175/1, 175/3, 177, 180, 181/8, 181/9, 181/10, 181/16, 182, 183, 200, 209/2, 250/2, 259/2, 259/3, 259/4, 264/1, 266, 270, 276/4, 277/1, 279, 280/1, 281, 282, 292, 295/2, 296/2, 299/1, 299/2, 304/2, 316/2, 322/1, 325/5, 326/5, 329, 331/1, 331/2, 344/1, 357/3, 390/4, 460/2, 465/8, 466, 563/4, 563/6, 597/8, 627/2, 633				
10-	बांधापाली	डभरा	54/2, 60/2, 63/5, 63/13, 63/14, 65/4, 65/5, 69/1, 73, 83/1, 84/2, 86, 90, 101, 104/1, 105/2, 111/1, 115/1, 120/6, 183/2, 186, 211, 216, 275/2, 286/2, 286/3, 290/1, 290/2, 313/2, 62/1, 76/2, 78/1, 81, 83/2, 85/1, 85/6, 85/7, 85/10, 95/2, 109/3, 118/1, 120/4, 143/6, 143/7, 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 180/1, 183/1, 187/1, 192, 194/4, 226/2, 265 275/3, 287/5, 312/6, 317/2, 324/5	63.224 हेक्टेयर	24/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11-	सारसडोल	मालखरोदा	259	0.4450 हेक्टेयर	19/06/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12-	छुहीपाली	डभरा	20/7	0.3840 हेक्टेयर	01/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
13-	फरसवानी	डभरा	1469	0.1700 हेक्टेयर	01/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
14-	मुड़पार	मालखरोदा	811/2, 812/2, 812/3क, 812/3ख, 812/4	0.423 हेक्टेयर	01/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
15-	ठनगन	डभरा	1042/2	0.1420 हेक्टेयर	01/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16-	डभरा	डभरा	1293/4	0.3850 हेक्टेयर	04/10/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
17-	डभरा	डभरा	1045	0.3240 हेक्टेयर	26/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
18-	अड़भार	अड़भार	876/2, 876/3	0.575 हेक्टेयर	27/12/2024	श्री ए.के. भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
19-	नगझर	मालखरोदा	102/2, 124, 126, 139, 140, 164	6.07 हेक्टेयर	26/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					15/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

20-	सिरियागढ़	डभरा	357, 368/1, 368/3, 373/3, 673/1, 674/3	0.857 हेक्टेयर	26/04/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					15/07/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
21-	भेड़ीकोना	मालखरौदा	306/1, 306/2	0.129 हेक्टेयर	24/10/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					28/11/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
वर्ष 2025 में किये गये निरीक्षण							
22-	पुटीडीह	डभरा	127/1, 131/4	0.34 हेक्टेयर	02/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
23-	सकरा	अड़भार	1394/9, 1392	0.271 हेक्टेयर	02/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
24-	नगझर	मालखरौदा	564, 567/1, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 575/3, 577/1, 577/2, 578/2, 579/2, 579/3, 581, 582/2, 583/1, 583/2, 584/2, 584/3, 584/4, 587/4, 588/3, 588/5, 589, 560, 579/1, 585, 588/1, 588/6	2.391 हेक्टेयर	26/03/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
25-	सिरियागढ़ डभरा	सिरियागढ़ डभरा	623, 384/1, 384/2, 364/2, 384/4, 384/5, 369/4, 370/4, 380/1	1.411 हेक्टेयर	26/03/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
26-	सिरियागढ़	डभरा	674/3, 881/4	0.195 हेक्टेयर	07/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
27-	गोरखापाली	मालखरौदा	357/6, 351/3	0.490 हेक्टेयर	14/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
28-	धोबनीपाली	डभरा	32/1, 83/1, 84/2, 32/3, 83/7, 84/6	0.424 हेक्टेयर	14/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
29-	पोता	मालखरौदा	130/5	0.101 हेक्टेयर	18/06/2025	श्री ए.के. भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
30-	देवरघटा	डभरा	613	0.539 हेक्टेयर	31/07/2025	श्री आलोक कुमार साहू, कार्यपालन अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
31-	पोता	मालखरौदा	694/4	0.0970 हेक्टेयर	03/10/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
32-	खेमड़ा	मालखरौदा	523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 523/5, 523/6	12.593 हेक्टेयर	27/10/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
33-	जवाली,	डभरा	991/1, 997/1, 1228/1	9.685 हेक्टेयर	24/12/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
34-	धोबनीपाली	डभरा	155/4	0.405 हेक्टेयर	29/12/2025	श्री तोरन सिंह,	फ्लाई ऐश भराव हेतु

						सहायक अभियंता	स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
35-	सिरियागढ़	डभरा	357, 368/1, 368/3, 373/3, 673/1, 674/3	0.857 हेक्टेयर	06/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					12/02/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
36-	नगझर	मालखरोदा	102/2, 124, 126, 139, 140, 164	6.07 हेक्टेयर	10/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					28/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					10/10/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
37-	सतगढ़	मालखरोदा	592, 594/3, 593, 586, 591	0.911 हेक्टेयर	06/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
38-	कंवली	डभरा	1170	0.7490 हेक्टेयर	14/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
39-	मड़वा	डभरा	609/1, 610	4.614 हेक्टेयर	23/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
40-	गोविंदपुर	चंद्रपुर	484/1	4.407 हेक्टेयर	23/05/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
41-	फगुरम	अड़भार	228/1	1.214 हेक्टेयर	13/08/2025	श्री एस.के धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
42-	बांधापाली,	डभरा	334/1, 334/6	0.547 हेक्टेयर	13/08/2025	श्री एस.के धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
43-	गसकराली	डभरा	1694/1	3.336 हेक्टेयर	03/11/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					21/01/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
44-	बोड़ासागर	मालखरोदा	349/1	1.0680 हेक्टेयर	03/11/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
					09/12/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
45-	बोड़ासागर	अड़भार	38/1	0.36 हेक्टेयर	03/11/2025	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 2026 में किये गये निरीक्षण							
46-	भेसामुहान	चंद्रपुर	341/1, 422/1	5.465 हेक्टेयर	02/01/2026	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
47-	भेसामुहान	चंद्रपुर	341/1, 422/1	5.465 हेक्टेयर	12/01/2026	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
48-	जवाली	डभरा	991/1, 997/1, 1228/1	9.685 हेक्टेयर	08/01/2026	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
49-	फलियामुड़ा	डभरा	19/1, 19/5, 7/1, 9/2	2.9 हेक्टेयर	16/01/2026	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
50-	भेड़ीकोना	मालखरौदा	306/1, 306/2	0.129 हेक्टेयर	12/02/2026	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	फ्लाई ऐश भराव हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।



अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - चौतीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2172) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स आर. के. एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड,
ग्राम-उच्चपिंडा, बड़ापाली, घीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट-धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा को
जारी जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की जानकारी :-

क्र.	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण दिनांक	जारी सम्मति का प्रकार
1.	यूनिट-1-360 मेगावाट	29/01/2015	संचालन सम्मति
2.	यूनिट-1-360 मेगावाट	17/07/2015	संचालन सम्मति वैधता वृद्धि
3.	यूनिट-2-360 मेगावाट	01/01/2016	संचालन सम्मति
4.	यूनिट-1-360 मेगावाट	30/03/2016	सम्मति नवीनीकरण
5.	यूनिट-2-360 मेगावाट	18/07/2016	संचालन सम्मति वैधता वृद्धि
6.	यूनिट (1, 2)-2x360 मेगावाट	06/10/2016	सम्मति नवीनीकरण
7.	यूनिट (1, 2)-2 x 360 मेगावाट	09/02/2017	सम्मति नवीनीकरण
8.	यूनिट-3-360 मेगावाट	23/08/2017	संचालन सम्मति
9.	यूनिट (1, 2)-2 x 360 मेगावाट	21/02/2018	सम्मति नवीनीकरण
10.	यूनिट-3-360 मेगावाट	30/11/2018	संचालन सम्मति वैधता वृद्धि
11.	यूनिट (1, 2, 3)-3 x 360 मेगावाट	09/01/2019	सम्मति नवीनीकरण
12.	यूनिट -4 - 360 मेगावाट	25/02/2019	संचालन सम्मति
13.	यूनिट -4 - 360 मेगावाट	04/01/2020	संचालन सम्मति वैधता वृद्धि
14.	यूनिट (1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	25/02/2020	सम्मति नवीनीकरण
15.	यूनिट(1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	20/01/2021	सम्मति नवीनीकरण
16.	यूनिट (1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	25/02/2022	सम्मति नवीनीकरण
17.	यूनिट (1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	16/05/2023	सम्मति नवीनीकरण
18.	यूनिट (1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	23/02/2024	सम्मति नवीनीकरण
19.	यूनिट (1, 2, 3, 4)- 4 x 360 मेगावाट	29/08/2024	सम्मति नवीनीकरण
20.	यूनिट (1, 2, 3, 4) - 4 x 360 मेगावाट	27/12/2024	सम्मति नवीनीकरण
21.	यूनिट (1, 2, 3, 4)-4 x 360 मेगावाट	21/11/2025	सम्मति नवीनीकरण


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

दिनांक 01/04/2024 से 02/02/2026 तक की अवधि में प्रश्रांकित उद्योग के निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी, निरीक्षण में पाई गई स्थिति तथा की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी :-

वर्ष-2024

निरीक्षण दिनांक	उद्योग के निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण में पाई गई स्थिति	की गयी कार्यवाही
24/05/2024	श्री के.पी. तिवारी प्रभारी रसायनज्ञ, श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
05/07/2024	श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	कोल हैंडिलिंग प्लॉट क्षेत्र में पर्याप्त जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं किया जाना पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में कोल स्लज का जमाव होना पाया गया। साईलो के आस-पास फ्यूजिटिव एमीशन अवलोकित हुआ।	दिनांक 08/07/2024 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उद्योग को पत्र प्रेषित किया गया।
07/08/2024	श्री के.पी. तिवारी प्रभारी रसायनज्ञ, श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 08/07/2024 के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12/09/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
23/12/2024	श्रीमती माधुरी जायसवाल, सहायक अभियंता श्री खेमचंद साहू, वैज्ञानिक	उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष-2025

06/02/2025	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
30/05/2025	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग में स्थिति सामान्य पायी गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
28/08/2025	श्री अभय कुमार मिश्रा, प्रभारी रसायनज्ञ, श्री हरीश तिवारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	उद्योग में वायु उत्सर्जन मॉनिटरिंग का कार्य किया गया। मॉनिटरिंग का परिणाम मानक सीमा के भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
13/11/2025	श्री अभय कुमार मिश्रा, प्रभारी रसायनज्ञ, श्री हरीश तिवारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	उद्योग में वायु उत्सर्जन मॉनिटरिंग का कार्य किया गया। मॉनिटरिंग का परिणाम मानक सीमा के भीतर पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष-2026

निरंक


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - पेंतीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2180) की जानकारी

प्रपत्र -अ

कबीरधाम जिले में आदिवासी युवाओं के लिए संचालित आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विभाग अंतर्गत आजीविका एवं स्वरोजगार संबंधी संचालित योजना का नाम
1	2	3
1	कबीरधाम	आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना
2		बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा
3		हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण
4		निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
5		संविधान के अनुच्छेद 275(1)


 अनुभाग अधिकारी
 आदिग जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी पवन, नवा खयबुर

प्रपत्र -ब

वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की विधानसभावार, योजनावार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विभाग अंतर्गत आजीविका एवं स्वरोजगार से संबंधी योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वित आदिवासी हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
1			आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना	14
2			बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा	0
3	कबीरधाम	71-पंडरिया	हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	0
4			निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	0
5			संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0
			योग	14
1			आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना	28
2			बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा	1
3	कबीरधाम	72-कवर्धा	हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	0
4			निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	0
5			संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0
			योग	29
			कुल योग :-	43



अनूपम सुबिकारी

आदिवासी विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

योजना अंतर्गत हितग्राहियों हेतु प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की जानकारी

(राशि रु. में)

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विभाग अंतर्गत आजीविका एवं स्वरोजगार से संबंधी योजना का नाम	योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की व्यवस्था संबंधी विवरण		
				प्रशिक्षण	तकनीकी मार्गदर्शन	
1	2	3	4	5	6	7
1			आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना	0	0	4200000.00
2			बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा	0	0	0
3	कबीरघाम	71-पंडरिया	हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	0	0	0
4			निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	0	0	0
5			संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0	0	0
			योग :-	0	0	4200000.00
1			आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना	0	0	8400000.00
2			बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा	1	0	134444.00
3		72- कवर्धा	हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	0	0	0
4	कबीरघाम		निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	0	0	0
5			संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0	0	0
			योग :-	1	0	974444.00
			महायोग	1	0	1394444.00


अनुभाग अधिकारी
आदिवासी विकास विभाग
मंत्रालय, भद्राचळी क्लब, नवा रायपुर

परिशेष - छत्तीस
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2187) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	अवधि	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन			स्वीकृत वन अधिकार पत्र			अस्वीकृत (निरस्त) वन अधिकार पत्र			रिमाक
			व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		रायगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		पुसौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक	धरमजयगढ़	522	-	1	331	-	1	191	-	-	-
4		खरसिया	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
5		घरघोड़ा	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6		तमनार	-	5	1	-	5	1	-	-	-	-
7		लैलूंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	529	5	3	338	5	3	191	-	-	-


अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य खाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया छत्तुपुर

परिशेष - सैंतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2189) की जानकारी


प्रपत्र

(राशि लाखों में)

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति				
							प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	शेष राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	विशेष केन्द्रीय सहायता	2024-25		निरंक					
2			केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना								
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2024-25	50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारूमा में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
2					50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
योग:-						189.00	189.00	0.00	189.00		
1	रायगढ़	लैलूंगा	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2024-25	50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
2					50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
योग:-						189.00	189.00	0.00	189.00		
1	रायगढ़	तमनार	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2024-25	50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांटा में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
2					50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
योग:-						189.00	189.00	0.00	189.00		
1	रायगढ़	घरघोडा	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2024-25	50 सीटर पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास घरघोडा में भवन निर्माण प्रति इकाई लागत 191.51 लाख	94.50	94.50	0.00	94.50	—	अपूर्ण
योग:-						94.50	94.50	0.00	94.50		
कुल योग :-						661.50	661.50	0.00	661.50		
1	रायगढ़	धरमजयगढ़			आदिवासी बालक आश्रम कुमरता (धरमजयगढ़) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण
2	रायगढ़				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास बाकारूमा (धरमजयगढ़) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण
3	रायगढ़				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास खम्हार, (धरमजयगढ़) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण
4	रायगढ़				प्री.मै. आदि. कन्या छात्रावास बनहर (धरमजयगढ़) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायगढ़

क्र.	ज़िले का नाम	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति				
							प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	शेष राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	रायगढ़	लैलूंगा	धरता आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	2025-26	आदिवासी कन्या आश्रम सोनाजोरी, (लैलूंगा) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण
6	रायगढ़				प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास मुकडेगा (लैलूंगा) में क्लासरूम निर्माण कार्य	29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण
7	रायगढ़	घरघोडा	आदिवासी कन्या आश्रम नवापाराटेण्डा (घरघोडा) में क्लासरूम निर्माण कार्य		29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण	
8	रायगढ़		प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास क्रमांक 01 नवापाराटेण्डा (घरघोडा) में क्लासरूम निर्माण कार्य		29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण	
9	रायगढ़	खरसिया	आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार (खरसिया) में क्लासरूम निर्माण कार्य		29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण	
10	रायगढ़		आदिवासी कन्या आश्रम तेन्दुमुडी (खरसिया) में क्लासरूम निर्माण कार्य		29.54	5.70	0.0059	5.6941	—	अपूर्ण	
कुल योग:-						295.40	57.00	0.0590	56.941		
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	प्रधानमंत्री जनमन योजना	2024-25	बहुउद्देशीय केन्द्र भवन निर्माण कार्य चिकलापानी (कुम्हीचुंवा)	60.00	33.00	33.0000	0.000	पूर्ण	—
2					बहुउद्देशीय केन्द्र भवन निर्माण कार्य हेतु ग्राम बिरहोर पारा (रूवाफूल)	60.00	33.00	33.0000	0.000	पूर्ण	—
3				2025-26	निरंक						
कुल योग:-						120.00	66.00	66.00	0.00		
महायोग :-						1076.90	784.50	66.06	718.44		
1			केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	2025-26	निरंक						
2			संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2025-26							


 अनुभाग अधिकारी
 आदिप्र जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - अड़तीस

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2192) की जानकारी

प्रपत्र

शासकीय सीसल प्रक्षेत्र चोरभठ्ठी कला अंतर्गत विगत 02 वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित कार्य का विवरण	स्वीकृत कार्य	संख्या	एजेंसी का नाम	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत्)	रिमारक
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
	2023-24	-निरंक -							
1	2024-25	सिचाई हेतु अंडर ग्राउंड पाईप लाईन विस्तार	स्वीकृत	1	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	45.00	45.00	निर्माणाधीन (प्रगतिरत्)	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं को निर्माण हेतु आबंटन प्रदाय किया गया है।
2		गोदाम+ सह कार्यालय	स्वीकृत	1		35.00	35.00	निर्माणाधीन (प्रगतिरत्)	
3		शेड	स्वीकृत	2		10.00	10.00	पूर्ण	
4		वर्मी टांका निर्माण	स्वीकृत	30		2.00	2.00	पूर्ण	
5		ट्रेक्टर	स्वीकृत	1	जेम पोर्टल	10.00	10.00	पूर्ण	
6		पावर रिपर	स्वीकृत	1		2.00	1.99	पूर्ण	
7		मल्टीकाप थ्रेसर	स्वीकृत	1		3.00	3.00	पूर्ण	
8		सुपर सीडर+डी.एस.आर	स्वीकृत	1		3.50	3.40	पूर्ण	
9		मिनी कंबाईन हार्वेस्टर	स्वीकृत	1		26.70	26.70	पूर्ण	
10		रोटावेटर	स्वीकृत	1		1.50	1.49	पूर्ण	
11		पावर स्प्रेयर	स्वीकृत	1		0.40	0.355	पूर्ण	
12		कम्प्यूटर सेट	स्वीकृत	1		0.50	0.49465	पूर्ण	
13		स्प्रिंकलर सेट	स्वीकृत	2		3.00	3.00	पूर्ण	
14		सोलर पंप प्रतिस्थापन	स्वीकृत	4		क्रेडा	18.30	18.26	पूर्ण
		योग				160.90	160.69		

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

14:38:58

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2203) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	वि.खं. डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत हरदी (टेका) में शीतला पारा से शास. स्कूल पहुंच मार्ग तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	33.13
2	वि.खं. डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत रूवातला में गौठान से हाई स्कूल (मेन गली) पहुंच मार्ग तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	33.13
3	वि.खं. डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत अण्डी में लुहारिन भोंवर से लेखा के खेत तक पहुंच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।	26.43
4	वि.खं. डोंगरगांव ग्राम पंचायत माथलडबरी में मेन चौक से शीतला पारा पहुंच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।	9.10
5	वि.खं. डोंगरगांव ग्राम पंचायत करमतारा से मुड़खुसरा पहुंच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य।	26.43
योग :-		128.22

Digitally signed by
Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:27:11 (विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-‘अ’

परिशेष - चालीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 52 (क्र. 2208) की जानकारी

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	विवरण
2021-22	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	841.65	841.65	भारत शासन से प्राप्त दर एवं निर्देश अनुसार योजनांतर्गत सेक्स सार्टेड सीमेन का क्रय उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेव्लपमेंट बोर्ड से क्रय एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु प्रशिक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को मानदेय प्रदाय। <ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना अंतर्गत भवन निर्माण मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना हेतु वाहन क्रय 163 मोबाईल वेटेनरी वाहन का फेब्रीकेशन/कस्टमाइजेशन एवं मय उपकरण एवं औजार, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना, रिब्राडिंग एवं आर.टी.ओ. पंजीयन टीकाकारण मानदेय
2022-23	राष्ट्रीय गोकुल मिशन राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	402.00	402.00	भारत शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदाय। <ul style="list-style-type: none"> राज्य के समस्त जिलों में कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित ग्राम/गौठानों में प्रचार-प्रसार हेतु संचालनालय, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से 14,95,016 नग बुकलेट मुद्रण करवाकर जिलों को प्रदाय। कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु छ.ग. संवाद द्वारा निर्मित विडियो स्पॉट का राज्य के दो बहुप्रसारित न्यूज चैनल में प्रसारण।
2025-26	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	759.69	102.49	राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत सेक्स सार्टेड सीमेन से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम वर्ष 2020-21 की सीमेन डोज की शेष राशि 15% राशि रु. 1,02,49,335/- का भारत सरकार से पुर्ननियोजन उपरांत राशि उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेव्लपमेंट बोर्ड को भुगतान की गई।
	योग	4730.98	3965.79	



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-‘ब’

वर्ष	योजना का नाम	किये गये सामग्री का विवरण	कय प्रक्रिया	भाग लेने वाले फर्म/कम्पनियों का नाम एवं पता	कय आदेशित फर्म/कम्पनी का नाम	फर्म/संस्था चयन का आधार
2021-22	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	सेक्स सार्टड सीमेन कय	भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा चिन्हित प्रदायकर्ता एजेंसी एवं दर निर्धारण	-	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं प्राप्त निर्देश
	लाईवस्टॉक हेल्थ एण्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम	163 मोबाईल वेटेनरी यूनिट की स्थापना हेतु वाहन कय	जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा	<ul style="list-style-type: none"> टाटा मोटर्स लिमि. निगाडी, भोसारी रोड, पिंपरी, पुणे महाराष्ट्र महिन्द्रा व्हीकल मैनुफैक्चरिंग लिमि. निघोजे चाकन, प्लाट-A1, फेस-4 चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, तालुका-खेड, चाकन पुणे, महाराष्ट्र 	टाटा मोटर्स लिमि. निगाडी, भोसारी रोड, पिंपरी, पुणे महाराष्ट्र	निविदा

वर्ष	योजना का नाम	कय किये गये सामग्री का विवरण	कय प्रक्रिया	भाग लेने वाले फर्म/कम्पनियों का नाम एवं पता	कय आदेशित फर्म/कम्पनी का नाम	फर्म/संस्था चयन का आधार
2022-23	राष्ट्रीय गोकुल मिशन राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) फेस-IV	ग्राम/गौठानों में प्रचार-प्रसार हेतु बुकलेट मुद्रण प्रचार-प्रसार हेतु विडियो स्पॉट तैयार कर राज्य के दो बहुप्रसारित न्यूज चैनल में प्रसारण	छ.ग. शासन भंडार क्रय नियम 2002 के नियम (9) अनुसार शासकीय विभाग से मूल दर मुद्रण छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र 195 दिनांक 21.08.2001 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ संवाद	-	संचालनालय, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से	छ.ग. शासन भंडार क्रय नियम 2002 के नियम (9)
2025-26	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	सेक्स सार्टेड सीमेन कय	भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा चिन्हित प्रदायकर्ता एजेंसी एवं दर निर्धारण	-	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम वर्ष 2020-21 की सीमेन डोज की शेष राशि 15% राशि रु. 1,02,49,335/- का भारत सरकार से पुनर्नियोजन उपरांत राशि उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को भुगतान।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं प्राप्त निर्देश

Dr. M. S. Mehta
 (डॉ. मौर्यम मेहता)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नई दिल्ली-110002 (छ.ग.)

परिशेष - इकतालीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2233) की जानकारी

प्रपत्र

विकास अनुज्ञा अनुसार क्षेत्रफल का विवरण		विद्यमान वर्तमान स्थिति अनुसार क्षेत्रफल का विवरण	
कुल प्लॉट क्षेत्रफल	20904.28 वर्ग मीटर	कुल प्लॉट क्षेत्रफल	20904.28 वर्ग मीटर
एरिया अण्डर रोड विड्थ	752.47 वर्ग मीटर	एरिया अण्डर रोड विड्थ	141.91 वर्ग मीटर
नेट प्लॉट एरिया	20151.81 वर्ग मीटर	नेट प्लॉट एरिया	20762.37 वर्ग मीटर
भवन निर्माण क्षेत्रफल	24058.92 वर्ग मीटर	भवन निर्माण क्षेत्रफल	24076.58 वर्ग मीटर
सड़क	7976.86 वर्गमीटर	सड़क	7831.43 वर्गमीटर
खुला क्षेत्रफल	2017.66 वर्ग मीटर	खुला क्षेत्रफल	1021.22 वर्ग मीटर

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - बयालीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 2243) की जानकारी

1/3

प्रपत्र-अ

; खरीफ धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	2022-23				2023-24				2024-25				2025-26			
		क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	रायपुर	160.34	740.76	4620	159.12	828.37	5206	159.10	808.08	5079	176.48	918.86	5207				
2	बलौदाबाजार	198.01	775.74	3918	198.28	877.48	4426	197.10	933.34	4735	209.42	1000.85	4779				
3	गरियाबंद	124.35	405.12	3258	126.23	440.79	3492	126.80	555.62	4382	130.72	552.75	4229				
4	महासमुंद	248.87	812.00	3263	251.11	1004.35	4000	250.90	980.08	3906	257.40	1004.02	3901				
5	धमतरी	130.30	553.76	4250	132.51	678.36	5119	132.50	692.14	5224	143.68	561.56	3908				
6	दुर्ग	135.17	570.95	4224	134.84	617.48	4579	135.63	646.96	4770	135.72	648.57	4779				
7	बालोद	175.68	703.93	4007	177.90	790.26	4442	178.47	859.37	4815	182.39	841.40	4613				
8	बेमेतरा	199.58	842.70	4222	203.54	976.32	4797	207.20	1062.93	5130	214.66	1087.14	5064				
9	राजनांदगाँव	174.34	572.84	3286	176.70	685.44	3879	177.57	731.62	4120	173.98	604.00	3472				
10	मोहला-मानपुर	80.12	248.75	3105	82.26	230.60	2803	82.72	240.37	2906	85.17	192.36	2259				
11	खैरागढ़	87.96	298.95	3399	90.98	461.52	5073	92.61	464.37	5014	98.21	363.55	3702				
12	कचौरधाम	137.30	572.32	4169	136.97	684.89	5000	143.08	787.29	5503	146.67	762.05	5196				
13	बिलासपुर	177.52	715.56	4031	175.72	681.76	3880	173.02	687.83	3976	171.89	717.83	4176				
14	गौरला-पेठड़ा-मरवाही	57.37	155.53	2711	58.11	173.71	2989	57.57	189.61	3294	62.53	215.30	3443				
15	मुंगेली	124.70	512.12	4107	125.15	548.66	4384	125.15	608.98	4866	128.73	589.47	4579				
16	जांजगीर-बापा	152.04	775.95	5104	150.21	808.87	5385	148.57	805.66	5423	160.15	892.06	5570				
17	सबत्ती	117.74	555.75	4720	116.58	570.66	4895	115.63	625.19	5407	111.01	585.03	5270				
18	कोरबा	118.08	336.84	2853	121.36	380.67	3137	119.90	424.01	3536	118.86	434.00	3651				
19	रायगढ़	165.05	643.71	3900	166.75	713.67	4280	167.11	797.38	4772	174.43	830.05	4759				

क्र.	जिला	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26		
		क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा.हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा.हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा.हे.)	क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा.हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	सरगुजा	114.01	406.72	3567	114.12	460.56	4036	115.70	508.76	4397	123.74	497.95	4024
22	सूरजपुर	116.18	406.85	3502	117.81	428.71	3639	120.32	443.03	3682	131.34	486.26	3702
23	बलरामपुर	87.25	311.64	3572	97.35	393.60	4043	94.44	441.08	4671	117.35	458.91	3911
24	जशपुर	161.54	490.37	3036	164.00	513.60	3132	167.79	546.05	3254	168.54	484.33	2874
25	कोरिया	41.04	123.72	3015	41.65	170.61	4096	42.10	184.84	4390	46.49	205.25	4415
26	मनेन्द्रगढ़	33.98	102.02	3002	34.41	109.68	3187	34.67	112.07	3232	42.61	143.05	3357
27	बरर	125.52	393.36	3134	126.54	390.85	3089	125.70	419.36	3336	123.35	428.21	3472
28	कोडागाव	116.35	355.55	3056	120.74	361.39	2993	121.97	445.78	3655	122.74	410.90	3348
29	नारायणपुर	23.26	52.42	2253	23.20	39.36	1697	22.80	53.21	2333	24.88	54.96	2209
30	दन्तेवाड़ा	69.66	116.43	1671	72.82	77.47	1064	72.28	102.81	1422	71.42	93.30	1306
31	सुकमा	84.48	142.07	1682	86.20	126.39	1466	85.55	175.90	2056	80.72	159.55	1977
32	बीजापुर	83.73	193.00	2305	83.38	192.59	2310	85.31	242.30	2840	84.61	240.94	2848
33	कांकेर	176.22	527.36	2993	181.75	513.65	2826	183.84	634.66	3452	193.23	673.87	3487
	योग राज्य	4108.11	14855.87	3616	4159.56	16450.86	3955	4172.75	17800.64	4266	4322.37	17729.52	4102

टीप :- 1. आयुक्ता, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

2. वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है।

3. वर्ष 2025-26 की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा DCS पर आधारित है।

3

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 06-03-2026 15:43:08
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

सुगंधित किस्म के धान का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की वर्षवार, जिलेवार जानकारी (अनुमानित)

क्र.	जिला	2022			2023			2024			2025		
		क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मे.टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	0.43	1.70	3918	0.48	2.05	4264	0.15	0.55	3705	0.11	0.46	4044
2	बलौदाबाजार	0.33	0.55	1674	0.22	0.37	1675	0.21	0.37	1710	0.21	0.36	1715
3	गरियाबंद	0.93	2.25	2418	0.91	2.20	2411	0.87	2.08	2409	0.83	2.01	2413
4	महासमुंद	0.07	0.20	3150	0.07	0.22	3150	0.09	0.28	3150	0.12	0.38	3150
5	धमतरी	0.06	0.30	4740	0.10	0.51	5015	0.55	2.93	5346	0.60	3.19	5316
6	दुर्ग	0.73	2.66	3659	0.06	0.17	3001	0.12	0.38	3174	0.12	0.38	3176
7	बालोद	1.22	2.81	2310	0.10	0.26	2474	0.45	1.01	2260	0.52	1.27	2456
8	बेमेतरा	0.97	3.67	3788	0.84	2.76	3286	1.94	9.05	4656	1.29	4.55	3529
9	राजनांदगाँव	1.83	4.97	2710	0.48	1.21	2526	0.52	1.26	2423	0.67	1.72	2561
10	मोहला मानपुर	0.18	0.39	2162	0.18	0.40	2204	0.18	0.40	2239	0.18	0.42	2344
11	खैरागढ़	0.00	0.00	0	0.23	0.73	3114	0.37	1.15	3114	0.38	1.25	3340
12	कबीरधाम	2.80	10.41	3719	3.53	13.09	3714	4.24	15.74	3712	4.60	17.10	3717
13	बिलासपुर	0.41	1.09	2649	0.41	1.10	2661	0.45	1.23	2753	0.42	1.11	2643
14	गौ.पे.म.	2.04	7.25	3560	1.54	5.85	3811	0.66	2.61	3950	0.50	1.75	3521
15	मुंगली	0.73	2.93	4020	0.67	2.73	4065	0.04	0.17	4085	0.00	0.00	0
16	जांजगीर	2.00	6.96	3482	3.35	11.84	3535	3.80	14.28	3759	3.95	15.04	3807
17	सक्ती	0.41	0.93	2289	0.31	0.70	2255	0.29	0.62	2191	0.10	0.23	2231
18	कोरबा	4.16	9.72	2337	4.36	10.84	2484	4.42	11.89	2690	3.84	10.67	2775
19	रायगढ़	0.79	3.30	4206	0.99	4.02	4074	0.29	1.26	4302	0.37	1.73	4723

क्र.	जिला	2022						2023						2024						2025							
		क्षेत्राच्छादन (000 हे.)	उत्पादन (000 मे.टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21	सरगुजा	4.90	6.74	1376	4.64	6.62	1426	4.05	6.60	1632	3.04	5.21	1716
22	सूरजपुर	2.97	4.44	1495	3.15	4.92	1562	2.68	4.23	1577	2.80	4.44	1585														
23	बलरामपुर	1.59	2.14	1350	3.02	4.16	1380	4.23	6.10	1440	4.01	5.80	1446														
24	जशपुर	2.16	3.14	1452	2.60	3.82	1466	3.06	4.86	1589	3.04	5.19	1707														
25	कोरिया	2.30	6.90	3000	2.28	6.81	2985	2.27	6.79	2993	2.20	6.63	3015														
26	मनेन्द्रगढ़	0.00	0.00	0	3.02	4.81	1592	2.88	4.70	1632	2.82	5.08	1801														
27	बस्तर	0.33	1.04	3132	1.03	3.42	3333	2.35	8.99	3822	3.26	12.88	3947														
28	कौडागांव	4.40	17.02	3869	4.65	18.54	3987	4.70	12.25	2606	4.73	13.14	2777														
29	नारायणपुर	0.33	0.70	2145	0.38	0.90	2376	0.47	1.11	2368	0.53	1.26	2385														
30	दत्तेवाड़ा	1.18	3.61	3051	2.00	6.06	3029	3.00	9.20	3066	3.20	9.87	3083														
31	सुकमा	0.42	0.97	2298	0.42	0.99	2348	0.68	1.61	2370	0.68	1.64	2415														
32	बीजापुर	0.44	1.17	2656	0.00	0.00	0	0.36	0.66	1817	0.03	0.09	2787														
33	कांकर	2.06	6.75	3275	2.17	7.17	3307	2.31	7.65	3315	2.42	8.09	3335														
	प्रदेश योग	43.34	117.03	2700	48.38	129.56	2678	53.10	142.76	2688	52.03	143.71	2762														

Digitally signed by
Vikas Mishra
(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

Date: 06-03-2026
15:44:37

प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजना स्वीकृत होने की स्थिति में केंद्रीय योजना की गाईडलाइन निम्नानुसार है:-

प्रथम किस्त - परियोजना के टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कायदेशि जारी होने के बाद परियोजना के कुल लागत का 30 प्रतिशत (प्रथम किस्त) केंद्र के द्वारा प्रदाय किया जाता है।

द्वितीय किस्त - प्रथम किस्त की राशि के 75 प्रतिशत व्यय उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करने के बाद परियोजना के कुल लागत का 30 प्रतिशत (द्वितीय किस्त) केंद्र के द्वारा प्रदाय किया जाता है।

तृतीय किस्त - द्वितीय किस्त की 75 प्रतिशत राशि के व्यय उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करने के बाद परियोजना के कुल लागत का 25 प्रतिशत (तृतीय किस्त) केंद्र के द्वारा प्रदाय किया जाता है।

चतुर्थ किस्त- परियोजना के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करने के बाद परियोजना के कुल लागत का 10 प्रतिशत (चतुर्थ किस्त) प्रतिपूर्ति राशि के रूप में केंद्र के द्वारा प्रदाय किया जाता है।

पाँचवा किस्त - राज्य के द्वारा कुल व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसमें उपरोक्त समस्त किस्तों की राशि शामिल हो भारत सरकार को प्रेषित करने के बाद तथा परियोजना के 01 वर्ष पूर्ण होने उपरांत निर्मित सुविधाओं के संचालन, रखरखाव का निरीक्षण उपरांत परियोजना के कुल लागत का 5 प्रतिशत (पाँचवी किस्त) प्रतिपूर्ति राशि के रूप में केंद्र के द्वारा प्रदाय किया जाता है।

इसके अतिरिक्त निर्माण उपरांत देयक प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत केंद्रीय राशि से भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी को किया जाता है।

अतारोकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - चवालीस

अतारोकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 836) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र पथलगांव अंतर्गत खरीक फसल हेतु सोसाइटियों में यूरिया एवं डी.ए.पी. के मांग एवं भण्डारण की जानकारी
(दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 की स्थिति में)

क्र	विकासखंड	समिति का नाम	यूरिया												डी.ए.पी.			
			लक्ष्य	भण्डारण			वितरण	शेष	लक्ष्य	भण्डारण			वितरण	शेष				
				1.04.2025 का स्टॉक	1.04.2025 के बाद आपूर्ति	योग				1.04.2025 का स्टॉक	1.04.2025 के बाद आपूर्ति	योग						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		कांसाबेल	400.00	33.750	314.550	348.300	336.420	11.880	400.00	44.450	95.000	139.450	139.000	0.450				
		चौमरीबहार	350.00	35.100	335.385	370.485	370.485	0.000	200.00	35.000	95.000	130.000	130.000	0.000				
		योग	750.00	68.85	649.94	718.79	706.91	11.88	600.00	79.45	190.00	269.45	269.00	0.45				
		पथलगांव	300.00	0.675	579.375	580.050	579.465	0.585	250.00	39.900	60.000	99.900	95.000	4.900				
		समता	300.00	57.870	274.500	332.370	247.860	84.510	200.00	76.050	85.000	161.050	110.000	51.050				
		केराकच्छार	300.00	28.125	222.075	250.200	250.200	0.000	200.00	0.000	55.000	55.000	44.850	10.150				
		किलकिला	300.00	55.215	463.410	518.625	448.200	70.425	150.00	32.050	117.000	149.050	114.050	35.000				
		सुडेग	300.00	0.270	641.160	641.430	489.195	152.235	125.00	56.000	180.750	236.750	172.200	64.550				
		घरजियाबथान	300.00	61.150	405.000	466.150	368.235	97.915	125.00	21.650	186.500	208.150	126.000	82.150				
		बामबहार	300.00	31.500	316.350	347.850	267.480	80.370	125.00	0.000	160.000	160.000	125.000	35.000				
		कोतवा	300.00	74.695	496.620	571.315	414.270	157.045	125.00	10.400	252.000	262.400	108.250	154.150				
		योग	2400.00	309.50	3398.49	3707.99	3064.91	643.09	1300.00	236.05	1096.25	1332.30	895.35	436.95				
		कुशौंग	300.00	63.000	685.620	748.620	738.135	10.485	150.00	4.750	226.050	230.800	210.200	20.600				
		योग :-	3450.000	441.350	4734.045	5175.395	4509.945	665.450	2050.000	320.250	1512.300	1832.550	1374.550	458.000				

Digitally signed by

(विकास मिश्रा)

Vikas Mishra

उप सचिव

Date: 06-03-2026

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

14:43:43 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

विधानसभा क्षेत्र पथलगांव अंतर्गत खरीफ फसल हेतु सोसाइटियों में बीज की मांग एवं भण्डारण की जानकारी
(दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 की स्थिति में)

(इकाई कि. मी.)

क्र.	विकासखण्ड	सोसाइटी का नाम	धान			
			मांग	भंडारण	वितरण	बचत
1	2	3	4	5	6	7
1	कांसाबेल	कांसाबेल	328.00	545.10	545.10	0.00
		चौगरीबहार	247.00	283.80	283.80	0.00
		योग	575.00	828.90	828.90	0.00
		पथलगांव	398.70	540.00	540.00	0.00
		तमता	274.00	262.50	247.20	15.30
		कराकच्छार	273.00	234.00	167.70	66.30
		किलकिला	273.00	330.60	276.60	54.00
2	पथलगांव	लुङ्गे	274.00	207.00	172.20	34.80
		घरजियाबथान	273.00	207.30	171.00	36.30
		बागबहार	273.00	90.90	84.90	6.00
		कोतबा	274.00	288.90	272.10	16.80
		योग	2312.70	2161.20	1931.70	229.50
3	बगीचा	कुरींग	273.00	604.80	569.40	35.40
		योग	3160.70	3594.90	3330.00	264.90

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

14:44:43

उप सचिव

छ.ग.शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - पेंतालीस
अतारोकेत प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1016) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 17/02/2026 तक की अवधि में धमतरी जिले में संचालित उद्योगों के खिलाफ पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुये प्रदूषण फैलाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही

क्र.	शिकायत का विवरण	शिकायत कर्ता का नाम	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	राईस मिल के खिलाफ कार्यवाही एवं फसल नुकसान मुआवजा राशि हेतु।	श्री शिव कुमार धुर्ख ग्राम- चरमुडिया, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	मेसर्स श्री शिवम इण्डस्ट्रीज, ग्राम- चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी	10.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स श्री सुन्दरम परबायलिंग, ग्राम- चरमुडिया, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी	10.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	राईस मिलों व कारखानों को शहर से दूर करने के संबंध में।	श्री संतोष तिवारी	मेसर्स अशोक राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला- धमतरी	13.09.2024	डस्ट कलेक्टर एवं सांयक्लोन स्थापित नहीं किया गया, (प्रदूषण निवारण तथा चिमनी से नियंत्रण) अधिनियम, अत्याधिक उत्जर्जन एवं वायु (प्रदूषण अवलोकित किया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 29.09.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
				25.10.2024	निर्देश के परिपेक्ष्य में सुधारत्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	उद्योग को उत्पादन पुनः प्रारंभ करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत बहाल करने बाबत पत्र दिनांक 29.10.2024 को जारी किया गया।
			मेसर्स हरिओम धान कुटाई केन्द्र, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला- धमतरी	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स खण्डेलवाल राईस मिल	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

			इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी			
			मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स शाकंबरी राईस मिल, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स शेखर पैड्डी, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, ग्राम-हटकेबर, इण्डस्ट्रीयल वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	13.09.2024	डस्ट कलेक्टर एवं सॉयक्लोन स्थापित नहीं पाया गया एवं ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
				28.10.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारत्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	आस-पास स्थित फैक्ट्री से राखड़ उड़ने से हो रही परेशानी बाबत।	श्री बेदुराम, ग्राम अर्जुनी, जिला धमतरी एवं श्री महेन्द्र कुमार साहू, ग्राम सम्बलपुर, जिला - धमतरी	मेसर्स आशीवाद इण्डस्ट्रीज (प्रोप. श्री सतीश महावर), ग्राम सम्बलपुर, जिला-धमतरी	03.05.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
4.	ग्राम सम्बलपुर में संचालित राईस मिल बंद करने बाबत		मेसर्स तुलसी राईस मिल, ग्राम सम्बलपुर, रायपुर रोड धमतरी, जिला-धमतरी	03.05.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेसर्स श्री बजरंग पेड्डी इण्डस्ट्रीज, ग्राम संबलपुर, जिला-धमतरी	03.05.2025	अत्यधिक मात्रा में राईस हस्क एवं ऐश का भंडारण बिना ढके पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत नोटिस जारी किया गया है।
	16.05.2025	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारत्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 65,000/- अधिरोपित की गई है।
मेसर्स छत्तीसगढ़ राईस मिल, ग्राम संबलपुर, जिला धमतरी	03.05.2025	बिना वैध जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण प्राप्त किये उद्योग संचालित पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया है।
	21.06.2025	उद्योग को जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 25.06.2025 को जारी किया गया।	उद्योग को उत्पादन पुनः प्रारंभ करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत बहाल करने बाबत पत्र दिनांक 25.06.2025 को जारी किया गया।
मेसर्स पार्वती राईस मिल, ग्राम-सम्बलपुर, जिला धमतरी	03.05.2025	बिना जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये उद्योग संचालित पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत

					उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया है।
				-	उद्योग को जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक 02.09.2025 को जारी किया गया।
		मेसर्स गोपाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, जिला-धमतरी	03.05.2025	बिना जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये उद्योग संचालित पाया गया।	उद्योग को उत्पादन पुनः प्रारंभ करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत बहाल करने बाबत पत्र दिनांक 02.09.2025 को जारी किया गया।
				-	उद्योग को जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक 30.09.2025 को जारी किया गया।
	राईस मिल से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु निवेदन।	श्री हेमंत कुमार, श्री एस कुमार यादव, श्री प्रेमनारायण साहू, श्री निहाल सिंह साहू, श्री डोमन लाल, श्री महेश कुमार साहू, श्री घनश्याम साहू, श्री प्रणय कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री भूपेश कुमार, श्री मुकुंददेव साहू, भूमिका साहू, श्री पुष्पेंद्र कुमार, श्री डोमेश्वर साहू, श्री लोकेश कुमार एवं श्री प्रणय कुमार	मेसर्स प्रिंस राईस मिल-भेंड़ा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2025	बिना वैध जल एवं वायु सम्मति के संचालित नहीं पाया गया एवं राईस हस्क एवं ऐश का भंडारण अत्याधिक मात्रा में पाया गया।
6.	राईस मिल वालों द्वारा गंदे पानी का बहाव मेरी मिल में किये जाने बाबत।	श्री घनश्याम गोयल	मेसर्स सूर्या राईस मिल, खसरा नं.-643/4, ग्राम-	31.01.2026	ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया।
					छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उत्पादन बंद करने एवं विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में उद्योग बंद है।
					छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2026

			अर्जुनी, धमतरी, जिला-धमतरी		गया एवं अनुपचारित दूषित जल का जमाव प्लॉट परिसर के अंदर पाया गया।	के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत नोटिस जारी किया गया। आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
			मेसर्स देवश्री एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम- अर्जुनी, धमतरी, जिला-धमतरी	31.01.2026	बिना वैध जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के उद्योग संचालित पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31क' के तहत उत्पादन बंद करने और विद्युत विभाग को विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश जारी किया गया हैं। वर्तमान में उद्योग बंद है।
7.	ग्राम दरगहन, तहसील व जिला- धमतरी स्थित शीतल उसना राईस मिल का अपशिष्ट पानी को खेतों में बहाने के कारण भूमि की उर्वरक क्षमता खराब होने के कारण फसल नहीं होने के संबंध में शिकायत (टी.एल. पोर्टल एवं कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी से प्राप्त)	समस्त ग्रामवासी दरगहन, जिला-धमतरी	मेसर्स अरुणोदय फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रचलित नाम- शीतल राईस मिल), प.ह.नं. - 3/5, खसरा नं. - 4 1 1, ग्राम- दरगहन, भोधली, तहसील व जिला-धमतरी	06.02.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			मेसर्स अरुणोदय फूड्स प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-3 (प्रचलित नाम- शीतल राईस मिल), प.ह.नं. - 35, खसरा नं. - 412, 413, 414, 4 1 6, ग्राम- दरगहन, तहसील व जिला-धमतरी	06.02.2026	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।


अनुभाम अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत रायपुर संभाग में कृषकों द्वारा निर्मित शेड नेट हाउस की जिलेवार/वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	निर्मित शेडनेट हाउस का विवरण		लाभावित कृषक संख्या
			संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	योग
1	2	2	4	5	9
1	बलौदाबाजार	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0
		2024-2025	9	34000	9
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	3	10500	3
		योग	12	44500	12
2	गरियाबंद	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0
		2024-2025	6	14000	6
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	2	4000	2
		योग	8	18000	8
3	रायपुर	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	3	12000	3
		2024-2025	9	28000	9
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	0	0	0
		योग	12	40000	12
4	महासंमुद	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0
		2024-2025	0	0	0
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	0	0	0
		योग	0	0	0
5	धमतरी	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0
		2024-2025	0	0	0
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	1	4000	1
		योग	1	4000	1
		महायोग	33	106500	33

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026 उप सचिव

15:53:17

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र - ब

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत रायपुर संभाग में कृषकों द्वारा निर्मित शेड नेट हाउस के गुणवत्ता परीक्षण की जिलेवार/वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	निर्मित नेट हाउस का		गुणवत्ता परीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम/पद	गुणवत्ता परीक्षण की तिथि	गुणवत्ता परीक्षण में क्या पाया गया	
			संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	बलौदाबाजार	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0		0	
		2024-2025	8	30000	श्री जी.डी. साहू, प्रमुख अन्वेषक-पीएफडीसी, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर छ.ग.	30.09.2024	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
			1	4000		26.03.2025		
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	2	8000	श्री जी.डी. साहू, प्रमुख अन्वेषक-पीएफडीसी, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर छ.ग.	26.03.2025	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
		योग	12	44500				
2	गरियाबंद	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	0	0	0	0	0	
		2024-2025	6	14000	श्री जी.डी. साहू, प्रमुख अन्वेषक-पीएफडीसी, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर छ.ग.	10.03.2025	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	2	4000	डॉ. मनीष चौरसिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र-गरियाबंद	09.12.2025 24.12.2025	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
		योग	8	18000				
		2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)	3	12000	श्री जी.डी. साहू, प्रमुख अन्वेषक-पीएफडीसी, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर छ.ग.	11.03.24	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
3	रायपुर	2024-2025	1	4000		08.08.23		
			1	4000		18.03.25		
			1	1350	श्री जी.डी. साहू, प्रमुख अन्वेषक-पीएफडीसी, इ.गा.कृ.वि.वि., रायपुर छ.ग.	21.03.25	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
			4	10650		03.03.25		
			2	8000		26.03.25		
		2025-2026 (17.02.2026 तक)	0	0				
		योग	12	40000				

क्र.	जिला	वर्ष	निर्मित नेट हाउस का गुणवत्ता परीक्षण का विवरण				गुणवत्ता परीक्षण की तिथि	गुणवत्ता परीक्षण में क्या पाया गया
			निर्मित नेट हाउस का		गुणवत्ता परीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम/पद	गुणवत्ता परीक्षण		
			संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	महासमुद्र	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024) 2024-2025 2025-2026 (17.02.2026 तक)	-	-	-	-	-	
		योग	0	0	-	-	-	
5	धमतरी	2023-2024 (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024) 2024-2025 2025-2026 (17.02.2026 तक)	0	0	0	0	0	
		योग	0	0	0	0	0	
		महायोग	1	4000	श्रीमति दीपिका चन्द्रवंशी (विषय वस्तु विशेषज्ञ) कृषि विज्ञान केन्द्र, धमतरी	16.10.2025	मापदंड अनुरूप सही पाया गया।	
		योग	1	4000				
		महायोग	33	106500				

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 06-03-2026
15:54:12 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष्ट - सैतालौस
अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1179) की जानकारी

प्रपत्र

अधिनियमों एवं नियमों में अवैध प्लॉटिंग / कॉलोनाइजेशन / विकास से संबंधित प्रावधान

अधिनियम नियम का नाम	संबंधित धारा / नियम में प्रावधान
छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961	नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ग) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339 (ग) के तहत भूमि के भाग को टुकड़ों में काटकर बेचने को अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में रखा जाता है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 61-घ (2) के तहत "कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से, अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को, इस अधिनियम या इस निमित्त बनाये गए नियमों के विरुद्ध या विपरीत भू-खण्डों में विभाजित करता है, वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है।"


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 1296) की जानकारी

प्रपत्र—अ

फल—सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन की जानकारी :-

क्रमांक	मंडी का नाम	क्रय आदेश क्र. /दिनांक	मात्रा	राशि रु.	भुगतान क्रं./दिनांक
01	राजनांदगांव	4275/ 06.12.2006	04	1,21,54,864.00	4251/ 17.10.2007 5075/ 27.10.2007
02	दुर्ग				
03	रायगढ़				
04	पखांजूर				
05	तुलसी (रायपुर)	7636/ 31.03.2008	02	60,18,996.00	2488/ 24.07.2008 3795/ 2409.2008
06	तिफरा (बिलासपुर)				

अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन

07	रायपुर	2863/ 25.08.2005	09	95,61,654.00	4100/ 27.10.2005				
08	नवापारा								
09	धमतरी								
10	कुरुद								
11	राजनांदगांव								
12	कवर्धा								
13	बिलासपुर								
14	मुंगेली								
15	जगदलपुर								
16	नारायणपुर					1579/ 19.07.2006	05	52,95,415.00	2459/ 11.09.2006
17	दुर्ग								
18	सरायपाली								
19	बसना								
20	आरंग								
21	राजिम					7636/ 31.03.2008	02	20,82,822.00	2488/ 24.07.2008 3795/ 2409.2008
22	सक्ती								
23	महासमुंद	6756/ 02.03.2009	04	76,21,452.00	7057/ 31.03.2009				
24	नेवरा								
25	सारंगढ़								
26	नैला								
			26	4,27,35,203.00					

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026 (प्रमुख सचिव)

15:14:28 छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रदेश की मंडियों में ग्रेडिंग मशीन लगाने में व्यय राशि की जानकारी :-

क्रं.	मंडी का नाम	मंडी को ग्रेडिंग मशीन प्राप्त दिनांक	ग्रेडिंग मशीन स्थापित करने का दिनांक	ग्रेडिंग अनाज/ फल-सब्जी की मात्रा	ग्रेडिंग मशीन स्थापित नहीं होने का कारण	ग्रेडिंग मशीन की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
फल-सब्जी ग्रेडिंग एवं पैकिंग मशीन						
1	राजनांदगांव	31.08.2007	—	—	फल-सब्जी का व्यापार मंडी प्रांगण में कम मात्रा में होने से।	उपयोग योग्य नहीं।
2	दुर्ग	2007-08	—	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
3	रायगढ़	25.10.2007	15.04.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
4	पखांजूर	28.03.2008	—	—	फल-सब्जी व्यापार मंडी प्रांगण में नहीं होने से।	उपयोग योग्य नहीं।
5	तुलसी (रायपुर)	08.06.2006	—	—	फल-सब्जी व्यापार मंडी प्रांगण में नहीं होने से।	उपयोग योग्य नहीं।
6	तिफरा (बिलासपुर)	19.06.2008	—	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
अनाज ग्रेडिंग एवं क्लीनिंग मशीन						
7	रायपुर	25.08.2006	05.11.2007	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
8	नवापारा	10.10.2005	04.02.2006	—	—	दिनांक 13.02.2014 को बीज प्रक्रिया केन्द्र अभनपुर को हस्तांतरित, वर्तमान में उपयोग योग्य नहीं।
9	धमतरी	18.10.2005	29.03.2006	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
10	कुरुद	18.10.2005	11.11.2005	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
11	राजनांदगांव	25.08.2005	11.12.2005	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
12	कवर्धा	22.10.2005	05.04.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
13	बिलासपुर	25.08.2005	06.12.2005	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
14	मुंगेली	19.05.2009	20.04.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
15	जगदलपुर	26.10.2005	16.10.2007	—	—	उपयोग योग्य नहीं।

क्रं.	मंडी का नाम	मंडी को ग्रेडिंग मशीन प्राप्त दिनांक	ग्रेडिंग मशीन स्थापित करने का दिनांक	ग्रेडिंग अनाज/फल-सब्जी की मात्रा	ग्रेडिंग मशीन स्थापित नहीं होने का कारण	ग्रेडिंग मशीन की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
16	नारायणपुर	23.09.2009	04.03.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
17	दुर्ग	2007—08	19.02.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
18	सरायपाली	04.09.2006	20.09.2006	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
19	बसना	21.07.2006	22.01.2008	—	—	दिनांक 25.02.2008 से वर्ष 2013—14 बीज निगम बसना द्वारा उपयोग किया गया। वर्तमान में उपयोग योग्य नहीं।
20	आरंग	06.10.2006	13.01.2007	—	—	दिनांक 22.02.2014 को बीज प्रक्रिया केन्द्र जोरा रायपुर को हस्तांतरित, वर्तमान में उपयोग योग्य नहीं।
21	राजिम	06.06.2008	18.04.2010	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
22	सक्ती	2007—08	2007—08	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
23	महासमुंद	04.09.2006	15.06.2007	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
24	नेवरा	19.05.2009	07.05.2020	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
25	सारंगढ़	02.05.2009	28.08.2009	—	—	उपयोग योग्य नहीं।
26	नैला	24.04.2009	19.09.2009	—	—	उपयोग योग्य नहीं।

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:15:33

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

विभागवार बचत राशि

करोड़ रु में

मांग संख्या	विवरण	वर्ष 2024-25 में बचत राशि
1	सामान्य प्रशासन	142.87
	भारित	11.91
2	सामान्य प्रशासन, विभाग से संबंधित व्यय	41.53
3	पुलिस विभाग से संबंधित व्यय	1,290.70
4	गृह विभाग से संबंधित व्यय	44.86
5	जेल विभाग से संबंधित व्यय	88.86
6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1,060.68
7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	136.00
	भारित	10.17
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	543.30
	भारित	0.15
9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	22.60
10	वन विभाग से संबंधित व्यय	1,081.21
	भारित	4.07
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	122.16
	भारित	0.06
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	357.92
13	कृषि	616.29
	भारित	0.06
14	पशुपालन	74.33
	भारित	0.11
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	74.52
16	मछलीपालन	30.88
17	सहकारिता विभाग से संबंधित व्यय	88.44
18	श्रम विभाग से संबंधित व्यय	72.15
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,390.40
	भारित	0.58
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	737.29
21	आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय	83.68
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	5.48
23	जल संसाधन विभाग	409.58
	भारित	0.81
24	लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल	897.29
	भारित	11.77
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	866.67
	भारित	0.01
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	29.63
27	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	806.70
	भारित	0.22
28	राज्य विधान मण्डल	17.90
	भारित	0.98
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	92.52
	भारित	31.52
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,170.72
	भारित	0.19

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

विभागवार बचत राशि

करोड़ रु में

मांग संख्या	विवरण	वर्ष 2024-25 में बचत राशि
31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग से संबंधित व्यय	22.07
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	6.82
33	आदिम जाति कल्याण	736.98
	भारत	0.34
34	समाज कल्याण	20.19
35	पुनर्वास	1.88
36	परिवहन विभाग से संबंधित व्यय	58.50
	भारत	1.65
37	पर्यटन विभाग से संबंधित व्यय	130.71
39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	233.09
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (समस्त विभाग शामिल)	7,123.24
	भारत	0.20
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	492.10
	भारत	0.95
43	खेल एवं युवा कल्याण	31.81
44	उच्च शिक्षा	167.99
	भारत	0.01
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	51.26
	भारत	0.02
46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	41.37
47	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	126.27
49	अनुसूचित जाति कल्याण	1.85
50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2.48
51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से संबंधित व्यय	35.36
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5.43
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	98.80
55	महिला एवं बाल विकास	328.99
56	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित व्यय	29.53
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	49.96
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	429.07
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	5.55
64	अनुसूचित जाति उपयोजना (समस्त विभाग शामिल)	2,191.92
65	विमानन विभाग से संबंधित व्यय	39.06
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	88.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	840.48
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	252.36
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	1,182.11
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	173.57
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	106.04
76	लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	234.47
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	492.22
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता	370.96
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	523.61
82	अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	94.38
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4.79



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

परिशेष - पचास
अतारोकेत प्रश्न संख्या 15 (क. 1362) की जानकारी

प्रपत्र

जशपुर जिले में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कब-कब एवं किन-किन स्थानों पर किया गया है की विधानसभावार जानकारी

क्रमांक	विधानसभा का नाम	स्थान का नाम	कार्य पूर्णता वर्ष
1	कुनकुरी	कुनकुरी	2021
		दुलदुला	2021
		कांसाबेल	2021
2	पत्थलगांव	पत्थलगांव	2021
		फरसाबहार	2021
3	जशपुर	जशपुर	2021
		बगीचा	2021
		मनोरा	2021

52.
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - इनक्यावन
अतारोकेत प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1654) को जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत/पात्र आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत/अपात्र आवेदनों की संख्या	अपात्र का कारण
2023-24	—	—	—	—
2024-25	05	—	05	पृथक-पृथक भवनों में निवासरत रहने के कारण अपात्र
2025-26	—	—	—	—


अनुभाग अधिकारी
आदिग जमी विकास विभाग
पंचालय, महालक्षी पवन, नया बजपुर

पारिशेष्ट - बावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1764) की जानकारी

प्रपत्र

01 जनवरी 2019 से दिनांक 23 फरवरी 2026 तक शैक्षणिक प्रयोजन हेतु हेतु भूमि आबंटन की जानकारी

क्रमांक	आबंटिती का नाम	रकबा (वर्ग मीटर में)	दर (प्रति वर्ग मीटर रुपये में)
1	भगवान श्री बालासाई एजुकेशनल चेरिटेबल सोसायटी (कलिंगा यूनिवर्सिटी)	33800	1100
2	स्कूल शिक्षा विभाग	80969.8	2475
3	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (एआईआईएलएसजी)	1250.05	2476
4	महाराजा अग्रसेन चेरिटेबल ट्रस्ट	24003.32	1675
5	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड स्पात लिमिटेड	69631.858	2514
6	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	194775.2	1750
7	छठगठ राज्य सहकारी बैंक मर्या0 (अपैक्स बैंक)	9028.75	4050
8	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	61101.701	3467
9	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	40561.6777	3467
10	सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लि0	4394.54	4467
11	सरस्वती बाल विकास समिति	70052.099	2475

01 जनवरी 2019 से दिनांक 23 फरवरी 2026 तक स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन की जानकारी

क्रमांक	आबंटिती का नाम	रकबा (वर्ग मीटर में)	दर (प्रति वर्ग मीटर रुपये में)
1	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	204771.12	2472
2	डॉ0 प्रारूध अग्रवाल	4533.52	2472
3	नसरीन बेगम	1012.38	2472
4	ईशिका मिहल	2000	2472
5	अश्विनी सिंग	2000	2472
6	एन.के. अग्रवाल	4665.33	2472
7	पल्लवी क्षीरसागर	856.68	2472
8	डॉ. जया बाजपेई	2375.28	2475
9	माला लक्ष्मी नसिंग होम एवं इन्वेस्टिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	8093.71	1850
10	संतावना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान	16188.00	1091
11	मेसर्स बाम्बे हॉस्पिटल	61444.44	999
12	मेसर्स आपटामित्र हेल्थकेयर प्रा. लि.	8094	1052
13	मेसर्स कालडा बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर	216.49	1020
14	मेसर्स कालडा बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर	2371.58	2545
15	मेसर्स किड्स कंयर एण्ड प्लास्टिक न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर	2379.553	1122
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण	68378	3742
17	श्री सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन	20235	7167

01 जनवरी 2019 से दिनांक 23 फरवरी 2026 तक अन्य संस्थाओं को भूमि आबंटन की जानकारी

क्रमांक	आबंटिती का नाम	रकबा (वर्ग मीटर में)	दर (प्रति वर्ग मीटर रुपये में)
1	समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	1460.94	4050
2	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	40792.58	750
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1570	9240
4	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1561	7392
5	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1485	7920

6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1485	7392
7	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1300	7920
8	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1485	9240
9	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0	1485	7920
10	राज्य शहरी विकास अभिकरण	5957.014	5717
11	लोक निर्माण विभाग	639565.12	2150
12	लोक निर्माण विभाग	259682.73	2150
13	सी.एस.आई.डी.सी.	12994	4050
14	लोक निर्माण विभाग	129499.392	2150
15	छ0ग0 राज्य लघु वनोपज संघ	17946.45	5925
16	छ0ग0 स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पो.	6070.997	4050
17	लोक निर्माण विभाग	180774.335	2150
18	समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	3000	6083.33
19	सी.एस.आई.डी.सी.	801980.67	755
20	छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल	4776.115	5720
21	एच.पी.सी.एल.	214560.281	3090
22	आदिम जाति तथा अनु.ज.जा. विकास विभाग	25980.82	3633.33
23	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19567.6	5150
24	छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल	7300.379	5717
25	श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल बेरला रायपुर	1710	1100
26	छ0ग0 राज्य ग्रामीण बैंक	2975.33	4467
27	नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	2975.75	4467
28	नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	5245.9	6083
29	कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	1560.39	4467
30	हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित	4896.77	4050
31	छ0ग0 स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	10017.3	4050
32	एन.टी.पी.सी.	15338.57	4050
33	समाज कल्याण विभाग	11078.466	4050
34	प्रवर्तन निदेशालय	8896.316	4217
35	छ0ग0 राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	990	4683
36	छ0ग0 राज्य आर्थिक अपराध एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो	9104.58	4300
37	छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेंटर	119269.2953	2450
38	इंडियन ओवरसिज बैंक	4448.279	4300
39	इंडियन ओवरसिज बैंक	4046.85642	6900
40	आर्ट ऑफ लिविंग	161897.267	2433
41	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	10174.3	4300
42	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10150	6433
43	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3014	8550
44	एनटीपीसी लिमिटेड	61409.277	5917
45	छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन	632.135	4767
46	छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन	4270.12	4300
47	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	6070.285	4300
48	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	54525.56	5406
49	सहायक आसूचना ब्यूरो	14016.2653	6083


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1888) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022-23 से 17/02/2026 तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत खरीदी की गई खाद्यान्नों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	जिला का नाम	फसल	समिति का नाम	विक्रय करने वाले कृषकों की संख्या	खरीदी की गई मात्रा (क्विं.)	भंडारित मात्रा (क्विं.)	कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि (रु. में)	किसानों को भुगतान की गई राशि (रु. में)	खरीदी की तिथि
2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024-25	बेमेतरा	सोयाबीन	सेवा सहकारी समिति दाढ़ी	5	111.00	111.00	543012.00	543012.00	15-05-2025
	गरियाबंद	चना	सेवा सहकारी समिति अमलीपदर	7	20.00	20.00	113000.00	113000.00	29-05-2025
	बेमेतरा	सोयाबीन	सेवा सहकारी समिति परपोड़ी	3	36.50	36.50	194472.00	194472.00	15-01-2026
2025-26	राजनांदगांव	सोयाबीन	स्वर्ण उपज एफपीओ सुकुलैहान	3	38.50	38.50	205128.00	205128.00	14-01-2026 एवं 16-01-2026
		सोयाबीन	सेवा सहकारी समिति तुमड़ीबोड़	1	35.00	35.00	186480.00	186480.00	09-01-2026
		योग	--	4	73.50	73.50	391608.00	391608.00	-
	खैरागढ़	सोयाबीन	सेवा सहकारी समिति अतरिया	1	2.00	2.00	10656.00	-	09-01-2026
	कबीरधाम	सोयाबीन	सेवा सहकारी समिति बम्हनी	1	5.00	5.00	26640.00	-	15-01-2026
			सेवा सहकारी समिति खैरबनाकला	18	133.00	133.00	708624.00	-	15-01-2026 से 19-02-2026
			सेवा सहकारी समिति बचेड़ी	1	8.00	8.00	42624.00	-	15-01-2026
		योग जिला	--	20	146.00	146.00	777888.00	-	-

टीप: शेष स्क्रों का नेफेड द्वारा भण्डारण उपरान्त राशि किसानों को प्रदाय की जायेगी।

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026 13:48:33

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रपत्र-ब

खरीदी हेतु गुणवत्ता परीक्षण के कार्य हेतु श्री वेद कुमार साहू, परीक्षणकर्ता के रूप में नेफेड द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

खरीदी किये गये फसलों के परीक्षण हेतु निर्धारित मापदंडों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	अधिकतम प्रतिशत	
		सोयाबीन	चना
1	मिट्टी/लकड़ी/कूड़ा, बाहरी पदार्थ	2	1
2	अन्य प्रकार के दालें/अनाज	-	3
3	अन्य उसी प्रकार के दालें/अनाज	-	2
4	मुरझाया हुआ, अपरिपक्व और रंगहीन	-	3
5	थोड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त/खराब रंगहीन अनाज/दालें	15	4
6	अपरिपक्व और अंकुरित/सिकुड़ी हुई दालें/अनाज	5	6
7	कीटों या धुन से संक्रमित दालें/अनाज	3	4
8	नमी/आर्द्रता	12	14

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

13:49:21 (विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - चोवन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 25 (क. 1896) को जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला बालोद में संचालित पशु चिकित्सालय का स्वीकृत सेटअप, पदनाम एवं कार्य सहित विकासखण्डवार, चिकित्सालयवार/औषधालयवार जानकारी

(अ) पशु चिकित्सालयवार जानकारी-

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ		सहा. प.चि.क्षे. अधिकारी		ड्रेसर		परिचारक		स्वच्छकर्ता परिचारक				
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
1	बालोद	पशु चिकि. बालोद	2	2	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	1
2	बालोद	पशु चिकि करहीभदर	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1
3	गुण्डरदेही	पशु चिकि. गुण्डरदेही	2	2	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1
4	गुण्डरदेही	पशु चिकि. अर्जुन्दा	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
5	गुण्डरदेही	पशु चिकि. खुटेरी	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1
6	डौण्डीलोहारा	पशु चिकि. मंगचुवा	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
7	डौण्डीलोहारा	पशु चिकि. देवरीबंगला	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1
8	डौण्डीलोहारा	पशु चिकि डौण्डीलोहारा	2	2	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1
9	डौण्डी	पशु चिकि. डौंड़ी	2	2	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1
10	डौण्डी	पशु चिकि. दल्लीराजरा	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
11	डौण्डी	पशु चिकि. कुसुमकसा	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
12	डौण्डी	पशु चिकि. भैंसबोड़	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1
13	डौण्डी	पशु चिकि.घोटिया	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1
14	गुरुर	पशु चिकि गुरुर	2	1	1	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1
योग:-			19	17	2	28	10	18	14	7	14	13	14	0	14

(Signature)
(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(ब) पशु औषधालयवार जानकारी-

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	सहा. प.चि.क्षे. अधिकारी		परिचारक			स्वच्छकर्ता परिचारक				
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	
1	बालोद	पशु औषधालय पीपरछेड़ी	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
2	बालोद	पशु औषधालय कोहंगाटोला	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
3	बालोद	पशु औषधालय निपानी	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
4	बालोद	पशु औषधालय अमलीडीह	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
5	बालोद	पशु औषधालय सांकरा ज	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
6	बालोद	पशु औषधालय पोंडी	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
7	बालोद	पशु औषधालय लाटाबोड	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
8	गुरुर	पशु औषधालय धनेली	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
9	गुरुर	पशु औषधालय भानपुरी	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
10	गुरुर	पशु औषधालय कंवर	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
11	गुरुर	पशु औषधालय बड़भूम	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
12	गुरुर	पशु औषधालय पलारी	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
13	गुरुर	पशु औषधालय बोहारा	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
14	गुरुर	पशु औषधालय अरकार	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
15	गुरुर	पशु औषधालय अरमरीकला	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
16	गुण्डरदेही	पशु औषधालय सिकोसा	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
17	गुण्डरदेही	पशु औषधालय चन्दनबिरही	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
18	गुण्डरदेही	पशु औषधालय पेण्डी	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
19	गुण्डरदेही	पशु औषधालय डुण्डेरा	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
20	गुण्डरदेही	पशु औषधालय बेलौदी	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
21	गुण्डरदेही	पशु औषधालय सिर्री तमोरा	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
22	गुण्डरदेही	पशु औषधालय माहुद बी	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
23	गुण्डरदेही	पशु औषधालय पैरी	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

क.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	सहा. प.चि.क्षे. अधिकारी		परिचारक			स्वच्छकर्ता परिचारक			
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
24	गुण्डरदेही	पशु औषधालय देवरी देवसरा	1	1	0	1	1	0	1	0	1
25	गुण्डरदेही	पशु औषधालय परसदा	1	0	1	1	0	1	1	0	1
26	गुण्डरदेही	पशु औषधालय मांठागांव आर	1	0	1	1	0	1	1	0	1
27	गुण्डरदेही	पशु औषधालय भरदाकला	1	1	0	1	1	0	1	0	1
28	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय मुढिया	1	0	1	1	0	1	1	0	1
29	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय मनकी	1	1	0	1	1	0	1	0	1
30	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय चेन्द्रीबन	1	1	0	1	1	0	1	0	1
31	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय हड़गहन	1	1	0	1	1	0	1	0	1
32	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय अछौली	1	1	0	1	1	0	1	0	1
33	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय संजारी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
34	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय पापरा	1	1	0	1	1	0	1	0	1
35	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय खेरथाबाजार	1	1	0	1	1	0	1	0	1
36	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय भंवरमरा	1	1	0	1	0	1	1	0	1
37	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय सहगांव	1	1	0	1	0	1	1	0	1
38	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय खोलझर	1	1	0	1	1	0	1	0	1
39	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय दुधली	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय खरथुली	1	0	1	1	1	0	1	0	1
41	डौण्डीलोहारा	पशु औषधालय केंवट नवांगांव	1	0	1	1	1	0	1	0	1
42	डौण्डी	पशु औषधालय बेलोदा	1	0	1	1	1	0	1	0	1
43	डौण्डी	पशु औषधालय आमाडुला	1	1	0	1	1	0	1	0	1
44	डौण्डी	पशु औषधालय सुरडोगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
45	डौण्डी	पशु औषधालय भरीटोला	1	1	0	1	1	0	1	0	1
		योग:-	45	28	17	45	33	12	45	1	44

(Signature)
 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महाबूदी भवन

(स) अधिकारियों -कर्मचारियों के पदनाम सहित कार्य की जानकारी निम्नानुसार है -

1. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ- चिकित्सालय के कार्य क्षेत्र अंतर्गत समस्त पशु/पक्षियों का रोग निदान, उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं का संचालन, अनुशीलन तथा समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
2. सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी- प्रभारी पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पशुओं का प्राथमिक उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्य तथा योजनाओं का क्रियान्वयन, पंजियों/अभिलेखों का संधारण।
3. पट्टीबंधक- प्रभारी पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पशुओं के उपचार में सहयोग तथा पट्टीबंधक का कार्य।
4. परिचारक- प्रभारी पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पशुओं के उपचार में सहयोग, चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई एवं प्रभारी द्वारा सौंपे गये शासकीय कार्य।
5. परिचारक- प्रभारी पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में पशुओं के उपचार में सहयोग, चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई एवं प्रभारी द्वारा सौंपे गये शासकीय कार्य।



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र - ब

जिला बालोद में पशुधन विकास विभाग में संचालित योजनाओं तथा वर्ष 2023 से 2025 तक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को दी गई सब्सिडी की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		हितग्राही संख्या	सब्सिडी राशि रु	हितग्राही संख्या	सब्सिडी राशि रु	हितग्राही संख्या	सब्सिडी राशि रु
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना	850	2182500.00	800	2047500.00	323	816700.00
2	अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना	31	279000.00	0	0	43	387000.00
3	अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना	64	246000.00	19	66500.00	45	173500.00
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	7	245000.00	6	199988.00	6	210000.00
5	अनुदान पर उन्नत मादा वत्स पालन योजना	59	941231.00	50	675000.00	40	634645.00
6	राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	-	-	-	-	-	-
7	छ.ग. राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	-	-	-	-	-	-
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	35	2682400.00	32	2402680.00	5	350000.00
9	कृषक कौशल विकास योजना	75	750000.00	75	750000.00	75	750000.00
10	राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत बकरी पालन योजना युनित	-	-	3	20,00,000.00	-	-
11	योग:-	1121	7326131	985	8141668	537	3321845

(Signature)

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
रायपुर-491001

पारिशेष्ट - पचपन
अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1907) की जानकारी

प्रपत्र-अ

**छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा पूर्व में जिला कांकेर अंतर्गत स्थलों में स्वीकृत
निर्माण कार्यों की जानकारी**

क्रं.	वर्ष	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2005	गढ़िया पहाड़, कांकेर में विकास कार्य – 1. मृदा /जल संरक्षण कार्य 2. रूट ट्रेक निर्माण 3. सोलर पद्धति से स्ट्रीट लाईट द्वारा विद्युतिकरण व्यवस्था	10.80	कार्य पूर्ण।
2	2005	मलांजकुडुम जलप्रपात के पर्यटन विकास अंतर्गत झुला निर्माण	20.86	कार्य पूर्ण।
3	2005	कांकेर, नथियानवागाँव स्थल पर मोटल का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में स्वीकृत किया गया।	146.92	कार्य पूर्ण।
4	2006	मावली माता पहाड़, ग्राम कोकनपुर, में सीढ़ी निर्माण, विद्युत व्यवस्था, ज्योति कलश कक्ष एवं शेड, चबुतरा निर्माण, बारबेड वायर फेंसिंग	5.00	कार्य पूर्ण।
5	2006	सुलभ शौचालय का निर्माण, बस स्टैंड, कांकेर (24 सीटर)	20.49	कार्य पूर्ण।
6	2006	कांकेर के सिंगारभाट स्थल पर मोटल निर्माण कार्य।	118.29	कार्य पूर्ण।
7	2007	बस्तर क्षेत्र में प्रवेश स्थलों में स्वागतद्वार निर्माण के तहत चारामा, जिला कांकेर में स्वागत द्वार निर्माण कार्य।	9.12	कार्य पूर्ण।
8	2008	ग्राम पंचायत केंवटीनटोला माता मंदिर में सीढ़ी निर्माण	5.00	कार्य पूर्ण।
9	2011	ग्राम सरंगपाल जिला कांकेर में सामुदायिक भवन निर्माण (शिवमंदिर), प्रवेश द्वार निर्माण	6.50	कार्य पूर्ण।
10	2013	गढ़बांसला (आदिवासी देवी) का पर्यटन विकास कार्य – 1. पेयजल हेतु आव्हर टैंक का निर्माण – 10.00 लाख 2. सीढ़ी एवं रैलिंग निर्माण – 5.00 लाख 3. यात्रियों के लिए शेड निर्माण – 5.00 लाख 4. परिसर के आस-पास विकास कार्य – 5.00 लाख	25.00	कार्य पूर्ण।
11	2015	ग्राम गाड़ागौरी स्थित गढ़शीतला मंदिर, योनी शक्तिपीठ सीढ़ी निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था एवं ग्राम आंवरी स्थित रानी मां मंदिर में उद्यान निर्माण, पगोड़ा एवं शेड निर्माण।	15.00	कार्य पूर्ण।
12	2018	नथियानवागाँव में वे साईड एमेनिटीस का निर्माण	58.68	कार्य पूर्ण।
कुल राशि रु. (लाख में) –			441.66	

प्रपत्र-ब

क्र.	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1.	कांकेर	धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक	सिंहवासिनी मंदिर, गढ़िया पहाड़, राजमहल
2.	दुधावा	जलाशय	बांध दृश्य
3.	गढबांसला (भानुप्रतापपुर)	धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक	प्राचीन किला, गढ़देवी मंदिर, शिवमंदिर, किला पहाड़, जलाशय, गुफा
4	खंडी घाट	धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक	सिद्धेश्वर महादेव, माया मोहनी, योगी गुफा, अष्ट भुजी भवानी मंदिर एवं हर हर खण्डेश्वर महादेव मंदिर
5	गाड़ागौरी गढ़शीतला	धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक	जोगीगुफा, गढ़माड़िया देव, गढ़हिंगलाज एवं पांच फुल वृक्ष

पारिशेष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1908) की जानकारी

प्रपत्र

भानुप्रतापपुर विधानसभा से संबंधित तहसीलो में मौसम खरीफ 2024 एवं 2025 में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले एवं बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील का नाम	फसल बीमा कराने वाले कृषक (संख्या)	बीमित रकबा (हे. में)	कुल दावा भुगतान	
							कृषक (संख्या)	राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ	2024	कांकेर	भानुप्रतापपुर	8562	17747.40	793	266.14
2				चारामा	14891	22566.40	1067	72.28
3				दुर्गूकोंदल	7434	18627.72	438	172.68
योग खरीफ 2024					30887	58941.52	2298	511.10
1	खरीफ	2025	कांकेर	भानुप्रतापपुर	9198	18687.38	बीमा दावा की गणना प्रक्रियाधीन है।	
2				चारामा	14618	22149.65		
3				दुर्गूकोंदल	6835	17321.69		
योग खरीफ 2025					30651	58158.72		

Digitally signed by
Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:03:43

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1910) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

योजनावार स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का वर्षवार विवरण

dz-	स्वीकृत योजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि (हजार में)	भौतिक प्रगति	व्यय राशि (हजार में)
1	2	4	5	6
वर्ष 2020-21				
1	(2536) - पर्यावरण वानिकी	58180	01 लाख पौध रोपण एवं 21 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पाट का संचालन	56548
2	(2965) - बिगड़े वनों का सुधार	1374600	34330 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य 43053 हे. में बिगड़े वनों का सुधार एवं रोपण कार्य. 105660 हे. में रखरखाव	1352451
3	(1004) - नदी तट वृक्षारोपण योजना	85500	74 हे. में तैयारी, 457 हे. रोपण कार्य 1507 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	66559
4	(1902) - तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	47000	177 हे. में तैयारी, 370 हे. रोपण, 2143 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	45796
5	(6724) - बांस वनों का पुनरोद्धार	394480	14868 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 28972 हे. बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं रोपण कार्य, 57294 हे. में पुराने आर.डी.बी. एफ एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	357201
6	(6828) - पथ वृक्षारोपण	72000	57 कि.मी. में तैयारी, 88 कि.मी. में रोपण तथा 206 कि.मी. रखरखाव कार्य	70847
7	(7563) - अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	10000	30 हे. में तैयारी, 398 हे. में रोपण, 161 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	9849
	कुल योग:	2041760		1959251
वर्ष 2021-22				
1	2536) - पर्यावरण वानिकी	108180	तैयारी-10.40 हे. में रोपण-10.83 हे., रखरखाव-82.79 हे. एवं 26 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पाट का संचालन	102860
2	(2965) - बिगड़े वनों का सुधार	2172553	62651 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य, 34409 हे. में बिगड़े वनों का सुधार एवं रोपण कार्य एवं 116664 हे. में रखरखाव	1895092
3	(1004) - नदी तट वृक्षारोपण योजना	70000	416 हे. में तैयारी, 105 हे. रोपण कार्य 1701 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	60088
4	(1902)-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	60000	339 हे. में तैयारी, 177 हे. रोपण, 3328 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	56915
5	(6724)-बांस वनों का पुनरोद्धार		32962 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 14601 हे. में रोपण एवं आर.डी.बी.एफ. कार्य, 71431 हे. में पुराने	528287

		616935	आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	
6	(6828)-पथ वृक्षारोपण	65000	95.99 कि.मी. में तैयारी, 93.99 कि.मी. में रोपण तथा 154 कि.मी. रखरखाव कार्य	56669
7	(7563)-अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	45000	225 हे. में तैयारी, 40 हे. में रोपण, 1785 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	39548
	कुल योग:-	3137668		2739459
वर्ष 2022-23				
1	(2536) -पर्यावरण वानिकी	308180	01 लाख पौधा रोपण, 142 कृष्ण कुंज एवं 58 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का रखरखाव एवं संचालन	296907
2	(2965) -बिगड़े वनों का सुधार	1876752	43182 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य 59484 हे. में रोपण एवं बिगड़े वनों का सुधार कार्य 114346 हे. में रखरखाव	1781958
3	(1004) - नदी तट वृक्षारोपण योजना	72800	374 हे. में तैयारी, 522 हे. रोपण कार्य 1037 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	65181
4	(1902) - तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	49150	70 हे. में तैयारी, 339 हे. रोपण, 1692 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	28362
5	(6724) - बांस वनों का पुनरोद्धार	724055	41688 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 35451 हे. में रोपण एवं आर.डी.बी.एफ. कार्य, 61740 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रों का रखरखाव	609080
6	(6828) - पथ वृक्षारोपण	68250	51.8 0 कि.मी. में तैयारी, 28.5 0 कि.मी. में रोपण तथा 191.49 कि.मी. रखरखाव कार्य	54289
7	(7563) अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	45000	235 हे. में तैयारी, 195 हे. में रोपण, 693 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	40732
	कुल योग:-	3144187		2876509
वर्ष 2023-24				
1	(2536) - पर्यावरण वानिकी	332834	01 लाख पौधा रोपण एवं 32 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	304055
2	(2965) - बिगड़े वनों का सुधार	2116752	32676 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 38275 हे. में सुधार कार्य एवं 4886 हे. में रोपण, 137234 हे. में रखरखाव	1725076
3	(1004) - नदी तट वृक्षारोपण योजना	74760	236 हे. में तैयारी, 345 हे. रोपण कार्य 1033 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	69412
4	(1902) - तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	61700	185 हे. में तैयारी 70 हे. रोपण, 886 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	45882
5	(6724) - बांस वनों का पुनरोद्धार	676500	19386 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई, 34398 हे. में सुधार कार्य एवं 1830 हे. में रोपण 78814 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रों का रखरखाव	642011
6	(6828) - पथ वृक्षारोपण	69621	81.6 9 कि.मी. में तैयारी, 27.3 0 कि.मी. में रोपण तथा 150.59 कि.मी. रखरखाव कार्य	47187
7	(7563) - अतिक्रमण		168 हे. में तैयारी, 385 हे. में रोपण, 623 हे. में पुराने रोपण	

	व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	45000	168 हे. में तैयारी, 385 हे. में रोपण, 623 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	40730
	कुल योग:-	3377167		2874353
वर्ष 2024-25				
1	(2536) - पर्यावरण वानिकी	400000	01 लाख पौधा रोपण एवं 56 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट/दर्शनीय स्थलों का सौंदर्यीकरण	230374
2	(2965) - बिगड़े वनों का सुधार	2940375	50703 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 31090 हे. में रोपण रहित एवं सहित, 136690 हे. में रखरखाव	1951341
3	(1004) - नदी तट वृक्षारोपण योजना	74760	119 हे. में तैयारी, 280 हे. रोपण कार्य 812 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	29451
4	(1902) - तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	61700	49 हे. में तैयारी, 120 हे. रोपण, 586 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	24956
5	(6724) - बांस वनों का पुनरोद्धार	676500	23013 हे. में तैयारी तथा बांस भिरा सफाई 13818 हे. में रोपण रहित एवं सहित 38297 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रों का रखरखाव	506025
6	(6828) - पथ वृक्षारोपण	69621	13 कि.मी. में तैयारी 76 कि.मी. में रोपण तथा 120 कि.मी. रखरखाव कार्य	43374
7	(7563) - अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	45000	118 हे. में तैयारी, 196 हे. में रोपण, 565 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	21202
	कुल योग:-	4267956		2806723

52.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अज्ञास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र 'ब'

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं में व्यय राशि की जानकारी

राशि रु.
लाख में

क्र.	अवधि	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक प्रगति		
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक	रायपुर स्मार्ट सिटी	999.00	656.00	0	1	0
2		15 वें वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट मद)	3589.00	3584.00	193	0	0
3		15 वें वित्त आयोग (वायु गुणवत्ता मद)	4611.00	4199.00	14	0	0
4		सीवरेज योजना राज्य बजट	11134.54	9258.66	6	0	0
योग			20333.54	17697.66	213	1	0

राशि रु.
लाख में

क्र.	अवधि	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक प्रगति		
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक	रायपुर स्मार्ट सिटी	752.00	418.00	0	2	0
2		बिलासपुर स्मार्ट सिटी	3237.60	2181.88	3	1	0
3		15 वें वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट मद)	6139.00	6016.00	34	0	0
4		15 वें वित्त आयोग (वायु गुणवत्ता मद)	713.00	622.00	3	1	0
योग			10841.60	9237.88	40	4	0

राशि रु.
लाख में

क्र.	अवधि	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक प्रगति		
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक	15 वें वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट मद)	11890.00	10894.00	379	2	1
2		15 वें वित्त आयोग (वायु गुणवत्ता मद)	6258.00	6009.00	0	0	1
3		सीवरेज योजना राज्य बजट	9748.89	0.00	0	0	5
योग			27896.89	16903.00	379	2	7

राशि रु.
लाख में

क्र.	अवधि	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक प्रगति		
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक	स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2-0 (एसटीपी निर्माण कार्य)	9925.62	0.00	0	7	13
2		15 वें वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट मद)	22341.96	18059.60	910	89	60
3		15 वें वित्त आयोग (वायु गुणवत्ता मद)	7479.00	6208.00	159	10	1
योग			39746.58	24267.60	1069	106	74

राशि रू.
लाख में

क्र.	अवधि	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	भौतिक प्रगति		
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक	मिशन अमृत 2-0	62537.00	2027.60	0	5	0
2		स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसटीपी निर्माण कार्य)	20129.40	0.00	0	2	46
3		स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2-0 (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	22603.69	0.00	0	5	78
4		15 वें वित्त आयोग (ठोस अपशिष्ट मद	3064.00	371.00	50	7	52
5		15 वें वित्त आयोग (वायु गुणवत्ता मद	9243.00	904.00	16	80	16
योग			117577.09	3302.60	66	99	192

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी (1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.	योजना का नाम	शहरों की संख्या	एसटीपी की संख्या	कार्य की संख्या	भौतिक प्रगति			रिमार्क
					पूर्ण	प्रगतिरत्	अप्रारंभ	
1	मिशन अमृत	4	7	4	4	-	-	-
2	पर्यावरण विभाग से प्राप्त राशि से	1	1	1	1	-	-	-
3	यूआईडी एसएसएमटी	2	2	1	1	-	-	-
4	मिशन अमृत 2.0	5	9	5	-	5	-	-
योग			19	11	6	5	0	


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अव्वास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र 'स'

प्रदूषण न्यूनिकरण के लिये सहायता कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को केन्द्र से प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	प्राप्त राशि रुपये	व्यय राशि रुपये	
			भौतिक प्रगति	व्यय राशि
1.	2019-20	22285127.00	-	-
2.	2020-21	निरंक	-	-
3.	2021-22	39054134.00	प्रयोगशाला विकास खर्च प्रदूषण मूल्यांकन खर्च प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता खर्च वेतन एवं स्थापना खर्च ई-गवर्नेंस एवं आई.टी. एप्लीकेशन्स में खर्च	25640230.00 2039040.00 12970626.00 18445372.00 2243993.00
4.	2022-23	11330000.00	प्रयोगशाला विकास खर्च प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता खर्च वेतन एवं स्थापना खर्च ई-गवर्नेंस एवं आई.टी. एप्लीकेशन्स में खर्च	838272.00 4004251.00 5665000.00 822477.00
5.	2023-24	45320000.00	प्रयोगशाला विकास खर्च प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता खर्च वेतन एवं स्थापना खर्च ई-गवर्नेंस एवं आई.टी. एप्लीकेशन्स में खर्च	22336504.00 1367840.00 21354498.00 261158.00
6.	2024-25	निरंक	-	-
7.	2025-26	निरंक	-	-


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - अनठावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1923) की जानकारी

प्रपत्र अ

कृषि उपज मंडी समिति नैला से स्वीकृत निर्माण कार्य की जानकारी

क्र.	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	2024-25	मंडी निधि	ग्राम महुदा ब, खिसोरा, बुड़गहन, जर्वे (ब), बक्सरा, में बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य। (05 कार्य)	93.97	प्रगतिरत्
2	2024-25	मंडी निधि	मंडी क्षेत्रांतर्गत धान उपार्जन केन्द्र जांजगीर (पे), भड़ेसर, बोड़सरा, सरखो, खोखरा, कुटरा (में), बनारी, नैला, एवं बलौदा उपमंडी में बाउण्डीवाल सह गेट निर्माण कार्य। (09 कार्य)	169.96	प्रगतिरत्
3	2024-25	मंडी निधि	ग्राम अमोदा, कर्मा, मुनुन्द, महंत, नवागढ़, सलखन, अमोरा, भैसदा, गौंद में बाउण्डीवाल सह गेट निर्माण कार्य। (09 कार्य)	169.02	प्रगतिरत्
4	2025-26	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र पिसौद किरित, घुठिया, बुड़ेना, सेमरा, में बाउण्डीवाल सह गेट निर्माण कार्य। (05 कार्य)	88.55	निविदा स्तर
5	2024-25	मंडी निधि	मंडी प्रांगण नैला में निर्मित दुकान के सामने पेवर ब्लॉक, उपमंडी प्रांगण शिवरीनारायण में निर्मित स्टॉफ क्वार्टर एवं गोदाम के सामने सी.सी.रोड निर्माण एवं 200 मी. टन क्षमता गोदाम निर्माण कार्य। (03 कार्य)	56.78	निविदा स्तर
6	2025-26	मंडी निधि	मंडी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खोखसा से बसंतपुर, ग्राम हाथाटीकरा से कांपन, ग्राम खैरा (नाला) बस्ती से भठापारा के मध्य पुलिया निर्माण तथा ग्राम खैरा (अमोरा) में अमोरा से खैरा के रास्ते नाला पर एवं ग्राम नवापारा दहिदा मार्ग के नाला में पुलिया निर्माण कार्य। (कुल 05 कार्य)	107.35	अनुबंध स्तर
7	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सिउड़ से चोरभट्टी के मध्य कोकड़ी नाला में पुलिया निर्माण कार्य। (कार्य 01 कार्य)	19.80	निविदा स्तर
8	2024-25	राज्य विपणन विकास निधि अनुदान	मंडी प्रांगण नैला में 02 नग 3600 मी.टन गोदाम एवं गोदाम के सामने सी.सी.रोड, आर.सी.सी. नाली प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट एल.ई.डी. लाईट पोल) निर्माण कार्य। (04 कार्य)	333.48	प्रगतिरत्
कुल कार्य योग :- (41 कार्य)				1038.91	

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026 सचिव

14:59:09 छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा से स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

क्र.	वर्ष	मं. का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1		2	3	4	5
1	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोटगढ़ में एक नग पक्का फड़ निर्माण	9.13	कार्य पूर्ण
2	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति किरारी में एक नग पक्का फड़ निर्माण	8.55	कार्य पूर्ण
3	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पकरिया (झुलन) में एक नग पक्का फड़ निर्माण	9.14	कार्य पूर्ण
4	2025-26	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति करूमहू में एक नग पक्का फड़ निर्माण	9.14	कार्य पूर्ण
5	2025-26	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति हरदी (जर्वे) में एक नग पक्का फड़ निर्माण	8.55	कार्य पूर्ण
			योग (05 कार्य) :-	44.51	
6	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति रसौटा में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.54	प्रगतिरत
7	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मेउ में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.54	प्रगतिरत
8	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मेहंदी में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.53	कार्य पूर्ण
9	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तनौद में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.53	कार्य पूर्ण
10	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लोहर्सी में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.54	कार्य पूर्ण
11	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति खोरसी में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	कार्य पूर्ण
12	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोड़ाभाठ में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	प्रगतिरत
13	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लगरा में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.53	कार्य पूर्ण
14	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पामगढ़ में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	प्रगतिरत
15	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति धनगांव में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	प्रगतिरत
16	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति ससहा में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	कार्य पूर्ण

क्र.	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1		2	3	4	5
17	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जेवरा में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.52	प्रगतिरत
18	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोनारगढ़ में किसान कुटीर भवन निर्माण	14.53	कार्य पूर्ण
			योग (13 कार्य) :-	188.86	
19	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति तरौद में एक नग कव्हर्ड शेड निर्माण	15.34	कार्य पूर्ण
20	2024-25	मंडी निधि	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति अमोरा में एक नग कव्हर्ड शेड निर्माण	15.33	प्रगतिरत
			योग (02 कार्य) :-	30.67	
21	2025-26	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र तनौद 200 मी. बाउण्ड्रीवाल सह गेट निर्माण कार्य।	14.32	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
22	2025-26	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र लोहसी 200 मी. बाउण्ड्रीवाल सह गेट निर्माण कार्य।	14.32	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
23	2025-26	मंडी निधि	धान उपार्जन केन्द्र भदरा 200 मी. बाउण्ड्रीवाल सह गेट निर्माण कार्य।	14.32	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
24	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत मुलमुला में धान खरीदी केन्द्र मे बाउण्ड्रीवाल सह गेट निर्माण कार्य	18.24	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
			योग (04 कार्य) :-	61.2	
25	2024-25	मंडी निधि	मंडी प्रांगण अकलतरा में अहाता निर्माण	4.02	कार्य पूर्ण
			योग (01 कार्य) :-	4.02	
26	2024-25	मंडी निधि	उपमंडी प्रांगण राहौद में गोदाम से कृषक विश्रामगृह तक सी.सी. रोड निर्माण	9.58	कार्य पूर्ण
27	2024-25	मंडी निधि	मंडी प्रांगण अकलतरा में 1500 मी.टन गोदाम के सामने सी.सी. रोड निर्माण कार्य	34.62	कार्य पूर्ण
28	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में नारद गोड़ के घर से फिरतू कंवर के घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.56	कार्य पूर्ण
29	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में सीयाराम कंवर के घर से लीलाराम खूटे के घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	8.31	कार्य पूर्ण
30	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में संतोष साहू के घर से रामाधार गोड़ के घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.56	कार्य स्वीकृत
31	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में धर्मेन्द्र सुर्यवंशी के घर से खेल मैदान के घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	6.24	कार्य पूर्ण

क्र.	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1		2	3	4	5
32	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में लव बंजारे के घर से ईश्वरी चौहान के घर की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.56	कार्य पूर्ण
33	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत लोहर्सी में मेन रोड से मुक्तिधाम की ओर 300 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.16	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
34	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत भवतरा में बुंदेला मोड़ से पुल की ओर 300 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.16	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
35	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत पनगांव में श्याम लाल कुर्रे के सेंदरी की ओर 360 मीटर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	18.6	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
36	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत बनाहिल मेन रोड से बस्ती की ओर सी.सी. रोड 350 मीटर निर्माण कार्य	19.45	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
			योग (11 कार्य) :-	161.8	
37	2025-26	मंडी निधि	ग्राम सेमरिया में गोदाम निर्माण कार्य	16.19	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
			योग (01 कार्य)	16.19	
38	2024-25	मंडी निधि	मंडी प्रांगण अकलतरा में निर्मित कृषक विश्रामगृह मरम्मत एवं रंगाई-पोताई कार्य	9.46	कार्य पूर्ण
			योग (01 कार्य) :-	9.46	
39	2024-25	मंडी निधि	मंडी अकलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत तिलई में हाट बाजार निर्माण कार्य	38.27	प्रगतिरत
40	2024-25	मंडी निधि	मंडी अकलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत कटनई में हाट बाजार निर्माण कार्य	36.77	प्रगतिरत
41	2024-25	मंडी निधि	मंडी अकलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत परसाही (बाना) में हाट बाजार निर्माण कार्य	38.27	प्रगतिरत
42	2024-25	मंडी निधि	मंडी अकलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत कटघरी में हाट बाजार निर्माण कार्य	38.27	प्रगतिरत
			योग (04 कार्य) :-	151.58	
43	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत डिघोरा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.5	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
44	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत डोंगाकोहरौद सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.5	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
45	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत सेमरिया में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.5	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
46	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत मुलमुला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.5	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित

क्र.	वर्ष	मद का नाम	निर्माण कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1		2	3	4	5
47	2025-26	मंडी निधि	नगर पंचायत खरौद में सिदार समाज हेतु लक्ष्मणेश्वर मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
48	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत कोहका में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
49	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत भवतरा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
50	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत कल्याणपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
51	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत परसाही बाना में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
52	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत कोटमीसोनार में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
53	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत अर्जुनी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
54	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत रोगदा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
55	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत पकरिया झुलन में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
56	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत कटनई में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
57	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत चंगोरी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
58	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत करहीडिह में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.96	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
			योग (16 कार्य) :-	253.52	
59	2025-26	मंडी निधि	ग्राम पंचायत रसौटा में रंगमंच निर्माण कार्य	5.44	ई-निविदा हेतु पत्र प्रेषित
			योग (01 कार्य) :-	5.44	
			कुल योग (59 कार्य) :-	927.25	

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026 उप सचिव

15:00:02

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - उन्सठ
अतारोकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1924) को जानकारी

प्रपत्र

01 जनवरी 2024 से 17.02.2026 तक जेम पोर्टल के माध्यम से कय की गई सामग्री की जानकारी

वर्ष-2023-2024 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024)			
निरंक			
वर्ष-2024-2025 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025)			
क्र0	सामग्री का नाम	दर	फर्म का नाम
1	स्ट्रीट लाईट (एलईडी बल्ब)	5000 / -	के0व्ही0सी0 सेल्स जांजगीर
2	आलमारी	13999 / -	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर
3	सिलिंग पंखा	3330 / -	त्रिलोक ऑफसेट प्रेस, जांजगीर
4	चार्जिंग बल्ब	600 / -	के0व्ही0सी0 सेल्स जांजगीर
5	ऑफिस चेयर (प्लास्टिक)	603 / -	त्रिलोक ऑफसेट प्रेस, जांजगीर
6	ऑफिस चेयर (विजिटर)	4999 / -	सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर
7	अधीक्षक कुर्सी	2999 / -	सिंघानिया लघु उद्योग जांजगीर
8	फिनाईल	126 / - प्रति लीटर	धनवंतरी केमिकल्स, पेण्ड्रा रोड, जांजगीर
9	ट्रेकसूट	565 / -	मनोज स्पोर्ट्स, बिलासपुर
10	मच्छरदानी	250 / -	त्रिलोक ऑफसेट प्रेस, जांजगीर
11	कम्प्यूटर सेट	47457.62 / -	सिंघानिया इंडस्ट्रीज जांजगीर
12	प्रिंटर	20000 / -	सिंघानिया इंडस्ट्रीज जांजगीर
13	फिनाईल	101.69 / - प्रति लीटर	धनवंतरी केमिकल्स, पेण्ड्रा रोड, जांजगीर
14	सेनेटरी नेपकिन	9.90 / -	त्रिलोक ऑफसेट प्रेस, जांजगीर
वर्ष-2025-2026 (दिनांक 01.04.2025 से 17.02.2026)			
15	सिलिंग पंखा	2966.10 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
16	वायपर	242.3728 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
17	तखत पलंग	6949.15 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
18	कम्बल	857.10 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
19	स्टडी टेबल/ कुर्सी	3809.32 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
20	एलईडी ट्यूबलाईट	377.11 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
21	गार्डन पाईप	36.44 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
22	एलईडी बल्ब 12 वाट	253.22 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
23	दरी	275.24 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
24	थाली	401.79 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
25	गिलास	39.821 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
26	तकिया	365.25 / -	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज कोरबा
27	गद्दा	5043.22 / -	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा
28	फर्स्ट एड बाक्स व किट्स	676.98 / -	खुशबु मेडिको, मेन रोड कोरबा
29	फिनाईल	120 / - प्रति लीटर	खुशबु मेडिको, मेन रोड कोरबा


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

पारिशेष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1930) की जानकारी

प्रपत्र -

बैंक / वित्तीय संस्थान	परियोजना*	करोड़ रुपये में			व्याज दर
		2023-24 (1.1.2024 से 31-3-2024 तक)	2024-25	2025-26 (17.2.2026 तक)	
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development)	छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन लेखा कार्यक्रम (CG PFMAP)	0.00	38.18	0.00	परिवर्तनीय व्याज दर पर एकल मुद्रा कर्ज
	द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (SECOND DAM REHABILITATION AND IMPROVEMENT PROJECT)	6.80	0.16	0.00	
	छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास परियोजना (CHIRAAG)	0.86	3.09	1.34	
एशियाई विकास बैंक (ADB - Asian Development Bank)	छत्तीसगढ़ सड़क संपर्क परियोजना (CG ROAD CONNECTIVITY PROJECT)	28.27	263.48	18.35	
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank)	द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (SECOND DAM REHABILITATION AND IMPROVEMENT PROJECT)	0.00	6.62	7.28	
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD - International Fund for Agricultural Development)	छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास परियोजना (CHIRAAG)	0.00	1.94	1.50	

*उपर्युक्त परियोजनाओं में से CGPFMAP (वित्त विभाग), CHIRAAG (कृषि विभाग), छत्तीसगढ़ सड़क संपर्क परियोजना (लोक निर्माण) तथा CHALK (Chhattisgarh Accelerated Learning for Knowledge Economy Project) (स्कूल शिक्षा विभाग) वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (जल संसाधन विभाग) प्रगतिरत हैं तथा ऋण की राशि का संवितरण विभाग द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर अनुपातिक रूप से किया जाता है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बालोद जिले में किसानों को फसल बीमा भुगतान की जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या	बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषको की संख्या	तकनीकी कारण से असफल दावा भुगतान की जानकारी			
							कारण	कृषक संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	खरीफ	2024	बालोद	अर्जुन्दा	13666	276	निरंक			
2				बालोद	8244	208				
3				डौण्डी	13868	779				
4				डौण्डीलोहारा	15380	1121				
5				गुण्डरदेही	19212	निरंक				
6				गुरुर	16526	149				
7				मर्री बंगला देवरी	19924	142				
खरीफ 2024 योग					106820	2675				
8	खरीफ	2025	बालोद	अर्जुन्दा	14183	दावा गणना का कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।				
9				बालोद	12220					
10				डौण्डी	13431					
11				डौण्डीलोहारा	15514					
12				गुण्डरदेही	21286					
13				गुरुर	17348					
14				मर्री बंगला देवरी	19884					
खरीफ 2025 योग					113866					

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:06:50 (विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत बालोद जिले में किसानों को फसल बीमा भुगतान की जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या	फसल बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषकों की संख्या	तकनीकी कारण से असफल दावा भुगतान की जानकारी				
							कारण	कृषक संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
1	खरीफ	2024	बालोद	अर्जुन्दा	26	25	निरंक				
2				बालोद	53	52					
3				डौंड़ी	116	116					
4				डौंड़ीलोहारा	61	61					
5				गुंडरदेही	42	42					
6				गुरुर	18	18					
7				मरी बंगला देवरी	90	90					
योग खरीफ 2024					406	404					
8	खरीफ	2025	बालोद	अर्जुन्दा	18	फसलो की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है।					
9				बालोद	75						
10				डौंड़ी	114						
11				डौंड़ीलोहारा	65						
12				गुंडरदेही	45						
13				गुरुर	23						
14				मरी बंगला देवरी	92						
योग खरीफ 2025					432		404				
महायोग					838		404				

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:07:45

(विकास मिश्रा)

उप संचेव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - बेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1933) की जानकारी

प्रपत्र-अ

होटल/मोटल/रिसॉर्ट की जानकारी

श्रेणी	क्र.	इकाई का नाम	स्थान	संचालनकर्ता का नाम
होटल	01	जोहार होटल	सिरपुर (महासमुंद)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	02	जोहार होटल छत्तीसगढ़	रायपुर (रायपुर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के आधिपत्य (असंचालित) में
मोटल	01	मितान मोटल	कोड़ातराई (रायगढ़)	मेसर्स बग्गा इंटरप्राइजेज, रायगढ़ द्वारा संचालित
	02	मितान मोटल	चढ़ीरमा (सरगुजा)	मेसर्स प्रयाग ग्रुप, अंबिकापुर के आधिपत्य में
	03	मितान मोटल	कुलीपोटा (जांजगीर-चापा)	मेसर्स ए. टी. एसोसिएट, जांजगीर के आधिपत्य में
	04	मितान मोटल	सरगांव (मुंगेली)	मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज, बिलासपुर के आधिपत्य में
	05	मितान मोटल	भाटागांव (धमतरी)	मेसर्स भाटिया ट्रेडर्स, रायपुर के आधिपत्य में
	06	मितान मोटल	खपरी (दुर्ग)	मेसर्स आशीर्वाद इंटरप्राइजेज, दुर्ग द्वारा संचालित
	07	मितान मोटल	तुमड़ीबोड (राजनांदगांव)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग के आधिपत्य में
	08	मितान मोटल	केंद्री (रायपुर)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग के आधिपत्य में
	09	मितान मोटल	मानातूता (रायपुर)	मेसर्स द ग्रैंड नीलम होटल, रायपुर के आधिपत्य में
	10	मितान मोटल	तीरथगढ़ (बस्तर)	मेसर्स माँ कर्मा एसोसिएट, दुर्ग के आधिपत्य में
	11	मितान मोटल	कोनकोना (कोरबा)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा के आधिपत्य में
	12	मितान मोटल	चिरगुढ़ा (कोरिया)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा द्वारा संचालित
	13	मितान मोटल	हारम (दंतेवाड़ा)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर के आधिपत्य में
	14	मितान मोटल	कवर्धा (कबीरधाम)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर के आधिपत्य में
	15	मितान मोटल	कोंडागांव (कोंडागांव)	मेसर्स फोन फिक्स, कोंडागांव के आधिपत्य में
	16	मितान मोटल	राजिम (गरियाबंद)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के आधिपत्य (असंचालित) में
	17	मितान मोटल	सिंगारभाट (कांकेर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के आधिपत्य (असंचालित) में
	18	मितान मोटल	नथियानवागांव (कांकेर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	19	मितान मोटल	कांपा (महासमुंद)	इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, महासमुंद को हस्तांतरित
	20	मितान मोटल	नगरनार (बस्तर)	एन.एम.डी.सी. लि., नगरनार को हस्तांतरित
	21	मितान मोटल	आसना (बस्तर)	लोक नृत्य एवं साहित्य अकादमी के संचालन हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जगदलपुर को हस्तांतरित
रिसॉर्ट	01	दण्डामी लग्जरी रिसॉर्ट	चित्रकोट (बस्तर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	02	धनकुल एथनिक रिसॉर्ट	कोंडागांव (कोंडागांव)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	03	हरेली ईको रिसॉर्ट	मोहदा (बारनवापारा), बलौदाबाज़ार	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	04	शैला टूरिस्ट रिसॉर्ट	मैनपाट (सरगुजा)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	05	करमा एथनिक रिसॉर्ट	कम्लेश्वरपुर (मैनपाट), (सरगुजा)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	06	हिल ईको रिसॉर्ट,	कुरदर (बिलासपुर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित

श्रेणी	क्र.	इकाई का नाम	स्थान	संचालनकर्ता का नाम
	07	बैगा एथनिक रिसॉर्ट	सरोदादादर (कबीरथाम)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	08	सरना एथनिक रिसॉर्ट	बालाछापर (जशपुर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	09	सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसॉर्ट	सतरेंगा (कोरबा)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	10	ईको हिल रिसॉर्ट	कबीरचबूतरा (गौरैला-पेंड्रा-मरवाही)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	11	सोनभद्र टूरिस्ट रिसॉर्ट	आमाडोब (गौरैला-पेंड्रा-मरवाही)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	12	एस.टी.एफ. कैम्प रिसॉर्ट,	चित्रकोट (बस्तर)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित
	13	बरदिहा लेक व्यू रिसॉर्ट	गंगरेल (धमतरी)	प्रबंधकीय अनुबंधधारक मेसर्स Enchanting Tales Hotels and Resorts Pvt. Ltd., Indoor के माध्यम से संचालित
	14	कोरिया ट्री हाउस एंड रेस्टोरेंट	सोनहत (कोरिया)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के आधिपत्य (असंचालित) में
	15	केशकाल कैफेटेरिया	केशकाल (कांकेर)	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आधिपत्य में
	16	रामझरना (बोतल्दा)	रायगढ़	अपूर्ण
	17	पंडरापाठ	सरगुजा	अपूर्ण
	18	राजमेरगढ़	सरगुजा	अपूर्ण

प्रपत्र-ब

निजी संस्थानों को सौंपे गये रिसॉर्ट / मोटल की जानकारी

श्रेणी	क्र.	इकाई का नाम	स्थान	अनुबंधकर्ता का नाम
रिसॉर्ट	01	बरदिहा लोक व्यू रिसॉर्ट	गंगरेल (धमतरी)	मेसर्स Enchanting Tales Hotels and Resorts Pvt. Ltd., Indoor
मोटल	01	मितान मोटल	कोड़ातराई (रायगढ़)	मेसर्स बग्गा इंटरप्राइजेज, रायगढ़
	02	मितान मोटल	चढ़ीरमा (सरगुजा)	मेसर्स प्रयाग ग्रुप, अंबिकापुर
	03	मितान मोटल	कुलीपोटा (जांजगीर-चापा)	मेसर्स ए. टी. एसोसिएट, जांजगीर
	04	मितान मोटल	सरगांव (मुंगेली)	मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज, बिलासपुर
	05	मितान मोटल	भाटागांव (धमतरी)	मेसर्स भाटिया ट्रेडर्स, रायपुर
	06	मितान मोटल	खपरी (दुर्ग)	मेसर्स आशीर्वाद इंटरप्राइजेज, दुर्ग
	07	मितान मोटल	तुमड़ीबोड (राजनांदगांव)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग
	08	मितान मोटल	केंद्री (रायपुर)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग
	09	मितान मोटल	मानातूता (रायपुर)	मेसर्स द ग्रैंड नीलम होटल, रायपुर
	10	मितान मोटल	तीरथगढ़ (बस्तर)	मेसर्स माँ कर्मा एसोसिएट, दुर्ग
	11	मितान मोटल	कोनकोना (कोरबा)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा
	12	मितान मोटल	चिरगुढ़ा (कोरिया)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा
	13	मितान मोटल	हारम (दंतेवाड़ा)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर
	14	मितान मोटल	कवर्धा (कबीरधाम)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर
	15	मितान मोटल	कोंडागांव (कोंडागांव)	मेसर्स फोन फिक्स, कोंडागांव

परिशेष - तेरसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 34 (क. 1934) की जानकारी

प्रपत्र - 10

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आदिम जाति विकास विभाग में परियोजना कार्यालयों को शासन द्वारा आबंटन की जानकारी

(राशि लाख में)

क.	परियोजना का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबंटित राशि	व्यय राशि	क्या प्राप्त आबंटन को शशि को नियम विरुद्ध खर्च किया गया है? यदि हां तो विवरण दें।	रिमांक
	2	3	4	5	6	7
1	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जमदलपुर, जिला बस्तर	स्थापना व्यय	72.44	64.05	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	283.50	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	355.94	64.05		
2	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डगांव, जिला कोण्डगांव	स्थापना व्यय	88.15	82.75	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	189.00	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	277.15	82.75		

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महालदी पकन, नया रायपुर

1	2	3	4	5	6	7
		स्थापना व्यय	82.43	57.71	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
3	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतोबाड़ा, जिला दंतोबाड़ा	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	472.50	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	554.93	57.71	-	-
		स्थापना व्यय	57.20	44.76	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
4	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोपटा, जिला सुकमा	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	94.50	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	151.70	44.76	-	-
		स्थापना व्यय	71.49	57.85	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
5	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बीजापुर, जिला बीजापुर	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	1674.00	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	1745.49	57.85	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नारायणपुर, जिला नारायणपुर	स्थापना व्यय	62.97	44.27	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	94.50	0.00	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	157.47	44.27		
7	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर	स्थापना व्यय	56.35	47.41	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	490.50	0.00	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	546.85	47.41		
8	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गरियाबंद जिला गरियाबंद	स्थापना व्यय	67.94	93.46	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	67.94	93.46		

मान संशोधन कोर्ट द्वारा परित आदेश के अनुपालन सेवानिवृत्त लेखापाल श्री केंदुल पुसे गोस्वामी तथा कार्यलयीन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भुगतान क्रिये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत बजट प्रावधान के तुलना में अधिक राशि व्यय प्रदर्शित हो रहा है।

वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।

AN

1	2	3	4	5	6	7
9	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी जिला धमतरी	स्थापना व्यय	72.39	70.59	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00	-	-
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	72.39	70.59		
10	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना झंडीलोहरा जिला बालोद	स्थापना व्यय	66.56	49.13	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	94.50	18.84	-	-
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	161.06	67.97		
11	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना चौकी जिला मो.ना.अं. चौकी	स्थापना व्यय	63.66	60.49	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	94.50	0.00	-	-
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	158.16	60.49		

OR

1	2	3	4	5	6	7
12	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गरिला जिला गरिला-पेण्ड्रा-मारवाही	स्थापना व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जनमन अन्य मद कोई हो तो Total	29.77 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00 218.77	35.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.17	- - - - - - -	आबंटन की प्रत्याशा में - वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है। - - -
13	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अबिकापुर जिला सरगुजा	स्थापना व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जनमन अन्य मद कोई हो तो Total	147.02 0.00 283.50 0.00 0.00 0.00 430.52	100.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.75	- - - - - - -	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है। - - -
14	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर जिला सूरजपुर	स्थापना व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जनमन अन्य मद कोई हो तो Total	74.50 0.00 283.50 0.00 0.00 0.00 358.00	62.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.04	- - - - - - -	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है। - - -

1	2	3	4	5	6	7
		स्थापना व्यय	58.21	55.90	-	
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	
15	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना रामानुजगंज जिला बलरामपुर	सविधान के अनुच्छेद 275(1)	283.50	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	
		Total	341.71	55.90		
		स्थापना व्यय	50.00	37.08	-	
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	
16	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा जिला कोरबा	सविधान के अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	
		Total	50.00	37.08		
		स्थापना व्यय	43.09	34.55	-	
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	
17	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	सविधान के अनुच्छेद 275(1)	661.50	0.00	-	वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि वर्ष 2025-26 में जारी की गई है।
		घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	
		Total	704.59	34.55		

82

1	2	3	4	5	6	7
19	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जशपुर जिला जशपुर	स्थापना व्यय	88.57	43.91	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	378.00	0.00	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	466.57	43.91		
19	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बेकुचपुर जिला कोरिया	स्थापना व्यय	66.87	58.14	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	94.50	22.80	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	161.37	80.94		
	कुल योग	स्थापना व्यय	1319.61	1100.03	-	-
		विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	-	-
		संविधान के अनुच्छेद 275(1)	5661.00	41.64	-	-
		धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	0.00	0.00	-	-
		पीएम जनमन	0.00	0.00	-	-
		अन्य मद कोई हो तो	0.00	0.00	-	-
		Total	6980.61	1141.67		

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुरोधित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर

उत्तरांचल सरकार
आदिम जाति विकास विभाग
कोरिया, जशपुर जिला, गुजरात

परिशेष - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क. 2026) की जानकारी

प्रपत्र -

क्र.	जिल का नाम	वर्ष	गरियाबंद जिला अंतर्गत किन-किन ग्रामों में सोलर हाई मास्ट लाइट, बोर खनन किया गया है।	सोलर हाई मास्ट लाइट	बोर खनन संबंधी ग्राम का नाम	बोर खनन	कार्यवार भौतिक स्थिति			
							सोलर हाई मास्ट लाइट	अपूर्ण	पूर्ण	बोर खनन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गरियाबंद	2023-24	मदनपुर	श्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास मदनपुर गरियाबंद	मेड़कीडबरी	मौ शीतला मंदिर के पास मेड़कीडबरी	पूर्ण	-	पूर्ण	-
2	गरियाबंद	2023-24	इन्दागांव	श्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास इन्दागांव मैनपुर	कुड़ेरादादर	वार्ड नं. 02 में राजू यादव के घर के पास कुड़ेरादादर	पूर्ण	-	पूर्ण	-
3	गरियाबंद	2023-24	रूवाड़	श्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रूवाड़ छुरा	मेड़कीडबरी	अटल चौक में मेड़कीडबरी	पूर्ण	-	पूर्ण	-
4	गरियाबंद	2023-24	छुरा	श्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	तोरंगा	बजरंग घर के पास तोरंगा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
5	गरियाबंद	2023-24	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम छुरा	तोरंगा	नया बस्ती जुगाड़ में तोरंगा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
6	गरियाबंद	2023-24	परसवासुर्द	आदिवासी कन्या आश्रम परसवासुर्द छुरा	दबनई	शितला मंदिर के पास दबनई	पूर्ण	-	पूर्ण	-
7	गरियाबंद	2023-24	कामरभौदी	आदिवासी बालक आश्रम कामरभौदी गरियाबंद	दबनई	मातागुडी के पास दबनई	पूर्ण	-	पूर्ण	-
8	गरियाबंद	2023-24	टैवारी	आदिवासी बालक आश्रम टैवारी गरियाबंद	जिडार	बीवपारा में हंडपम जिडार	पूर्ण	-	पूर्ण	-
9	गरियाबंद	2023-24	मौहामाठा	आदिवासी कन्या आश्रम मौहामाठा गरियाबंद	जिडार	वार्ड नं. 6 में हंडपम जिडार	पूर्ण	-	पूर्ण	-
10	गरियाबंद	2023-24	छिन्दीला	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दीला मैनपुर	कुल्हाडीघाट	मायाराम के घर के पास कुल्हाडीघाट	पूर्ण	-	पूर्ण	-
11	गरियाबंद	2023-24	बुरजाबहाल	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल मैनपुर	कोकड़ी	साहू पारा में हंडपम कोकड़ी	पूर्ण	-	पूर्ण	-
12	गरियाबंद	2023-24	कुल्हाडीघाट	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाडीघाट मैनपुर	भाटीगढ़	वार्ड नं. 1 स्कूल पारा भाटीगढ़	पूर्ण	-	पूर्ण	-
13	गरियाबंद	2023-24	शोभा	आदिवासी कन्या आश्रम शोभा मैनपुर	मुडागांव	कुड़ेरागानी शिव मंदिर के पास मुडागांव	पूर्ण	-	पूर्ण	-
14	गरियाबंद	2023-24	नकबेल गरहाडीह	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल गरहाडीह मैनपुर	बोईरगांव	बरदुला के पास बोईरगांव	पूर्ण	-	पूर्ण	-
15	गरियाबंद	2023-24	मैनपुर	श्री. मै. आदिवासी कन्या आश्रम मैनपुर	बोईरगांव	बोईरगांव के पास बोईरगांव	पूर्ण	-	पूर्ण	-
16	गरियाबंद	2023-24	पीपरछेडी	आदिवासी बालक आश्रम पीपरछेडी गरियाबंद	झरगांव	बीसी पारा मोहन घर के पास झरगांव	पूर्ण	-	पूर्ण	-
17	गरियाबंद	2023-24	साहोबिनकछार	आदिवासी कन्या आश्रम साहोबिनकछार	झरगांव	माता देवालय देवेन्द्र घर के पास झरगांव	पूर्ण	-	पूर्ण	-
18	गरियाबंद	2023-24	कुल्हाडीघाट	आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाडीघाट	सरईपानी	उपर पारा के पास सरईपानी सरईपानी	पूर्ण	-	पूर्ण	-
19	गरियाबंद	2023-24	उरमाल	श्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	छैलडोंगरी	नहर पारा में छैलडोंगरी	पूर्ण	-	पूर्ण	-
20	गरियाबंद	2023-24	मैनपुर	श्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	धनोरा	पोटा पारा में धनोरा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
21	गरियाबंद	2023-24	झरगांव	श्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास झरगांव	कुहीमाल	सोरी पारा में कुहीमाल	पूर्ण	-	पूर्ण	-
22	गरियाबंद	2023-24	झरियाबाहरा	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा	शोभा	कुसियार बरछा शोभा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
23	गरियाबंद	2023-24	पीपरछेडी	श्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पीपरछेडी	शोभा	रावपारा शोभा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
24	गरियाबंद	2023-24	दादरगांव नया	आदिवासी कन्या आश्रम दादरगांव नया	नवापारा	रायवली ओटी के घर के पास नवापारा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
25	गरियाबंद	2023-24	बम्हनी	आदिवासी कन्या आश्रम बम्हनी	नवापारा	महुल पारा नवापारा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
26	गरियाबंद	2023-24	गरियाबंद	श्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास गरियाबंद	सरगीगुडा	नीलम यादव घर के पास सरगीगुडा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
27	गरियाबंद	2023-24	लिटीपारा	श्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास लिटीपारा	सरगीगुडा	चचरपारा सरगीगुडा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
28	गरियाबंद	2023-24	गरियाबंद	आदिवासी बालक कीडा परिसर गरियाबंद	सालेमाठा	हंस पारा सालेमाठा	पूर्ण	-	पूर्ण	-
29	गरियाबंद	2023-24	विजयनगर पण्टोरा	आदिवासी कन्या आश्रम विजयनगर पण्टोरा	सालेमाठा	खीरसाहन घर के आगे सालेमाठा	पूर्ण	-	पूर्ण	-

आदिवासी कन्या आश्रम, मदनपुर, गरियाबंद जिला, उत्तर प्रदेश

आदिवासी कन्या आश्रम, मदनपुर, गरियाबंद जिला, उत्तर प्रदेश

आदिवासी कन्या आश्रम, मदनपुर, गरियाबंद जिला, उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	गरियाबंद	2023-24	बारूका	नवीन आदिवासी कन्या आश्रम बारूका	दिवानगुड़ा	वार्ड क. 13 विद्यालय, बिखरी करयप के घर के सामने	पूर्ण	-	पूर्ण	-
31	गरियाबंद	2023-24	फिरोश्वर	श्री.मै. आदि कन्या छात्रावास फिरोश्वर	बडीगांव	वार्ड क. 11, मोहन नागेश के घर के सामने	पूर्ण	-	पूर्ण	-
32	गरियाबंद	2023-24	देवमोग	श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास देवमोग	जामगांव	देव स्थल के पास	पूर्ण	-	पूर्ण	-
33	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिचिया	हरि सिंग घर के पास	-	-	पूर्ण	-
34	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिचिया	छतर ओटी के घर पास	-	-	पूर्ण	-
35	गरियाबंद	2023-24	-	-	गाड़ाघाट	बंद पारा में	-	-	पूर्ण	-
36	गरियाबंद	2023-24	-	-	गाड़ाघाट	ध्रुवा पारा अग्नि घर के पास	-	-	पूर्ण	-
37	गरियाबंद	2023-24	-	-	रोहनागुड़ा	जामगांव में वनसिंग के घर के पास	-	-	पूर्ण	-
38	गरियाबंद	2023-24	-	-	जामगांव	बर पारा तन्केश्वर घर के पास	-	-	पूर्ण	-
39	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिचिया	वार्ड क. 13 टीकम यादव के घर के पास नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
40	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिचिया	शुभरलाल यादव के घर के पास नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
41	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिचिया	वार्ड क. 01 कमलपारा में नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
42	गरियाबंद	2023-24	-	-	कोसमकानी	उपरपीटा शोभल घर के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
43	गरियाबंद	2023-24	-	-	कोसमकानी	उपरपीटा आमनबाड़ी के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
44	गरियाबंद	2023-24	-	-	कोसमकानी	पंचायत भवन के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
45	गरियाबंद	2023-24	-	-	बरकानी	मनीष नागेश के घर के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
46	गरियाबंद	2023-24	-	-	गाड़ाघाट	गुड़ीपारा में नलकूप खनन कार्य	-	-	पूर्ण	-
47	गरियाबंद	2023-24	-	-	झीरीपानी	वार्ड क. 05 करलापारा में दीपलाल के घर के सामने	-	-	पूर्ण	-
48	गरियाबंद	2023-24	-	-	झीरीपानी	टेकराम घर के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
49	गरियाबंद	2023-24	-	-	माहुलकोट	वार्ड नं. 01 पोटीपारा में दाउराम शेटी घर के सामने नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
50	गरियाबंद	2023-24	-	-	बरबहाली	वार्ड नं. 06 पंचायत भवन परिसर में नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
51	गरियाबंद	2023-24	-	-	बरबहाली	वार्ड नं. 08 आंगनबाड़ी केन्द्र में नलकूप खनन	-	-	पूर्ण	-
52	गरियाबंद	2023-24	-	-	लोहारी	वार्ड क. 02 टिकरापारा	-	-	पूर्ण	-
53	गरियाबंद	2023-24	-	-	चिंगरमाल	नारद घर के पास	-	-	पूर्ण	-
54	गरियाबंद	2023-24	-	-	कोपेकसा	छोबी पारा के पास	-	-	पूर्ण	-
55	गरियाबंद	2023-24	-	-	कोदोबतर	वार्ड नं. 08 बजरंग चौक के पास	-	-	पूर्ण	-
56	गरियाबंद	2023-24	-	-	बेगरपाला	वार्ड कं. 04 टिकरापारा	-	-	पूर्ण	-
57	गरियाबंद	2023-24	-	-	बेगरपाला	पंडरीपानी	-	-	पूर्ण	-
58	गरियाबंद	2023-24	-	-	बेगरपाला	जयसिंग के घर के पास टिमपुर	-	-	पूर्ण	-
59	गरियाबंद	2023-24	-	-	गोहरापट्टर	आदिवासी बालक आश्रम गोहरापट्टर	-	-	पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	बड़ेगोबरा	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा	-	-	पूर्ण	-
61	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	उरमाल	आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	-	-	पूर्ण	-
62	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	छुरा	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	-	-	पूर्ण	-
63	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	दरीपारा	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दरीपारा	-	-	पूर्ण	-
64	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	मैनपुर	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	-	-	पूर्ण	-
65	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	गरियाबंद	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद	-	-	पूर्ण	-
66	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	धवलपुर	आदिवासी बालक आश्रम धवलपुर	-	-	पूर्ण	-
67	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	झरियाबाहरा	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा	-	-	पूर्ण	-
68	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	टेवारी	आदिवासी बालक आश्रम टेवारी	-	-	पूर्ण	-
69	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	गरियाबंद	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास गरियाबंद	-	-	पूर्ण	-
70	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर	-	-	पूर्ण	-
71	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	गरियाबंद	आदिवासी कन्या आश्रम गरियाबंद	-	-	पूर्ण	-
72	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	पीपरछेड़ी	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पीपरछेड़ी	-	-	पूर्ण	-
73	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	रूवाड़	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रूवाड़	-	-	पूर्ण	-
74	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	परसदाखुर्द	आदिवासी कन्या आश्रम परसदाखुर्द	-	-	पूर्ण	-
75	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	गायडबरी	आदिवासी बालक आश्रम गायडबरी	-	-	पूर्ण	-
76	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	दादरगांव नया	आदिवासी कन्या आश्रम दादरगांव नया	-	-	पूर्ण	-
77	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	छुरा	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छुरा	-	-	पूर्ण	-
78	गरियाबंद 2023-24	2023-24	-	-	छुरा	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	-	-	पूर्ण	-
79	गरियाबंद 2024-25	2024-25	-	-	छुरा	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	-	-	पूर्ण	-
निरंक										
80	गरियाबंद 2025-26	2025-26	दुल्ला	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दुल्ला	पाण्डुका	बोर खनन कार्य प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पाण्डुका वि.ख. छुरा में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
81	गरियाबंद 2025-26	2025-26	कनसिंधी	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कनसिंधी	छुरा	बोर खनन कार्य प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
82	गरियाबंद 2025-26	2025-26	अकलवारा	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास अकलवारा	गायडबरी	बोर खनन कार्य प्री.मै.आदिवासी बालक आश्रम गायडबरी वि.ख. छुरा में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
83	गरियाबंद 2025-26	2025-26	छुरा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास छुरा	गोहरापदर	बोर खनन कार्य प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गोहरापदर वि.ख.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
84	गरियाबंद 2025-26	2025-26	तौरंगा	आदिवासी बालक आश्रम तौरंगा	भाठीगढ़	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा (भाठीगढ़) वि.ख.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
85	गरियाबंद 2025-26	2025-26	डबरी	आदिवासी बालक आश्रम गायडबरी	कुल्हाड़ीघाट,	बोर खनन कार्य आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाड़ीघाट, वि.ख.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	गरियाबंद	2025-26	कोसमबुडा	एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कोसमबुडा	शोभा,	बोर खनन कार्य आदिवासी कन्या आश्रम शोभा, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
87	गरियाबंद	2025-26	कोसमबुडा	एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कोसमबुडा	नगबल-गरहाडीह,	बोर खनन कार्य आदिवासी कन्या आश्रम नगबल-गरहाडीह, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
88	गरियाबंद	2025-26	कोसमबुडा	एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कोसमबुडा	कुल्हाडीघाट,	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाडीघाट, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
89	गरियाबंद	2025-26	कोसमबुडा	एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कोसमबुडा	तोरंगा,	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक आश्रम तोरंगा, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
90	गरियाबंद	2025-26	कोसमबुडा	एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कोसमबुडा	गरियाबंद	बोर खनन कार्य आदिवासी कन्या आश्रम गरियाबंद देवमोग रोड, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
91	गरियाबंद	2025-26	मैनपुर	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	गरियाबंद	बोर खनन कार्य श्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
92	गरियाबंद	2025-26	मैनपुर	श्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	गरियाबंद	बोर खनन कार्य श्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गरियाबंद, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
93	गरियाबंद	2025-26	अमलीपट्टर	श्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अमलीपट्टर	गरियाबंद	बोर खनन कार्य कमार बालक छात्रावास गरियाबंद, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
94	गरियाबंद	2025-26	मैनपुर	श्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास मैनपुर	ओड	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक छात्रावास ओड, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
95	गरियाबंद	2025-26	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर	धवलपुर	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक छात्रावास धवलपुर, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
96	गरियाबंद	2025-26	भाटीगढ़	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा (भाटीगढ़)	गरियाबंद	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक गरियाबंद, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
97	गरियाबंद	2025-26	धुरूवागुड़ी	अनु.जाति बालक आश्रम धुरूवागुड़ी	गरियाबंद	बोर खनन कार्य आदिवासी बालक क्रीडा परिसर गरियाबंद, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
98	गरियाबंद	2025-26	देवमोग	श्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास देवमोग	देवमोग	बोर खनन कार्य श्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास देवमोग, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	अपूर्ण	-	पूर्ण	-
99	गरियाबंद	2025-26	-	-	देवमोग	बोर खनन कार्य श्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास देवमोग, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	गरियाबंद	2025-26	-	-	देवभोग	बोर खनन कार्य, प्रो.मै.अनुजाति बालक छात्रावास देवभोग, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
101	गरियाबंद	2025-26	-	-	फिंगेश्वर	बोर खनन कार्य, प्रो.मै. आदिवासी छात्रावास फिंगेश्वर वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
102	गरियाबंद	2025-26	-	-	फिंगेश्वर	बोर खनन कार्य, प्रो.मै. आदिवासी कन्या फिंगेश्वर वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
103	गरियाबंद	2025-26	-	-	लिटीपारा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र लिटीपारा, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
104	गरियाबंद	2025-26	-	-	सडौली	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र सडौली, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
105	गरियाबंद	2025-26	-	-	मालगांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र मालगांव, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
106	गरियाबंद	2025-26	-	-	नवागांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र नवागांव, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
107	गरियाबंद	2025-26	-	-	गुजरा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र गुजरा, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
108	गरियाबंद	2025-26	-	-	पारागांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र पारागांव, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
109	गरियाबंद	2025-26	-	-	मरौदा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र मरौदा, वि.खं.गरियाबंद में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
110	गरियाबंद	2025-26	-	-	हीराबतर	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र हीराबतर, वि.खं.छुरा में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
111	गरियाबंद	2025-26	-	-	मडौली	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र मडौली, वि.खं.छुरा में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
112	गरियाबंद	2025-26	-	-	जामगांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र जामगांव, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
113	गरियाबंद	2025-26	-	-	कौंदकेरा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र कौंदकेरा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	-	अपूर्ण
114	गरियाबंद	2025-26	-	-	बोरसी	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोरसी, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
115	गरियाबंद	2025-26	-	-	बेलर	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेलर, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
116	गरियाबंद	2025-26	-	-	पोखरा	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोखरा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
117	गरियाबंद	2025-26	-	-	कोसमखुटा	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कोसमखुटा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
118	गरियाबंद	2025-26	-	-	बोरिद	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोरिद, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	गरियाबंद	2025-26	-	-	बेलटुकरी	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेलटुकरी, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
120	गरियाबंद	2025-26	-	-	सहरपुर	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहरपुर, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
121	गरियाबंद	2025-26	-	-	रवेली	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रवेली, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
122	गरियाबंद	2025-26	-	-	बासीन	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बासीन, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
123	गरियाबंद	2025-26	-	-	धमनी	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर धमनी, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
124	गरियाबंद	2025-26	-	-	सुरसाबांधा	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुरसाबांधा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
125	गरियाबंद	2025-26	-	-	कुन्ही	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कुन्ही, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
126	गरियाबंद	2025-26	-	-	पुरेना	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पुरेना, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
127	गरियाबंद	2025-26	-	-	पेण्ड्रा	बोर खनन कार्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेण्ड्रा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
128	गरियाबंद	2025-26	-	-	कौदकेरा	बोर खनन कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कौदकेरा, वि.खं.फिंगेश्वर में स्वीकृति	-	-	-	अपूर्ण
129	गरियाबंद	2025-26	-	-	जिडार	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र जिडार, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
130	गरियाबंद	2025-26	-	-	गोना	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र गोना, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
131	गरियाबंद	2025-26	-	-	गौरगांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र गौरगांव, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
132	गरियाबंद	2025-26	-	-	जांगड़ा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र जांगड़ा, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	-	-	-	अपूर्ण
133	गरियाबंद	2025-26	-	-	सरनाबहाल	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र सरनाबहाल, वि.खं.मैनपुर में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
134	गरियाबंद	2025-26	-	-	देवमोग	बोर खनन कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवमोग, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
135	गरियाबंद	2025-26	-	-	दीवानमुड़ा	बोर खनन कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीवानमुड़ा, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	-	-	-	अपूर्ण
136	गरियाबंद	2025-26	-	-	झाखरपारा	बोर खनन कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाखरपारा, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
137	गरियाबंद	2025-26	-	-	सुपेबेड़ा	बोर खनन कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुपेबेड़ा, वि.खं.देवमोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	गरियाबंद	2025-26	-	-	कुम्हडाईखुर्द	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र कुम्हडाईखुर्द, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
139	गरियाबंद	2025-26	-	-	लाटापारा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र लाटापारा, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
140	गरियाबंद	2025-26	-	-	गंगराजपुर	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र गंगराजपुर, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
141	गरियाबंद	2025-26	-	-	गिरसूल	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र गिरसूल, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
142	गरियाबंद	2025-26	-	-	कदलीमुड़ा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र कदलीमुड़ा, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
143	गरियाबंद	2025-26	-	-	धौराकोटा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र धौराकोटा, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
144	गरियाबंद	2025-26	-	-	चिचिया	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र चिचिया, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
145	गरियाबंद	2025-26	-	-	दीवानमुड़ा	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र दीवानमुड़ा, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
146	गरियाबंद	2025-26	-	-	माडगांव	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र माडगांव, वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-
147	गरियाबंद	2025-26	-	-	सीनापाली	बोर खनन कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्र सीनापाली वि.खं.देवभोग में स्वीकृति	-	-	पूर्ण	-


 वि.खं.देवभोग में स्वीकृति
 उपस्वास्थ्य केन्द्र
 वि.खं.देवभोग में स्वीकृति
 उपस्वास्थ्य केन्द्र
 वि.खं.देवभोग में स्वीकृति
 उपस्वास्थ्य केन्द्र

परिशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2034) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(अ) पशुधन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				रिमांक
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	व्यय राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	व्यय राशि	
केन्द्र प्रवर्तित योजना										
1	पशु रोग नियंत्रण (ASCAD)	274.24	174.25	448.49	448.22	172.10	109.84	281.94	235.48	—
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	34.55	23.03	57.58	57.59	—	—	—	—	—
3	राष्ट्रीय पशुधन मिशन, (NLM)	50.00	33.34	83.34	83.34	116.18	77.57	193.75	102.67	—
4	मोबाईल वेटेनरी यूनिट (MVU)	1924.80	1283.20	3208.00	3208.10	1924.80	1283.20	3208.00	2607.70	—
5	एकीकृत न्यादर्श सर्वे (ISS)	32.17	28.98	61.15	40.12	20.00	15.00	35.00	22.29	—
	योग	2315.76	1542.80	3858.56	3837.37	2233.08	1485.61	3718.69	2968.14	



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

राधा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(ब) पशुधन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	(राशि रु. लाख में)				रिमाक
		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजना	510.00	494.07	544.00	408.40	-
2	अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना	90.00	88.44	200.00	118.62	-
3	अनुदान पर बकरा वितरण योजना	80.00	79.20	80.00	51.17	-
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	81.00	79.42	81.00	71.60	-
5	उन्नत मादा वत्स पालन योजना	250.00	244.90	250.00	160.38	-
6	राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	08.50	04.24	1000.00	11.00	-
7	छ.ग. राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	100.00	16.53	50.00	04.36	-
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	1000.00	976.08	100.00	91.63	-
9	ग्रामोत्थान योजना	20.00	14.07	---	---	-
10	प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम योजना	600.00	596.90	1000.00	749.30	-
	योग	2739.50	2593.85	3305.00	1666.46	



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(अ) वर्ष 2025-26 में बस्तर जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2025-26			रिमाक
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
केन्द्र प्रवर्तित योजना					
1	पशु रोग नियंत्रण (ASCAD)	5.24	3.49	8.73	0.73
2	नेशनल एनिमल डिसेस कंट्रोल प्रोग्राम (NADCP)	12.92	0.00	12.92	0.01
3	पशु संगणना (LC)	6.51	0.00	6.51	0.00
योग		24.67	3.49	28.16	0.74
राज्य पोषित योजना					
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजना	—	17.08	17.08	2.77
2	अनुदान पर सूकर त्रयी वितरण योजना	—	9.90	9.90	2.97
3	अनुदान पर बकरा वितरण योजना	—	3.08	3.08	0.96
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	—	3.50	3.50	0.00
5	उन्नत मादा वत्स पालन योजना	—	8.50	8.50	5.29
6	राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	—	4.75	4.75	3.75
7	छ.ग. राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	—	0.00	0.00	0.00
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	—	2.10	2.10	0.00
9	ग्रामोत्थान योजना	—	0.00	0.00	0.00
10	प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना	—	2.00	2.00	1.88
योग		—	50.91	50.91	15.86
महायोग		24.67	54.40	79.07	16.60



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यव्यय अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महाबदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(ब) वर्ष 2025-26 में बस्तर जिले में विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी

क्र.	कार्यक्रम		स्थान	दिनांक	राशि का विवरण		
	संपादित कार्यक्रम	विकासखण्ड			प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
विभागीय योजना अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम							
1	सुकर त्रयी वितरण	दरभा	छिन्दावाड़ा	29-Oct-25	0	0	0
2	कुक्कुट वितरण	बस्तर	चोकर	17-Sep-25	0	0	0
			बड़े आमबाबल	26-May-25	0	0	0
			गोण्डियापाल	13-Oct-25	0	0	0
			रतेंगा	13-Oct-25	0	0	0
			मुरकुची	13-May-25	0	0	0
			भानपुरी	13-May-25	0	0	0
			बाकेल	13-May-25	0	0	0
			खड़का	13-May-25	0	0	0
3	सुकर त्रयी वितरण	बकावण्ड	करपावंड	19-May-25	0	0	0
4	सुकर त्रयी वितरण		चितालुर	29-Nov-25	0	0	0
5	कुक्कुट वितरण		उलनार	31-May-25	0	0	0
6	कुक्कुट वितरण		बेलपुटी	06-Jan-26	0	0	0
सुशासन तिहार कार्यक्रम							
7	सुशासन तिहार कार्यक्रम		चिंगपाल	8-May-25	0	0	0
8	सुशासन तिहार कार्यक्रम		नेगानार	12-May-25	0	0	0
9	सुशासन तिहार कार्यक्रम		दरभा	16-May-25	0	0	0
10	सुशासन तिहार कार्यक्रम		डिलमिली	19-May-25	0	0	0
11	सुशासन तिहार कार्यक्रम		पखनार	22-May-25	0	0	0

44

क्र.	कार्यक्रम		दिनांक	राशि का विवरण			
	संपादित कार्यक्रम	विकासखण्ड		स्थान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
12	सुशासन तिहार कार्यक्रम	तोकापाल	छापर भानपुरी	07-May-25	0	0	0
13	सुशासन तिहार कार्यक्रम		करंजी	10-May-25	0	0	0
14	सुशासन तिहार कार्यक्रम		बड़े मारंगा	17-May-25	0	0	0
15	सुशासन तिहार कार्यक्रम		बेड़ागुड़ा	24-May-25	0	0	0
16	सुशासन तिहार कार्यक्रम		रायकोट	28-May-25	0	0	0
17	सुशासन तिहार कार्यक्रम		तितिरगांव	05-May-25	0	0	0
18	सुशासन तिहार कार्यक्रम	जगदलपुर	नगरनार	10-May-25	0	0	0
19	सुशासन तिहार कार्यक्रम		गरावण्ड	14-May-25	0	0	0
20	सुशासन तिहार कार्यक्रम		नानगुर	17-May-25	0	0	0
21	सुशासन तिहार कार्यक्रम		कुरंदी	21-May-25	0	0	0
22	सुशासन तिहार कार्यक्रम		साङ्गुड़	24-May-25	0	0	0
23	सुशासन तिहार कार्यक्रम		जामावाड़ा	29-May-25	0	0	0
24	सुशासन तिहार कार्यक्रम		मटनार	12-May-25	0	0	0
25	सुशासन तिहार कार्यक्रम	लोहण्डीगुड़ा	बडान्जी	16-May-25	0	0	0
26	सुशासन तिहार कार्यक्रम		छीन्दबहार	19-May-25	0	0	0
27	सुशासन तिहार कार्यक्रम		आंजर	23-May-25	0	0	0
28	सुशासन तिहार कार्यक्रम		चंदेला	30-May-205	0	0	0
29	सुशासन तिहार कार्यक्रम		मुतनपाल	08-May-25	0	0	0
30	सुशासन तिहार कार्यक्रम	बास्तानार	बड़े किलेपाल	14-May-25	0	0	0
31	सुशासन तिहार कार्यक्रम		कोडेनार	04-May-25	0	0	0
32	सुशासन तिहार कार्यक्रम		बड़े काकलुर	25-May-25	0	0	0
33	सुशासन तिहार कार्यक्रम		बास्तानार	28-May-25	0	0	0

क्र.	कार्यक्रम			राशि का विवरण			
	संपादित कार्यक्रम	विकासखण्ड	स्थान	दिनांक	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
34	सुशासन तिहार कार्यक्रम	बस्तर	गुरीया	07-May-25	0	0	0
35	सुशासन तिहार कार्यक्रम		दुबे उमरगांव	09-May-25	0	0	0
36	सुशासन तिहार कार्यक्रम		पखनाकौंगेरा	11-May-25	0	0	0
37	सुशासन तिहार कार्यक्रम		इच्छापुर	15-May-25	0	0	0
38	सुशासन तिहार कार्यक्रम		करंदोला	16-052025	0	0	0
39	सुशासन तिहार कार्यक्रम		करमरी	22-May-25	0	0	0
40	सुशासन तिहार कार्यक्रम		छोटे अमाबाल	26-May-25	0	0	0
41	सुशासन तिहार कार्यक्रम		भोण्ड	29-May-25	0	0	0
42	सुशासन तिहार कार्यक्रम		गारंगा	09-May-25	0	0	0
43	सुशासन तिहार कार्यक्रम		मालगांव	11-May-25	0	0	0
44	सुशासन तिहार कार्यक्रम		पाथरी	15-May-25	0	0	0
45	सुशासन तिहार कार्यक्रम		मुली	18-May-25	0	0	0
46	सुशासन तिहार कार्यक्रम		मंगनार	23-May-25	0	0	0
47	सुशासन तिहार कार्यक्रम		पाउरबेल	25-May-25	0	0	0
48	सुशासन तिहार कार्यक्रम	राजनगर	26-May-25	0	0	0	
49	सुशासन तिहार कार्यक्रम	भिरलिंगा	30-May-25	0	0	0	
		बकावण्ड					

(स) वर्ष 2025-26 में बस्तर जिले में विभाग द्वारा क्रियान्वित शिविरों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	शिविर		प्राप्त राशि	राशि का विवरण		शेष राशि
		स्थान	दिनांक		व्यय राशि		
1	जगदलपुर	डिमरापाल	18-Jan-26	5000.00	5000.00	0	0
		करकापाल	14-Aug-25	5000.00	5000.00	0	
		नेतानार	13-Feb-26	5000.00	5000.00	0	
2	बस्तर	सोरगांव	23-Dec-25	5000.00	5000.00	0	0
3	दरभा	अल्वा	15-Oct-25	5000.00	5000.00	0	0
		कोरंगाली	18-May-25	10000.00	10000.00	0	
4	बास्तानार	परलमेटा	21-Jan-26	5000.00	5000.00	0	0
5	बकावण्ड	सानदेवड़ा	16-Mar-25	5000.00	5000.00	0	0
				योग	45000.00	45000.00	0


 (श्री. मोसम मेहटा)
 विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महाबदी भवन
 रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-स

जिला बस्तर में टीकाकृत पशु पक्षियों की विकासखण्डवार संख्या

क्र.	विकासखण्ड का नाम	टीकाकरण किये गए पशु पक्षियों की संख्या							कुक्कुट	योग
		गौवंशीय	भैंसवंशीय	बकरी प्रजाति	सूकर	श्वान	कुक्कुट	योग		
1	बस्तर	45379	5826	12577	1599	123	10942	76446		
2	बकावण्ड	158745	9452	2134	804	206	15838	187179		
3	लोहाण्डीगुडा	83917	22068	2502	4914	178	16099	129678		
4	तोकापाल	52988	14945	1950	2415	65	19061	91424		
5	दरमा	90305	7947	1339	4156	49	18853	122649		
6	बास्तानार	32666	3271	0	5865	46	15469	57317		
7	जगदलपुर	152117	5372	3916	2944	1282	31669	197300		
	योग	616117	68881	24418	22697	1949	127931	861993		



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - छेसठ

प्रपत्र - अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2053) की जानकारी

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत स्वीकृत राशि, प्राप्त केन्द्रांश, जारी राज्यांश, व्यय राशि तथा शेष राशि की वर्षवार जानकारी

राशि रु. लाख में

क्र.	विभाग	वर्ष	कुल स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि का विवरण			व्यय राशि	शेष राशि	रिमार्क
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	2024-25	16666.67	10000.00	6666.67	16666.67	12037.64	4629.03	कॉलम नम्बर 9 में दर्शित राशि वित्तीय वर्ष के अंत में एसएनए स्पर्श के माध्यम से स्वतः भारतीय रिजर्व बैंक को वापस हो गया।
		2025-26 (20.02.2026 की स्थिति में)	5416.67	3250.00	2166.67	5416.67	4057.15	1359.52	व्यय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	योग		22083.34	13250.00	8833.34	22083.34	16094.79	5988.55	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026

15:38:20

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत स्वीकृत पैक हाउस, पूर्ण पैक हाउस तथा अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों की जिलावार/वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	स्वीकृत पैक हाउस संख्या	पूर्ण पैक हाउस की संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	लाभान्वित हितग्राही संख्या			
						सामान्य	अजाजा	अजा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलरामपुर	2024-25	20	20	40.00	5	13	2	20
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		20	20	40.00	5	13	2	20
2	जशपुर	2024-25	15	11	22.00	3	6	2	11
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		15	11	22.00	3	6	2	11
3	कोरिया	2024-25	2	2	4.00	0	2	0	2
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		2	2	4.00	0	2	0	2
4	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	2024-25	6	6	12.00	2	4	0	6
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		6	6	12.00	2	4	0	6
5	सूरजपुर	2024-25	11	11	21.96	3	8	0	11
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		11	11	21.96	3	8	0	11
6	सरगुजा	2024-25	18	18	36.00	8	8	2	18
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		18	18	36.00	8	8	2	18
7	बलौदाबाजार	2024-25	15	15	30.00	12	0	3	15
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		15	15	30.00	12	0	3	15
8	गरियाबंद	2024-25	40	33	66.00	26	4	3	33
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		40	33	66.00	26	4	3	33
9	रायपुर	2024-25	18	18	36.00	14	1	3	18
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		18	18	36.00	14	1	3	18
10	महासमुंद	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
11	धमतरी	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
12	बालोद	2024-25	19	18	36.00	12	5	1	18
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		19	18	36.00	12	5	1	18

क्र.	जिला	वर्ष	स्वीकृत पैक हाउस संख्या	पूर्ण पैक हाउस की संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	लाभान्वित हितग्राही संख्या			
						सामान्य	अजाजा	अजा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	बेमेतरा	2024-25	20	7	14.00	7	0	0	7
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		20	7	14.00	7	0	0	7
14	दुर्ग	2024-25	18	18	36.00	14	2	2	18
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		18	18	36.00	14	2	2	18
15	कबीरधाम	2024-25	14	12	23.99	8	2	2	12
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		14	12	23.99	8	2	2	12
16	राजनांदगांव	2024-25	20	20	40.00	14	4	2	20
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		20	20	40.00	14	4	2	20
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	2024-25	14	14	28.00	12	1	1	14
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		14	14	28.00	12	1	1	14
18	मोहलामनपुर-अंबागढ़चौकी	2024-25	8	8	16.00	3	4	1	8
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		8	8	16.00	3	4	1	8
19	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	2024-25	12	6	12.00	3	3	0	6
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		12	6	12.00	3	3	0	6
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2024-25	14	11	22.00	7	1	3	11
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		14	11	22.00	7	1	3	11
21	बिलासपुर	2024-25	24	24	48.00	15	3	6	24
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		24	24	48.00	15	3	6	24
22	कोरबा	2024-25	20	14	28.00	5	7	2	14
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		20	14	28.00	5	7	2	14
23	मुंगेली	2024-25	9	9	17.87	6	2	1	9
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		9	9	17.87	6	2	1	9
24	रायगढ़	2024-25	9	9	18.00	6	3	0	9
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		9	9	18.00	6	3	0	9
25	जांजगीरचांपा	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0

क्र.	जिला	वर्ष	स्वीकृत पैक हाउस संख्या	पूर्ण पैक हाउस की संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	लाभान्वित हितग्राही संख्या			
						सामान्य	अजाजा	अजा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	शक्ती	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
27	जगदलपुर	2024-25	15	14	28.00	7	6	1	14
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		15	14	28.00	7	6	1	14
28	कोंडागांव	2024-25	25	25	50.00	5	19	1	25
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		25	25	50.00	5	19	1	25
29	कांकेर	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
30	बीजापुर	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
31	दंतेवाड़ा	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
32	नारायणपुर	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
33	सुकमा	2024-25	0	0	0.00	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	योग		0	0	0.00	0	0	0	0
	कुलयोग	2024-25	386	343	685.81	197	108	38	343
		2025-26	0	0	0.00	0	0	0	0
	महायोग		386	343	685.81	197	108	38	343

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 06-03-2026

15:39:29

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशिए - सड़सत

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2103) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष 2023-24

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी नहीं हुई है
1	राजनांदगांव	पशुपत विकास विभाग	पशु औषधालय दौरान वि ख खैरागढ़ में नवीन पशु औषधालय भवन निर्माण
2	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के टुरीपार से कलेवा मार्ग पर नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं सड़क निर्माण लंबाई 4.00 किमी.
3	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम भोटेपार से मासूल डमरीपूल सड़क निर्माण लंबाई 5.00 किमी.
4	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम भद्रापुर से चवटाल डमरीपूल सड़क निर्माण लंबाई 2.50 किमी. पुल, पुलिया सहित
5	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के भेषवानी से कुसीडी तक पक्की सड़क निर्माण लंबाई 2.30 किमी. पुल, पुलिया सहित
6	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ मुख्य मार्ग से ग्राम टबा तक पक्की सड़क निर्माण लंबाई 1.20 किमी.
7	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत के ग्राम खजरी के अंतर्गत शौतला नदिर रोड से मोहन के खेत तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.00 किमी.
8	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत के ग्राम खजरी के अंतर्गत शमशान घाट तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.20 किमी.
9	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत खजरी के अंतर्गत चिपहा रोड तक पहुंच मार्ग लंबाई 0.90 किमी.
10	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम बिलावोड़ केला सहद तक डमरीपूल सड़क निर्माण लंबाई 2.00 किमी. पुल पुलिया सहित
11	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के कवर्धा चोण्डी मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 5) किमी. 11 से 27 = 17.00 किमी.
12	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ग्राम पुरना में विश्राम गृह का निर्माण कार्य
13	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ के खैरागढ़ लांजी मार्ग कि.मी. 4 से 10 = 7.00 कि.मी. में मजबूतीकरण कार्य
14	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ के भादे से भोथली पहुंच मार्ग क्र. 11.00 किमी. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण उन्नयन (इंटरमिडियट) कार्य।
15	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	सरंगपुर जलाशय का जीर्णोद्धार, नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
16	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	साल्देवारा जलाशय का जीर्णोद्धार, नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
17	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	गरीपार व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
18	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	पारीकाल व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
19	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	सिंगरपुर व्यपवर्तन शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
20	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	भुस्कुण्ड व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
21	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	फौराफोरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
22	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	कुक्पापट कीडर जलाशय के शीर्ष एवं नहरों का निर्माण कार्य
23	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	टंकापार जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग लाईनिंग कार्य
24	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	लमती कीडर डेम का रिन्नेज एवं प्रधानपाठ बैजल के नहरों का विस्तार
25	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	भण्डरपुर जलाशय शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
26	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	महरसकला जलाशय शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
27	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	बैगाटला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
28	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	बर्गाव जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
29	खैरागढ़-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	ईटाग जलाशय के शीर्ष कार्य, नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी नहीं हुई है
30	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	सिमंडाला के भदरी नाला में जलाशय निर्माण
31	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	ग्राम सांकरी के मेनारनाला में व्यपवर्तन निर्माण
32	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	बहेरागाछ जलाशय नहर लाईनिंग कार्य
33	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	इरईनाल में स्थित जलाशय के नहर लाईनिंग कार्य
34	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	अंजानकपुर नवागांव में आनंदेरी नदी में दंडी और बाढ़ नियंत्रण कार्य
35	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	प्रधानपाठ बैराज योजना के मुख्य फीडर नहर का ग्राम परतबोड़ से देवरीभाठ जलाशय तक विस्तार कार्य
36	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	देवरी रपटा काम स्टापडैम
37	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	नहरमकला स्टापडैम निर्माण कार्य
38	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	जुकरपाठ व्यपवर्तन योजना के नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य तथा दायी तट मुख्य नहर से प्रधानपाठ बैराज नहर तक नहर विस्तार कार्य
39	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	पितलकच्छर एनीकट सर सटा रिनिंग
40	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	सोनबरस नाला में कलेवा एनीकट
41	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	मासूल स्टापडैम का निर्माण कार्य
42	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	अरगांव व्यपवर्तन मुख्य नहर लाईनिंग कार्य
43	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	रंगकठेर स्टापडैम निर्माण कार्य
44	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	भीथली से नानिकपुर सटा काम पुलिया निर्माण
45	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	उरईबरी जलाशय शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहरों का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य
46	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	कलेवा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य
वित्तीय वर्ष 2024-25			
स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी नहीं हुई है
1	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के राजनांदगांव . कवंधी . पोछी मार्ग के किमी. 4 से 10 = 7.00 किमी. का नजवूतीकरण कार्य
2	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	डेउसरा . मुडीपार . कलडबरी . घुमका . रंगकठेर मार्ग लंबाई 32.40 किमी. के किमी. 1 से 14/6 = 13.60 किमी. का नजवूतीकरण कार्य
3	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	मुडीपार से झुराडबरी मार्ग लंबाई 2.50 किमी. का निर्माण
4	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के मोतीपुर . सुकुवईहन . मोहरा मार्ग लंबाई 22.60 किमी. मुख्य जिला मार्ग क्र. 124) के किमी. 9/6 से 23/6 = 14.20 किमी. का चौड़ीकरण एवं नजवूतीकरण कार्य
5	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	डेउसरा . मुडीपार . कलडबरी . घुमका . रंगकठेर मार्ग लंबाई 32.40 किमी. के किमी. 29/4 से 33/4 = 4.00 किमी. का चौड़ीकरण एवं नजवूतीकरण कार्य
6	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में रंग रोड़ का निर्माण कार्य
7	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	मुगुदा से बांध नवागांव पृथुच मार्ग लंबाई 10.00 किमी.
8	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	विकासखण्ड खैरात-गंडई के टिंगमाली से लसनाटोला मार्ग लंबाई 3.00 किमी.
9	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के पिपलकच्छर से पाण्डोलाह मार्ग पर पुल निर्माण (कार्य वर्ष 2024-25)
10	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	स्ते जलाशय मध्यम परिलोजना अंतर्गत शीर्ष कार्य, वेस्ट विवर का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर 0मी. से 16000 मी. के मध्य 02 नग एचवाकट, 01 नग सायकन, 01 नग डी.आर.बी., 04 नग माहूर हंड निर्माण, वेस्ट में लाईनिंग मरम्मत, एस्टर कटिंग अर.डी. 11865 मी. से 12065 मी. तक बँके का रिमाडलिंग एवं मुनीकरण कार्य
11	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	जुकरपाठ फीडर जलाशय शीर्ष एवं नहरों का निर्माण कार्य
12	खैरात-खुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	प्रधानपाठ बैराज के शीर्ष कार्य का सुधार कार्य

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी नहीं हुई है
3	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डेडेसा मुठीपार कलडवरी घुमका रंगकठेरा मार्ग लं. 32.40 कि.मी. में 10 मीटर चौड़ाई पेव्ड शोल्डर के साथ निर्माण कार्य
4	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के ठेलकाडीह . घुमका मार्ग (मु.जि.मा.) लं. 12.00 किमी. का मजबूतीकरण कार्य
5	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के कसडवरी . घुमका . रंगकठेरा मार्ग (मु.जि.मा.) लं. 14.80 किमी. का मजबूतीकरण कार्य
6	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ नकापारा बी.आर.सी. भवन होते हुए पीपरखार तक मार्ग लं. 3.10 किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
7	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के मॉडल उप पंजीयक कार्यालय डोंगरगढ़ का भवन निर्माण कार्य
8	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ छुईखदान के डोंगरगढ़ मार्ग में बी.टी. रिनिवल कार्य लं. 18.00 किमी.
9	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ लॉजी मार्ग (एस.एच.22) लं. 36.40 कि.मी. के किमी. 4 से 10 = 7.00 किमी. में मजबूतीकरण का कार्य
10	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के टाऊचौरा खैरागढ़ द्वारा मार्ग लं. 10.00 किमी. में अग्र नवीनीकरण कार्य
11	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के ग्राम बेलगांव से मोहरा पंचुय मार्ग लं. 5.00 किमी.
12	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के घाघरा से कटेमा मार्ग लं. 9.50 किमी. का निर्माण कार्य पुल, पुलिया सहित
13	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के द्वारा.तोतलभरौं. उदरीछापर. लछना.कटेना (धारा से उदरीछापर तक पक्की सड़क उपलब्ध) लं. 9.00 किमी. का निर्माण कार्य
14	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के गाझाघाट से लछनाटोला मार्ग लं. 2.00 किमी.
15	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	स्वे जलसंधय मध्यम परियोजना अंतर्गत शीषं कार्य का जोर्णाद्वार, मुख्य नहर आर. कं. 0 मी. से 15920 मी. के बंको की ऊंचाई बढाने रिमाडलिंग सहित एवं सी. सी. लाइनिंग एवं सभी संयन्त्राकौं का रिमाडलिंग, वेस्ट विरर का जोर्णाद्वार, पिचिंग एवं मरम्मत कार्य सहित।
16	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	मुक्तपट जलसंधय एवं नहरों का निर्माण कार्य
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	सांरगपुर से ग्राम पचनेड़ी तक अण्डरग्राउण्ड एवं जोपन कीडर का नहर निर्माण कार्य

Hickarby
(अतीरा पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ शासन वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2023-24

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी हुई है
1	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	परिक्रमण पथ निर्माण, डोंगरगढ़
2	राजनांदगांव	बाणिलय और उद्योग विभाग	ग्राम बिजेतता में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
3	के.सी.जी.	उच्च शिक्षा विभाग	संत गुरु धारोदास बाबा नवीन महाविद्यालय, ठेककाडीह
4	राजनांदगांव	विधि और विधायी कार्य विभाग	द्वयवहार न्यायालय डोंगरगढ़ में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए 01 नग ई टाईप शासकीय अवास
5	राजनांदगांव एवं खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	महिला एवं बाल विकास विभाग	35 अंगन वाड़ी भवन निर्माण
6	राजनांदगांव	पर्यटन विभाग	प्रसाद योजना के अन्तर्गत मेनरोड से पितरयोग फेसिलिटेशन सेंटर तक पहुँच मार्ग एवं मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण
7	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के टुरीपार से कलेवा मार्ग पर नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं सड़क निर्माण लं. 4 किमी (कार्य वर्ष 2023-24)
8	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के पनियाजोब-डोंगरगढ़ (चिचदो गेट) मानव सेवल सिंग क्र. 477 पर 20 रेलवे ओवर ब्रिज में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी सिफ्टिंग का कार्य। (कार्य वर्ष 2023-24)
9	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के जटकन्हार-डोंगरगढ़ (आछोली गेट) मानव सेवल क्रासिंग क्र. 473 पर 19 रेलवे ओवर ब्रिज में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी सिफ्टिंग का कार्य। (कार्य वर्ष 2023-24)
10	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के जटकन्हार-डोंगरगढ़ (दुसेरा गेट) मानव सेवल क्रासिंग क्र. 472 पर 19 रेलवे ओवर ब्रिज में भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी सिफ्टिंग का कार्य। (कार्य वर्ष 2023-24)
11	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ चिचोला मार्ग में पुराना कोलेज लाल निवास पुल से नीचे बन्नेशेवरी मठिर के सामने पुराना क्रासिंग तक वाकशेप में पुल निर्माण। (कार्य वर्ष 2023-24)
12	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	तीनपुलिया जलाशय शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं महारों का रिमाडलिंग एवं साईनिंग कार्य
13	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	मास्टोलाकला में पिपरिया नदी में स्टापडैम कम रफ्टा निर्माण
14	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	कुकरापाट नदी पर डुमरडीह से रंगकोठरा एनिकट कम काजवे निर्माण
15	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	कलकसा जलाशय नहर साईनिंग कार्य
16	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य
17	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सौर सुजला पम्प-15
18	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सोलर हाईमास्ट-04
19	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	बायोगैस-11
20	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य
21	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सौर सुजला पम्प-36
22	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सोलर हाईमास्ट-04

वित्तीय वर्ष 2024-25

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी हुई है
1	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	स्टोन हाउस निर्माण वन घेतना केन्द्र मन्गदटा
2	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	द्वीप कौटिल्य निर्माण वन घेतना केन्द्र मन्गदटा
3	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	परिक्रमा पथ निर्माण (700 मी.), डोंगरगढ़
4	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	ईको हट कौटिल्य निर्माण 2 नग, डोंगरगढ़
5	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पाथवे निर्माण पार्किंग से ईको हट निर्माण डोंगरगढ़
6	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	एगोच रोड निर्माण पार्किंग से ईको हट तक डोंगरगढ़
7	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पुलिया निर्माण, टिब्दीजोब से मुलनाछपर मार्ग
8	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पुलिया निर्माण, मोहनपुर से बंजरगोडीह मार्ग
9	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	परिक्षेत्र कार्यालय भवन निर्माण
10	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	काण्ठागार अछेली डिपो में नोलान हॉल का जिर्णोदधार
11	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	काण्ठागार अछेली डिपो में नया डब्ल्यू.बी.एम. रोड 1410 मी.
12	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	काण्ठागार अछेली डिपो में नया डब्ल्यू.बी.एम. रोड सुधार 2195 मी.
13	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	काण्ठागार अछेली डिपो में बाउन्ड्रीवाल निर्माण 700 मी.
14	के.सी.जी.	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	वनरक्षक आवास भवन निर्माण कार्य
15	राजनांदगांव	वाणिज्य और उद्योग विभाग	ग्राम विजेतला में महीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
16	राजनांदगांव	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	उपस्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम भोथीपरकला, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव में भवन निर्माण
17	राजनांदगांव	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सुकुलदहना, जिला राजनांदगांव में भवन निर्माण
18	राजनांदगांव	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	पुराना जिला चिकित्सालय भवन राजनांदगांव को डिस्ट्रिक्ट कर नये कार्यालय भवन निर्माण
19	के.सी.जी.	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, केसीजी के भवन निर्माण
20	राजनांदगांव एवं खैरागढ़-पुईखदान-गडई	महिला एवं बाल विकास विभाग	2 अंगन बाड़ी भवन निर्माण
21	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़, खैरागढ़ मार्ग मुख्य जिला मार्ग के किमी. 19 से 32=14.00 किमी. का मजबूतीकरण कार्य
22	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विपरयना केन्द्र पहुँच मार्ग (प्रजातिरो बाँदूध तीर्थ) लंबाई 1.00 किमी. निर्माण कार्य
23	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ का फोरलेन मार्ग लंबाई 8.00 किमी. का निर्माण कार्य
24	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	राजनांदगांव, कवर्धा, पोण्डी मार्ग लंबाई 30.40 किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू.अर्जन हेतु युटिलिटी सिफ्टिंग)
25	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	राजनांदगांव, कवर्धा, पोण्डी मार्ग लंबाई 30.40 किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
26	राजनांदगांव	लोक निर्माण विभाग	बेतगांव, मोहरा मार्ग में कोलेक्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण। (कार्य वर्ष 2024.25)
27	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	विकासखण्ड खैरागढ़ के जंगलपुर से आमदानी पहुँच मार्ग लंबाई 5.00 किमी.

स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी हुई है
28	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	विकासखण्ड खैरागढ़ के नवागांव (ककर) से मण्डलादाला पहुंच मार्ग लं. 4.00 किमी.
29	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	विकासखण्ड खैरागढ़ के कटेना (आई.टी.बी.टी.)कैम्प से गुरकुट (आई.टी.बी.टी.)कैम्प महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग लं0 4.00 किमी.
30	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	जिला खैरागढ़ के विद्यमान सड़कों के रोड सेप्टी अडिक्ट रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुधार एवं सुरक्षा उपाय कार्य
31	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य को नट्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य से जोड़ने हेतु कटेना.विडहारी मार्ग पर बाघ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य। (कार्य वर्ष 2024.25)
32	के.सी.जी.	लोक निर्माण विभाग	नवागांव.बड़गांव मार्ग में बड़गांव नाला उच्चस्तरीय पुल निर्माण। (कार्य वर्ष 2024.25)
33	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	गाड़घाट व्यपवर्तन का शीर्ष का जीर्णोद्धार एवं नहर का रिमांडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य
34	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य
35	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सौर सुजला पम्प-30
36	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य
37	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सौर सुजला पम्प-7
द्वितीय वर्ष 2025-26			
स.क्र.	जिला	विभाग का नाम	कार्य का विवरण, जिसमें स्वीकृति जारी हुई है
1	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	स्टोन हाऊस निर्माण क्र.2 वन घेतना केन्द्र मणगाट
2	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	भवन निर्माण कार्य कारीपाठ पहाड़ी करवारी
3	राजनांदगांव	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सी.सी.रोड निर्माण कार्य 100 मी. बुरीपात्र बुई
4	राजनांदगांव	वाणिज्य और उद्योग विभाग	ग्राम बिजेतला में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
5	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव	जल संसाधन विभाग	लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य
6	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य
7	राजनांदगांव	ऊर्जा विभाग	धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण योजनांतर्गत 134 अविद्युतिकृत घरों का परंपरागत स्नात के माध्यम से विद्युतीकरण
8	खैरागढ़-फुईखदान-गंडई	ऊर्जा विभाग	सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु विस्तार कार्य

Ar. Sanyal

(अतीरिक्त पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

पारिशेष - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2106) की जानकारी

प्रश्न-अ
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में विगत 3 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में शासकीय तालाबों का पट्टा आबंटन की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	पट्टा आबंटन (हेक्टेयर में)		प्रदाय समिति / समूह / व्यक्ति एवं अन्य का नाम	वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / सामान्य / अ.पि.व.)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	पट्टा में दिए गए शासकीय तालाबों की जानकारी			
			लक्ष्य	उपलब्धि				तालाब संख्या	रकबा	पट्टा अवधि	प्राप्त राजस्व (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	खैरागढ़	2022-23	18.00	16.32	श्रीमती पल्लवी बाई लोधी, अध्यक्ष, रानी अवती महिला स्वयं सहायता समूह, सारंगपुर	अ.पि.व.	12	1	16.32	27.10.2021 से 30.06.2031 तक (10 वर्ष)	16300.00
	योग		18.00	16.32			12	1	16.32		16300.00
2	छुईखदान	2022-23	17.00	0.00		-	0	0	0.00		0.00
	योग		17.00	0.00			0	0	0.00		0.00
	योग (अ)		35.00	16.32			12	1	16.32		16300.00
1	खैरागढ़	2023-24	18.00	14.92	श्री जयराम, अध्यक्ष, मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पाडाहाह खैरागढ़	अ.पि.व.	25	2	1.42	15.06.2023 से 16.06.2033 तक (10 वर्ष)	2125.00
	योग		18.00	14.92			32	3	14.92		15625.00
2	छुईखदान	2023-24	17.00	129.79	मां बंजारी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जैरटोला पं क्र. 597 छुईखदान श्री बहादुर, अध्यक्ष, सतबहिनिया मत्स्य सहकारी समिति, सडी श्री मनु राम अध्यक्ष जागति आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति	अ.पि.व. अ.ज.जा.	30 25	1	68.77	23.05.2023 से 15.06.2033 तक (10 वर्ष)	16000.00
	योग		17.00	129.79			25	1	15.04	09.06.2023 से 15.06.2033 तक (10 वर्ष)	16000.00
2	छुईखदान	2023-24			श्रीमती लक्ष्मी बाई, अध्यक्ष, महामाया गण्डई मछुआ सहकारी समिति मर्या., गण्डई	अ.पि.व. अ.ज.जा. अ.ज.जा.	37 14 7	2	7.64	09.06.2023 से 15.06.2033 तक (10 वर्ष) 14.03.2024 से 15.06.2034 तक (10 वर्ष)	18700.00

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	पट्टा आबंटन (हेक्टर में)		प्रदाय समिति / समूह / व्यक्ति एवं अन्य का नाम	वर्ग (अ.ज. / अ.ज.जा. / सामान्य / अ.पि.व.)	लाभान्वित हितप्राप्तियों की संख्या	पट्टा में दिए गए शासकीय तालाबों की जानकारी			
			लक्ष्य	उपलब्धि				तालाब संख्या	रकबा	पट्टा अवधि	प्राप्त राजस्व (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
					श्रीमती पार्वती बाई, अध्यक्ष, मां श्रद्धा स्वयं सहायता समूह ग्राम मैनहर, ग्राम पंचायत, मैनहर	अ.पि.व.	10	1	1.36	14.03.2024 से 15.06.2034 तक (10 वर्ष)	4068.00
2	छुईखदान	2023-24			श्री टाकेश्वर धुर्वे, अध्यक्ष, जय बडादेव मत्स्य समिति, छुईखदान	अ.ज.जा. अ.पि.व.	2 12	4	2.50	15.06.2023 से 15.06.2033 तक (10 वर्ष)	7770.00
			17.00	129.79			198	10	129.79		66038.00
			35.00	144.71			230	13	144.71		81663.00
					अध्यक्ष सुजान निषाद, अध्यक्ष, मां नथेला मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.	अ.पि.व.	21	3	5.27	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	9905.00
					श्री मां हिंगलाज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जालबांधा वि.ख., खैरागढ़	अ.पि.व.	25	3	4.40	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	9700.00
1	खैरागढ़	2024-25	18.00	18.19	हेमनाथ, अध्यक्ष, जय आंबे मछुवा सहकारी समिति मर्या., खैरबना, वि.ख. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	अ.पि.व.	25	2	2.69	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	8070.00
					श्री मोरज निषाद, अध्यक्ष, मोरज मछुवारा समूह, हरदी वि.ख. खैरागढ़	अ.पि.व.	11	1	0.50	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	1500.00
					श्रीमति हेमीन बाई, अध्यक्ष, जय मां शीतला महिला स्वयं सहायता समूह, सिंगारपुर	अ.पि.व.	11	1	1.38	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	4100.00
1	खैरागढ़	2024-25			श्रीमति योगिता बाई, अध्यक्ष, पद्म श्री उमा महिला स्वयं सहायता समूह, विचारपुर	अ.पि.व.	10	1	0.49	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	1000.00

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	पट्टा आबंटन (हैक्टेयर में)		प्रदाय समिति / समूह / व्यक्ति एवं अन्य का नाम	वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / सामान्य / अ.पि.व.)	लाभान्वित हितधारियों की संख्या	पट्टा में दिए गए शासकीय तालाबों की जानकारी			
			लक्ष्य	उपलब्धि				तालाब संख्या	रकबा	पट्टा अवधि	प्राप्त राजस्व (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	खैरागढ़	2024-25			श्री देवराम निषाद, अध्यक्ष, नरसिंग निषाद, एवं श्री टीकम निषाद, अध्यक्ष, श्री बलद राम निषाद	अ.पि.व.	2	1	2.41	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	7200.00
					श्री टोमन राम आ. बलदराम खपरीतेली	अ.पि.व.	2	1	1.07	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	3000.00
	योग		18.00	18.19			107	13	18.19		44475.00
2	छुईखदान	2024-25	17.00	10.90	अध्यक्ष, गृहा निषाद मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., उदयपुर वि.ख. छुईखदान	अ.पि.व.	27	1	1.78	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	13550.00
					श्रीमति राजेश्वरी बाई, अध्यक्ष, जय मां आरती स्वयं सहायता समूह	अ.पि.व.	10	1	7.18	10.01.2025 से 30.06.2034 तक (10 वर्ष)	18000.00
					श्री मनीष ढीमर आ. स्व. शोभा राम ढीमर	अ.ज.जा.	2				
	योग		17.00	10.90			40	4	10.90		38250.00
	योग (रु)		35.00	29.09			147	17	29.09		82725.00
	महायोग (अ + ब + स)		105.00	190.12			389	31	190.12		180688.00

सही-अस्पष्ट

सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

(Signature)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब
जिले में विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में मत्स्य उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन की जानकारी

स.क्र.	वर्ष	मत्स्योत्पादन का लक्ष्य (मेट्रिक टन में)	मत्स्योत्पादन उपलब्धि (मेट्रिक टन में)
1	2	3	4
1	2022-23	9040.00	9010.00
2	2023-24	10145.00	9492.00
3	2024-25	12548.00	12568.00
योग		31733.00	31070.00

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन,
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की
संस्थावार, स्वीकृत सीट एवं प्रवेशित सीट की जानकारी

क्रं.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
अनुसूचित जनजाति छात्रावास			
1	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास उरईडबरी	50	50
2	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खैरागढ़	50	58
3	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खैरागढ़	50	45
4	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुईखदान	50	49
5	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हेवारा	50	50
6	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा	50	50
7	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास समुंदपानी	50	46
8	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बकरकट्टा	30	30
9	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बकरकट्टा	50	50
10	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गण्डई	20	13
11	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुईखदान	50	44
12	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास साल्हेवारा	50	34
13	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास साल्हेवारा	50	50
योग		600	569
अनुसूचित जाति छात्रावास			
1	प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास खैरागढ़	50	50
2	प्री मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास टेलकाडीह	50	46
3	प्री.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया	50	15
4	प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़	50	54
5	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास टेलकाडीह	50	50
6	प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास जालबांधा	50	50
7	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़	50	65
8	प्री.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास छुईखदान	50	50
योग :-		400	380
अनुसूचित जनजाति आश्रम			
1	आदिवासी बालक आश्रम गातापार जंगल	50	50
2	आदिवासी बालक आश्रम बकरकट्टा	100	47
योग:-		150	97
महायोग:-		1150	1046

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा खयपुर

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छात्रावास/आश्रमों के भवन निर्माण, मरम्मत, फर्नीचर, भोजन व्यवस्था एवं अन्य मदों हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

क्र	संस्था का नाम	भवन निर्माण						मरम्मत						शिष्यवृत्ति						भोजन सहाय						फर्नीचर	
		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25			
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय		
1	2																										
1	पी.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास छुंवेदान	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757081.76	715585.00	762500.00	728326.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	पी.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास बाजार अलिस्था	-	152.97	64.14	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301513.15	281998.00	211046.96	209556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	पी.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास खंराढ़	-	-	-	-	0.00	0.00	3.78	3.77	0.00	952000.00	909179.00	804500.00	743082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	पी.मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास टंस्काईह	-	-	-	-	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	686200.00	618606.00	762460.00	698551.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	पी.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास जालबाँवा	-	-	-	-	0.00	0.00	2.94	2.94	0.00	579500.00	559924.00	671000.00	640184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	पी.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खंराढ़	-	-	-	-	4.00	3.39	0.00	0.00	0.00	945000.00	858424.00	976000.00	8782085.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000.00	
7	पी.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास टंस्काईह	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762450.00	714175.00	762500.00	698769.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	पी.मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास खंराढ़	-	-	-	-	0.00	0.00	6.66	6.66	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	आदिवासी बालक आश्रम गालापर जाल	-	-	-	-	2.34	2.29	1.19	0.00	0.00	1105500.00	817009.00	819950.00	707800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	आदिवासी बालक आश्रम बरकस्टा	-	-	-	-	4.00	3.99	2.38	2.37	0.00	909000.00	875250.00	8055700.00	50968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	पी.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बरकस्टा	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	409736.00	450250.00	415827.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80000.00	
																											61183.00
																											70000.00

निरंक

प्रपत्र 'स'

वर्ग	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
	स्वीकृत विद्यार्थी	वितरित राशि	स्वीकृत विद्यार्थी	वितरित राशि
अनुसूचित जाति	551	4762935	523	4068626
अनुसूचित जनजाति	622	6070552	595	5760227
अन्य पिछड़ा वर्ग	2916	15207740	2848	13417017
योग	4089	26041227	3966	23245870



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रावपुर

प्रपत्र "द"

विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक, शिक्षक एवं भृत्य के स्वीकृत पद/भरे पद एवं रिक्त पद की जानकारी

क्र	संस्था का प्रकार	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद		
		अधीक्षक	शिक्षक	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधीक्षक	शिक्षक	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधीक्षक	शिक्षक	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	छात्रावास	21	0	84	8	0	14	13	0	70
2	आश्रम	2	0	12	1	0	5	1	0	7


 क्षेत्रीय अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी ध्वज, राय बरभर

परिशिष्ट - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 2130) की जानकारी

प्रश्न

(राशि हजार रुपये में)

मांग संख्या	विवरण	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	बचत
.	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	67624307	64711843	2912464
..	लोक ऋण	75419240	241129613	0
1	सामान्य प्रशासन	5481555	4159623	1321932
	भारित	479911	359613	120298
2	सामान्य प्रशासन, विभाग से संबंधित व्यय	4317008	2994817	1322191
3	पुलिस विभाग से संबंधित व्यय	65758377	55478200	10280177
	भारित	12600	9578	3022
4	गृह विभाग से संबंधित व्यय	1174470	827805	346665
5	जेल विभाग से संबंधित व्यय	2208036	1848659	359377
	भारित	10	0	10
6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	75895985	92373622	76894
	भारित	22041	39210	0
7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	3524263	2909433	614830
	भारित	701835	700990	845
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	18861752	15164567	3697185
	भारित	2114	679	1435
9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	292469	103122	189347
	भारित	10	0	10
10	वन विभाग से संबंधित व्यय	27283448	22548012	4735436
	भारित	45650	45304	346
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	6843349	3571227	3272122
	भारित	1285	0	1285
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	46257369	45610153	647216
	भारित	3842934	3842924	10
13	कृषि	134709615	129929475	4780140
	भारित	2250	0	2250
14	पशुपालन	5283364	3993534	1289830
	भारित	1000	188	812
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2264664	1909250	355414
16	मछलीपालन	932251	716206	216045
	भारित	20	0	20
17	सहकारिता विभाग से संबंधित व्यय	2972723	2377833	594890
	भारित	15	0	15
18	श्रम विभाग से संबंधित व्यय	2044896	1623549	421347
	भारित	10	0	10
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	38383147	30197006	8186141
	भारित	5550	1746	3804
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	26907632	18162267	8745365
	भारित	1600	1150	450
21	आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय	10540015	9343503	1196512
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	153400	102827	50573
	भारित	5	0	5
23	जल संसाधन विभाग	12620269	9241243	3379026
	भारित	162415	158334	4081
24	लोक निर्माण कार्य-सड़के एवं पुल	36440909	29322699	7118210
	भारित	111000	46580	64420
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	8077721	7007183	1070538
	भारित	500	500	0
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1149634	756307	393327
27	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	75121080	62736300	12384780
	भारित	3000	1337	1663
28	राज्य विधान मण्डल	815147	599997	215150

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

प्रपत्र

(राशि हजार रुपये में)

मांग संख्या	विवरण	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	बचत
		भारित		
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	11800	2675	9125
		8088367	7817309	271058
		भारित		
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	1118942	1049181	69762
		68166733	48405426	19761307
		भारित		
31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग से संबंधित व्यय	2400	338	2062
		626287	380327	245960
		भारित		
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	40	0	40
		8612450	7251054	1361396
		भारित		
33	आदिम जाति कल्याण	10	0	10
		58870063	58063902	806161
		भारित		
34	समाज कल्याण	3400	0	3400
		1195928	962777	233151
		भारित		
35	पुनर्वास	40	0	40
		25340	12461	12879
36	परिवहन विभाग से संबंधित व्यय	1283505	806451	477054
		भारित		
37	पर्यटन विभाग से संबंधित व्यय	22000	500	21500
		1744050	1165475	578575
39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय			
		31573867	26800905	4772962
		भारित		
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	50	0	50
		344443622	286335020	58108602
		भारित		
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	11020	0	11020
		12807007	8583857	4223150
		भारित		
43	खेल एवं युवा कल्याण	20000	0	20000
		1241461	789477	451984
		भारित		
44	उच्च शिक्षा	30	0	30
		9694321	8102766	1591555
		भारित		
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	110	0	110
		8418433	5306915	3111518
46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	266900	118470	148430
47	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	7446061	4540271	2905790
		भारित		
49	अनुसूचित जाति कल्याण	20	0	20
		27480	14253	13227
50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	41315	19087	22228
51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से संबंधित व्यय	450800	193872	256928
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनातर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1594256	1527258	66998
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	3250910	2798805	452105
55	महिला एवं बाल विकास	21772946	18594852	3178094
		भारित		
56	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित व्यय	10	0	10
		1649929	1150486	499443
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	762000	94400	667600
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	13704471	8140373	5564098
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	2086500	2021758	64742
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	118728664	99524114	19204550
		भारित		
65	विमानन विभाग से संबंधित व्यय	10	0	10
		1533696	1399903	133793
		भारित		
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	10	0	10
		6151003	3356255	2794748
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	15839352	11506117	4333235
		भारित		
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	28300	24529	3771
		1336225	377396	958829

अवर सचिव
उत्तरीय गृह विभाग
विश्व विभाग

प्रपत्र 3

(राशि हजार रुपये में)

मांग संख्या	विवरण	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	बचत
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	18313932	11022633	7291299
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1566459	564692	1001767
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6147100	2027180	4119920
76	लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8367588	4974904	3392684
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	16082703	11813791	4268912
	भारित	320	0	320
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता	37217674	35817119	1400555
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	35238896	27927756	7311140
	भारित	402559	402559	0
82	अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4129504	3604983	524521
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1944140	1826036	118104


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग

परिशेष - इकहत्तर
अतारोकेत प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2169) की जानकारी

प्रपत्र

विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में विज्ञापन पर किये गये व्यय की जानकारी:-

1. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

क्र.	वर्ष	व्यय राशि (करोड़ में)
1	2020-21	4.00
2	2021-22	31.72
3	2022-23	24.58
4	2023-24	8.28
5	2024-25	27.22

2. स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट

क्र.	वित्तीय वर्ष	व्यय राशि	एजेंसी चयन	रिमार्क
1	2020-21			
2	2021-22		निरंक	
3	2022-23	26,668/-	भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के नियम क्रमांक-4.3.1 अनुसार एकल निविदा के माध्यम से	इंस्टीट्यूट में संचालित कोर्स में छात्रों का अधिकाधिक प्रवेश हेतु
4	2023-24	2,44,703/-	छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से	
5	2024-25	2,59,600/-	छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से	

परिशेष - बहत्तर

अतारोकित प्रश्न संख्या 51 (क. 2170) की जानकारी

राशि पूर्ण रूप में

वित्तीय वर्ष	(वित्त विभाग द्वारा आवंटित) प्राप्त कुल बजट छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान हेतु	वास्तविक व्यय
1	2	3
वित्तीय वर्ष 2020-21	327000000.00	406800000.00
वित्तीय वर्ष 2021-22	1035540000.00	970441000.00
वित्तीय वर्ष 2022-23	1177550000.00	1053750000.00
वित्तीय वर्ष 2023-24	1165475000.00	768100000.00
वित्तीय वर्ष 2024-25	1848361000.00	814600000.00
कुल योग	5553926000.00	4013691000.00

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ दूरिज्म बोर्ड के द्वारा विगत पांच वर्षों में जारी की गयी
स्वीकृतियों की अद्यतन जानकारी

वर्ष 2021-22

क्र.	जिला	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमाक
1	सूरजपुर	रकसगंडा में हाई मास्ट लाइट, सेफ्टी रेलिंग, शेड निर्माण, चबूतरा (3 नग), साइनेजेस, सी.सी. रोड एवं हैंड पम्प (प्लेट फार्म सहित) निर्माण।	19.02.2022	21.50	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
2	रायपुर	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत चंदखुरी में तृतीय चरण का कार्य	09.12.2021	755.53	कार्य पूर्ण	
3		राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत चंदखुरी में लाईट, बॉटल एण्ड साउंड शो से संबंधित कार्य	05.08.2021	950.29	कार्य पूर्ण	
4	जांजगीर चांपा	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत शिवरीनारायण जांजगीर चांपा का द्वितीय चरण पार्ट -1 का कार्य	23.10.2021	416.76	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
5		राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत शिवरीनारायण जांजगीर चांपा का द्वितीय चरण पार्ट-2 का कार्य।	23.10.2021	424.13	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
6	धमतरी	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत सिहावा धमतरी के कार्य -	26.03.2022	277.30	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
7	बलौदाबाजार	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत तुरतुरिया, बलौदाबाजार के कार्य	13.12.2021	250.00	कार्य पूर्ण	
8	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी -- भरतपुर	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत सीतामणी हरचौका, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कार्य	11.10.2021	435.18	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	
9	सरगुजा	राम वनगमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत रामगढ़ सरगुजा के कार्य -	13.12.2021	592.86	कार्य पूर्ण	

वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य स्थल	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर तालाब का सौंदर्यीकरण। तालाब गहरीकरण कार्य एवं अन्य कार्य	19.04.2022	2243.40	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
2	बस्तर	तामड़ा घूमर में - साईनेजेस एवं सिटींग एरिया मेन्ची घूमर में - साईनेजेस, रेलिंग, महिलाधुरुष टायलेट, पाथवे एवं सिटींग एरिया का विकास	29.09.2022	21.67	पूर्ण	-
3	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	राजमेरगढ़ एवं उसके आस-पास क्षेत्र में शेड निर्माण कार्य, शौचालय निर्माण, रनिंग वाटर सप्लाई, सीसी रोड निर्माण एवं पाइप फेसिंग का कार्य।	22.11.2022	37.95	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
4	बिलासपुर	खुतरा शरीफ दरगाह में मुसाफिर खाना निर्माण।	17.03.2023	30.00	पूर्ण	-
5	राजनादगांव	प्रज्ञागिरी परिसर डोंगरगढ़ के नीचे स्टेज में शेड निर्माण कार्य	08.02.2023	15.00	पूर्ण	-
6	धमतरी	राम वनगमन पर्यटन परिषद अंतर्गत सिहावा, धमतरी के कार्य -	07.06.2022	78.32	कार्य पूर्ण	
7	रायपुर	राम वनगमन पर्यटन परिषद अंतर्गत चम्पारण्य, रायपुर के कार्य	18.10.2022	327.84	कार्य पूर्ण	

वर्ष 2023-24

क्र.	जिला	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	मुंगेली	जिला मुंगेली अंतर्गत स्थलों में सामुदायिक भवन/धर्मशाला निर्माण -सेतगंगा में सामुदायिक भवन, खरीघाट में सामुदायिक भवन देवगांव में धर्मशाला निर्माण एवं चकरभाटा में धर्मशाला निर्माण	21.04.2023	25.00	पूर्ण	-
2	राजनादगांव	ऐतिहासिक कबीर मंदिर/आश्रम परिसर ग्राम पेण्ड्री में धर्मशाला निर्माण।	26.05.2023	5.00	पूर्ण	-
3	जशपुर	जिला जशपुर के बगीचा अंतर्गत स्थित स्थलों में पर्यटन विकास कार्य -	06.10.2023	56.23	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
4	बालोद	कुकुरदेव मंदिर ग्राम खपरी में शौचालय निर्माण जीर्णोद्धार कार्य, सिटिंग चेयर व्यवस्था एवं सोलर प्रकाशीकरण कार्य।	23.08.2023	2.16	पूर्ण	-

5	बालोद	सियादेवी मंदिर परिसर में रेस्टिंग शेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मोटर पंप स्थापना, पाईप लाईन विस्तार, महिला एवं पुरुष सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं शेड का विस्तारीकरण कार्य।	28.08.2023	34.92	पूर्ण	-
6	बालोद	ग्राम ओनाकोना में रेस्टिंग शेड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेनिंग बॉल, मंदिर के अहाता का रिनोवेशन, सीटिंग बेंच एवं साईनेज बोर्ड निर्माण।	23.08.2023	41.79	पूर्ण	-

वर्ष 2024-25

क्र.	जिला	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमांक
1	धमतरी	नरहरा जलप्रपात का सौंदर्यीकरण - सिटींग एरिया, सोलर लाइट, रेलिंग अपग्रेडेशन, बाथिंग जोन का विकास, बॉच टॉवर, साईन बोर्ड, सेल्फी जोन का कार्य।	17.01.2025	18.19	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2025-26

क्र.	जिला	कार्य का विवरण	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	रिमांक
1	बिलासपुर	ग्राम विजयपुर में विजयपुर मंदिर किला में शेड निर्माण कार्य।	04.12.2025	20.00	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
2		नरहरा जलप्रपात में रेलिंग एवं सीढ़ी निर्माण कार्य।	03.10.2025	3.25	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
3	धमतरी	विकासखण्ड नगरी के ग्राम पंचायत छिपलीपारा स्थित कर्णेश्वर मंदिर में स्वागत गेट एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण।	14.11.2025	18.88	अपूर्ण	जिला प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
4	कोण्डागांव	कुएँमारी जलप्रपात में ईको टूरिज्म का विकास - कैफेटेरिया एवं टाटामारी में ईको टूरिज्म का विकास- ओपन एयर थियेटर का निर्माण	29.09.2025	75.89	अपूर्ण	जिला प्रशासन के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
5	कोण्डागांव	टाटामारी में साहसिक क्रीडा उपकरणों की स्थापना	30.09.2025	17.15	अपूर्ण	वन विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
6	सरगुजा	मैनपाट में स्थित जलजली, मछली पाइंट एवं परणटिया में निर्मित डे-शेल्टर हेतु फर्निचर, कटलरी एवं फर्निशिंग सामग्री का क्रय	30.09.2025	26.62	अपूर्ण	वन विभाग के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।

7	रायपुर	नवा रायपुर में "चित्रोत्पला फिल्म सिटी" का निर्माण।	21.11.2025	9357.23	अपूर्ण	परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 24.01.2026 को भूमि पूजन किया गया है।
8	रायपुर	नवा रायपुर में "ट्रायबल एवं क्लबल कव्चेन्शन सेंटर" का निर्माण।	21.11.2025	5084.51	अपूर्ण	
9	रायपुर	ग्राम नवागांव के प्राचीन ईंटों का मंदिर में बाउंड्रीवाल, स्टील रेलिंग, गेट, बोर्ड, छत का वाटर प्रूफिंग एवं पचरी निर्माण।	24.12.2025	9.86	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
10	महासमुंद	आनंदप्रभु कुटीर विहार, ग्राम सिरपुर में पचरी, स्टील रेलिंग, सीढ़ी कार्य।	24.12.2025	9.89	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
11	दुर्ग	शिव मंदिर, ग्राम नगपुरा में सिटिंग अरेंजमेंट, शेड निर्माण, पचरी निर्माण, आंतरिक पाथवे निर्माण एवं साइनेज कार्य।	24.12.2025	9.95	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
12	बालोद	शिव मंदिर, ग्राम पलारी में सेफ्टी दिवाल ग्रील एवं गेट सहित, सिटिंग अरेंजमेंट, पचरी निर्माण, साइनेज, शेड निर्माण, सेंड स्टोन से फ्लोरिंग का कार्य।	24.12.2025	9.96	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
13	कबीरधाम	उत्खनन स्थल सिली पचराही (शिव मंदिर), ग्राम पचराही में सिटिंग अरेंजमेंट, शेड निर्माण, पचरी निर्माण, आंतरिक पाथवे निर्माण एवं साइनेज कार्य।	24.12.2025	9.99	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
14	बिलासपुर	शिव मंदिर, ग्राम गनियारी में तालाब के चारों ओर आर.सी.सी. सुरक्षा दिवाल, पेवर ब्लाक एवं पचरी निर्माण।	24.12.2025	9.90	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
15	कोडगांव	प्राचीन भवन ईंटों का मंदिर, ग्राम गढ़ धनोरा में पाथवे, सिटिंग चेयर, फ्लेग स्टोन से फ्लोरिंग कार्य, ग्रील सहित बाउंड्रीवाल, साइनेज, शेड निर्माण एवं पचरी निर्माण कार्य।	24.12.2025	9.99	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
16	सरगुजा	सतमहला मंदिर समूह, ग्राम कलचा-भदवाही में बाउंड्रीवाल, ग्रील कार्य, गेट, पाथवे निर्माण एवं पचरी निर्माण।	24.12.2025	9.95	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
17		भवन मंदिर (रानी तालाब के पास), ग्राम डीपाडीह में तालाब का रिपेरिंग, सुरक्षा दिवाल, पाथवे, सिटिंग चेयर, वाल में ग्रील कार्य, साइनेज बोर्ड एवं शेड निर्माण।	24.12.2025	10.00	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
18	बलरामपुर	शिव मंदिर, ग्राम हरटाली (बिलसर) में बाउंड्रीवाल, ग्रील का कार्य, गेट कार्य, पाथवे, प्लैथ प्रोटेक्शन, सिटिंग चेयर एवं शेड निर्माण कार्य।	24.12.2025	9.98	अपूर्ण	पुरातत्व विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रपत्र-स

स.क्र.	किसी योजना में CAG/ आंतरिक ऑडिट द्वारा आपत्तियों एवं उनके निराकरण की आपत्तिवार जानकारी	निराकरण के संबंध में
1	Irregular Execution of development work at Rajim under "Ram Van Gaman Path (RVGP) regarding.	लेखापरीक्षा अवधि दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 की अवधि में लेखा परीक्षा दल को जानकारी उपलब्ध करा दी गई।
2	Irregular Payment to the PEA resulted into probable loss of interest regarding.	लेखापरीक्षा अवधि दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 की अवधि में लेखा परीक्षा दल को जानकारी उपलब्ध करा दी गई।
3	Irregularity in collection of performance Bank Guaranty from PEA	लेखापरीक्षा अवधि दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 की अवधि में लेखा परीक्षा दल को जानकारी उपलब्ध करा दी गई।
4	Irregular execution of Prasad Yojna and un-due advantage to empanelled Agency regarding.	लेखापरीक्षा अवधि दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 01.03.2024 की अवधि में लेखा परीक्षा दल को जानकारी उपलब्ध करा दी गई।
5	दामाखंडा स्थित कबीर सागर तालाब का सौंदर्यीकरण के कार्य में रिटेनिंग वॉल का गिरना एवं रुपये 31.25 लाख का व्यर्थ एवं परियोजना में देरी के संबंध में आपत्ति।	उक्त AG ऑडिट द्वारा दर्ज की गई आपत्ति के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर बलौदाबाजार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जिसे AG ऑडिट दल को प्रेषित किया गया है।

PPP मॉडल पर विकसित की जा रही स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी

क्र	स्वीकृत परियोजना का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य प्रगति
1	नवा रायपुर में "चित्रोत्पला फिल्म सिटी" का निर्माण	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की "कैपिटल इवेस्टमेंट हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 - ग्लोबल स्केल स्तर के आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के विकास	21.11.2025	9357.23	दोनो परियोजनाओं हेतु मेसर्स इंदरदीप इन्फ्रा लिमिटेड महाराष्ट्र को क्रियान्वयन एजेंसी चयनित किया जा चुका है। एजेंसी को दिनांक 21.11.2025 को कार्यादेश जारी किया गया है। एजेंसी के द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का गठन कर लिया गया है। SPV एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के मध्य अनुबंध किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एजेंसी के द्वारा स्वीकृत परियोजना राशि के अतिरिक्त लगभग रु. 20353.00 लाख स्वयं की तरफ से निवेश किया जाना प्रस्तावित है।
2	नवा रायपुर में "ट्रायबल एवं कल्चरल कंवेन्शन सेंटर" का निर्माण			5084.51	

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में पंजीकृत होटल/रिसॉर्ट की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

जिला	क्र.	स. क्र.	नाम
रायपुर (कुल - 22)	01	01	होटल महेंद्र, जेल रोड़
	02	02	होटल वेंनिगटन कोर्ट, जेल रोड़
	03	03	होटल बेबीलोन इन्, जेल रोड़
	04	04	होटल सेलिब्रेशन, जेल रोड़
	05	05	होटल सिमरन हेरिटेज प्रा. लि., स्टेशन रोड़
	06	06	होटल शीतल इंटरनेशनल, वी.आई.पी. रोड़
	07	07	होटल बेबीलोन इंटरनेशनल, वी.आई.पी. रोड़
	08	08	आर.एम.वी. रिसॉर्ट एंड होटल प्रा. लि. (वी. डब्लू केनयन), फूडहर
	09	09	आर्यवर्ता हॉस्पिटैलिटी (क्लार्क इन सूट), जी ई. रोड़, वी.आई.पी. चौक
	10	10	होटल ब्लूबेरी इन्, वी.आई.पी. रोड़, तेलीबांधा
	11	11	होटल किंग्सवे, रिंग रोड़ न. 01, तेलीबांधा
	12	12	होटल बाबा इन्, पचपेड़ी नाका
	13	13	होटल पिकाडिली होटल्स प्रा. लि., मोहबा बाज़ार
	14	14	क्लब पराईसो, मोहबा बाज़ार
	15	15	होटल शैमराक ग्रीन, छेरीखेड़ी
	16	16	चार्टर्ड होटल्स प्रा. लि. (होटल हयात), मैग्रेटो मॉल, लाभंडी
	17	17	टुलिप एरीना (सुनीता ग्लोबल लि.), जी ई. रोड़, लाभंडी
	18	18	रेस्टोरेट एंड होटल मीरा, एम. जी. रोड़
	19	19	अपना होटल्स प्रा. लि. (होटल पूनम), जयस्तम्भ चौक
	20	20	होटल सिमरन इंटरनेशनल, पंडरी
	21	21	होटल सिटूस प्राइम, पंडरी
	22	22	ओमाया सुइट्स (ए यूनिट ऑफ़ अदिति इस्पात एंड पावर प्रा. लि.), कमल विहार
दुर्ग (कुल - 05)	01	23	होटल अमित पार्क इंटरनेशनल, सुपेला, भिलाई
	02	24	द फ्लोरेट, सुपेला, भिलाई
	03	25	कोसी एरो क्लब एंड रिसॉर्ट, करंजा बी.,
	04	26	SPDG रिसॉर्ट एंड मैरिज गार्डन, करंगा, पाटन
	05	27	रिविएरा रिसॉर्ट एंड होटल, बेलौदी, नगपुरा रोड़
बिलासपुर (कुल - 03)	01	28	अनाया रिसॉर्ट (नेचुरल बूम रिसॉर्ट एंड कंपनी), करगी रोड़
	02	29	द आनंदा इम्पीरियल (ए यूनिट ऑफ़ वी एन प्रा. लि.), व्यापार विहार मार्ग
	03	30	होटल श्री श्याम इंटरनेशनल, व्यापार विहार
राजनांदगांव (कुल - 02)	01	31	द ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसॉर्ट, सोमनी
	02	32	होटल अवाना, जी ई रोड़
बस्तर (कुल - 02)	01	33	होटल एम एम प्रेस्टीज, नया पारा, जगदलपुर
	02	34	अविनाश इंटरनेशनल, चित्रकोट रोड़, जगदलपुर
सरगुजा	01	35	पर्पल आर्किड होटल एंड रिसॉर्ट, अंबिकापुर
कोरबा	01	36	ब्लू डायमंड द होटल, टी.पी. नगर
कोंडागांव	01	37	होटल इनवीटेशन, बस स्टैंड के पास
दंतेवाड़ा	01	38	होटल सनराइस, संजय नगर
रायगढ़	01	39	होटल श्रेष्ठा, भगवानपुर

परिशेष - तेहत्तर

अतारोकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 2181) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन व लाभार्थी की जानकारी

क्र.	मौसम वर्ष	जिला	तहसील का नाम	फसल बीमा हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	फसल बीमा हेतु प्राप्त आवेदन में से स्वीकृत/लाभार्थी आवेदन संख्या	फसल बीमा हेतु प्राप्त अपात्र आवेदन संख्या	फसल बीमा हेतु प्राप्त लंबित आवेदन संख्या	दावा भुगतान		
								लाभार्थी आवेदन संख्या	लाभार्थी कृषक संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खरीफ 2024	कबीरघाम	कुकदुर	13652	13619	33	निरंक	82	19	5.425
2			सहसपुर लोहारा	76930	76878	52		789	309	76.759
3			पण्डरिया	29548	29528	20		4	1	0.202
4			पिपरिया	68125	68105	20		-	-	-
5			कुण्डा	23061	23048	13		-	-	-
6			बोडला	49487	49436	51		1150	302	36.357
7			कवर्धा	38483	38428	55		90	33	5.664
8			रेंगाखरकला	12460	12454	6		16	8	1.296
मौसम खरीफ वर्ष 2024 योग				311746	311496	250		2131	672	125.703
1	रबी 2024-25	कबीरघाम	कुकदुर	8998	8946	52	-	226	78	10.995
2			सहसपुर लोहारा	62481	62258	223	-	464	108	17.497
3			पिपरिया	54228	54207	21	1	679	122	37.191
4			पंडरिया	15578	15519	59	7	765	127	40.601
5			कुंडा	18630	18524	106	-	613	100	21.874
6			बोडला	30854	30790	64	4	1041	239	21.839
7			रेंगाखरकला	6706	6692	14	-	8	3	1.100
8			कवर्धा	21707	21688	19	-	18	5	0.350
मौसम रबी वर्ष 2024-25 योग				219182	218624	558	12	3814	782	151.447
वर्ष 2024-25 कुल योग				530928	530120	808	12	5945	1454	277.150
1	खरीफ 2025	कबीरघाम	कुकदुर	13805	13804	1	-	-	-	-
2			सहसपुर लोहारा	98371	98360	11	1	607	280	96.711
3			कुंडा	23214	23180	34	-	-	-	-
4			पंडरिया	31833	31781	52	-	-	-	-
5			पिपरिया	68082	68056	26	-	-	-	-
6			रेंगाखरकला	14950	14950	-	-	-	-	-
7			बोडला	46132	46079	53	59	346	81	25.269
8			कवर्धा	40989	40975	14	30	173	98	23.668
मौसम खरीफ वर्ष 2025 योग				337376	337185	191	90	1126	459	145.648
1	रबी 2025-26	कबीरघाम	कुकदुर	7391	6802	आवेदनों की अनुमोदन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	0	0	0
2			कुंडा	18586	17317					
3			पंडरिया	14841	13966					
4			पिपरिया	49436	47374					
5			सहसपुर लोहारा	43025	41422					
6			बोडला	19848	18528					
7			कवर्धा	14761	14061					
8			रेंगाखरकला	3124	2882					
मौसम रबी वर्ष 2025-26 योग				171012	162352	0	0	0	0	
वर्ष 2025-26 कुल योग				508388	499537	191	90	1126	459	145.648

Digitally signed (विकास मिश्रा)

Vikas Mishra उप सचिव

Date: 06-03-2026 कृषि विभाग शासन

15:11:36 कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कबीरधाम जिले में पशु टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकृत पशुओं की संख्या			
क्र.	टीकाकरण विवरण	टीकाकृत पशु संख्या (वर्ष 2023-24)	टीकाकृत पशु संख्या (वर्ष 2024-25)
1	एच.एस.+बी.क्यू.	211711	295120
2	एफ.एम.डी.	344948	556877
3	लम्पी स्कीन डिज़िज (LSD)	244562	203533
4	पी.पी.आर.	71443	74871
5	स्वाइन फीवर	345	1243
6	एन्टेरोटॉक्सिमिया	68551	11524
	योग:-	941560	1143168


(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कार्यवाहक अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर भटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - पचहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 2186) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिले में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों के लिए प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत किये गये कार्यों की स्थलवार, कार्यवार एवं वर्षवार जानकारी

क्र.	कार्य स्थल	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्ष
1	सिरपुर	सामुदायिक भवन निर्माण (राम जानकी मंदिर)	5.00	2024-25
2		सामुदायिक भवन निर्माण (शिरोमणी मंदिर)	3.00	
3		सामुदायिक भवन निर्माण (सेनकपाट)	5.00	
4		सामुदायिक भवन निर्माण (राधाकृष्ण मंदिर)	3.00	
5		सामुदायिक भवन निर्माण (धीवर समाज)	3.00	
6		सामुदायिक भवन निर्माण (देवदास समाज)	1.00	
7		सामुदायिक भवन निर्माण (सिन्हा समाज)	2.00	
8		सामुदायिक भवन निर्माण (सेन समाज)	3.00	
9		सामुदायिक भवन निर्माण (देवदास समाज)	3.00	
10		सांस्कृतिक भवन निर्माण (साहू समाज)	5.00	
11		सांस्कृतिक भवन निर्माण (गंधेश्वर मंदिर)	8.30	
12		सामुदायिक भवन निर्माण (गायत्री मंदिर)	5.00	
13		सामुदायिक भवन निर्माण (नायक समाज)	3.00	
14		सामुदायिक भवन निर्माण (रायकेरा तालाब)	5.00	
15		सामुदायिक भवन निर्माण (खमतलाई)	5.00	
16	सामुदायिक भवन निर्माण (सेन समाज)	10.00	2025-26	
17	कनेकेरा	सामुदायिक भवन निर्माण (मंदिर परिसर में)	3.00	2024-25
18		सामुदायिक शौचालय (नदी किनारे)	6.04	
19		शौचालय निर्माण (मंदिर परिसर में)	1.25	
20		स्टेप्स/प्लेटफार्म के साथ (मंदिर के पास)	0.37	
		कुल राशि रु.-	79.96	

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति की जानकारी

क.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिला	विकासखंड	ग्राम का नाम	विशेष रूप से कमजोर जनजाति की जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिरहोर	रायगढ़	धरमजयगढ़	रूवाफूल	71
2				बलपेदा	29
3				जमरगीडिह	39
4				नकना	14
5				खम्हार	14
6				जमरगा (ग्राम कोड-3434375)	31
7				जमरगा (ग्राम कोड-3434385)	86
8				रायमेर	22
9				सकरलया	19
10				तेजपुर	3
11				ओंगना	37
12				धोधागांव	55
13				बरतापाली	29
14				किदा	40
15				खर्ना	66
16				खलबोरा	122
17				बिछीनारा	4
18				घरघोड़ा	खोटीमाल
19			रायकेरा		31
			योग	733	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

वर्ष 2014 से जनवरी 2026 तक विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी

क.	वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति हेतु संचालित योजना का नाम	योजना अंतर्गत प्रदत्त लाभ/सुविधाओं/ स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति			रिमांक
						पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2014-15	विशेष केन्द्रीय सहायता	बिरहोर परिवारों को स्प्रिंकलर सेट का प्रदाय बिरहोर परिवारों को सब्जीबीज मिनीकिट्स का प्रदाय बिरहोर परिवारों को खपरा निर्माण प्रशिक्षण	1.25000 0.20000 0.69000	1.25000 0.20000 0.69000	पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - -	- - -	- - -
1	2014-15	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	बिरहोर परिवारों को सब्जीबीज मिनीकिट्स का प्रदाय ग्राम कचकोबा के बिरहोर परिवारों को पेयजल हेतु ढोढी निर्माण ग्राम रूआंफूल,सकरलिया एवं जमरगा के बिरहोर परिवारों को पेयजल हेतु ढोढी निर्माण	योग 1.50000	2.14000 0.86000 0.50000	पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - -	- - -	- - -
2			ग्राम झगरपुर के बिरहोर परिवारों को पेयजल हेतु ढोढी निर्माण	0.50000	0.50000	पूर्ण	-	-	-
3			ग्राम रायकेरा के बिरहोर परिवारों को पेयजल हेतु ढोढी निर्माण	0.50000	0.50000	पूर्ण	-	-	-
4			आकस्मिक निधि	0.63000	0.63000	पूर्ण	-	-	-
5			योग	4.49000	4.49000	पूर्ण	-	-	-
6			कुलयोग	6.63000	6.63000	पूर्ण	-	-	-
1	20215-16	विशेष केन्द्रीय सहायता	बिरहोर परिवारों को सब्जीबीज मिनीकिट्स का प्रदाय बिरहोर परिवारों को हाईब्रिड मुन्गा का प्रदाय बिरहोर परिवारों के पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु अजोला विकास कार्यक्रम बिरहोर ग्राम रूआंफूल के बिरहोर कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप खनन सहित सबमर्सिबल पंप की स्थापना	0.10000 0.00080 0.05000 1.50000	0.10000 0.00080 0.05000 1.50000	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - -	- - - -	- - - -
2			योग	1.65080	1.65080	पूर्ण	-	-	-
3	20215-16	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	बिरहोर परिवारों को आलू बीज प्रदाय बिरहोर परिवारों को सब्जीबीज मिनीकिट्स का प्रदाय बिरहोर परिवारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ग्राम बलपेदा के बिरहोर कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु तालाब का निर्माण गभीर रूप से बीमारग्रस्त बिरहोर परिवार के उपचार हेतु सहायता	3.00000 2.11000 0.70000 4.00000 0.93000	3.00000 2.11000 0.70000 4.00000 0.93000	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - - -	- - - - -	- - - - -
4			योग	10.74000	10.74000	पूर्ण	-	-	-
5			कुलयोग	12.39080	12.39080	पूर्ण	-	-	-


अनुभाग अधिकारी
आर्थिक पाठि विकास विभाग
यंत्रालय, महानदी भवन, नया बस्तीपुर

क.	वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति हेतु संचालित योजना का नाम	योजना अंतर्गत प्रदत्त लाभ/सुविधाओं/स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यो की अद्यतन स्थिति			रिमार्क	
						पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	2016-17	केंद्रीय क्षेत्रीय योजना	डेलरिशॉप प्रशिक्षण एवं मशीन प्रदाय सिकलसेल प्रशिक्षण छात्रावास/आश्रमों में बिहार आश्रम में बाथरूम/टॉयलेट निर्माण कौशल विकास सोलर मैकेनिक हेतु ऑरगेनिक उत्पादन हेतु सहायता सिंक्रलर सेट का वितरण सब्जी बीज मिनी किट का वितरण मुनगा पौधों का वितरण बिहार परिवार के लिए बैकयार्ड कुक्कुट प्रदाय	1.00000 0.28490 5.00000 0.35000 0.04500 0.20000 1.10000 0.02000 2.00000 9.99990	1.00000 0.28490 5.00000 0.35000 0.04500 0.20000 1.10000 0.02000 2.00000 9.99990	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	
1	2017-18	केंद्रीय क्षेत्रीय योजना	आदिवासी संस्कृति एवं कला का विकास हेतु सहायता जीवनज्योति बीमा योजना कोदो, कुटकी एवं ऑयलसीड प्रदाय राज मिस्ट्री प्रशिक्षण कम्प्यूटर कय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन बिहार छात्रों हेतु विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी कोचिंग	1.00000 0.31000 2.32000 2.10000 1.94000 1.24800 8.91800	1.00000 0.31000 2.32000 2.10000 1.94000 1.24800 8.91800	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - शेष राशि 1.442 लाख शासन को समर्पित - - -	
1	2018-19	केंद्रीय क्षेत्रीय योजना	हैण्डपंप स्थापना सौर सुजला योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लाख प्रशिक्षण सोलर पावर प्रशिक्षण आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना प्राकृतिक जल स्रोत का रख रखाव बाड़ी विकास कार्यक्रम दर्यबेल एवं सोलर पंप सहित आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम त्योहार एवं नृत्य हेतु सहायता	1.00000 3.30000 0.10000 0.25000 0.60000 0.20000 1.10000 1.00000 7.55000	1.00000 3.30000 0.10000 0.25000 0.60000 0.20000 1.10000 1.00000 7.55000	पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	
कुल योग				7.55000	7.55000	पूर्ण	-	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
आदिप जाति विकास विभाग
भद्रालय, महानदी बकन, पद्म सङ्घ

कं.	वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति हेतु संचालित योजना का नाम	योजना अंतर्गत प्रदत्त लाभ/सुविधाओं/स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति			रिमांक
						पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			लाइब्रेरी स्थापना	0.60400	0.60400	पूर्ण	-	-	-
2	2019-20	विशेष केंद्रीय सहायता	लाख उत्पादन हेतु सहायता	0.16000	0.16000	पूर्ण	-	-	-
3			जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.12200	0.12200	पूर्ण	-	-	-
1			बिरहोर छात्रों को जूता, मोजा एवं स्वेटर प्रदाय	0.88600	0.88600	पूर्ण	-	-	-
2			स्वास्थ्य परीक्षण शिविर	0.03600	0.03600	पूर्ण	-	-	-
3			बिरहोर परिवार के कुपोषित माता एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदाय	0.75000	0.75000	पूर्ण	-	-	-
4	2019-20	केंद्रीय क्षेत्रीय योजना	बिरहोर परिवार को मच्छरदानी प्रदाय	0.10000	0.10000	पूर्ण	-	-	-
5			बांस शिल्प प्रशिक्षण	0.06000	0.06000	पूर्ण	-	-	-
6			आजीविका संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50000	0.50000	पूर्ण	-	-	-
7			आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु सहायता	0.61000	0.61000	पूर्ण	-	-	-
				1.00000	1.00000	पूर्ण	-	-	-
			योग	3.05600	3.05600				
1	2020-21	विशेष केंद्रीय सहायता	मच्छरदानी वितरण	3.94200	3.94200	पूर्ण	-	-	-
			कुलयोग	0.06600	0.06600				
			योग	0.23600	0.23600	पूर्ण	-	-	-
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	0.73200	0.73200	पूर्ण	-	-	-
2			आजीविका विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण	0.18600	0.18600	पूर्ण	-	-	-
3			बिरहोर छात्रों को जूता, मोजा एवं स्वेटर प्रदाय	0.25000	0.25000	पूर्ण	-	-	-
4			स्वास्थ्य परीक्षण	9.59000	9.59000	पूर्ण	-	-	-
5			गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय निर्माण	0.09000	0.09000	पूर्ण	-	-	-
6	2020-21	केंद्रीय क्षेत्रीय योजना	स्वाइल टेस्ट कार्यक्रम	0.06000	0.06000	पूर्ण	-	-	-
7			क्लस्टर आधारित खरीफ फसल हेतु साग-सब्जी हेतु नर्सरी	0.12000	0.12000	पूर्ण	-	-	-
8			बिरहोर बच्चों का टीकाकरण	0.09000	0.09000	पूर्ण	-	-	-
9			बिरहोर परिवार हेतु स्वास्थ्य सुविधा प्रदाय	0.36000	0.36000	पूर्ण	-	-	-
10			पोषण पुनर्वास केंद्र में पोषण आहार प्रदाय	1.00000	1.00000	पूर्ण	-	-	-
11			आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सहायता	1.00000	1.00000	पूर्ण	-	-	-
12			खेलकूद हेतु सहायता	13.71400	13.71400	पूर्ण	-	-	-
			योग	13.78000	13.78000				
			कुलयोग						


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 संसाधन, महात्माजी भवन, नवा रायपुर

क्र. वर्ष	विशेष रूप से कमजोर जनजाति हेतु संचालित योजना का नाम	योजना अंतर्गत प्रदत्त लाभ/सुविधाओं/ स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्यों की अद्यतन स्थिति			रिमाक
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1		4						
1		बिरहोर छात्रों को जूता, मोजा एवं स्वेटर प्रदाय	0.83000	0.83000	पूर्ण	-	-	-
2		बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.40000	0.40000	पूर्ण	-	-	-
3	2021-22	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	1.00000	1.00000	पूर्ण	-	-	-
4		पारंपरिक खेल प्रतियोगिता हेतु सहायता	0.25000	0.25000	पूर्ण	-	-	-
5		बांस प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.60000	0.60000	पूर्ण	-	-	-
		पाइप लाइन के माध्यम से जल आपूर्ति	3.08000	3.08000	पूर्ण	-	-	-
1	2022-23	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	5.00000	5.00000	पूर्ण	-	-	शासन को राशि समर्पित
		बिरहोर परिवार के लिए आवास निर्माण	5.00000	5.00000	पूर्ण	-	-	-
1	2023-24	-	0.00000	0.00000	-	-	-	-
		निरंक	0.00000	0.00000	-	-	-	-
1	2024-25	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम. जनमन)	346.00000	339.00000	161	11	1	-
2		पक्के घर का प्रावधान	1499.38000	1064.48000	5	7	0	-
6		संपर्क सड़क	120.00000	66.00000	2	0	0	-
7		बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण	4.69	3.94000	28	0	0	-
		अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण (ग्रिड द्वारा)	16.58000	0.00000	27	0	0	इकाई द्वारा देयक प्रस्तुत किया गया है। देयक की भुगतान प्रक्रियाधीन है।
		अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण (सोलर द्वारा)	1981.96000	1473.42000	223	18	1	-
1	2025-26	-	0.00000	0.00000	-	-	-	-
		निरंक	0.00000	0.00000	-	-	-	-
		कुलयोग	2053.25070	1538.26870	-	-	-	-
		महायोग						


अनुयाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 पंचालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - सततूर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 61 (क.2193) को जानकारी

प्रश्न

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 159 लोक कलाकारों को पेंशन/सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। जिनका जिलावार विवरण निम्नानुसार है:-

जिला का नाम :- दुर्ग

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
01.	श्री जगेश्वर, चांदनी चौक, पो.-सुरदुंग, जामुल, जिला-दुर्ग मो.नं. 83491-24127
02.	श्री पुरानिक लाल चेलक, केम्प-2,श्याम नगर,वार्ड 26, भिलाई नगर, मो.नं. 95890-06949
03.	श्री पुनलाल लहरे, बजरंग पारा,जामुल वार्ड क्र.06 जिला-दुर्ग मो नं:-93017-56368
04.	श्री धनीराम साहू, वार्ड क्र-44,कसारीडीह नगर निगम,जिला-दुर्ग मो.नं. 93024-49594
05.	श्री भुवन लाल गुप्ता, पंचशील नगर,वार्ड नं-01,जिला-दुर्ग मो.नं. 78795-01163
06.	श्रीमती उमा देवी दीक्षित, बलराम मिल्क डेयरी के पास,वार्ड-44 पो.कसारीडीह, कन्हैयापुरी चौक,जिला-दुर्ग, मो.नं.96859-24118
07.	श्री परदेशीराम बेलचंदन, गौड़पारा,चंडीमंदिर के पास,वार्ड नं-5, गौड़पारा, जिला-दुर्ग
08.	श्रीमती पद्मावती साहू, ई.डब्ल्यू.एस.127, पद्मनामपुर, जिला-दुर्ग मो.नं. 90989-30458
09.	श्री भीखम लाल धर्मकार, सिद्धार्थ नगर,काली मंदिर, जिला दुर्ग मो.नं. 88171-55603
10.	श्रीमती संतोष झांझी,डी-7,स्ट्रीट-12,आश्राप नगर,भिलाई जिला दुर्ग, मो.नं. 97703-36177
11.	श्री शिवकुमार दीपक, पोटिया कला वार्ड-54,पो-हनोदा,जिला-दुर्ग मो.नं.89660-00036
12.	श्री राजुलाल देशलहरे, ग्राम-कातुल बोर्ड, वार्ड-59, जिला-दुर्ग मो.नं. 70002-75346
13.	श्रीमती ईलादत्ता, 75/5 मैत्रानगर, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग मो.नं. 97553-84137
14.	श्रीमती चंद्रिका देवांगन, गया नगर, उरला रोड अन्नपूर्णा भवन, वार्ड-04, कोस्टा तालाब के पास, दुर्ग मो.नं. 96913-18336
15.	श्री जगदीश राय गुमानी, क्या-2/ए.सड़क-25.सेक्टर-05 भिलाई, जिला-दुर्ग
16.	श्रीमती जानकी वाई कुंरे, नं नं-286,डुमरडीह-पतौरा,उतई जिला दुर्ग मो.नं. 62631-07862
17.	श्री कौरतलाल दिल्लीवार, झा-फुण्डा, पो-बोरा, धमधा, जिला-दुर्ग मो.नं. 62686-81405
18.	श्री शिव कुमार उमरे, म.नं.-43, करेली, पो-नवागांव, जिला-दुर्ग मो.नं. 81204-24088
19.	श्री मोवधन यादव, प्राय रिंगनी, पो नारधा-धमधा, दुर्ग मो.नं. 83491-24127
20.	श्रीमती देवकी वाई सोनी, पति स्व श्री-कपिलेश्वर प्रसाद सोनी, विवेकानंद वार्ड नं 9,वेगापारा,जिला-दुर्ग मो.नं. 62658-81484
21.	श्रीमती जमुना वाई निषाद, ग्रा-रिंगनी, पो-नारधा, क्या-जामुल थाना-भिलाई-3, जिला-दुर्ग, मो.नं. 96910 93201
22.	श्री अमोल दास टंडन, ग्रा./पो.-औरी थाना-भिलाई-3,पादन,दुर्ग मो.नं. 93007-10752
23.	श्रीमती जयंती यादव, पोटिया रोड,कुन्दरापारा, नईबस्ती, जिला-दुर्ग मो.नं. 95898-79079
24.	श्री पुनऊ राम साहू, ग्राम-रिसाली,पो-सिद्धिक सेंटर भिलाई, दुर्ग मो.नं. 78791-40995
25.	श्रीमती कमला वाई जोशी, ग्राम-कातुलवाड,वार्ड 66 एस.ए.एफ.ईन, भिलाई, जिला-दुर्ग मो. नं-78791-40995
26.	श्रीमती शांति देवी, केम्प-1,शारव्रीनगर वार्ड-18 विहान किराना स्टोर्स, सुपेला, भिलाई, दुर्ग मो.नं. 74007-10682
27.	श्रीमती लखराजी वर्मा, म.नं.560, गुरुनानक नगर,पांच मजिल रोड,पो सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
28.	श्री नरेन्द्र कुमार बंछेर, ग्राम ग्राम कचान्दुर, पो. करंजा, भिलाई (जामुल), जिला दुर्ग
29.	डा. मोहन सिंह त्रिदेव, ग्राम व पो. कोडिया (डोंगरिया) थाना-नंदिनी नगर, तह. धमधा, जिला-दुर्ग, मो.नं.79745-97538
30.	श्री दुलार सिंह पटेल, ग्राम-पुरदा, पो.-नवागांव, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग, मो.नं.78802-36545
31.	श्रीमती समुंद बाई, लक्ष्मी पारा, जामुल, जिला दुर्ग मो.नं. 99779-80548
32.	श्री कृष्ण कुमार सेन (कशिश दुर्गवी) ब्राह्मण पारा, जिला दुर्ग मो.नं. 62320-87381
33.	श्री भिलापदास बंजारे, ग्राम-जरवाय, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग मो.नं. 88390-57550
34.	श्री गोवर्धन प्रसाद यादव, ग्राम करेली (पुरदा), पो. नवागांव, तहसील धमधा, जिला दुर्ग जिला दुर्ग, मो.नं. 93003-92274
35.	श्री सेवाराम साहू, आ. लखनलाल साहू, लक्ष्मीपारा, वार्ड क्र. 3, पोस्ट ए.सी.सी. जामुल, जिला दुर्ग
36.	श्री मोतीलाल देवांगन, निवासी शिवपुरी, वार्ड क्र. 16, पोस्ट ए.सी.सी., जामुल, जिला दुर्ग, मो.नं. 93027-02871,
37.	श्रीमती हीराबाई बंधे पति स्व.पंचराम बंधे, कातुलबोर्ड, वार्ड क्र. 59, जिला दुर्ग मो.नं. 62660-86413
38.	श्रीमती शान्ति देवी साहू पति स्व.संतराम साहू, पुराना बस स्टैण्ड, वार्ड क्र. 13, भिलाई, जिला दुर्ग मो.नं. 93039-74076
39.	श्री ओम प्रकाश निषाद, ग्राम-मोहलई, वार्ड नं. 2, थाना-पुलगांव, पोस्ट व जिला दुर्ग, मो.नं. 74709-32252
40.	श्रीमती भोगरा बाई, ग्राम-कातुलबोर्ड, वार्ड-59, तह. व जिला दुर्ग मो.नं. 70002-75346
41.	श्रीमती पद्मा जोशी, क्वा.नं.1, ई-34, से.-6, भिलाई, जिला-दुर्ग

जिला का नाम :- राजनांदगांव

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
42.	श्री पुनदास देशलहरे, ग्रा./पो.-डुमरडीह खुर्द, जिला -राजनांदगांव मो.नं. 97134-59964
43.	श्री दयालाल कुरें, ग्रा./पो.-डुमरडीह खुर्द जिला -राजनांदगांव मो.नं. 90980-68508
44.	श्री धनाराम सूर्यवंशी, ग्राम-फरहद,पो.-सोमनी, जिला -राजनांदगांव
45.	श्री बलदेव राम देवांगन,ग्रा.-कलडवरी, पो.-डुमरडिहखुर्द, जिला-राजनांदगांव मो.नं 83492-43742
46.	श्री.वी.एस चौहान, मोतीपुर,आजाद चौक, वार्ड नं-.08 राजनांदगांव मो.नं. 88171-74591
47.	श्री सुरेन्द्र कुमार चंद्राकर, मोतीपुर,वार्ड नं:-3 चौकी पारा राजनांदगांव मो.नं. 99078-78162
48.	श्री विक्रम यादव, खैरा, पो:-कन्हारपुरी, जिला -राजनांदगांव मो.नं. 99770-04486
49.	श्री अगनू राम विश्वकर्मा, गैदाटोला,वि.खं.- छुरिया, राजनांदगांव
50.	श्री संत मानिकदास लहरे, ग्रा./पो.- डुमरडीह खुर्द, राजनांदगांव मो.नं. 70893-09341
51.	श्री श्याम सुंदर साहू, पो./ग्रा.-टेडेसरा, जिला -राजनांदगांव मो.नं. 84357-90752
52.	श्री फगुवाराम यादव, ग्रा.भंवरमरा,पो.-सिंघोला, जिला-राजनांदगांव मो.नं.99816-43807

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
53.	श्रीमती फगनी बाई साहू महामाया चौक, बंसतपुर, राजनांदगांव
54.	श्री श्यामलाल गंधर्व सराकांपा,पो.-गंडई-छुईखदान, राजनांदगांव
55.	श्रीमती गीता बाई यादव (राऊत) मोहरा,वाड क्र-47, राजनांदगांव
56.	श्री मीन लाल मरकाम वाड-12, टिकरीपार,पो:-गंडई, राजनांदगांव
57.	श्रीमती फगनी बाई साहू भंडारपुर(करेला)खैरागढ़, राजनांदगांव
58.	श्री चतुर सिंह निर्मलकर, वाड नं-34,कन्हारपुरी,जिला -राजनांदगांव
59.	श्री बसंत सोनी, चंदननगर फुलवारी,मोतीपुर, वाड नं -03, जिला- राजनांदगांव, मो.नं. 99936-66937
60.	श्री जी.लारेंस फ्रांसिस, म.न.-55,वाड नं-18, बख्तावर चाल, तुलसीपुर, राजनांदगांव
61.	श्री कर्ताराम नुरेशिया, ग्राम-बागनारा,पो./तह-अंबागढ़चौकी, राजनांदगांव, मो.नं.-95845-18439
62.	श्री गौतम लाल वर्मा, निवासी हाउस नं. बाई क्र. 1, ग्राम सिंगपुर, पो.वखत रेंगाकटेरा, जिला राजनांदगांव मो.नं.62688-42979
63.	श्री भूषण नेताम, लखौली राजीव नगर, वाड क्र. 31, जिला राजनांदगांव, मो.नं. 91796-82250
64.	श्रीमती फूलबाई साहू पति स्व.बाबूलाल साहू, एच नं. 106, डुमरडीहखुर्द,पो.खौरझीटी,जिला राजनांदगांव मो.नं.83051-46710
65.	श्री आत्माराम कोशा 'अमात्य', अशोक राईस मिल रोड, लखौली नाका,वाड35, सेठीनगर,जिला राजनांदगांव मो.नं. 81036-60394
66.	श्रीमती गंगाबाई साहू पति स्व.मैदलाल साहू, वाड 33, कन्हारपुरी, मकान नं. 303, तिनसिया चौक, राजनांदगांव
67.	श्री बाबूलाल देवदास, निवासी गांधी चौक, मोतीपुर, वाड नं. 03, जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 97553-45904
68.	श्री किसन लाल कुर्रें, ग्राम डुमरडीहखुर्द, तह व जिला-राजनांदगांव मो.नं. 96444-85356
69.	श्री पतिराम, ग्राम व पो.-बूघाटोला, तह.-छुरिया, जिला- राजनांदगांव, मो.नं. 99772-16984
70.	श्री बरसन लाल नेताम, ग्राम-वेलटिकरी, पो.-सुरगी, तह. व जिला- राजनांदगांव, मो.नं. 89660-88503
71.	श्री छन्नु लाल साहू, ग्राम-कन्हारपुरी, वाड नं. 34, नचकार गली, शंकर भवन, जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 79873-29763
72.	श्री भरतलाल हरिन्द्र, मकान नं. 45, वाड 3, ग्राम व पोस्ट रामपुर, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांवमो.नं.84619-31452
73.	श्रीमती गयाबाई साहू पति स्व.जयराम साहू, ग्राम धीरी, पोस्ट सोमनी, एनएच-157, वाड 12, जिला राजनांदगांव, मो.नं. 77469-18443
74.	श्रीमती लक्ष्मी साहू, ग्राम व पो-टेडेसरा, थाना-सोमनी, तह. व जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 78989-91169
75.	श्रीमती चन्द्रकला रामटेके, ग्राम-रामपुर, पो.-जंगलपुर, तह.-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव मो.नं. 88279-42227
76.	श्री दूधनाथ साहू, ग्राम-कटंगी, पो.-गंडई, पंडरिया, जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 76970-54312



स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
77.	श्री कृष्ण कुमार यादव, वार्ड नं. 16, मिलवाल राम मंदिर के पीछे, बल्देववाग, जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 80855-16678
78.	श्रीमती राखी बाई मानिकपुरी, ग्राम-कोलिहापुरी, पो.-टप्पा, तह.-डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, मो. नं. 93006-81713
79.	श्रीमती श्याम बाई नाग, कन्हारपुरी, वार्ड क्र. 34, जिला राजनांदगांव, मो.नं. 97709-46872
80.	श्रीमती रमशीला बाई, ग्राम व पोस्ट-डुमरडीहखुर्द, तहसील व जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 98930-25426
81.	श्रीमती गोमती बाई जोशी, ग्राम-सांकरा, पोस्ट-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 62687-22598
82.	श्री कुमान दास डाहरे, निवास एच.नं.07, पो. डुमरडीह खुर्द, जिला-राजनांदगांव, मो.नं. 62646-86235
83.	श्रीमती मीना बाई बन्धे, ग्राम-भदेरा, नवागांव, तह. व जिला-राजनांदगांव मो.नं. 77250-56573

जिला का नाम :- बालोद

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
84.	श्री डोमार सिंह कंवर, ग्राम/पोस्ट लाटाबोड़, जिला :- बालोद
85.	श्री सुखनंदन प्रसाद सिन्हा, ग्राम-टटेंगा, वि.ख.-डौण्डीलोहारा, बालोद
86.	श्री भोलाराम साहू, ग्रा-भरदाकला, थाना-अर्जुन्दा-गुंडरदेही, बालोद मो.नं.80853-85399
87.	श्री मेहत्तर राम यादव, ग्रा./पो.-भरदाकला, तह-गुंडरदेही, बालोद मो.नं.97359-28309
88.	श्री लच्छूराम साहू, ग्राम-माहुद, पो-भरदाकला तह:- गुंडरदेही, बालोद मो.नं. 73796-56249
89.	श्री दरवारी राम सिन्हा, ग्राम-कौगनी, अर्जुन्दा, जिला-बालोद
90.	श्री रामाधार साहू, ग्राम कचान्दुर (गुण्डरदेही), जिला बालोद मो.नं. 99938-86237,
91.	श्री महादास जोशी पित स्व.धिरऊ राम जोशी, ग्राम रायपुरा, पोस्ट सम्बलपुर, विकासखण्ड डौण्डीलोहारा, जिला बालोद
92.	श्री पंचराम यादव पिता स्व.बुद्धराम यादव, ग्राम व पोस्ट सिरी, थाना रनचिरई, जिला बालोद
93.	श्री कार्तिक राम साहू, ग्राम व पो.-तवेरा, वि.खं. गुंडरदेही, जिला- बालोद, मो.नं. 62648-67902
94.	श्री कपिलदास मानिकपुरी, ग्राम-ओड़ारसकरी, तह. अर्जुन्दा, जिला- बालोद, मो.नं. 96445-28685
95.	श्री आजूराम साहू, ग्राम-चारचार, पो.-भरदाकला,, तह.-गुण्डरदेही, जिला-बालोद, मो.नं. 99775-22313
96.	श्री बलौराम यादव, ग्राम-तिलोदा, पो.ओं.-कानाकोट, थाना-रनचिरई, जिला-बालोद, मो.नं. 70490-01559

जिला का नाम :- रायपुर

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
97.	श्री ईतवारी घृतलहरे, ग्राम-तुलसी,पो.-बनरसी वि.ख.-आरंग,रायपुर मो.नं. 81200-41972
98.	श्री बिसाहू दास बांधे, ग्रा.-भरुवाडीह खुर्द, पो.-मोहरेंगा, खरोरा, जिला-रायपुर, मो.नं. 93013-42454
99.	श्री अमर सिंह लहरे, ग्राम/पो.टोंहड़ा, तिल्दा, जिला-रायपुर मो.नं.93408-24245
100.	श्रीमती तनवीर फातिमा, मोमिनपारा,हैदरी मस्जिद के पास, रायपुर मो.नं. 98934-94108
101.	श्रीमती गीताबाई साहू, ग्राम-गिरोला,पो-जामगांव अभनपुर, रायपुर
102.	श्री किशोर तारे,पिता स्व. पुंदलीक पंडहरीनाथ तारे, रालास इक्लेव, रोहिणीपुरम, जिला-रायपुर मो.नं. 9302904626, 99266-57581
103.	श्री रामेश्वर शर्मा, शिवमंदिर के पास, शिवनगर मार्ग, बड़ईपारा, रायपुर
104.	श्री सदाराम हरवंश, ग्रा. सिंगारभाटा, थाना अभनपुर, जिला रायपुर
105.	श्री दुर्योधन साहू पिता स्व.चतरू साहू, मोवा,नहरपारा,कांपा, रायपुर मो.नं. 62662-58351
106.	श्री गेंदलाल, ग्राम कटिया नं. 01, पोस्ट कटिया, वि.ख. तिल्दा, जिला रायपुर, मो.नं. 77728-47050
107.	श्रीमती रमादत्त जोशी, माँ बम्लेश्वरी चौक, डंगनिया, पो.ओं. सुंदर नगर, वार्ड नं. 40, जिला-रायपुर,
108.	सुश्री रेखा जोशी, माँ बम्लेश्वरी चौक, डंगनिया, म.नं.54/617, ईश्वरी चन्द्र, वार्ड नं. 40,पो.ओं. सुंदर नगर, जिला-रायपुर
109.	श्री पुसउराम बंजारे, ग्राम भरुवाडीहकला,पो. मोहरेंगा,थाना-खरोरा, तिल्दा, जिला-रायपुर, मो.नं. 96178-96341
110.	श्री संतोष गोंगली (राव) करियादामा वीरनारायण चौक, खरोरा, जिला-रायपुर,
111.	श्री नरेंद्र यादव,पाईप फैक्ट्री के सामने, राधा कृष्ण मंदिर के पास, न्यू शांति नगर, जिला-रायपुर
112.	श्री दशरू राम डहरिया, ग्राम-देवगांव, पो.-खौना, थाना-खरोरा, जिला-रायपुर, मो.नं.76971-26494
113.	श्री पन्नालाल जांगड़े, ग्राम-कुथरेल, पो.-मनोहरा, थाना-धरसीवा, जिला-रायपुर, मो.नं. 62602-05422
114.	श्री काशीराम गजेन्द्रे, ग्राम-मोहागांव, पो.-सिलयारी, थाना-धरसीवा, जिला-रायपुर, मो.नं. 90093-81903
115.	श्री लेखराम नाविक, ग्राम-बरतोली, पो.-पथरी,थाना-धरसीवा, तह.-खरोरा, जिला-रायपुर, मो.नं. 70494-79678
116.	श्रीमती रेखादेवी जलधत्री,, ग्राम व पो. मांढर, थाना-धरसीवा, जिला-रायपुर, मो.नं. 99775-33869
117.	श्री सुशील भोले वर्मा, 54/191, डॉ. बघेल गली, संजय नगर, जिला-रायपुर, मो.नं. 98269-92811

जिला का नाम :- धमतरी

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
118.	श्री शेखूराम निषाद, ग्रा-सैलदीप,पो.-मंदरौद थाना-कुरुद, जिला-धमतरी
119.	श्री वाबूलाल पटेल, नगर पंचायत-आमदी,जिला-धमतरी
120.	श्रीमती अमरीका वाई सोनी, बनियापारा, दुर्गा चौक जिला-धमतरी मो.नं. 93296-11035
121.	श्री सैनकुमार मण्डावी, ग्राम भानपुरी, पोस्ट देमार, थाना अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी
122.	श्री पुनीत गुरवंश, श्री गोपी आशिष काॅम्प्लैक्स, शंकरपारा सिरसिदा, पोस्ट खम्हरिया, तहसील नगरी, जिला धमतरी मो.नं. 92583-69524
123.	श्री केश राम ध्रुव, ग्राम-मोहरेंगा, तह.-मगरलोड, जिला-धमतरी मो.नं.



स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
124.	श्री लखन लाल यादव, ग्राम-घौराभाटा, वि.ख.-मगरलोड, जिला-धमतरी
125.	श्री कपिल राम साहू, ग्राम-बलियारा, जनपद पंचायत-धमतरी, जिला-धमतरी, मो.नं. 91653-06450
126.	श्री चैनुराम सेन, ग्राम-परेवाडीह, जनपद पंचा. एवं जिला-धमतरी
127.	श्री दाऊलाल साहू, नगर पंचा.-आमदी, तह. व जिला-धमतरी

जिला का नाम :- बिलासपुर

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
128.	श्री काशीराम साहू, वार्ड-02 गांधीनगर, पो-रतनपुर, जिला-बिलासपुर
129.	श्री उमाकान्त खरे, बरछापारा, सीपत रोड, विनायक सिमेंट के सामने, मिश्रा गली, सरकंडा, जिला-बिलासपुर मो.नं.8713-20244
130.	श्री मनहरण लाल गंधर्व, ग्राम-अमने, तहसील-कोटा, जिला- बिलासपुर, मो.नं. 84618-61063
131.	श्री घासीराम रात्रे, ग्राम-किरारी गोढ़ी, पो. बितकुला, तह.-बिल्हा, जिला-बिलासपुर, मो.नं. 95224-31450

जिला का नाम :- जांजगीर-चांपा

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
132.	श्रीमती कालिका बाई सिंचाई रेस्ट हाऊस के पीछे नहर पुल के पास, जिला-जांजगीर-चांपा, मो.नं. 95894-27399
133.	श्री मनमोहन कश्यप, कुर्मी आ.श्री फिरतुराम कुर्मी, मु.पो-पौना, थाना/तह. अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा
134.	श्री रामप्रसाद कर्ष, ग्राम.-पचेड़ा, पो.-धुरकोट, तह.जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा, मो.नं. 81208-16538

जिला का नाम :- रायगढ़

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
135.	श्री निमाई चरण पण्डा, कयाधर, वार्ड नं.-29 जिला-रायगढ़ मो.नं. 97557-62713
136.	श्रीमती उषा सतपथी पति स्व.विजयशंकर सतपथी, रामनवापारा, ग्राम बड़े हल्दी, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़

जिला का नाम :- कबीरधाम

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
137.	श्री खम्हन दास गंधर्व, ग्राम-सोहागपुर तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम मो.नं. 77728-65805
138.	श्रीमती कुमारी बाई चौबे पति स्व.संजीवन प्रसाद चौबे, ग्राम बवई, पोस्ट रक्ते, वि.ख. सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम
139.	श्री हीरालाल साहू, ग्राम-पवनतरा, पो.-सुरूजपुरा(जंगल), जिला कबीरधाम, मो.नं. 97539-65429, 88176-82804

जिला का नाम :- बेमेतरा

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
140.	श्री संतोष कुमार चौबे, पो-मारो, तह-नवागढ, जिला-बेमेतरा मो.नं. 62618-33146, 90090-87190
141.	श्री फिरतू राम साहू, ग्राम.-चमारी, पो.-खण्डसरा, तहसील व जिला-बेमेतरा, मो.नं. 91318-13952
142.	श्रीमती शांति बाई चेलक, ग्राम-पिरदा, पो. भिंभौरी, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा, मो.नं. 98936-39270
143.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम-तेन्दुवा नयापारा, पो. देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा, मो.नं. 83194-85574

जिला का नाम :- कांकेर

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
144.	श्री महेश मिश्रा, गितपहर, तह-चारामा, जिला-कांकेर

जिला का नाम :- नारायणपुर

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
145.	श्रीमती सुशीला शुक्ला, ग्राम-तहसीलपारा, जिला - नारायणपुर

जिला का नाम :- बलौदाबाजार

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
146.	श्री कन्हैयालाल वंदे, वार्ड नं.-14, ग्रा./पो.लवन, तह-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार मो.नं. 89590-63380
147.	श्री हेमदास कुरै, ग्राम-बुड़गहन, पो.-भटभेरा, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार, मो.नं. 97540-37309

जिला का नाम :- जशपुर


स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
148.	श्री हरिनाथदास मानिकपुरी, ग्राम/पोस्ट-लोदाम तह./जिला-जशपुर, मो.नं. 62635-63485, 78285-57055

जिला का नाम :- बस्तर

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
149.	श्री बाबूलाल बघेल, ग्राम पोदानार, पो. करंजी, वि.ख. तोकापाल, जिला-बस्तर

जिला का नाम :- गरियाबंद

स.क्र.	पेंशनग्राही कलाकार/साहित्यकार का नाम, पूर्ण पता
150.	श्री श्यामलाल ध्रुव पिता श्री समारू राम ध्रुव, ग्राम खट्टी, विकासखण्ड छुरा, जिला-गरियाबंद, मो. नं.72408-92861
151.	श्रीमती रमौती बाई मानिकपुरी पति स्व.फकीर दास मानिकपुरी, ग्राम फुलझर घटारानी, विकासखण्ड छुरा, जिला गरियाबंद मो.नं. 82259-22731
152.	श्री दौलतराम यादव पिता श्री अघनूराम यादव, ग्राम तौरंगा पांडुका, विकासखण्ड छुरा, जिला गरियाबंद, मो.नं.97546-59846
153.	श्री धनजी साहू पिता श्री पहारू राम साहू, ग्राम फुलझर, पोस्ट बेलर वोड़की, वि.खं.-छुरा, जिला-गरियाबंद, मो.नं.78983-59925
154.	श्री बुधारू राम यादव पिता श्री नेमूराम यादव, ग्राम खट्टी, विकासखण्ड छुरा, जिला गरियाबंद, मो. नं.90987-63926
155.	श्री ठाकुर राम साहू, ग्राम.-कुरुद, पो.-अतरमरा, तह.-छुरा, जिला-गरियाबंद, मो.नं. 91316-95809
156.	श्री भागवत राम सेन, ग्राम.-धुरसा, पो.-लोहरसी, वि.खं-फिंगेश्वर, थाना-पाण्डुका, जिला-गरियाबंद, मो.नं. 87208-67415
157.	श्री गोपाल राम साहू, ग्राम.-फुलझर, पो.-लोहरसी, तह.-छुरा, जिला-गरियाबंद, मो.नं. 78698-21397
158.	श्रीमती शिवकुमारी शर्मा, स्व. श्री राकेश शर्मा, वार्ड नं. 17, पशु औषधालय के पास, आमदी रोड, जिला-गरियाबंद, मो.नं. 98266-27253
159.	श्री चैतुराम तारक, ग्राम.-छुईहा, पो.-तरीघाट, वि.खं.-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद, मो.नं. 62688-34186




 अनुभाग अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - अठहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 65 (क. 2202) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	पीएम-जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत मतिथि का नाम	योजना अंतर्गत योजना के रूप में प्राप्त राशि	योजना अंतर्गत राशियों की राशि	योग राशि (केन्द्रांश+राज्यांश)	जिला का नाम	जारी राशि		व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने का कारण/सिमांक
								केन्द्रांश राशि	राज्यांश राशि			
1	2024-25	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	आवास निर्माण कार्य	15466.750	10311.170	25777.920	समस्त	0.000	0.000	25777.920	0.000	14
1			योग	15466.750	10311.170	25777.920		0.000	0.000	25777.920	0.000	
2	2024-25	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सड़क निर्माण कार्य	39248.346	26165.564	65413.910	इलरामपुर	0.000	0.000	25777.920	0.000	
2			योग	39248.346	26165.564	65413.910		0.000	0.000	25777.920	0.000	
3							विलासपुर	2854.540	1903.030	4757.570	4757.570	-
3							भमतरा	1245.670	830.440	2076.110	2076.110	-
4							गणियाबद	334.150	222.770	556.920	556.920	-
4							गणियाबद	486.300	324.200	810.500	810.500	-
5							जीपीएम	236.200	157.470	393.670	393.670	-
6							अमपुर	3876.280	2584.190	6460.470	6460.470	-
7							कबीरगंज	1823.340	1215.560	3038.900	3038.900	-
7							कोरवा	311.060	207.370	518.430	518.430	-
8							एनसीवी	1192.980	795.320	1988.300	1988.300	-
9							महासमुद्र	277.920	185.280	463.200	463.200	-
10							मुंगेरी	64.380	42.920	107.300	107.300	-
11							नारायणपुर	1227.630	818.420	2046.050	2046.050	-
13							शरणाद	275.900	183.940	459.840	459.840	-
14							कैसीजी	386.150	257.430	643.580	643.580	-
15							सरयुजा	3121.660	2081.070	5202.730	5202.730	-
16							कांकर	0.000	0.000	0.000	0.000	-
			योग	39248.346	26165.564	65413.910		17714.100	11809.410	29523.510	29523.510	0.000


अनुराग सिंह
 अधिकारी, जिला विकास विभाग
 पंचायत, महामंडी पंच, पंच सन्तु

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	वीएन-जनन योजना अंतर्गत स्वीकृत गतिविधि का नाम	योजना अंतर्गत केन्द्रों में प्राप्त राशि	योजना अंतर्गत सत्यापन की राशि	योग राशि (केन्द्रों+सत्यापन)	जिला का नाम	जारी राशि			व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने का कारण/रिपोर्ट	
								केन्द्रों राशि	सत्यापन राशि	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2024-25	स्वास्थ्य सेवाएं	दया लागत सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट	1158.700	772.460	1931.160	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	
1	2024-25	स्कूल शिक्षा	छात्रावास भवन निर्माण	1158.700	772.460	1931.160	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	
2				1323.276	882.184	2205.460	हरियाणा	99.743	66.495	166.238	166.238	0.000	-	
3							उधरपुर	34.577	23.051	57.628	57.628	0.000	-	
4							कबीरवाहन	65.166	43.444	108.610	108.610	0.000	-	
5							नारायणपुर	130.332	86.888	217.220	217.220	0.000	-	
							केसीजी	199.486	132.990	332.476	332.476	0.000	-	
1	2024-25	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	गार्डिंग से जलापूर्ति एवं सामुदायिक जलापूर्ति	1323.276	882.184	2205.460	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	
1	2024-25	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	124800.000	0.000	124800.000	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64.972	
2							नारायणपुर	35.070	0.000	35.070	35.070	0.000	64.972	एकमात्र प्राक्कलन के आधार पर प्रति आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रु.108000/- स्वीकृत किये जाने के कारण उक्त राशि शेष रही।
3							धमलरी	93.520	0.000	93.520	93.520	0.000	0.000	
4							जीपीएम	198.730	0.000	198.730	198.730	0.000	0.000	
5							कबीरवाहन	11.690	0.000	11.690	11.690	0.000	0.000	
6							कोरवा	350.700	0.000	350.700	350.700	0.000	0.000	
7							कोरवा	46.760	0.000	46.760	46.760	0.000	0.000	
8							महासमुंद	11.690	0.000	11.690	11.690	0.000	0.000	
9							नारायणपुर	210.420	0.000	210.420	210.420	0.000	0.000	
10							सयगाढ़	35.070	0.000	35.070	35.070	0.000	0.000	
11							केसीजी	70.140	0.000	70.140	70.140	0.000	0.000	
							सयगाढ़	151.970	0.000	151.970	151.970	0.000	0.000	
1	2024-25	आदिम जाति विकास	बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण	124800.000	0.000	124800.000	-	0.000	0.000	0.000	1183.028	64.972	वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से आवंटन अभाव।	
1	2024-25	लघु कृषि विकास (वन विभाग)	वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	वित्तीय वर्ष में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।	
								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		

क.	वर्ष	विभाग का नाम	धीरम-जनन योजना अंतर्गत स्वीकृत भविष्य का नाम	योजना अंतर्गत केन्द्रों में प्राप्त राशि	योजना अंतर्गत राशियों की राशि	योग राशि (केन्द्रों+राशियां)	जिला का नाम	जारी राशि			व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने का कारण/रिपोर्ट
								केन्द्रों राशि	राशियां राशि	योग			
1	2024-25	छ.ग. राज्य विद्युत मंडल (ऊर्जा विभाग)	अधिवृत्तिकृत पी.डी.जी. घरों का परम्परागत ऋण को माध्यम से विद्युतीकरण	384,000	376,000	760,000	बलियाँ	0.480	0.470	0.950	0.950	0.000	14
2							बलियाँ	49,630	48,600	98,230	98,230	0.000	-
3							बलियाँ	2,570	2,510	5,080	5,080	0.000	-
4							बलियाँ	10,460	10,240	20,700	20,700	0.000	-
5							बलियाँ	55,630	54,470	110,100	110,100	0.000	-
6							बलियाँ	6,140	6,010	12,150	12,150	0.000	-
7							बलियाँ	95,510	93,520	189,030	189,030	0.000	-
8							बलियाँ	29,410	28,800	58,210	58,210	0.000	-
9							बलियाँ	0,270	0,270	0,540	0,540	0.000	-
10							बलियाँ	10,330	10,110	20,440	20,440	0.000	-
11							बलियाँ	17,780	17,410	35,190	35,190	0.000	-
12							बलियाँ	8,320	8,150	16,470	16,470	0.000	-
13							बलियाँ	1,430	1,400	2,830	2,830	0.000	-
14							बलियाँ	18,480	18,090	36,570	36,570	0.000	-
15							बलियाँ	1,220	1,190	2,410	2,410	0.000	-
16							बलियाँ	14,020	13,730	27,750	27,750	0.000	-
17							बलियाँ	61,940	60,650	122,590	122,590	0.000	-
18							बलियाँ	0,380	0,370	0,750	0,750	0.000	-
								384,000	375,990	759,990	759,990	0.000	-
1	2024-25	केडा (ऊर्जा विभाग)	ऑफ गिड सौर उर्जा का प्रावधान तथा सड़को एवं बहुउद्देशीय कोला हेतु सौर प्रकल्प व्यवस्था	521,500	1,69,990	691,490	गुरियांवद	31,850	10,380	42,230	24,600	17,640	-
2							गुरियांवद	10,500	3,420	13,920	0.000	13,920	-
3							गुरियांवद	47,600	15,520	63,120	19,960	43,160	-
4							गुरियांवद	121,450	39,500	161,040	96,530	64,510	-
5							गुरियांवद	11,900	3,880	15,780	14,300	1,390	-
6							गुरियांवद	41,300	13,460	54,760	23,200	31,560	-
7							गुरियांवद	57,400	18,710	76,110	39,910	36,200	-
8							गुरियांवद	11,900	3,880	15,780	8,820	6,960	-
9							गुरियांवद	135,450	44,130	179,600	41,770	137,830	-
10							गुरियांवद	6,300	2,050	8,350	8,350	0.000	-
11							गुरियांवद	0,350	0,110	0,460	0,460	0.000	-
12							गुरियांवद	18,900	6,160	25,060	25,060	0.000	-
13							गुरियांवद	2,800	0,910	3,710	3,710	0.000	-
14							गुरियांवद	6,650	2,170	8,820	8,820	0.000	-
15							गुरियांवद	9,450	3,080	12,530	12,530	0.000	-
16							गुरियांवद	7,700	2,510	10,210	10,210	0.000	-
								521,500	1,69,990	691,490	338,320	353,170	-

स्वीकृति के विरुद्ध संयंत्र स्थापना कार्य शेष होने के कारण जारी राशि का पूर्ण व्यय नहीं हुआ है।

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	पीएम-जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत गतिविधि का नाम	योजना अंतर्गत केन्द्रों में प्राप्त राशि	योजना अंतर्गत सञ्चालन की राशि	योग राशि (केन्द्रों+ सञ्चालन)	जिला का नाम	जारी राशि			व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने का कारण/सिमांक
								केन्द्रों राशि	सञ्चालन राशि	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2024-25	दूरसंचार	नौबईल टावर की स्थापना	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1. पीएम जनमन परियोजना के अंतर्गत जनकारी निरक है, तथापि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56 पीसीडीजी गांवों में डीडीएन द्वारा वित्त पोषित 4 G Saturation Project के तहत टावर स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। 2. उपरोक्त व्यय 4 G Saturation Project के अंतर्गत होगा, पीएम जनमन परियोजना के अंतर्गत कोई अलग बजट का प्रावधान नहीं है।
1	2024-25	उ.प्र.राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	योग व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000		0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	
			योग	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			कुल योग	182,902,572	38,677,568	221,579,940		20364.663	1,708.249	33072.912	58464.940	418.142	


सुप्रसन्न

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्डियाली भवन नया रायपुर अटल नगर


आदिम जाति विकास
इन्डियाली भवन, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	उद्योग का नाम	दीर्घ-अल्प अवधि के अंतर्गत संचालित संचालित का नाम	मौल्य अवधि के अंतर्गत का नाम संचालित	मौल्य अवधि के अंतर्गत संचालित की	मौल्य (अ-वर्ष-संचालित)	विकास का नाम	केंद्र-वर्ष संचालित	वर्ष संचालित	वर्ष संचालित	वर्ष संचालित	वर्ष संचालित
1	2025-26	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	ग्राम	28159.396	18772.930	46932.330	बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	14	
2							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	13	
3							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	12	
4							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	11	
5							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	10	
6							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	9	
7							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	8	
8							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	7	
9							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	6	
10							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	5	
11							बिहारपुर	28159.396	18772.930	46932.330	4	
1	2025-26	स्वास्थ्य सेवाएं	ग्राम	1158.700	772.660	1931.160	बिहारपुर	1158.700	772.660	1931.160	14	
2							बिहारपुर	1158.700	772.660	1931.160	13	
3							बिहारपुर	1158.700	772.660	1931.160	12	
4							बिहारपुर	1158.700	772.660	1931.160	11	
5							बिहारपुर	1158.700	772.660	1931.160	10	
1	2025-26	शैक्षणिक विकास	ग्राम	1060.344	706.896	1767.240	बिहारपुर	1060.344	706.896	1767.240	14	
2							बिहारपुर	1060.344	706.896	1767.240	13	
3							बिहारपुर	1060.344	706.896	1767.240	12	
4							बिहारपुर	1060.344	706.896	1767.240	11	
5							बिहारपुर	1060.344	706.896	1767.240	10	
1	2025-26	शैक्षणिक विकास	ग्राम	1400.000	0.000	1400.000	बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	14	
2							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	13	
3							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	12	
4							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	11	
5							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	10	
6							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	9	
7							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	8	
8							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	7	
9							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	6	
10							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	5	
11							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	4	
12							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	3	
13							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	2	
14							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	1	
15							बिहारपुर	1400.000	0.000	1400.000	0	

भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.02.2026 द्वारा प्रेषित एवं 2025-26 में प्रेषित विकास के नाम में गुरु संशोधन की राशि के 700.00 लाख रुपये को SNA Sparsh module के अंतर्गत प्रेषित है। इस पत्र के अंतर्गत प्रेषित एवं की कार्यवाही प्रक्रियाओं हैं।

केंद्र से संपर्क किया है।

पॉरीशेष्ट - उन्यासी

अतारांकेत प्रभ्र संख्या 69 (क. 2210) की जानकारों

प्रपत्र-

(राशु रू. करोड में)

भाग (Part)	SASCI योजनांतर्गत क्षेत्र/सुधार	प्राप्त राशु (दुनांक 31.01.2026 की स्थुतुतु में)
I	अतररक्त-I (Additional I)- भारत सरकार दुरा आबंटन के में वृद्धुतु तथा प्रथम कुरुत की राशु शीघ्र प्राप्त/उपयुग करने के कारण	361
	अतररक्त-II (Additional II)- Part-I की दुनों कुरुतुओं की वुतुतुतु तथा SPARSH/DBT के सफल कुरुतुतुतुतुतु के कारण देय प्रुतुसाहन राशु	1,118
	अतररक्त-III (प्रकृतुक आपदा घटक) (Additional III (Natural Disaster Component))	1,118
II	वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु योजना के सुवीकृत कारुतुओं की प्रथम कुरुतु के उपयुग उपरंत सुवीकृत शेष राशु (Release of Balance Approved Amounts under continued parts of the Scheme for 2023-24 and 2024-25)	26
IV	पूंजीगत वुतु हेतु नुधरररत लकुषु की प्ररसु पर प्रुतुसाहन - वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 10 प्रतुशत से अदुक पूंजीगत वुतु होने के कारण (Incentive for Achieving Target Fixed for Capital Expenditure)	1,358
VII-B	कुरुषु क्षेत्र में डुजुतुल सारुवजनुक अधुसंरचना हेतु प्रुतुसाहन — फरुतुसं रजुसुतुी (Incentive Digital Public Infrastructure for Agriculture — Farmers' Registry)	125
VIII	राजु शरसन दुरा शहरी क्षेत्रुओं में भूमु संबंघुी सुधररुओं हेतु प्रुतुसाहन (Incentive for land related reforms by State Government in Urban Areas)	40



अवर सचुव
छतुीसगदु शरसन
वुतुतु वुतुभाग

पारिशेष्य - अस्सी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 70 (क्र. 2214) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राज्य में मछलीपालन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी

(अ) राज्य पोषित योजनाएं

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई	इकाई लागत	शासकीय अनुदान सहायता	कृषक अंशदान
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षण-प्रशिक्षण				
1.1	10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण	सं.	1250/-	1250/-	निरंक
1.2	03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन	सं.	1000/-	1000/-	निरंक
1.3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	सं.	2500/-	2500/-	निरंक
2	मत्स्य पालन प्रसार				
2.1	मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय	सं.	राशि रूपये 10000/-	10000/-	निरंक
2.2	मत्स्य बीज संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता	सं.	राशि रूपये 40000/-	30000/-	10000/-
2.3	फिंगरलिंग संवयन	सं.	राशि रूपये 4000/-	2000/-	2000/-
2.4	फुटकर मछली विक्रय योजना	सं.	राशि रूपये 6000/-	6000/-	निरंक
2.5	झींगा पॉली कल्चर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	सं.	राशि रूपये 15000/-	15000/-	निरंक
2.6	मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता	सं.	राशि रूपये 45/- प्रति किलोग्राम	45/- प्रति किलोग्राम	निरंक
2.7	प्लैक्टॉन ग्रीवर	सं.	राशि रूपये 7500/- प्रति हेक्टयर	7500/-	निरंक
2.8	झींगा सह पालन (पॉली कल्चर) नवीन योजना (केवल बस्तर संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए)	सं.	राशि रूपये 467000/-	280000/-	187000/-
3	मछुआ सहकारी समितियों को ससाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय)	सं.	राशि रूपये 3.00 लाख 03 वर्षों में	03 वर्षों में (121500/-, 90000/-, 75000/-)	13500/-

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई	इकाई लागत (लाख में)	शासकीय अनुदान सहायता		कृषक अंशदान	
				सामान्य वर्ग (40%)	अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (60%)	सामान्य वर्ग (60%)	अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना						
1.1	मीठे जल के नए फिनफिश हेचरीज की स्थापना	सं.	25.00	10.00	15.00	15.00	10.00
1.2	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण	हे.	7.00	2.80	4.20	4.20	2.80
1.3	नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण)	हे.	7.00	2.80	4.20	4.20	2.80
1.4	मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (Inputs) जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल है।	हे.	4.00	1.60	2.40	2.40	1.60
1.5	बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (ताजा जल)	सं.	3.00	1.20	1.80	1.80	1.20
1.6	मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (मीठे जल की मछली)	सं.	8.00	3.20	4.80	4.80	3.20
1.7	एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन)	सं.	25.00	10.00	15.00	15.00	10.00
1.8	मध्यम आर.एस.एस. की स्थापना (10 टन/फसल की मछली उत्पादन के साथ न्यूनतम 30 मीटर क्यूव/टैंक क्षमता के 6 टैंकों के साथ)/ बायोफ्लोक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.00 ऊँचाई के 25 टैंक)।	सं.	25.00	10.00	15.00	15.00	10.00
1.9	छोटे आर.एस.एस. की स्थापना (100 मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/ बायोफ्लोक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5)।	सं.	7.50	3.00	4.50	4.50	3.00
1.10	जलाशयों में पिंजरो की स्थापना (केज कल्चर)	सं.	3.00	1.20	1.80	1.80	1.20
1.11	मीठे जल में बायोफ्लोक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	सं.	14.00	5.60	8.40	8.40	5.60
1.12	न्यूनतम 10 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट)	सं.	40.00	16.00	24.00	24.00	16.00
1.13	न्यूनतम 20 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट)	सं.	80.00	32.00	48.00	48.00	32.00

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई	इकाई लागत (लाख में)	शासकीय अनुदान सहायता		कृषक अशदान	
				सामान्य वर्ग (40%)	अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (60%)	सामान्य वर्ग (60%)	अ.जा./अ.ज.जा./ महिला वर्ग (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	न्यूनतम 50 टन क्षमता का संयंत्र/भंडारण (कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट)	सं.	150.00	60.00	90.00	90.00	60.00
1.15	प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicles)	सं.	25.00	10.00	15.00	15.00	10.00
1.16	मोटर सायकल सह आईस बॉक्स	सं.	0.75	0.30	0.45	0.45	0.30
1.17	मछली वैडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आईस बॉक्स के साथ तीन व्हीलर	सं.	3.00	1.20	1.80	1.80	1.20
1.18	सजीव मछली वैडिग केंद्र (Live Fish Center)	सं.	20.00	8.00	12.00	12.00	8.00
1.19	8 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का मीडियम मिल्स (Fish Feed Plant)	सं.	100.00	40.00	60.00	60.00	40.00
1.20	20 टन/दिन की उत्पादन क्षमता का बड़ा मिल्स (Fish Feed Plant)	सं.	200.00	80.00	120.00	120.00	80.00
1.21	पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना। बड़े आर.एस.एस. की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूबेटिक क्षमता और मछली उत्पादन 40 टन/फसल के 8 टैकों के साथ)/बायोप्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.50 ऊँचाई के 50 टैक)।	सं.	1.170	0.468	0.702	0.702	0.468
1.22	(शासकीय अनुदान सहायता सामान्य वर्ग को 20% तथा अ.जा./अ.ज.जा./महिला वर्ग को 25%) मछली पकड़ने के प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता	सं.	50.00	10.00	12.50	40.00	37.50
1.23	(शासकीय अनुदान सहायता समस्त वर्ग के लिए राशि रू. 3000/-)	सं.	0.045		0.030		0.015
1.24	दुर्घटना बीमा						

कृषकों के दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा स्थायी विकलांग होने पर राशि रू. 5.00 लाख एवं अस्थायी अपंगता पर राशि रू. 2.50 लाख तथा अस्पताल में भर्ती होने पर राशि रू. 25000/- की सहायता दी जाती है।

सं.क्र.	योजना का नाम	इकाई	इकाई लागत (रु. लाख में)	शासकीय अनुदान सहायता (90 प्रतिशत)	कृषक अंशदान (10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
2	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान				
2.1	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के समस्त घटक	सं.	घटकवार	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 मछली पालन विभाग


 संचालक मछलीपालन
 छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब
भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन विभाग की संचालित योजनाओं में वर्ष 2024-25 से 31.01.2026 तक
लाभाञ्चित हितग्राहियों एवं प्रदाय अनुदान की विकासखण्डवार जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	हितग्राही संख्या		कुल प्रदाय अनुदान (राशि लाख में)	
			वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)
1	2	3	5	6	8	9
1		10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण	45	22	0.563	0.275
2		03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन	54	42	0.540	0.420
3		राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	2	2	0.050	0.050
4		फुटकर मछली विक्रय योजना	19	7	1.140	0.420
5		मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय	16	5	1.600	0.500
6		मत्स्य बीज स्थान संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता	2	3	0.600	0.900
7	सिमगा	मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय)	2	2	1.650	1.965
8		फिगरलिंग क्रय कर संचयन	75	62	1.500	1.240
9		सजीव मछली वीडिंग केन्द्र	1	0	4.000	0.000
10		बचत सह राहत	0	48	0.000	1.440
11		मीठे जल में बायोप्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	3	3	44.800	50.400
		योग (अ)	219	196	56.443	57.610
12	भाटापारा	10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण	48	48	0.600	0.600
13		03 दिवसीय तकनीकी उन्नयन	85	85	0.850	0.850

स.क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	हितग्राही संख्या		कुल प्रदाय अनुदान (राशि लाख में)	
			वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)
1	2	3	5	6	8	9
14		राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	5	5	0.125	0.125
15		फुटकर मछली विक्रय योजना	20	12	1.200	0.720
16		मत्स्याखेट हेतु नाव-जाल क्रय	15	16	1.500	10.600
17		मत्स्य बीज स्थान संवर्धन हेतु आर्थिक सहायता	6	7	1.800	2.100
18		मछुआ सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सहायता (त्रि-वर्षीय)	1	1	1.215	0.900
19	भाटापारा	फिगरलिंग क्रय कर संवर्धन	107	127	2.140	2.540
20		सजीव मछली वीडिंग केन्द्र	2	2	8.000	8.000
21		मध्यम आर.ए.एस. का निर्माण	4	2	60.000	30.000
22		बचत सह राहत	0	80	0.000	2.400
23		मीठे जल में बाँयोप्लॉक पॉण्ड का निर्माण इनपुट्स सहायता सहित (पी. लाइनर)	0	3	0.000	44.800
योग (ब)			293	388	77.430	103.635
महायोग (अ + ब)			512	584	133.873	161.245


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 मछली पालन विभाग

सही/- अस्पष्ट
 सहायक संचालक मछलीपालन
 जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)


 संचालक मछलीपालन
 छत्तीसगढ़

पॉरीशेष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क. 2218) की जानकारी

प्रपत्र-अ

रायपुर विकास प्राधिकरण की जानकारी

क्रं.	योजना का नाम	ले-आउट में प्रयोजन	ग्राम	सेक्टर	भूखण्ड क्रं.	खसरा	रकबा (व.मी. में)	रिमाक
1	डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर योजना रावाभाठा	स्वास्थ्य (पीएचसी)	रावाभाठा	-	-	395	100	रिक्त
		सामुदायिक भवन	रावाभाठा	-	-	395, 397/1	4000	रिक्त
2	बोरियाखुर्द योजना	शैक्षणिक ग्रुप-ए	बोरियाखुर्द	-	-	111/1	8609	विक्रित
		शैक्षणिक ग्रुप-बी	बोरियाखुर्द	-	-	111/9	2557-4	विक्रित
3	कटोरातालाब योजना सेक्टर-6 एवं 7 (राजेन्द्र नगर योजना)	शैक्षणिक सेक्टर-6	टिकरापारा	-	-	340/1, 353/5, 341 का भाग	2436-8	स्कूल पूर्व से निर्मित
		शैक्षणिक सेक्टर-7	टिकरापारा	-	-	4	2053-9	विक्रित
		खेल मैदान	टिकरापारा	-	-	4	1505-56	रिक्त
4	कौशल्या माता विहार (कमल विहार योजना)	स्वास्थ्य	टिकरापारा	4	C-96	715,716	1083.25	विक्रित
			देवपुरी	5	B-62	338/13 का भाग	641.40	विक्रित
			डूण्डा	7A	A-50	126/10, 154, 155	460.20	विक्रित
			देवपुरी	8A	C-14	357/1 का भाग	2678.88	विक्रित
			देवपुरी	13	B-118a	350, 351	1355.50	विक्रित
			देवपुरी	12	B-138	401/1 का भाग	614.14	विक्रित
			डूण्डा	11B	A-32a	502, 505, 506, 509	950.67	अविक्रित
			डूण्डा	11A	C-141i	485	1764.40	विक्रित
			डूण्डा	11A	C-141	484, 485	1764.33	विक्रित
			टिकरापारा	2	B-55	659, 665	1030.53	विक्रित
		डूण्डा	10	B-153	66/10 का भाग	809.00	विक्रित	
		डूण्डा	6	A-222, A-223	39,1 का भाग, 42	999.20	विक्रित	
		शैक्षणिक	देवपुरी	5	B-51	338/18 का भाग	927.49	विक्रित
			डूण्डा	12	A-17	209, 210/1 का भाग 211	8192.50	विक्रित
देवपुरी	409] 407 का भाग		विक्रित					
डूण्डा	8A		B-20a	151/1 का भाग	1985.90	विक्रित		

		देवपुरी			349/1		
		डूण्डा	8A	B 20b	151/2, 155	3238.71	विक्रित
		देवपुरी			349/1		विक्रित
		डूण्डा	7A	A-49	155, 126/10	799.80	विक्रित
		बोरियाखुर्द	1		210/1 का भाग, 211/1 का भाग, 217, 218	5481.75	स्कूल प्राधिकरण द्वारा निर्मित
		टिकरापारा	2	C-11	593/1 का भाग	917.67	विक्रित
		धमतरी	13	B-129a	354, 357/1	1964.96	विक्रित
		डूण्डा	11A	A-130	163, 169, 170	7072.62	विक्रित
		डूण्डा	10	B-154	66/6 का भाग	2227.28	विक्रित
		डूण्डा	6	C-36J	122/1 का भाग, 123/1, 124/2, 139	7030.21	विक्रित
	खेल मैदान/उद्यान	बोरियाखुर्द	1	-	191/1, 193/2	2298.52	रिक्त
		बोरियाखुर्द	1	-	191/1, 191/16, 194, 194/4, 194/5, 194/6, 196/3, 195, 196, 197	939.55	रिक्त
		बोरियाखुर्द	1	-	191/1, 192	361.12	रिक्त
		बोरियाखुर्द	1	-	196, 197/1, 202/1, 204/1	2913.71	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	668, 681	5289.61	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	668, 671	784.56	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	671, 669	6130	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	567, 667	2377.71	रिक्त
		बोरियाखुर्द	1	-	194/4 का भाग, 194, 196/3, 197	3600	रिक्त
		बोरियाखुर्द	1	-	194/4 का भाग, 194, 196/3, 197, 241/15, 229	870.72	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	569	910.75	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	584	2650.35	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	579, 584, 581	2979.08	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	486	1118.5	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	584	1292.11	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	565, 573	2260	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	563	926.58	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	566	667.49	रिक्त
		टिकरापारा	1	-	563	456.72	रिक्त

टिकरापारा	1	-	675	1059	रिक्त
टिकरापारा	1	-	673/1 का भाग	607.9	रिक्त
टिकरापारा	1	-	674	438.93	रिक्त
टिकरापारा	1	-	670/1	300	रिक्त
टिकरापारा	1	-	669, 670/2	1133.74	रिक्त
बोरियाखुर्द	1	-	206/1, 206/2, 207, 208/1 का भाग, 233, 227/1, 228/1	3936.45	रिक्त
बोरियाखुर्द	1	-	210/1, 209/1, 211/1	1275.5	रिक्त
बोरियाखुर्द	1	-	222	1086.5	रिक्त
टिकरापारा	1	-	563	1103.49	रिक्त
टिकरापारा	1	-	473, 480/1 का भाग, 594/2	6050.5	रिक्त
बोरियाखुर्द	1	-	231/3, 231/1, 230/1, 229	2568.02	रिक्त
बोरियाखुर्द	1	-	225, 241/6	426.5	रिक्त
टिकरापारा	1	-	593/1, 593/2	1024.69	रिक्त
टिकरापारा	1	-	593/1	325.3	रिक्त
टिकरापारा	2	-	593/1	325.2	रिक्त
टिकरापारा	2	-	593/1, 593/2	1024.69	रिक्त
टिकरापारा	2	-	594/1	836.87	रिक्त
टिकरापारा	2	-	593/3	323.67	रिक्त
टिकरापारा	2	-	593/3	940.18	रिक्त
टिकरापारा	2	-	664	1269	रिक्त
टिकरापारा	2	-	658, 660, 653	1963.55	रिक्त
टिकरापारा	2	-	657, 658, 656	1025.35	रिक्त
टिकरापारा	2	-	696, 695/2, 698	5373.7	रिक्त
टिकरापारा	2	-	659	1706	रिक्त
टिकरापारा	2	-	659	527.87	रिक्त
टिकरापारा	2	-	659	163.51	रिक्त
डूण्डा	4	-	100/2, 101/1, 111/1, 111/2, 102/1, 101/3, 96/1, 99/2	5040	रिक्त
डूण्डा	4	-	98, 99/2, 100/1, 115/3	10582.42	रिक्त
टिकरापारा	4	-	705/1, 705/3, 700/1, 700/2, 706	3966.9	रिक्त
टिकरापारा	4	-	705, 703/5, 704, 703/6, 705/5	3600	रिक्त
टिकरापारा	4	-	692, 692/8	2353.55	रिक्त

			टिकरापारा	4	-	699/1, 699/2, 696	1935.52	रिक्त
			टिकरापारा	4	-	698	462.12	रिक्त
			टिकरापारा	4	-	706	691.55	रिक्त
			टिकरापारा	4	-	706, 700/1	691.55	रिक्त
			टिकरापारा	4	-	707, 708, 709, 711	4128.26	रिक्त
			टिकरापारा	4	-	714, 715, 716	3454.25	रिक्त
			डूण्डा	4	-	117, 118/5	747.74	रिक्त
			डूण्डा	4	-	118/1 का भाग	460	रिक्त
			डूण्डा	4	-	141/1 का भाग	665	रिक्त
			डूण्डा	4	-	119, 120, 112/2	3970	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330/2	294.22	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330/1	80.93	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330/2	306.8	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330/1	28.17	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330	321.71	रिक्त
			देवपुरी	5	-	330	370.94	रिक्त
			देवपुरी	5	-	332, 331	1082.75	रिक्त
			देवपुरी	5	-	335, 334/2	2640	रिक्त
			डूण्डा	5	-	715		
			देवपुरी	5	-	338/8, 339/1, 338/15	1398.7	रिक्त
			डूण्डा	5	-	148/1, 145/2	5441.35	रिक्त
			देवपुरी	5	-	344/1, 343/1, 344/3		
			देवपुरी	5	-	342/4, 356/1	73.72	रिक्त
			देवपुरी	5	-	356/1	17.57	रिक्त
			देवपुरी	5	-	356/1	51.85	रिक्त
			देवपुरी	5	-	356/1	51.45	रिक्त
			देवपुरी	5	-	356/1	16.19	रिक्त
			डूण्डा	6	-	66/1	498.86	रिक्त
			डूण्डा	6	-	66/1	4672.18	रिक्त
			डूण्डा	6	-	66/1	979.14	रिक्त
			डूण्डा	6	-	51, 56/11	9061.5	रिक्त
			डूण्डा	6	-	43	1319.85	रिक्त
			डूण्डा	6	-	39/1 का भाग, 42	2611.6	रिक्त
			डूण्डा	6	-	39/1 का भाग, 36/2	1853.6	रिक्त
			डूण्डा	6	-	6, 21, 22, 23	2451.6	रिक्त
			डूण्डा	6	-	27/2 का भाग, 28, 29	1035.04	रिक्त

			डूण्डा	6	-	25/1, 26	1775.52	रिक्त
			डूण्डा	6	-	19/1 का भाग, 13	3486.85	रिक्त
			डूण्डा	6	-	93, 104, 105, 106	3697.5	रिक्त
			डूण्डा	6	-	95, 96/3, 103/1	491.56	रिक्त
			डूण्डा	6	-	103/2, 107, 108	380.47	रिक्त
			डूण्डा	6	-	107, 110/3, 122/3, 124/2	492.3	रिक्त
			डूण्डा	6	-	91/3, 125/3 का भाग	1782.36	रिक्त
			डूण्डा	6	-	90/8 का भाग	882.82	रिक्त
			डूण्डा	6	-	90/8	29.53	रिक्त
			डूण्डा	6	-	91/2, 92/1	440.75	रिक्त
			डूण्डा	6	-	91/5	126.04	रिक्त
			डूण्डा	6	-	6, 37/3, 38	2851	रिक्त
			डूण्डा	7A	-	131/1 का भाग, 139	746.48	रिक्त
			डूण्डा	7A	-	126/7 का भाग	4351.87	रिक्त
			डूण्डा	7A	-	126/10	511.54	रिक्त
			डूण्डा	7A	-	127/1, 128/2, 154	617.4	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	349/1	3390	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	356/2, 357/1	1827.65	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	359/1, 357/2	3312.84	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	359/1 का भाग, 358/2 का भाग	2160	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	353/1, 349/3 का भाग, 361	4306.5	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	361, 362, 360/1	1133.5	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	363	1013.62	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	365	139.67	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	365	494.12	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	361, 367/1	684.97	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	365	1247.21	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	370, 371, 365/1, 366/1	883.58	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	386/1 का भाग, 389/2 का भाग	6302.77	रिक्त
			देवपुरी	8A	-	380/2, 371, 381	1869.64	रिक्त
			देवपुरी	8B	-	225/1	503.25	रिक्त
			देवपुरी	8B	-	226/4, 228	75.63	रिक्त
			देवपुरी	8B	-	226/4	79.59	रिक्त

		देवपुरी	8B	-	228	989.46	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	231, 229, 228/2	394.8	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	231	125.7	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	231	345	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	231	458.36	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	222	411.64	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	218/1, 218/2, 223/2, 225,	377.25	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	225/1, 223/2, 228	325.73	रिक्त
		देवपुरी	8B	-	227, 228	252.1	रिक्त
		देवपुरी	9	-	441, 444, 440/1 का भाग	2914.64	रिक्त
		देवपुरी	9	-	444	1863.72	रिक्त
		देवपुरी	9	-	430, 443	3612.84	रिक्त
		देवपुरी	9	-	444, 445, 447/2	2234.2	रिक्त
		देवपुरी	9	-	446, 451	2739.3	रिक्त
		देवपुरी	9	-	452, 454, 458, 459, 460	4592.5	रिक्त
		देवपुरी	9	-	438/1, 470, 472/1 का भाग, 474/2	2527.33	रिक्त
		देवपुरी	9	-	474/1 का भाग, 475/1 का भाग	2210.84	रिक्त
		डूण्डा	10	-	303	180.42	रिक्त
		डूण्डा	10	-	301, 303, 304/2, 299	1408.7	रिक्त
		डूण्डा	10	-	297/1	2384.11	रिक्त
		डूण्डा	10	-	295	433.34	रिक्त
		डूण्डा	10	-	284, 283, 74, 292, 288,	2880	रिक्त
		डूण्डा	10	-	65/6, 65/8, 65/13, 70, 68, 71/1	3439.06	रिक्त
		डूण्डा	10	-	66/1	4141.47	रिक्त
		डूण्डा	10	-	66/32, 66/34, 66/38, 66/6	2019.77	रिक्त
		डूण्डा	10	-	66/16, 66/12	1075.9	रिक्त
		डूण्डा	10	-	39/4, 39/5, 35, 39/1, 39/2	1700.56	रिक्त
		डूण्डा	10	-	32/1, 35	1240.77	रिक्त
		डूण्डा	10	-	32/1	962.89	रिक्त
		डूण्डा	10	-	32/1, 31	430.1	रिक्त
		डूण्डा	10	-	33	19609.14	रिक्त
		डूण्डा	10	-	31	479.08	रिक्त

डूण्डा	10	-	31, 90/1	1107.82	रिक्त
डूण्डा	10	-	90/1	599.95	रिक्त
डूण्डा	10	-	90/1	399.89	रिक्त
डूण्डा	10	-	90/1	266.56	रिक्त
डूण्डा	10	-	90/1	944.1	रिक्त
डूण्डा	11A	-	483, 489	3118.5	रिक्त
डूण्डा	11A	-	480, 481, 482	2371.65	रिक्त
डूण्डा	11A	-	481, 450, 443, 442, 440	6750	रिक्त
डूण्डा	11A	-	480	1715.3	रिक्त
डूण्डा	11A	-	476, 475, 474	3880	रिक्त
डूण्डा	11A	-	254, 252	1065.58	रिक्त
डूण्डा	11A	-	253, 254	1138.3	रिक्त
डूण्डा	11A	-	202/1, 202/2	2890.8	रिक्त
डूण्डा	11A	-	203, 204	4114.82	रिक्त
डूण्डा	11A	-	215/2, 215/1	279.47	रिक्त
डूण्डा	11A	-	206, 211, 209	5909	रिक्त
डूण्डा	11A	-	219, 219/2	403.9	रिक्त
डूण्डा	11A	-	215/2, 215/1	279.47	रिक्त
डूण्डा	11A	-	204, 205/2	1302.7	रिक्त
डूण्डा	11B	-	501	3208.18	रिक्त
डूण्डा	11B	-	501, 502, 506	1777.62	रिक्त
डूण्डा	11B	-	508/6 का भाग	663.79	रिक्त
डूण्डा	11B	-	497	1057.35	रिक्त
डूण्डा	11B	-	497	224.48	रिक्त
डूण्डा	11B	-	497	2631.6	रिक्त
डूण्डा	11B	-	515	374.98	रिक्त
डूण्डा	12	-	201/1, 211	4042.3	रिक्त
देवपुरी	12	-	409, 410/1		
देवपुरी	12	-	406/1, 407/4, 408	1684.15	रिक्त
देवपुरी	12	-	406/1, 407/4	1877.2	रिक्त
देवपुरी	12	-	404/1 का भाग, 405	3251.25	रिक्त
देवपुरी	12	-	401/1 का भाग, 418	2880	रिक्त
देवपुरी	12	-	416/1	763	रिक्त
देवपुरी	12	-	416/1	1573.33	रिक्त
देवपुरी	12	-	416/4, 416/5	772.7	रिक्त
डूण्डा	12	-	214/2	1210.5	रिक्त
देवपुरी	12	-	401/2, 420/2 का भाग	1100	रिक्त

देवपुरी	12	-	423, 424, 425, 429/1 का भाग, 488	9781.1	रिक्त
देवपुरी	12	-	438/1, 485, 486/2	3407.93	रिक्त
देवपुरी	12	-	398/3, 430/1, 430/2, 438/2	1705.73	रिक्त
देवपुरी	13	-	483/2, 477/7, 438/1	1064.71	रिक्त
देवपुरी	13	-	482, 483/1, 481, 479/1 का भाग	2562	रिक्त
देवपुरी	13	-	494/1 का भाग, 481	2590.82	रिक्त
डूमरतराई	13	-	357, 357/6, 357/33, 402	1813.87	रिक्त
डूमरतराई	13	-	357/3 का भाग	1681.04	रिक्त
देवपुरी	13	-	476	2659.05	रिक्त
डूमरतराई		-	350, 351, 352		
देवपुरी	13	-	477/1 का भाग, 478/2	4420	रिक्त
डूमरतराई		-	357/2		
डूमरतराई	14A	-	325	450.39	रिक्त
डूमरतराई	14A	-	325	359.5	रिक्त
डूमरतराई	14A	-	334/2, 334/7, 325	198.17	रिक्त
डूमरतराई	14A	-	334/12	228.57	रिक्त
डूमरतराई	14A	-	335/6, 332, 339/1, 333, 335/3, 338	3528.13	रिक्त
डूमरतराई	14A	-	333, 334/1	204.93	रिक्त
डूमरतराई	14B	-	310/12, 311/3	1255.34	रिक्त
डूमरतराई	14B	-	311/1, 311/7, 279	432.8	रिक्त
डूमरतराई	14B	-	311/1, 311/7, 311/10	1270.02	रिक्त
देवपुरी	15A	-	318/1	1023.56	रिक्त
देवपुरी	15A	-	320/3	2900.2	रिक्त
डूमरतराई	15B	-	348/1, 343, 342, 341/2, 339/2	3974.26	रिक्त
डूमरतराई	15C	-	308/2	709.23	रिक्त
डूमरतराई	15C	-	308/2	422.06	रिक्त


 अनुभाषण अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की जानकारी

क्र.	योजना/कॉलोनी का नाम	ले आउट में प्रयोजन	खसरा क्र.	रकबा क्र. (हेक्टे.में)	रिमार्क
संभाग-01					
1	कबीर नगर	सामुदायिक भवन	633/1-2, 613/37-38, 613/36	1.0704	सामुदायिक भवन हेतु आरक्षित।
2		सामुदायिक भवन	752/1	6.7006	निर्माण कार्य पूर्ण। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित।
3		स्वास्थ्य केन्द्र	636/1	0.2630	स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आरक्षित।
4		नर्सरी स्कूल	635/2	0.1204	स्कूल हेतु 3450 वर्गमीटर भूमि लीज पर आबंटित की गई है। स्कूल संचालक द्वारा संचालित।
5		स्कूल	610/1, 2	0.5910	स्कूल हेतु 4130 वर्गमीटर भूमि लीज पर आबंटित की गई है। स्कूल संचालक द्वारा संचालित।
6	टाटीबंध	सामुदायिक भवन	429/26	0.6663	निर्माण कार्य पूर्ण। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित।
7		हाई स्कूल	186/1, 186/2	0.668	निर्माण कार्य पूर्ण। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित।
8	हीरापुर	सामुदायिक भवन	482/1	3.5784	निर्माण कार्य पूर्ण। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित।
9		प्राथमरी स्कूल	238/1	10.5519	निर्माण कार्य पूर्ण। नगर पालिक निगम द्वारा संचालित।
संभाग-02					
1	दीनदयाल आवास योजना	अस्पताल	95	0.298	अस्पताल हेतु भूमि आरक्षित।
2	दीनदयाल आवास योजना	स्कूल	95	1.724	आरक्षित भूमि को एस.बी.पी. स्कूल को लीज पर आबंटित किया गया है।
संभाग-03					
1	दीनदयाल एवं सामान्य आवास कालोनी बोरियाकला रायपुर	सामुदायिक भवन	1493/1, 1495, 1496, 1498/2, 1494/1, 1616	44.889	सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं 2044.98 वर्गमीटर स्वास्थ्य केन्द्र हेतु विक्रित तथा 2610.00 वर्गमीटर पर स्कूल संचालित है।
		स्कूल			
		स्वास्थ्य केन्द्र			
2	दीनदयाल आवास कॉलोनी खिलौरा रायपुर	स्कूल प्लाट	562, 729	5.99	अस्पताल एवं स्कूल हेतु भूमि आरक्षित है।
3		हास्पिटल प्लॉट			
4	हिमालयन हार्ट्स फेस-01 झुमरतराई रायपुर	सामुदायिक भवन	6	8.769	निर्माण प्रस्तावित है।
5	दीनदयाल आवास योजना सेजबहार फेस-01 रायपुर	स्कूल प्लाट	162/5, oa 509	18.445	अस्पताल एवं स्कूल हेतु भूमि आरक्षित है।
6		हास्पिटल प्लॉट			
7	सामान्य आवास योजना सेजबहार फेस-02 रायपुर	स्कूल प्लाट	590/1	13.055	स्कूल हेतु भूमि आरक्षित है।
		सामुदायिक भवन			निर्माण कार्य पूर्ण

पारिशेष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क. 2228) की जानकारी

प्रश्नांकित उद्योगों के संबंध में विगत 03 वर्षों (जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी अनुमति, निरीक्षण तथा की गई कार्यवाही की जानकारी:

सरल क्रमांक	प्रश्नांकित उद्योग का नाम एवं पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	उद्योग को जारी अनुमति/सम्मति की दिनांक सहित जानकारी	उद्योग का निरीक्षण दिनांक	पायी गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स चैम्पिन मैग्रेसार्ट एल.एल.पी. ग्राम-भावरमाल, तहसील सरगांव, बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	रिफेक्ट्रीज ब्रिक्स, ब्लॉक, टाईल्स एण्ड सिमिलर रिफेक्ट्री सिरामिक्स कंस्ट्रक्शन गुड्स अदर देन दोज ऑफ सिलीसिअस अर्थ-6,000 टन/वर्ष	1. संचालन सम्मति जारी दिनांक 31/07/2023 2. सम्मति नवीनीकरण जारी दिनांक 01/01/2025	31/07/2023	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2	मेसर्स अरविंद सिरामिक्स ग्राम अफरीद, तहसील सारागांव, बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	रिफेक्ट्रीज ब्रिक्स ब्लॉक्स कास्टेबल्स अदर्स सिरामिक्स प्रोडक्ट्स-6,000 टन/वर्ष	अतिरिक्त भूमि खसरा जोड़े जाने बाबत अनुमति जारी दिनांक 12/01/2026	18/03/2023 26/03/2025 30/07/2025 14/01/2026	निरीक्षण के दौरान उद्योग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन कार्य किया गया। परिणाम निर्धारित मानक के भीतर पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - तलरलसल

अतलरलकेत डुरशु संखुतल 75 (क.2231) कुल कुनकरल

डुरडतुर

स.कुरं.	वरुष	दलनलक वेतन कडकरलरलरुल कुल संखुतल कुनहु शुरड सडुडन रलशु कल डुगतलन कलरुतल कुल गुतल है।	दलनलक वेतन कडकरलरलरुल कुल संखुतल कुनहु शुरड सडुडन रलशु कल डुगतलन नहुल कलरुतल कुल गुतल है।
1	2023-24 (01.08.2023 से)	2333	152
2	2024-25	2253	62
3	2025-26 (31.01.2026 तक)	2252	348
	डुग:-	6838	562

Digitally signed by
VAIBHAV KUMAR KSHETRAGYA

Date: 06-03-2026 16:10:11

(वैडुड कुरुडर कुषुतुरकुन)

कुषुतुलसगद शलसन

कुरुषुतुल वलकलस अडुं कलसलन कलरुतलण
तथल कुलव डुरलदुतलगलकुल वलडुडलग

पारिशिष्ट - चोरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 (क. 2234) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण पर 31 मार्च, 2019 को ऋण (ब्याज सहित) की देनदारी, किसके प्रति तथा प्रयोजनों की जानकारी

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	बैंक/संस्थान का नाम	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2019 की स्थिति में (ब्याज सहित) देनदारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हुडको	भूमि क्रय एवं अधोसंरचना	403.52
2	इंडियन बैंक	भूमि क्रय एवं अधोसंरचना	275.00
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	भूमि क्रय एवं अधोसंरचना	142.20
4	भारतीय स्टेट बैंक	कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स	154.97
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	रिटेल कॉम्प्लेक्स	178.00
6	पंजाब नेशनल बैंक	अधोसंरचना विकास	100.75
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	ऑफिस कॉम्प्लेक्स	47.76
8.	छत्तीसगढ़ शासन	सिवरेज अधोसंरचना कार्य	70.80
9	छत्तीसगढ़ शासन	जल प्रदाय कार्य	10.00

रायपुर विकास प्राधिकरण पर 31 मार्च, 2019 को ऋण (ब्याज सहित) की देनदारी, किसके प्रति तथा प्रयोजनों की जानकारी

(राशि रु. में)

क्र.	बैंक/संस्था का नाम जिसके प्रति देनदारी थी	प्रयोजन	दिनांक 31-03-2019 की स्थिति में बकाया ऋण की राशि ब्याज सहित
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के विकास कार्य हेतु (टर्म लोन रु. 500 करोड़)।	3,00,10,27,324.00
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के विकास कार्य हेतु (टर्म लोन रु. 100 करोड़)।	72,94,88,750.00
3	यूनियन बैंक	इन्द्रप्रस्थ फेस-2 योजना के विकास कार्य हेतु।	59,32,99,064.00
4	हुडको	रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना एवं कटोरा तालाब योजना अंतर्गत 108 प्लॉट के निर्माण कार्य हेतु।	14,45,54,510.00
कुल योग			4,46,83,69,648.00



अनुभावा अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में लिये गये ऋणों का प्रयोजनवार तथा वर्षवार विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	प्रयोजन	वित्तीय वर्ष					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	रिटेल काम्प्लेक्स निर्माण।	9.00	12.00	-	-	-	-
2	सीवरेज परियोजना।	15.00	-	35.00	12.50	29.40	20.00
3	केन्द्रीय विद्यालय एवं मेडिकल हब को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण।	-	-	-	-	-	30.00
4	कामर्शियल हब का निर्माण।	-	-	-	-	-	20.00
5	दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान हेतु।	-	-	70.20	-	165.00	183.50


अनुभावा अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
सभागलय, रायपुर

प्रपत्र-स

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2019 को शेष ऋणों के पुनर्भुगतान का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
1	2019-20	148.74
2	2020-21	103.12
3	2021-22	231.17
4	2022-23	86.63
5	2023-24	257.44
6	2024-25	1135.66
7	2025-26	286.49

राज्य शासन से वित्तीय सहायता : दीर्घकालीन ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान राशि रु. 418.70 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राधिकरण को प्रदान किया गया है।

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2019 को शेष ऋणों के पुनर्भुगतान का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
1	2019-20	18.89
2	2020-21	22.42
3	2021-22	46.03
4	2022-23	242.73
5	2023-24	72.05
6	2024-25	-

राज्य शासन से वित्तीय सहायता : शेष ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु रायपुर विकास प्राधिकरण को राज्य शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-द

(वर्ष 2022-23) भारत माला परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु अर्जित भूमि के
प्राप्त मुआवजा राशि की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	कुल खसरा नं.	कुल रकबा (वर्ग मीटर)	प्रभावित खातेदार का विवरण	कुल मुआवजा राशि
1	पचेडा	13	13080	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	2,44,68,839.00
2	झांकी	2	1350		62,73,847.00
3	भेलवाडीह	86	28071.133		20,76,58,032.00
योग 03		101			23,84,00,718.00


अनुभावा अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
सत्राकरा, रायपुर

पारिशेष - पंचचासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 78 (क.2235) की जानकारी

प्रपत्र

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण

क्र.	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि एवं विवरण (पत्र क्र./दिनांक)	विमुक्त राशि (विमुक्त/दिनांक)	व्यय विवरण
1	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) (केन्द्र क्षेत्रक योजना)	राशि रु. 4019.33 लाख छ.ग.शा.प.क्र. 277-278/ दिनांक 03.02.2025	राशि रु. 759.69 लाख दिनांक 23.01.2026	कुल व्यय राशि रु. 102.49 लाख <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (ABIP-SS) वर्ष 2020-21 की सीमेन डोज की शेष 15% राशि रु. 102.49 लाख का भुगतान उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेव्लपमेंट बोर्ड को किया गया।
2	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्रक योजना)	राशि रु. 8317.20 लाख का प्रस्ताव छ.ग.शा.प.क्र. 402/दि. 24.02.2025 के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्तुत, जिसके विरुद्ध राशि रु. 2330.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.08. 2025 के माध्यम से प्राप्त।	राशि रु. 900.00 लाख <ol style="list-style-type: none"> राशि रु. 250.00 लाख दिनांक 25.08.2025 राशि रु. 250.00 लाख दिनांक 07.11.2025 राशि रु. 400.00 लाख दिनांक 18.02.2026 	कुल व्यय राशि रु. 431.24 लाख <ul style="list-style-type: none"> राशि रु. 420.70 लाख सभी जिलों में विभिन्न रोगों के विरुद्ध टीकाकरण एवं टैगिंग मानदेय भुगतान। राशि रु. 5.00 लाख राज्य स्तरीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला हेतु कस्थुमेबल्स कय। राशि रु. 5.54 लाख संचालनालय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु व्यय।

क्र.	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि एवं विवरण (पत्र क्र./दिनांक)	विमुक्त राशि (विमुक्त/दिनांक)	व्यय विवरण
3	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	राशि रु. 8198.00 लाख छ.ग.शा.प.क्र. 1084/ दिनांक 01.07.2025	राशि रु. 41.18 लाख दिनांक 10.12.2025	निरंक



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्य अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महाबदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क.2236) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	आयुक्त	01	01	—	
2	संचालक	02	01	01	
3	अपर संचालक पी.टी.सी.	03 02	03 02	—	
4	वित्त नियंत्रक	01	01	—	
5	अधीक्षण अभियंता	01	—	—	
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01	—	
7	उपायुक्त/परियोजना प्रशासक/संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ	27 01	11 —	16 01	
8	सहायक आयुक्त	38	06	32	
9	कार्यपालन अभियंता	01	01	—	
10	अनुसंधान अधिकारी	10	06	04	
द्वितीय श्रेणी					
11	सहायक संचालक	23	36	—	
12	सहायक अनुसंधान अधिकारी	19	12	07	
13	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	85	49	36	
14	सांख्यिकी अधिकारी	01	01	—	
15	क्रीड़ा अधिकारी	22	02	20	
16	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	01	01	—	
17	सहायक अभियंता	06	05	01	
18	क्षेत्र संयोजक	47	35	12	
आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग					
19	सचिव, अ.जा., अ.ज.जा., पि. व. अल्प. संख्य, आयोग	04	03	01	



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
संयोजक, महानदी भवन, नवा जयपुर

लोक आयोग में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण दर्ज वर्ष	संबंधित अधिकारी का नाम	प्रकरण पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
1	22/2019	2019	श्री आर.के. सिदार, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर	5 लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 22/2019 में शिकायतकर्ता श्री सैयद उमैर, संतोषी नगर, रायपुर द्वारा की गई शिकायत पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं जानकारी विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक आयोग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि सेल्फ एवं कैश के रूप में बैंक से निकालकर शासन को विल्लीय हानि पहुँचाये जाने के लिये संबंधित लोक सेवक श्री आर.के. सिदार एवं श्री तारकेश्वर देवांगन, तत्का.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर तथा श्री राकेश सोनी, तत्का. सांख्यिकी अधिकारी एवं श्रीमती शोभा मुंगेर तत्का. कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही संस्थित कर, किये गये अवचार के अनुपात में शासन को हुई क्षति की वसूली की जाकर, सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। 2/ चूंकि उक्त प्रकरण वर्ष 2014-17 के मध्य का होने एवं श्री आर.के. सिदार तत्का. सहायक आयुक्त वर्ष 2020 एवं श्री राकेश सोनी, तत्का. सांख्यिकी अधिकारी वर्ष 2025 तथा श्रीमती शोभा मुंगेर, तत्का. कनिष्ठ लेखाधिकारी के वर्ष 2021 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय एवं वसूली की कार्यवाही किये जाने के संबंध में विधि विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर से मार्गदर्शन/अभिमत चाहा गया है, जो कि अपेक्षित है। 3/ श्री तारकेश्वर देवांगन, तत्का.सहायक आयुक्त,रायपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर, उनका स्पष्टीकरण चाहा गया है।	पूर्ण
2	05/2021	2021	तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी	श्री के.आर.डहरिया, एम.पी. नगर जिला कोरबा द्वारा श्री श्रीकांत डुबे, तत्का.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कोरबा के विरुद्ध शाला गणवेश आपूर्ति में	अपूर्ण

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

				गड़बड़ी, छात्रावास/आश्रम निर्माण एवं मरम्मत कार्य में अनियमितता किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा श्री दुबे के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जांच छत्तीसगढ़ को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।	पूर्ण
				आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा कलेक्टर जिला कोरिया से शिकायत की जांच कराकर, जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया था। उक्त जांच प्रतिवेदन विभाग के पत्र दिनांक 16.04.2025 द्वारा लोक आयोग, रायपुर को भेजा गया है।	अपूर्ण
विकास, जिला कोरबा	श्री ललित शुक्ला, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	2022		विभागीय आदेश दिनांक 09.10.2025 द्वारा श्री एल.आर. कुर्रे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला महासमुन्द के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए, आयुक्त विभागीय जांच छ.ग. रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला महासमुन्द को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।	अपूर्ण
			3	श्री पी.सी. लहरे, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला जांजगीर चांपा।	अपूर्ण
			4	श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर	पूर्ण
				शिकायकर्ता श्री शैलेन्द्र बंजारे, रायपुर द्वारा श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त कार्यालय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के विरुद्ध फलोरल कल्याण समिति डूण्डा, रायपुर में सदस्य एवं पदाधिकारी बनने हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने एवं बिना अधिकारिता के अवैध समिति के कार्यकारिणी का हिस्सा बनकर अवैध वसूली करने की शिकायत लोक आयोग, रायपुर के समक्ष की गई थी। उक्त शिकायत पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से प्राप्त जांच प्रतिवेदन विभाग के पत्र दिनांक 19.03.2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु लोक आयोग, रायपुर को भेजा गया है।	पूर्ण



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
भंडारपुर, महाश्वरी भवन, नवा इन्द्रावती

ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी.में दर्ज प्रकरणों से संबंधित जानकारी

1	02/2021	2021	श्री विनय कुमार गुप्ता, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	विभाग अंतर्गत श्री विनय कुमार गुप्ता, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद बलरामपुर-रामानुजगंज के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा अपराध क्रमांक 02/21 धारा 7 PC Act. तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।	अपूर्ण
2	678/2021	2021	श्री वेदप्रकाश गुप्ता, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाङ्गनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	विभाग के पत्र दिनांक 11.07.2025 द्वारा श्री वेदप्रकाश गुप्ता, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वाङ्गनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 17 क के तहत जांच/विवेचना की अनुमति प्रदान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर को दी गई है।	अपूर्ण
3	149/2022	2022	श्री तारकेश्वर देवांगन, अपर संचालक एवं तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर	विभाग के पत्र दिनांक 16.02.2026 द्वारा शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को लिखा गया है। साथ ही पूर्व में इसी विषय पर लोक आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक 68/2022 के रूप में पंजीबद्ध शिकायत को लोक आयोग द्वारा शिकायत प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध किया गया है। जिसकी सूचना विभाग के पत्र दिनांक 16.02.2026 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर को दी गई है।	अपूर्ण
4	02/2024	2024	श्रीमती माया वारियर, तत्का. सहायक आयुक्त, जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 18.10.2024 द्वारा श्रीमती माया वारियर, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्रीमती वारियर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	अपूर्ण
5	02/2024	2024	श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली एवं कटघोरा जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 09.06.2025 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली एवं कटघोरा जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्री राठौर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	अपूर्ण

9

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
संभलसरी, बलरामपुर, छत्तीसगढ़

6	02/2024	2024	श्री भुवनेश्वर सिंह राज तत्का. मु.का.अधि. जनपद पंचायत डौंडी जिला बालोद एवं पोड़ी -उपरोड़ा जिला कोरबा	प्रकरण में विधि विभाग, मंत्रालय द्वारा श्री भुवनेश्वर सिंह राज, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति चाही गई थी। विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा अभियोजन स्वीकृति की सहमति विधि विभाग को दी गई है।	अपूर्ण
7	02/2024	2024	श्री राधेश्याम मिर्जा, तत्का. मु.का.अधि. जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा	विभागीय आदेश दिनांक 09.06.2025 द्वारा श्री राधेश्याम मिर्जा, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा को निलंबित किया गया है। प्रकरण में श्री मिर्जा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति विभाग के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा विधि विभाग को दी गई है।	अपूर्ण

पुलिस थाना में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

1	08/2023	2023	श्री पुनीत राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ जिला कांकर	श्री पुनीत राम साहू, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़, जिला कांकर को वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी भादवि के तहत दिनांक 18.07.2023 को कार्यालय पुलिस थाना ताडोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकर, द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल कांकर में निरुद्ध किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा निलंबित किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	अपूर्ण
2	33/2023	2023	श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोरबा जिला कोरबा	शाना सिविल लाईन, रामपुर जिला कोरबा के अपराध क्रमांक 33/2023 में श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कोरबा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर ने आदेश दिनांक 03.12.2025 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 409, 34 के तहत श्री मिश्रा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की सहमति पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को दी है। श्री मिश्रा शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।	अपूर्ण
3	17/2025	2025	डॉ. आनंद जी सिंह, उपायुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बीजापुर	कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर छ.ग. के द्वारा डॉ. आनंद जी सिंह, उपायुक्त, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बीजापुर के विरुद्ध अपराध क्र. -17/2025, धारा-13(1) बी, 13(2) भ्र.नि. अधिनियम 1988 (यथा सशोधित 2018) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध की गई है। उक्त प्रकरण में विवेचना जारी है।	अपूर्ण

4	318(4)/2025	2025	डॉ. आनंद जी सिंह, उपायुक्त एवं तत्का. सहायक विकास आदिवासी दंतेवाड़ा	कार्यालय कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कार्यों में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायतों की जॉच में श्री आनंद जी सिंह, उपायुक्त एवं तत्का.सहायक आयुक्त, दंतेवाड़ा को दिनांक 24.08.2025 को गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली, दंतेवाड़ा के पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय आदेश दिनांक 16.09.2025 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया है। प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में विचाराधीन है।	अपूर्ण
5	318(4)/2025	2025	श्री कल्याण सिंह मसराम, उपायुक्त एवं तत्का. आदिवासी विकास जिला दंतेवाड़ा	कार्यालय कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कार्यों में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायतों की जॉच में श्री कल्याण सिंह मसराम, उपायुक्त एवं तत्का.सहायक आयुक्त, दंतेवाड़ा को दिनांक 24.08.2025 को गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली, दंतेवाड़ा के पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। श्री मसराम शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में विचाराधीन है।	अपूर्ण

अन्य जॉच एजेंसियों द्वारा की जा रही जॉच प्रकरणों की जानकारी

1	—	2009	डॉ. ललित शुक्ला, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़	रायगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किये जाने के कारण विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री ललित शुक्ला के विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित किया गया है, जिसमें श्री आर.एस. मोई, अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
2	—	2017	श्री संकल्प साहू, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर	श्री संकल्प साहू, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कांकेर द्वारा वित्तीय नियम/निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण शासन के आदेश दिनांक 07.08.2019 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक संचालक आदिवासी विकास जिला कांकेर को प्रस्तुकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
3	—	2018	श्री आशीष बनर्जी, तत्का. सहायक	श्री आशीष बनर्जी, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कबीरधाम के विरुद्ध छात्रावास संचालन हेतु विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए	अपूर्ण

अनुपम अधिकारी
आदिम जाति विकास
जिला, महाराष्ट्र

				गंभीर अनियमितता किये जाने के लिए शासन के आदेश दिनांक 12.04.2024 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच, छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला कबीरधाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
4	—	2019	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कोरबा	श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा के विरुद्ध शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमितता किये जाने के कारण शासन आदेश दिनांक 19.05.2020 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त कोरबा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
5	—	2022	श्री आशीष बनर्जी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बलौदाबाजार	बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावास के भवन निर्माण की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के कारण शासन के आदेश दिनांक 22.03.2023 द्वारा श्री आशीष बनर्जी के विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए कार्यालय कलेक्टर, जिला स्थापना विभागीय जॉच अधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, बलौदाबाजार - भाटापारा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
6	—	2022	श्री पी.सी. लहरे, तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जांजगीर-चांपा	श्री पी.सी. लहरे तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थी अवधि में 180 आकस्मिक निधि कर्मचारियों (कलेक्टर दर) को नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने की अनियमितता हेतु शासन के आदेश दिनांक 11.03.2025 द्वारा श्री लहरे के विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला जांजगीर चांपा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
7	—	2023	श्री अविनाश श्रीवास, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़	श्री अविनाश श्रीवास सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायगढ़ के पद पर पदस्थी के दौरान छात्रावास-आश्रमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र./सा. स्था./01/218/2023/2792 दिनांक 19.06.2023 द्वारा श्री अविनाश श्रीवास को निलंबित किया गया है। जिसकी पुष्टि शासन पत्र दिनांक 23.06.2023 द्वारा किया गया है। विभाग के पत्र दिनांक 11.08.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री श्रीवास के विरुद्ध शासन के आदेश दिनांक 21.02.2024 द्वारा विभागीय	अपूर्ण

				जांच संस्थित करते हुए श्री आर.एस. भोई, अपर संचालक (स्थापना) को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री बद्रीश सुखदेवे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला गरियाबंद के द्वारा गरियाबंद जिले में पदस्थापना अवधि के दौरान विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 758 में विभाग अंतर्गत संचालित कार्यालय छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की गलत जानकारी/उत्तर दिये जाने तथा जिले में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियम विरुद्ध नियमित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 09.02.2026 द्वारा श्री सुखदेवे के विरुद्ध विभागीय जॉच संस्थित करते हुए, आयुक्त, विभागीय जॉच, छ.ग. नवा रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला गरियाबंद को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण
8	—	2023	श्री बद्रीश सुखदेवे, तत्का. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला गरियाबंद	श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक प्रभारी परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव	अपूर्ण
9	—	2023	श्री संकल्प साहू, सहायक संचालक, प्रभारी परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव	श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर	अपूर्ण
10	—	2024	श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर	श्री प्रज्ञान सेठ, तत्का. उपायुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर के पद पर पदस्थी के दौरान प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन हेतु कोचिंग संस्थाओं की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने एवं सौंपे गये विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण विभागीय समसमसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2025 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करते हुए आयुक्त, विभागीय जॉच छ.ग. रायपुर को जॉचकर्ता अधिकारी तथा अपर संचालक (स्थापना) कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.विकास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	अपूर्ण



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
नंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र 'स'

कं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विषय	अद्यतन स्थिति
1	श्री संजय चंदेल, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बकावण्ड, जिला बस्तर	नियम विरुद्ध नियमितीकरण/भर्ती की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	कलेक्टर, जिला बस्तर को शिकायत की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।
2	श्री कल्याण सिंह मसराम, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला बीजापुर	जिला खनिज न्यास संस्थान के माध्यम से निर्माण कार्य एवं सामग्री खरीदी में अनियमितता /भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत।	शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं कलेक्टर जिला बीजापुर को लिखा गया है।
3	श्री कल्याण सिंह मसराम, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला दंतवाड़ा	विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में सामग्री पूर्ति में अनियमितता किये जाने की शिकायत।	शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतवाड़ा को लिखा गया है।
4	श्री राजीव पाठक, सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला सरगुजा	फर्जी बिलों के माध्यम से राशि आहरित कर भ्रष्टाचार की शिकायत।	शिकायत पत्र को कलेक्टर जिला सरगुजा को भेजकर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है।
5	श्री संकल्प साहू, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला कोण्डगांव	शासकीय वाहन में ईंधन पेट्रोल में फर्जी खपत दिखाकर अनियमितता किये जाने के संबंध में।	शिकायत पत्र पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला कोण्डगांव से चाहा गया है।
6	श्री गोपश कुमार मनहर, सहायक सचालक एवं तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, जशपुर	प्रयास महाविद्यालय जशपुर में कोचिंग संस्थाओं की व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला जशपुर से चाहा गया है।
7	श्रीमती प्रियंवदा रामटेके, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला दुर्ग	छात्रावास में अशंकालीन स्वीपर/सहायक ग्रेड-3 की भर्ती में अनियमितता की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला दुर्ग से चाहा गया है।
8	श्री राधेश्याम मिर्झा, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पोड़ी -उपरोड़ा जिला कोरबा	ग्राम पंचायत के तहत मनरेगा के कार्यों में सरपंच एवं ठेकेदारों से मिलकर अनियमितता कर भुगतान किये जाने की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला कोरबा से चाहा गया है।
9	श्री लोकेश्वर पटेल, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला बलौदाबाजार	छात्रावासों में दैनिक मजदूरों को हटाकर पुनः रखने हेतु पैसों की मांग किये जाने के संबंध में।	शिकायत पत्र पर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला बलौदाबाजार से चाहा गया है।

9

अनुभाग अधिकारी
आदिवासी विकास विभाग

पंचायत, सहकारी भवन, पंच एल्यु

10	श्री घनश्याम जांगड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत, नारायणपुर	मुख्य जनपद	बिना कार्य के संबंधित ठेकेदारों को राशि का भुगतान किये जाने की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर नारायणपुर से चाहा गया है।	जिला
11	श्री प्रकाश चंद्र लहरे, अनुसंधान अधिकारी प्रमारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला बिलासपुर	अनुसंधान आयुक्त, बिलासपुर	भवन निर्माण में फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर बिलासपुर से चाहा गया है।	जिला
12	सुश्री स्वनिता सिंह, प्रमारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला सक्ती	प्रमारी सहायक विकास जिला सक्ती	छात्रावास निर्माण कार्य में संरपचों से कमिशन की मांग किये जाने के संबंध में।	शिकायत पत्र पर जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला सक्ती से चाहा गया है।	जिला
13	श्री प्रकाश अनंत, तत्का. सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-रायपुर	सहायक सहायक विकास, जिला-रायपुर	मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार कर अपूर्ण संपत्ति अर्जित करने की शिकायत।	शिकायत पत्र पर जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला रायपुर से चाहा गया है।	जिला
14	श्री राजीव नाग, सहायक संचालक एवं प्रमारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला दंतेवाड़ा	सहायक संचालक आयुक्त, जिला दंतेवाड़ा	खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत निर्माण एवं अन्य कार्यों में अनियमितता की शिकायत	शिकायत पत्र को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को भेजकर जॉच प्रतिवेदन चाहा गया है।	जिला
15	श्री तारकेश्वर देवांगन, अपर संचालक एवं तत्का.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर	अपर सहायक विकास जिला रायपुर	कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला रायपुर के प्रयास संस्थाओं में बाजार दर से अधिक दरों पर रोटी मैकिंग एवं अन्य सामग्री खरीदी की जॉच के संबंध में।	उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार श्री तारकेश्वर देवांगन, अपर संचालक एवं तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिला
16	श्री विजय सिंह कंवर, उपायुक्त एवं तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-रायपुर	उपायुक्त एवं तत्का. सहायक विकास जिला रायपुर	कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला रायपुर के प्रयास संस्थाओं में बाजार दर से अधिक दरों पर रोटी मैकिंग एवं अन्य सामग्री खरीदी की जॉच के संबंध में।	उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार श्री विजय सिंह कंवर, उपायुक्त एवं तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला रायपुर के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिला
17	श्री बी.के.राजपूत, संयुक्त सचिव एवं तत्का. प्रमारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायगढ़	संयुक्त सचिव एवं सहायक विकास जिला रायगढ़	रायगढ़ जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती (अवधि दिनांक 08.08.2011 से 18.07.2014) में अनियमितता किये जाने के संबंध में।	अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिला

4

अनुमान अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
नालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - सत्तासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 80 (क. 2238) की जानकारी

प्रपत्र

1. श्री संजय गौड, अपर संचालक (जांच शाखा)
कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. नवा रायपुर — अध्यक्ष
2. श्री लाजरूस मिंज, वित्त नियंत्रक,
कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. नवा रायपुर — सदस्य
3. श्री जितेन्द्र गुप्ता, अपर संचालक (समन्वय शाखा)
कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. नवा रायपुर — सदस्य
4. श्री आर.एस. भोई, अपर संचालक (स्थापना शाखा)
कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. नवा रायपुर — सदस्य
5. श्रीमती मेनका चंद्राकर, उपायुक्त (स्था.—4 वि.जांच शाखा)
कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. नवा रायपुर — सदस्य सचिव
6. श्री श्रीकांत दुबे, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
जिला—रायगढ़ — सदस्य


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महात्मा जयप्रकाश नारायण स्मारक, रायपुर

पारिशिष्ट - अट्टासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क.2240) की जानकारी

प्रपत्र-

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक Spring Box Films Private Limited से कराए गए विभागवार कार्यों का विवरण तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की जानकारी

क्र.	आयोजन का नाम	कार्यक्रम वर्ष	भुगतान राशि
01	चंदखुरी आरंग में आयोजित राम वनगमन पर्यटन परिपथ समारोह। (दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2021 तक)	2021	6,70,66,869.00
02	राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव सह राज्योत्सव रायपुर (दिनांक 28 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021 तक)	2021	9,48,39,019.00
03	शिवरीनारायण में आयोजित राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह। (दिनांक 08 से 10 अप्रैल 2022 तक)	2022	4,69,55,273.00
04	राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव सह राज्योत्सव रायपुर (दिनांक 01 से 06 नवम्बर 2022 तक)	2022	8,08,80,663.00

परीशेष्ट - नवासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 83 (क.2248) की जानकारी

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

AND

THE GRANTEE

(INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA, RAIPUR, CHHATTISGARH)

FOR

**SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE
IMPLEMENTATION OF THE PROJECT OF
KRISHI VIGYAN KENDRA, BALOD**

**DIVISION OF AGRICULTURAL EXTENSION
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI ANUSANDHAN BHAVAN, PUSA
NEW DELHI - 110 012**

१९२

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH, KRISHI ANUSANDHAN BHAVAN, NEW DELHI - 110 012 AND THE INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA, RAIPUR (C.G.) (NAME OF THE GRANTEE) FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT OF KRISHI VIGYAN KENDRA, TO BE LOCATED AT VILLAGE- AROUD, IN THE DISTRICT OF BALOD IN THE STATE OF /U.T. OF CHHATTISGARH.

1. This agreement made this 31st day of March Month, Two Thousand Seventeen between the ICAR, a Society registered under "Society Registration Act", 1860, hereinafter called "Council", as the First Party and the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (C.G.) (Grantee i.e., SAU/State Government, Deemed Universities/PSU/Other Government Organization) established under "Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987" at Raipur situated in the State of CHHATTISGARH hereinafter call the "Grantee" (Second party)
2. Where as the Indian Council of Agricultural Research have the following mandate:
 - i. To plan, undertake, aid, promote and co-ordinate education, research, and its application in agriculture, agro-forestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences.
 - ii. To act as clearing house of research and general information relating to agriculture, animal husbandry, home science, allied sciences and fisheries through its publications and information system, and by instituting and promoting transfer of technology programmes.
 - iii. To provide, undertake and promote consultancy services in the fields of education, research, training and dissemination of information in agriculture, agroforestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences.
 - iv. To look into the problems relating to broader areas of rural development concerning agriculture, including post-harvest technology by developing cooperative programmes with other organizations such as the Indian Council of Social Science Research, Council of Scientific and Industrial Research, Bhabha Atomic Research Centre and the Universities.
 - v. To do other things considered necessary to attain the objectives of the society.
3. And the project of Krishi Vigyan Kendra of I.C.A.R. has the mandate as under:
 - i. Conducting "On-farm testing" for identifying agricultural technologies for location specific sustainable land use systems.
 - ii. Organize training to update the extension personnel with the advances in


- agricultural technology on regular basis.
- iii. Organize vocational training courses in agriculture and allied vocations for the farmers with emphasis on "learning by doing".
- iv. Organize front line demonstrations to generate production data and feed-back information.
4. And whereas the **INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA, RAIPUR (C.G.)** (SAU/Instts./NGO/Grantee) has the following mandate/objectives:

(The mandate/objectives of the grantee institution should be indicated here)

1. Making provision for the education in agriculture and other allied sciences.
 2. Furthering the prosecution of research, particularly in Agriculture and other allied sciences.
 3. Undertaking field extension programme,
 4. Such other purposes related to the aforesaid with the object of improving the level of living of rural people as the State Government may by notification direct.
5. As per the memorandum, the Council (first party) shall provide grant for the project on Krishi Vigyan Kendra according to the pattern of assistance approved under the Krishi Vigyan Kendra scheme subject to the personnel and budgetary limitation imposed by the Government of India from time to time. The items of assistance may inter-alia include the following:
- i. Salary assistance in respect of competent scientists and technical staff in different disciplines (Agricultural Extension, Agronomy, Plant Breeding, Livestock Production, Horticulture, Home Science, Agricultural Engineering, Fisheries, Agroforestry, Soil Science and Plant Protection) based on the local needs and requirements for taking up various activities of the KVK as per mandate;
 - ii. Assistance for salary in respect of modest office staff necessary to support the scheme;
 - iii. The cost of approved recurring and non-recurring items based on the pattern of assistance applicable to KVKs as decided by the competent authority from time to time.
 - iv. Council may also consider assistance as one time revolving fund refundable after five years for maintenance and running of farms, workshops, gardens, farm animals, birds, ponds etc. which will be strictly operated according to the rules and guidelines of revolving fund scheme of the Council;
 - v. For participation in and organisation of workshop, seminars, symposia and

- vi. meetings approved in advance by the ICAR; and Expenses on publication of Progress Reports and other literature as approved by the Council.
6. For scientific and technical cooperation in the effective implementation of the scheme and for obtaining assistance as stated herein above, the Grantee (second party) shall make available the following:
- i. An area of 18.28 ha for KVK at suitable location, fish ponds or other required field/laboratory/ classrooms facilities for imparting instructions through work experience/learning by doing.
 - ii. Required roads, water, electricity, communication, sewer and other appropriate facilities.
 - iii. Required Staff, Building, equipments and animals presently available with the Grantee (Institution) and specifically identified by Council for transfer to KVK as agreed for joint use from time to time.
 - iv. Monetary and material support in addition to the provision made by the Council with a view to rapidly develop the Krishi Vigyan Kendra and enlarge their programmes; and the profit/resource generated from KVK farm/animals etc. will be ploughed back and utilized for development and execution of schemes.
 - v. A concrete action plan indicating financial and logistic support for the satisfactory continuance of the KVK programme after the central assistance is phased out by the Council.
7. The Grantee (second party), in addition, agrees to:
- i. Open a separate Bank account in the name of KVK where entire grants-in-aid received from the Council would be deposited and amount will be withdrawn for the expenditure to be made only for the activities/programmes of the KVK including salary of the staff of KVK.
 - ii. The interest earned out of Council's grant will be indicated in KVKs account and intimated to the Council half yearly along with progress report. The interest earned will be counted while remitting/releasing. Grants will be released less by the income earned by the KVK.
 - iii. The pay scale of the KVK staff should not be more than the pay scale approved by the Council for the Scheme and the qualification of the staff should be commensurate with the requirement of job and the pay attached to that post. Any incentive or ad-hoc increase in pay over and above the scales approved by the Council shall be borne by the KVKs from their own resources.
 - iv. Keep the designations and duties of the staff in accordance with the provisions made in the scheme.
 - v. Not to divert/transfer any scientist, technical and office staff of KVK for any other work other than that of Krishi Vigyan Kendra.
 - vi. Treat KVK staff at par for the purpose of privileges, amenities and facilities permissible to other staff of the Grantee.

- vii. Consult the Council before making any change in the programme of the Kendra or the personnel employed therein.
- viii. Ensure that if any staff of the Kendra leaves to take up any other employment, he/she invariably leaves behind a report on the work done during the relevant period together with all data collected to enable his successor to compile the complete report at the end of the year.
- ix. Keep the Council constantly informed about the progress and the problems of the Krishi Vigyan Kendra through the proceedings of the meetings, training courses being offered etc.
- x. Allow the incharge, Krishi Vigyan Kendra to directly correspond with the Council in regard to the routine activities, progress and plans of the Kendra.
- xi. Permit the Local Incharge of Krishi Vigyan Kendra to interact with the Council on policy and financial matters.
- xii. Constitute the Scientific Advisory Committee duly approved by the ICAR as per the guidelines provided by the Council and subject to change in the guidelines from time to time.
- xiii. Allow the Council to review the KVK by QRT and agree to follow the approved recommendations by the Council.
- xiv. Provide an executive order allotting specific land/farm for KVK purpose.
8. Further, both the parties mutually agree that:
- i. The Kendra or the Scientists responsible for doing outstanding work in organizing training programmes and other activities and significantly contributing towards agricultural production in the area shall be given due recognition.
- ii. All staff of KVK shall be borne on the establishment of grantee only. The administrative control over the staff employed under the scheme, therefore, shall vest in the host institution. The placement of staff working in the project after the termination of the project shall be the sole responsibility of Grantee (second party) without having any liability on the Council.
- iii. The Incharge, Krishi Vigyan Kendra and other staff shall be made available for meetings and consultations at the Council's Headquarters, when needed as per the TA/DA rules of the grantee.
- iv. The staff of the Kendra shall be encouraged to publish literature related to training programmes and evaluative studies including major achievements.
- v. In case of the development of a new techniques or some other innovation, the Council's permission shall be sought before publishing it.
- vi. A detailed report of the work undertaken and completed under the scheme shall be submitted to the Council in the prescribed proforma by the Incharge, Krishi Vigyan Kendra every half year. Such report shall be furnished at the end of September and March every year by the Incharge, Krishi Vigyan Kendras of the host institution.



- vii. On the basis of the assessment of these reports, the Council would release grants for the scheme every half year. In the event of an unsatisfactory progress of work at a Kendra as assessed by the Council, the Council may stop the release of further grants to such Kendra or terminate the project funding without assigning reasons.
- viii. The expenditure incurred from the grant will be audited by the Accountant General, Central Revenues/Commerce, Works and Miscellaneous or Accountant General of the State concerned or the Examiner of the Local Fund Accounts or Statutory Auditors of the Grantee Institutions or a Chartered Accountant or the ICAR's own internal auditors. Such auditors will furnish to the Secretary ICAR by the end of December of each year a certificate to the effect that the accounts of previous year ending on March have been audited and the grant has been spent on the objects for which it was meant. Any unspent balance should be refunded to the Council on the termination of the scheme. Further grants in respect of the scheme will be stopped unless the audit and utilization certificates in the prescribed proforma are received within a period of three years after the end of the financial year during which the grant has been made. Besides stoppage of grant of the KVK scheme due to non receipt of the Audit and Utilization Certificate, the Council at its discretion may stop release of grant for other schemes being conducted at the time under the control of the defaulting grantee till the Audit and Utilization Certificates due are received.

In addition to the normal audit as stated above Secretary, ICAR may also get special audit conducted by ICAR Inspection Team.


- ix. In addition to the above, the Kendra shall submit a detailed annual report of the work of the Kendra and also the working plan for the next year to the Council.
- x. The grant given by the Council will be utilized exclusively for the intended purpose and on items for which it is sanctioned by the Council, and it will not be regarded as a subversion towards the normal work of the State Agriculture or Animal Husbandry or any other Department of the University or Institution.
- xi. The financial assistance rendered by the Council will always be acknowledged in any published account of the work for which the grant is given.
- xii. The stores of nominal value (contingencies purchased if any, out of the grants given by the Council) will be deemed to have been utilized appropriately for the purpose for which these have been sanctioned and a certificate to this effect is furnished to the Council by the Officer-in-Charge of the scheme.
- xiii. The half yearly demand for funds will be submitted to the Council in the prescribed proforma by the Grantee in April and September every year for release of first and second half yearly grant, respectively.
- xiv. Accounts of KVK will be maintained separately by the grantee institution. Separate audit certificates will be submitted in respect thereof.

- xv. The Council will not be liable to bear any expenditure on pension contribution and/or leave salary contribution or any other retirement benefits incurred or committed by the grantee, in lieu of the CPF/GPF etc.
- xvi. Assessment of the performance of staff of Krishi Vigyan Kendra shall be done by the grantee institute in consultation with ICAR as per norms and procedure approved for implementation of KVK Scheme.
- xvii. The Council shall appoint suitable committees from time to time to assess the progress of the Krishi Vigyan Kendra on their recommendations further grants and continuance of the scheme shall be considered.
- xviii. In the event of the termination of the scheme, the vehicles, farm machineries and equipments and other articles purchased under the scheme and the buildings acquired/constructed with Council assistance shall remain the property of the Council. Immediately in the event of the termination, the KVK shall be obliged to hand over all these movables and immovable properties to the Council and the Council shall decide the manner in which these equipments and articles can be utilised/transferred/disposed of.
- xix. The stores of capital nature acquired for Kendra out of the grants given by the Council for this purpose shall be maintained in good condition with proper record. The vehicles, farm machineries and equipments will be maintained in the stock registers of the grantee institutions which should be presented to the ICAR officers for inspection and to the Auditors for check and endorsement.
- xx. The project is essentially a cooperative/partnership venture. Any matter not covered specifically in this Memorandum of Understanding may be settled by mutual discussion. On points where disagreement persists and differences arise out of this MOU, the matter may be referred to the Secretary of the Council whose decision shall be final and binding on the parties.
- xxi. Requests for any major change or termination of this understanding shall be furnished by either party to the other for consideration not less than 90 days in advance of the desired date for effecting any change/termination.
- xxii. That in the event of the termination of the project because of the violation of MOU by the Grantee the KVK shall be obliged to hand over the possession of the buildings constructed out of the funds from the council and the council shall be at liberty to deal with the property in any manner they decide.
- xxiii. The operation of this Understanding may be extended by mutual consent for such period or periods as may be considered desirable by both parties before the existing term/time is over.
- xxiv. The Council will have the right to publish the relevant data/materials obtained as a result of work done under the KVK scheme before they are published elsewhere.



- xxv. For contravening or for non-complying with any of the conditions of MOU by the Grantee, Council can terminate the project without giving any notice for the same and without any liability whatsoever.

(Signed & put the seal on 15th March, 2018 in present of witnesses as under:


(S.K. Patil)
Vice-Chancellor
IGKV, Raipur
Second Party
(Grantee)
Vice Chancellor
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
Raipur-492006 (Chhattisgarh)
Witness:


Name and Address

1. Dr. A.L. Rathore
Director Extension
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
Raipur (C.G.)
2. Dr. Deepthi Jha
Scientist
O/o DES, IGKV, Raipur
- 3- Anupam Mishra


(Anupam Mishra)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


First Party
(ICAR) Dr. A.K. SINGH
डा. (अ.क.सिंह)
उप महादेशमुख (कृषि विभाग)
Deputy Director General / Agn. Extn
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / I.C.A.R.
कृषि अनुसंधान एवं प्रसारण विभाग
राजधानी, नई दिल्ली-110002

Signature


Director Extension Services
IGVV, Raipur (C.G.)





Dr. Anupam Mishra
Director
ICAR-ATARI, Zone-IX
Adhartal, Jabalpur-482004 (M.P.)

परिशेष - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क. 2524) की जानकारी

प्रपत्र

सेवानिवृत्त अधि./कर्मचारियों के पेशन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति

क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त तिथि	रिमार्क
1	डॉ.एन.के.चौबे	प्राध्यापक	31.10.2024	प्रत्याशित पेंशन 90 प्रतिशत स्वीकृत
2	डॉ.के.के.साहू	प्राध्यापक	31.12.2024	
3	डॉ.एस.बी.गुप्ता	प्राध्यापक	31.01.2025	
4	डॉ.डी.के.शर्मा	प्राध्यापक	30.06.2024	
5	डॉ.रवि.कुमार बिसेन	प्राध्यापक	30.09.2024	
6	डॉ.संध्या रानी गौर	प्राध्यापक	31.10.2024	
7	डॉ.पी.के.जायसवाल	प्राध्यापक	30.06.2025	
8	डॉ.आर.के.बाजपेयी	प्राध्यापक	31.05.2025	
9	डॉ.आर.के.यादव	प्राध्यापक	31.03.2025	
10	डॉ.व्ही.के.दुबे	प्राध्यापक	31.07.2025	
11	डॉ.आर.एन.गांगुली	प्राध्यापक	31.08.2025	
12	डॉ.ए.एल.राठौर	प्राध्यापक	31.07.2025	
13	डॉ.एम.के.चतुर्वेदी	प्राध्यापक	31.05.2024	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 06-03-2026 (विक्रम मिश्रा)

16:08:44 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग